लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(चौदहवां सत्र)

(7th Lok Sabha)

(खंड 46 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

~~लोक सभा~~ वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 22 मार्च, 1984/2 चैत्र, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 13 में "रख गये" के स्थान पर "रखे गये" पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ (ii), पंक्ति 14, "बैराले" के स्थान पर "वैराले" पढ़िये ।

पृष्ठ 3, पंक्ति 13, "श्री धमदास शास्त्री" के स्थान पर "श्री धर्मदास शास्त्री" पढ़िये ।

पृष्ठ 3, पंक्ति 34 के पश्चात, "श्री संतोष मोहन देव: आपको चीन जाना चाहिए । अध्यक्ष महोदय: वह आपके साथ जर्मनी जाना चाहते हैं ।" अंत:स्थापित कीजिए ।

पृष्ठ 4, पंक्ति 17, "खांन" के स्थान पर "खान" पढ़िये ।

पृष्ठ 14, नीचे से पंक्ति 6, "प्रो॰ रन्स चन्दपाल" के स्थान पर "प्रो॰ सा चन्द पाल" पढ़िये ।

पृष्ठ 16, पंक्ति 18 से 29 तक का लोप कीजिए ।

पृष्ठ 16, नीचे से पंक्ति 2, "उत्तर गये" के स्थान पर "उतर गये" पढ़िये।

पृष्ठ 18, नीचे से पंक्ति 8, "श्री गुफरान आज़मे" के स्थान पर "श्री गुफरान आजम" पढ़िये ।

पृष्ठ 30, नीचे से पंक्ति 3, "श्री" के स्थान पर "श्रीमती" पढ़िये ।

पृष्ठ 34, पंक्ति 19, "श्री एम के शेजवलकर" के स्थान पर "श्री एन॰के॰ शेजवलकर" पढ़िये ।

पृष्ठ 39, पंक्ति 20, "उड़ीसा" के स्थान पर "उड़ीसा" पढ़िये ।

पृष्ठ 38, पंक्ति 14 व 16, "मेवात" के स्थान पर "यवत" पढ़िये ।

पृष्ठ 55, पंक्ति 17, "कोष" के स्थान पर "कोच" पढ़िये ।

पृष्ठ 72, नीचे से पंक्ति 2, "त्रिनीय" के स्थान पर "वित्तीय" पढ़िये।

पृष्ठ 83, नीचे से पंक्ति 4, "श्री जी॰ आई॰ कृष्णन" के स्थान पर "श्री जी॰ वाई॰ कृष्णन" पढ़िये ।

पृष्ठ 98, पंक्ति 20, शीर्षक में "बैंकिंग" के स्थान पर "चेकिंग" पढ़िये ।

पृष्ठ 104, पंक्ति 11, आरम्भ में अ॰प्र॰संख्या "4541" अंत:स्थापित कीजिए

पृष्ठ 109, पंक्ति 3, "श्री डा॰ बालानन्दन" के स्थान पर "श्री ई॰ बालानन्दन पढ़िये ।

पृष्ठ 112, पंक्ति 6, "लक्षमण" के स्थान पर "लक्ष्मण" पढ़िये ।

पृष्ठ 131, पंक्ति 8, "श्री हरिश कुमार गंगवार" के स्थान पर "श्री हरीश कुमार गंगवार" पढ़िये ।

पृष्ठ 134, पंक्ति 1, शीर्षक में "टियर" के स्थान पर "टीयर" पढ़िये ।

पृष्ठ 139, पंक्ति 17, शीर्षक में "सहाक" के स्थान पर "सहायक" पढ़िये।

पृष्ठ 145, पंक्ति 2, "श्री डी॰ए॰पुत्ते गौडा" के स्थान पर "श्री॰डी॰ एम॰ पुत्ते गौडा" पढ़िये ।

पृष्ठ 154, पंक्ति 20, "श्रीमती शीला कौअ" के स्थान पर "श्रीमती शीला कौल" पढ़िये ।

पृष्ठ 156, नीचे से पंक्ति 3, "कृमाया मेरी" के स्थान पर "कृपया मेरी" पढ़िये ।

पृष्ठ 170, पंक्ति 3 व 5, "पशिंग" के स्थान पर "पशिंग" पढ़िये ।

पृष्ठ 199, नीचे से पंक्ति 2, "श्री सोमनाथ जी" के स्थान पर "श्री सोमनाथ चटर्जी" पढ़िये ।

पृष्ठ 214, पंक्ति 18, "पैठासीन" के स्थान पर "पीठासीन" पढ़िये ।

पृष्ठ 215, पंक्ति 21, मन्त्री का नाम "श्री के॰विजय भास्कर रेड्डी" पढ़िये ।

पृष्ठ 224, पंक्ति 16, "इन्द्रजीत गुप्त" से पहले "श्री" जोड़िये ।

पृष्ठ 232, पंक्ति 19, "राम" से पूर्व "एम" अन्त:स्थापित कीजिए ।

विषय-सूची

अंक 21, गुरुवार, 22 मार्च, 1984/2 चैत्र, 1906 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	...	...	1—17
*तारांकित प्रश्न संख्या : 364, 366 से 369, 372 और 377	...	...	1—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	...	17—154
तारांकित प्रश्न संख्या : 365, 370, 371, 373, 374, 376 और 378 से 384	...	...	17—25
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4196 से 4313, 4315 से 4362, 4364 से 4371, 4373 से 4383 और 4385 से 4426	...	...	25—154
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	...	154—155
समिति के लिये निर्वाचन	...	...	156
नाविकों सम्बन्धी राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड			
नियम 377 के अधीन मामले—	...	...	156—160
(एक) उत्तर प्रदेश में बिचौलियों द्वारा हथकरघा बुनकरों का शोषण			
श्री चन्द्रपाल शैलानी	...	...	157
(दो) उड़ीसा स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का असन्तोषजनक कार्यकरण			
श्री चिन्तामणि जेना	...	...	158
(तीन) बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर तथा श्रीगंगानगर में उच्चशक्ति ट्रांसमीटरों की स्थापना करने की आवश्यकता			
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	...	...	158
(चार) कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति की बैठक बुलाये जाने की आवश्यकता			
श्री एम० एम० लारेंस	...	...	158—159

*किसी नाम पर अंकित—† चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(पांच) देश में सैनिक स्कूलों को चलाने के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय सहायता तथा प्रशासनिक नियंत्रण की आवश्यकता

श्री दौलत राम सारण 159

(छः) तम्बाकू के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए तम्बाकू बोर्ड के माध्यम से तम्बाकू की "नीलामी बिक्री" शुरू करने की आवश्यकता

प्रो० एन०जी० रंगा ... ... 159—160

(सात) रेयन धागों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता

श्री जगन्नाथ पाटिल 160

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1984-85 ... ... 160—202

रक्षा मंत्रालय ... —

श्री मधुसूदन बैराले ... ... 160—164

श्री राजेश कुमार सिंह ... ... 164—169

श्री हरीश रावत ... ... 169—175

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ... ... 175—181

श्री पी० नामग्याल ... ... 282—186

श्री डी०एस०ए० शिवप्रकाशम् ... ... 186—187

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत ... ... 187—192

श्री के० पी० सिंह देव ... ... 192—198

श्री टी० एस० नेगी ... ... 198—202

प्रमुख पत्तनों पर 15/16 मार्च, 1984 की अर्धरात्रि से पत्तन तथा गोदी श्रमिकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में चर्चा ... ... 202—237

प्रो० अजित कुमार मेहता ... ... 202—206

श्रीमती कृष्णा साही ... ... 206—208

श्री एम० एम० लारेंस ... ... 208—213

श्री संतोष मोहन देव ... ... 213—215

श्री बीजू पटनायक ... ... 215—217

श्री लक्ष्मण मलिक ... ... 217—218

श्री रशीद मसूद ... ... 218—220

श्री बृजमोहन महन्ती ... ... 220—223

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा ... ... 223—224

श्री इन्द्रजीत गुप्त ... ... 224—230

प्रो० सैफुद्दीन सोज ... ... 230—231

श्री चित्त बसु ... ... 231—232

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी ... ... 232—237

लोक सभा

गुरुवार / 22 मार्च / 1984/2 चैत्र / 1906 (शक)

लोक सभा म०पू० 11.04 बजे समवेत हुई।

श्री मन्

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्रीमती गीता मुखर्जी : श्रीमान्, आपका तीन मिनट का समय ले लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : चार मिनट। एक और मिनट भी जा रहा है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मेरे विचार में साम्यवादी चाहेंगे और अधिक समय व्यर्थ न गवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री धर्मदास शास्त्री। प्रश्न संख्या 364.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पश्चिम जर्मनी में विकसित मेगनेटिक बैंड परिवहन प्रणाली

*364. **श्री धर्मवीर शास्त्री**
श्री सन्तोष मोहन देव } : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने पश्चिमी जर्मनी के एम० बान द्वारा विकसित उस प्रणाली का विस्तृत अध्ययन और उपका मूल्यांकन किया है, जिसके अंतर्गत बसों के लिए सकड़ों की और रेलगाड़ियों के लिए रेल लाइन की आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली, तमिलनाडु और कर्नाटक ने मैग्नेटिक बैण्ड परिवहन प्रणाली में काफी रुचि दिखाई है;

(ग) उक्त प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली में 25 फरवरी, 1984 को आयोजित गोष्ठी में एम० बान द्वारा विकसित की व्याख्या इसके एजेन्टों ने प्रस्तुत की। इस गोष्ठी में भाग लेने तमिलनाडु और कर्नाटक से आये व्यक्तियों ने इस प्रणाली में अपनी रुचि दिखायी।

(ग) एम० बान की प्रणाली में स्थायी चुम्बक के सहारे चुम्बकीय बैण्ड और प्रोपल्शन के लिए लीजियर मोटर का इस्ते मालकर गाड़ी चलाने का उल्लेख किया गया है ऐसा दावा किया गया है कि इससे लागत मूल्यों में कमी आती है और कम समय में ही इसका निर्माण किया जाता है। इसके निर्माण के लिए कम जमीन की आवश्यकता होती है परन्तु इसकी वाहन क्षमता अधिक होने के कारण यह शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तेजी से चलने वाले परिवहन साधनों में उपयुक्त है।

(घ) अभी प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उससे मैं कुछ समझ नहीं पाया। जिस राष्ट्र की प्रधान मंत्री ने सारे विश्व को हिला कर रख दिया है, उसी प्रधान मंत्री के केबिनेट के मंत्री महोदय मेरे प्रश्न के उत्तर में एक जगह 'नो सर' 'यस सर' या 'क्वेश्चन डज नाट अराईज' कहें, इससे सवाल हल नहीं होता है। मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस अखबार की कटिंग है इसमें दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के सीनियर आफिसरों ने इस गोष्ठी में हिस्सा लिया। क्या यह बात मंत्री महोदय को मालूम है ? फिर रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के जो डाइरेक्टर हैं, श्री आर० जगन्नाथन, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। ये जो सीनियर आफिसर इस प्रकार की गोष्ठियों में जाते हैं वे क्या मंत्री महोदय की बिना अनुमति के जाते हैं, क्या वे मंत्री महोदय को रिपोर्ट नहीं देते हैं ? इस प्रकार से मंत्री महोदय सोये रहें और अधिकारी जागते रहें। मैं यह कटिंग मंत्री महोदय को भेज सकता हूं।

मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में पहले तो 'नो सर' कह दिया, फिर कह दिया कि तमिलनाडु और कर्नाटक के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इनकी रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के एक्जीक्युटिव डाइरेक्जन आर० जगन्नाथन भी इसमें गये। यह सारी बात मेरी समझ में नहीं आई। फिर मंत्री महोदय 'सी' पार्ट के जवाब में कहते हैं कि एम० वान प्रणाली जो विकसत की गई है, उसकी उपयोगिता बड़े बड़े शहरों में है एम० वान प्रणाली का उल्लेख तो मंत्री महोदय ने कर दिया लेकिन उसके बारे में निर्णय क्या किया, यह नहीं बताया। इस प्रणाली के बारे में मंत्री महोदय का मंत्रालय किस स्टेज पर सोच रहा है या सोचेगा, यह मंत्री महोदय को बताना चाहिए था। यह देश हवा की लहरों में नहीं चलता है। मंत्री महोदय, दस वर्ष में या बीस वर्ष में इस पर सोचेंगे या नहीं सोचेंगे यह बताना चाहिए था। हमें स्पष्ट न कि गोलमोल आन्सर देना चाहिए था। यह नो सर, यस सर, क्वेश्चन डज नाट अराइज वाली बात मेरी समझ में नहीं आई।

संसद् कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं चाहता हूं कि विशेषणों, निन्दा, आक्षेपों तथा अन्य बातों के सिवाय सब बातें अभिलेख में रहें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रश्न काल के दौरान वह बीच में इस तरह नहीं बोल सकते। इस में कुछ भी असंसदीय नहीं है। यह मंत्री महोदय से असंतुष्ट हैं। समूचा देश सरकार से असंतुष्ट है।

श्री बूटा सिंह : प्रश्न में आप किसी मंत्री के बारे में ऐसी बात नहीं कह सकते हैं।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप बता सकते हैं कि क्या बात कही गई है ?

(व्यवधान)

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : श्रीमान्, यदि सदस्य यह जानते होते कि उन्होंने क्या पूछा है, तो मुझे आशा है, कि वह ये सब बातें न कहते। उन्होंने कहीं कुछ रिपोर्ट पढ़ी हैं और उन्होंने यह प्रश्न पूछा है और अनावश्यक रूप से टिप्पणियां कर रहे हैं। एक गोष्ठी हुई थी .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय यह कहना चाहते हैं कि तथ्य इस के प्रतिकूल हैं।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मैं केवल तथ्यों पर प्रकाश डालूंगा। इसका निर्णय अन्य लोग करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मंत्री महोदय के पास तथ्य नहीं हैं।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर तथा निर्माण और आवास मंत्रालय ने एक गोष्ठी आयोजित की थी। उस में विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी थे। उसमें परिवहन की इस प्रणाली की एक फिल्म दिखाई गई थी। फिल्म देखने मात्र से ही कोई व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता और यदि ऐसा किया जा सकता तो फिर कई अन्य चीजें भी की जा सकती थीं। इसे अभी कहीं भी लागू नहीं किया गया है। जर्मनी में भी, जहां इसका आविष्कार किया गया है, इसका निर्माण अब हो रहा है और यह प्रणाली इस वर्ष के अन्त तक तैयार हो सकेगी। दूसरा नगर, जो इसमें रुचि ले रहा है, वह बैंकॉक है। इसे किसी ने नहीं देखा है। केवल तस्वीरें दिखाई गई हैं। हमारी सरकार का अधिकारी जो वहां गया था, उसे केवल तस्वीर ही दिखाई गई थी न कि सड़कें, आदि। जब हमने यह देखा ही नहीं कि यह प्रणाली कैसे काम करती है और इसके क्या लाभ है, तब हम भविष्य के बारे में हम कैसे और क्या निर्णय कर सकते हैं ? किसी व्यक्ति द्वारा अन्य दृष्टिकोण अपनाये जाने के बावजूद सरकार निर्णय कैसे ले सकती है ?

धर्मदास

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : वह आपकी तस्वीर देखने के पश्चात् ही दल में शामिल हुए हैं।

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने उनकी पिक्चर तो बता दी लेकिन अपनी पिक्चर नहीं बताई। फिजिबल है या नहीं इस के बारे में क्या सोचते हैं, मंत्रालय के अधिकारी क्या बोलते हैं, इसके बारे में स्पष्टीकरण बता दें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह एक सामान्य प्रमाण पत्र देना चाहते हैं।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : हमारे अधिकारियों की राय भी यही है कि अभी इसे कहीं भी चालू नहीं किया गया। यह अभी जर्मनी में विचाराधीन है। जब तक उसका कार्यकरण न देख लें तब तक कोई निर्णय नही किया जा सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे इस पर आपत्ति है। उन्हें अधिकारियों का नहीं बल्कि सरकार का दृष्टिकोण बताना चाहिये।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मैं यह भी बताने जा रहा हूं। उन अधिकारियों ने मुझे बताया है जिन्होंने उसे देखा है। अभी उन लोगों ने ही पक्का इरादा नहीं बनाया है। उन्होंने भी हमें सलाह नहीं दी है। यह क्या है, इस बारे में हमें कुछ पता नहीं है। सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री को सभा में अधिकारियों की राय नहीं बतानी चाहिये।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपको यह सब कुछ देखने के लिए जर्मनी में एक संसदीय शिष्ट मंडल भेजना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : उस रिपोर्ट को देखिये।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मैं उस जिम्मेवारी को जानता हूं।

श्री संतोष मोहन देव : इस बात को देखते हुए कि इस प्रणाली का प्रदर्शन अधिकारियों के समक्ष किया गया था, मैं मंत्री महोदय के रवैये की सराहना करता हूं। क्या मंत्रालय के लिए इसका प्रदर्शन संसद, सदस्यों के समक्ष करवाना संभव होगा जिसमें कि हम कोई निर्णय ले सकें ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जर्मनी जाइये।

श्री संतोष मोहन देव : क्या यह फिल्म संसद सदस्यों को दिखाई जा सकती है जिससे हम कुछ विचार बना सकें ? क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि इसे किसी अन्य देश में लागू किया जा रहा है और यदि हां, तो कब से ?

[श्री संतोष मोहन देव : आपको चीन जाना चाहिए। 3
मध्यक्ष महोदय : वह आपके साथ जर्मनी जाना चाहते हैं।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : यह फिल्म सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। कम्पनी के प्रतिनिधि, डब्ल्यू० एच० हुज, जिसने इसे तैयार किया है, ने गोष्ठी में उस समय दिखाई थी जब वह उसमें आये थे और यह सरकार के पास नहीं है।

हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, बैंकॉक और कराकस दो ऐसे नगर हैं, जिन्होंने इसमें रुचि दिखाई है। वहां भी उन्होने अभी तक इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री आर० पी० गायकवाड़। अनुपस्थित।

धरम नगर से कुमार घाट तक रेल लाइन

*366. **श्री अजय विश्वास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धरम नगर से कुमार घाट तक रेल लाइन बिछाने के कार्य को पूरा करने की निर्धारित तिथि क्या है ?

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं दे रही है जिसके कारण सारा काम पिछड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या केंद्रीय सरकार इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए इस परियोजना के लिए अपेक्षित सारी धनराशि देने पर विचार करेगी; और

(घ) परियोजना को समय पर पूरा करने में विलम्ब होने के अन्य क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) धर्मनगर और पेचारताल (23 कि० मी०) के बीच प्रथम चरण का काम अप्रैल, 1985 तक पूरा हो जाने की प्रत्याशा है तथा पेचारताल और कुमारघाट (10 कि० मी०) के बीच दूसरे और अंतिम चरण का काम दिसम्बर, 1986 के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) जी नहीं। इस परियोजना के लिए अधिकतम संभव परिव्यय की व्यवस्था की गयी है जो वर्षानुवर्ष नयी लाइन परियोजनाओं के लिए समग्र आवंटनों के अनुरूप है। 31.3.84 तक इस परियोजना का प्रत्याशित खर्च 9.70 करोड़ रुपये है और 1984-85 में इस कार्य के लिए 4.75 करोड़ रुपये का आवंटन करने का प्रस्ताव किया गया है। इस परियोजना को पूराकरने के लिए शेष धन, जो लगभग 15 करोड़ रुपये बनता है, की व्यवस्था कार्य पूरा होने के लिए निर्धारित तारीखों के अनुसार की जाएगी।

(घ) विगत में इस कार्य की प्रगति में कुछ हद तक निर्माण सामग्री की नाजुक मदों की ढुलाई में आने वाली समस्याओं के कारण बाधा पड़ी और कुछ हद तक मलेरिया होने तथा उसके परणिामस्वरूप ठेकेदारों की असफलता के कारण भी बाधा पड़ी। पेराचताल और कुमारघाट के बीच 2 सुरंगों के निर्माण में अभी कुछ और समय लगने की संभावना है।

श्री अजय विश्वास : मैंने मंत्री महोदय के उत्तर का अवलोकन किया है। उन्होंने सभा को गुमराह करने की कोशिश की है वस्तुत: मूल निर्धारित तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ संशोधित निर्धारित तिथि का उल्लेख किया गया है। इस परियोजना का मूल प्राक्कलन 8.5 करोड़ रुपये था, अब यह बढ़कर 20 करोड़ हो गया है। परियोजना को पूरा करने में हुए विलम्ब के कारण यह अब पुन: बढ़कर लगभग 30 करोड़ हो गया है। मंत्री ने कहा है कि इस परियोजना

का प्रथम चरण अप्रैल, 1985 तक पूरा हो जाएगा । इसके बाद सरकार दूसरे चरण पर काम आरम्भ करेगी। आप कहते हैं कि दूसरा चरण दिसम्बर, 1986 तक पूरा हो जाएगा और आपको उस पर 15 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि यह परियोजना 20 महिनों, अर्थात 20 दिसम्बर, 1986 तक पूरी हो जाएगी। वास्तविक तथ्य यही है। आपने कहा है कि धन की कमी आड़े नहीं आएगी। लेकिन धन की कमी आड़े आ रही है। मैं उत्तर पूर्व क्षेत्र परिषद के प्रतिवेदन से उद्धरण दे रहा हूं। आपने न्यू बोगाईगांव से गौहाटी तक बड़ी लाइन बिछाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उच्च प्राथमिकता देने की शर्त क्या है ? उत्तर पूर्वी क्षेत्र परिषद के प्रतिवेदन में कहा गया है कि यद्यपि इस परियोजना को चार वर्ष पूर्व आरम्भ किया गया था, परन्तु धन की अपर्याप्त के कारण परियोजना में विलंब हो गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र परिषद के प्रतिवेदन में कहा गया है कि इस निर्माणाधीन परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार धन नहीं दे रही है। अतः, वह सभा को गुमराह कर रहे है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रतिवेदन में कहा गया है कि जब वे धन के लिए केन्द्रीय सरकार के पास जाते हैं तो केन्द्रीय सरकार कहती है कि उद्योग के लिए धन देना संभव नहीं है, क्योंकि वहां आधारभूत सुविधाओं का विकास नहीं हुआ है जब हम आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने की मांग करते, तो भी वे इसे प्रदान नहीं करते हैं। केन्द्रीय सरकार की ओर से यह एक दांडिक अपराध है क्या सरकार धर्म नगर से कुमारघाट तक रेल लाइन के निर्माण को उचित प्राथमिकता प्रदान करेगी ? क्या सरकार सभा को आश्वासन देगी कि दिसम्बर, 1985 के अन्त तक इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा तथा इसके निर्माण में धन की कमी आड़े नहीं आएगी ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : त्रिपुरा राज्य में धर्मनगर से कुमारघाट तक (33 कि० मी०) 9.67 करोड़ रुपये की लागत पर एक बड़ी लाइन का निर्माण वर्ष 1978-79 के रेल बजट में शामिल किया गया था। मूल्य-वृद्धि के कारण अनुमानित लागत बढ़कर 29.59 करोड़ रुपये हो गई है। 31-3-84 तक इस काम पर पूर्वानुमानित व्यय 9.70 करोड़ है और वर्ष 1984-85 के दौरान 4.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस बार हमने काफी बड़ी धनराशि आबंटित की है। 15.13 करोड़ रुपये भी शेषराशि अभी खर्च करनी बाकी है। जनवरी, 1984 तक कुल वास्तविक प्रगति 18.6 प्रतिशत है। पहले 23 कि० मी० को चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं सभा को गुमराह कर रहा हूं मैं। सभा को गुमराह नहीं कर सकता। इस परियोजना को विशिष्ट तारीख से चालू करने के बारे में हमारे अधिकारी जो कुछ कहते हैं उस सूचना को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसमें किसी का गुमराह करने का इरादा नहीं होता। इसके बाद दो सुरंगों का निर्माण कार्य पूरा करना है और आपको मालूम है कि हमारे देश में सुरंगों का निर्माण करना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दिसम्बर, 1986 तक इसे पूरा करने का आश्वासन दिया है और मैं समझता हूं हम उन्हें निर्धारित अवधि के अन्दर पूरा कर लेंगे।

माननीय सदस्य ने धन की कमी का उल्लेख किया है। हम उसे हमेशा स्वीकार करते हैं। कुछ दिन पूर्व इस सभा में धन की कमी के बारे में एक वाद-विवाद हुआ था। यह कोई नई बात नहीं है कि माननीय सदस्य हमें धन की कमी के बारे में बतला रहे हैं। यदि यह इसलिए कहा जा रहा है कि वहां गैर-कांग्रेसी सरकार है तो हमें उनके साथ सहानुभूति नहीं है तो, यह सच नहीं है। हम पूर्ण आबंटन से संतुष्ट नहीं हैं। यदि सम्पूर्ण आबंटन अपर्याप्त है तो प्रत्येक परियोजना पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा।

जहां तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र का संबध है, मैं कहना चाहता हूं कि हमने 1984-85 में कुल 90 करोड़ के आबंटन में से 21.51 करोड़ रुपये दिए थे। इसका अभिप्राय है कि हमने उत्तर पूर्वी क्षेत्र को 24 प्रतिशत दिया है।

श्री अजय बिश्वास : आजादी के पश्चात् त्रिपुरा में हमने केवल 12 किलोमीटर लाइन का निर्माण किया है। और मैं समझता हूं कि यदि इस 33 किलोमीटर रेल लाइन के निर्माण में इसी तरह विलम्ब होता रहा तो अगरतला को रेल लाइन से जोड़ने में कम से कम 100 वर्ष और लगेंगे। अतः मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार के पास त्रिपुरा सरकार का कोई वैकल्पिक प्रस्ताव आया है कि अगरतला को दूसरे रास्ते से रेल से जोड़ा जा सकता है और इससे उस पर होने वाले खर्च में कमी तथा रेल लाइन की दूरी भी एक तिहाई कम हो जायेगी। अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी ?

श्री ए०बी० ए० गनी खान चौधरी : महोदय धर्मनगर से अगरतला तक रेल लाइन बिछाने के लिये सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। अभी तक हमने 53 प्रतिशत सर्वेक्षण कर लिया है। राज्य सरकार एक दूसरे रास्ते से रेल लाइन बिछाना चाहती है जिसका समर्थन रक्षा विभाग नहीं कर रहा है। अन्तिम फैसला रक्षा विभाग राज्य सरकार तथा उत्तर पूर्वी परिषद् के परामर्श के पश्चात् किया जायेगा।

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं पूछना चाहता हूं किसी भी योजना को पूरा करने के लिये यह कहा जाता है कि सर्वोच्च प्राथमिकता से इसे पूरा कर रहे हैं। किन्तु इसके बावजूद भी उसका लक्ष्य निर्धारण नहीं करना जिसके कारण वह योजना कब तक पूरी होगी इसका कोई पता नही रहता...

अध्यक्ष महोदय : 1986 का ऐलान कर दिया।

श्री सत्यनारायण जटिया : मैंने पूछा था नीमच से चित्तौड़गढ़ की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, किन्तु उसमें प्रगति हुई है 4.2 प्रतिशत। यह कब पूरी होगी यह मैं जानना चाहता हूं ?

राज्य बाल सुधार गृहों (रिमान्ड होम) का कार्यकरण

*367. **श्री दौलत राम सारण**
श्री बी० डी० सिंह } : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जनवरी, 1984 के "स्टेट्समैन" में स्कूलिंग इन ब्रूटेलाइजेशन" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें राज्य बाल सुधार गृहों (रिमान्ड होम) के कार्यकरण में खामियों और शारीरिक दुरूपयोग पर प्रकाश डाला गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बाल सुधार गृहों के कार्यकरण के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का इस संबंध में अब कोई जांच कराने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बाल अधिनियमों के अन्तर्गत लाभान्वित बच्चों के लिए बाल सुधार गृहों का प्रशासन और प्रबन्ध राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। केन्द्र सरकार ने न तो राज्यों में बच्चों हेतु बाल सुधार गृहों के कार्यकरण की कोई जांच की है और न ही ऐसा करने का कोई प्रस्ताव है।

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष जी, जो यह खबर 7 जनवरी, 1984 के "स्टेट्समैन" में आयी है इस समाचार को क्या सरकार गम्भीर समझती है ? और जो उद्देश्य है इन सबल सुधार गृहों का उस उद्देश्य के अनुसार वहां बच्चों को नहीं रखा जाता है और वह बच्चे और ज्यादा बिगड़ते हैं, ऐसी हालत में क्या केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह राज्य सरकारों को प्रेरणा दे, उनसे सम्पर्क करे और उनकी कठिनाई मालूम करे···ताकि वह ठीक प्रकार से उन संस्थाओं का संचालन करें और उन बच्चों को सुधारने की कोशिश करें ।

श्री पी० के० थुंगन : हम राज्य सरकारों को बालगृहों के लिये पर्याप्त सुविधाएं देने के लिए परामर्श दे रहे हैं । यह परामर्श राज्य मंत्रियों तथा सचिवों के सम्मेलन तथा क्षेत्रीय परिषद् के सम्मेलन के माध्यम से विभिन्न सम्मेलनों के जरिए राज्य सरकारों को दिए जा रहे हैं । इसके अलावा, राष्ट्रीय सामाजिक उत्थान संस्थान ने एक संहिता तैयार की है और इसे इन बच्चों के कल्याण के लिये तुरन्त पर्याप्त उपाय करने हेतु सभी राज्य सरकारों को वितरित किया गया है ।

श्री दौलत राम सारण : राज्य सरकारों को आपने इतनी कान्फरेंस और इतने विचार-विमर्श के अवसर दिये, अनेकों सुझावों और प्रेरणायें दीं और उनके सामने प्रस्ताव रखे, अब समाचारों में लिखित स्थिति कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और अमानवीय व्यवहार किया जाता है, अनुचित तरीके अपनाये जाते हैं, इस सम्बन्ध में क्या आपने राज्य सरकारों को लिखा है कि इसकी जांच की जाये और उन स्थितियों को ठीक किया जाये या अपराधियों को सजा दी जाये ?

श्री पी० के० थुंगन : मैं माननीय सदस्य की समाचार पत्रों में उल्लिखित बच्चों की दुर्दशा के प्रति उनकी चिन्ता की सराहना करता हूं । वस्तुत: हमें इससे काफी दुःख महसूस होता है । मुख्य समस्या यह है कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण ऐसे गृहों के बच्चों के लिए की गई व्यवस्था पर्याप्त नहीं होती । लेकिन जैसाकि मैंने मुख्य उत्तर में उल्लेख किया है कि पहली जिम्मेवारी राज्य सरकार की है । तथापि, इन बच्चों की कठिनाईयों तथा कल्याणकारी उपायों के महत्व को महसूस करते हुए इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को सहायता करने के लिए इस मन्त्रालय को कुछ धन आवंटित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

श्री बी० डी० सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज रिमांड होम्स पूरी तरह अव्यवस्था के शिकार हैं । माननीय मन्त्री ने अपने जवाब में इन्हें राज्य-सरकारों पर छोड़ दिया है जैसे उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है । अगर उनका उत्तरदायित्व नहीं है तो इसे एडमिट ही नहीं करना चाहिए था ।

मैं बताना चाहता हूं कि दो होम्स दिल्ली में हैं, हर साल वहां से बच्चे भाग जाते हैं । कहां जाते हैं यह पता नहीं । 1980-81 में 206 बच्चे, 1981-82 में 202 बच्चे और 1982-83 में 705 बच्चे वहां से भाग गये । क्या यह बात सही है कि इसकी देखरेख की सही व्यवस्था नहीं है जिसके कारण वहां से बच्चे भाग जाते हैं ? क्या सरकार ने इस बात की जानकारी करने की कोशिश की कि बच्चे भागकर कहां जाते हैं, कौन लोग इनको भगाते हैं ? जब तक यह जानकारी नहीं होगी तो वहां की खराबियों को कैसे दूर किया जायेगा ? मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के जितने होम्स चल रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिये और वहां की अव्यवस्था को दूर किया जाना चाहिये । क्या मंत्रालय इस पर विचार करेगा ?

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, माननीय सदस्य का कथन यह है कि इसका उत्तरदायित्व हम पर है । अत: मैं कहना चाहूंगा कि और मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम भी उत्तरदायी हैं और हम अपने उत्तरदायित्व से मुड़ना नहीं चाहते । यही कारण है कि भारत सरकार के समाज कल्याण मन्त्रालय से तकनीकी मार्गदर्शन अथवा परामर्श दिये जाते हैं ।

दूसरा, माननीय सदस्य ने दिल्ली में ऐसे गृहों में सुविधाओं की कमी के बारे में उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में मैं, यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली प्रशासन ने एक कार्यकारी दल की स्थापना की है और उन्होंने कुछ अन्तरिम सिफारिश की हैं। इन सिफारिशों के अनुसार, दिल्ली प्रशासन, जहां कहीं आवश्यक है, कतिपय उपचारात्मक उपाय करने जा रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, बच्चे ही राष्ट्र की भविष्य की निधि हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : यह किसने आपको बता दिया ?

श्री मूलचन्द डागा : स्टेट्समैन में ही नहीं, सब अखबारों में आ रहा है कि बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, जिसके कारण हमारी गरदन शर्म से झुक जाती है। शिक्षा मन्त्री ने, जो समाज कल्याण के भी मन्त्री हैं, पिछले दो सालों में किस-किस सुधार गृह का कब-कब निरीक्षण किया और क्या ऐक्शन लिया ?

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये सारी चीजें राज्य सरकार के पर्यवेक्षण में हैं और हम उन्हें परामर्श देते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बता दिया है कि यह काम स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। वे चुनी हुई सरकारें हैं और यह उनकी जिम्मेदारी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि वह मदद देते हैं, प्राविजन करते हैं और स्टेट्स के रिफ्रेजेन्टेटिव्ज को बुला कर मीटिंग करते हैं। वह डायरेक्शन्ज भी देते हैं। क्वेस्चन 368, श्री ए० के० राय।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : करोड़ों की तादाद में छोटे छोटे बच्चे होटलों और दुकानों वगैरह में काम करते हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि···

अध्यक्ष महोदय : वह सबको बुला कर बातचीत करेंगे। मैंने नेक्स्ट क्वेस्चन बुला लिया है।

(इति)

विचार-विमर्श सुविधाएं बहाल करना

*368. **श्री ए० के० राय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको आल इंडिया रेलवे इम्पलाईज कानफेडरेशन द्वारा 2 मार्च, 1984 को उनके निवास स्थान के सामने धरने के बारे में 10 फरवरी, 1984 का अभ्यावेदन मिला है जिसमें 27 और 28 नवम्बर, 1983 को आल इंडिया रेलवे इम्पलाईज कानफेडरेशन की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की दिल्ली में आयोजित बैठक में किये गये निर्णय के अनुसरण में विचार-विमर्श की सुविधा बहाल करने और मजदूर संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही को वापस लेने के लिए कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय ने औद्योगिक सम्बन्धों में सद्भावना लाने हेतु उपरोक्त मांगों को पूरा करने की दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां। अध्यक्ष, आल इण्डिया रेलवे इम्पलाइज कनफेडरेशन से 10-2-84 का एक अभ्यावेदन मेरे मन्त्रालय में प्राप्त हुआ था और उसमें उल्लिखित "धरना" भी 2-3-84 को आयोजित किया गया था।

(ख) रेलों पर दो अखिल भारतीय श्रमिक फेडरेशनों अर्थात् आल इण्डिया रेलवे मैन्स फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ इण्डियन रेलवेमैन को बातचीत करने की सुविधा दी गयी है, जो कर्मचारियों की सभी कोटियों (आल इंडिया रेलवे इम्पलाइज कनफेडरेशन का प्रतिनिधित्व करने वालों सहित) में से अपनी सदस्यता के आधार पर कर्मचारियों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका आमने-सामने बैठकर बातचीत द्वारा निपटारा किया जाता है और इस प्रकार सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखे जाते हैं। आल इंडिया रेलवे इम्पलाइज कनफेडरेशन को मान्यता नहीं दी गयी है किन्तु 1978 में इस ग्रुप को सीमित बातचीत की सुविधाएं इस आशा से दी गयी थीं कि यह आमने-सामने बैठकर समस्याओं के समाधान के लिए परामर्शात्मक दृष्टिकोण अपनायेंगे। लेकिन इस ग्रुप ने अनेक आंदोलनात्मक तथा अशोभनीय तरीकों का सहारा लिया और इसलिए उनको दी गयी सुविधा 1981 में वापस ले ली गयी। सरकार की यह नीति नहीं है कि किसी रेलवे कर्मचारी को उसकी वैध ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिए दंड दिया जाये। कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई सरकार के सम्बद्ध अनुशासनिक नियमों के अनुसरण में की जाती है।

श्री ए० के० राय : अध्यक्ष महोदय, विवरण में मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि इसको 10 फरवरी का अभ्यावेदन मिला है और 2 मार्च को उनके निवास स्थान के सामने धरना दिया गया था। परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने वहां क्या किया। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने वहां धरना दे रहे श्रमिकों के साथ कोई बातचीत की थी या उस सम्बन्ध में उन्होंने क्या कदम उठाये हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि रेलवे एक बहुत बड़े बल-परीक्षण की तैयारी में है जैसा इसने 1974 में किया था। उसके बाद शीघ्र ही 10 अप्रैल को रेलकर्मचारियों ने एक और प्रदर्शन किया होगा। और रेल मंत्री के नकारात्मक उत्तर से इस बात का पता नहीं चलता कि उनको स्थिति की गंम्भीरता की भी जानकारी है।

मंत्री महोदय ने अपने उत्तर के भाग (ख) में बताया है कि आल इंडिया रेलवे एम्पलाईज कन्फेडरेशन को 1978 में दी गई बातचीत करने की सीमित सुविधाएं इसलिये वापस लेली गईं क्योंकि उन्होंने बहुत-से आन्दोलन किये और तोड़-फोड़ के तरीके अपनायें। मैं जानना चाहता हूं कि कन्फेडरेशन ने तोड़-फोड़ के क्या तरीके अपनाये जिनके लिये उनकी बातचीत की सुविधाओं को वापस ले लिया गया।?

मेरा दूसरा मुद्दा जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि आपने दो फेडरेशनों की बातचीत की सुविधाएं दी हैं? इनको ये सुविधाएं देने का आधार क्या था? क्या वे प्रतिनिधि हैं? सत्रह लाख कर्मचारियों में से दोनों फेडरेशनों की कुल सदस्य संख्या तीन लाख से भी कम है। शेष कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? या तो आप जैसी अन्य चीजों में यथा कोयले और इस्पात की भांति प्रक्रियाएं अपनाएं और सभी फेडरेशनों को आमंत्रित करके बातचीत करें, या आप मतदान के माध्यम से प्रतिनिधि फेडरेशन का निर्धारण करें, आप मत लें, आप देखें कि किन-किन

फैडरेशनों कर्मचारियों का समर्थन तथा बहुमत प्राप्त है। केवल दो ही फेडरेशन क्यों है। तीन क्यों नहीं ? केवल दो ही फेडरेशनों को मान्यता क्यों···

अध्यक्ष महोदय : श्री राय, भाषण मत दीजिए। प्रश्न पूछिए।

श्री ए० के० राय : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं उनसे पूछता हूं कि व दो फेडरेशनों को मान्यता देने और उन्हीं को बातचीत करने का एकाधिकार देने का आधार स्पष्ट करें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वहां संगत प्रश्न है। हम सभी की इसमें रुचि है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, रेलवे में दो मान्यता-प्राप्त फेडरेशन हैं। एक आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन और दूसरा नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन (व्यवधान) मैंने आपको जवाब दे दिया है। आपने आधार के बारे में मुझ से पूछा। समान्यता, हम श्रम विभाग से सलाह लेते हैं और तब श्रम विभाग द्वारा दी गई सलाह और दिये गए सुझावों के अनुसार मान्यता दी जाती है। हम यह प्रक्रिया अपनाते हैं।

जहां तक शिकायतें दूर करने का सम्बन्ध है, इन दो बड़े फेडरेशनों के परामर्श से शिकायतें दूर करने के लिये एक विस्तृत तंत्र गठित किया गया है। डिवीजनल स्तर पर डिवीजनल रेल प्रबन्धक तथा उनके अधिकारियों द्वारा जोनल स्तर पर जोनल महा प्रबन्धक और उनके विभागाध्यक्षों द्वारा तथा रेलवे बोर्ड स्तर पर सदस्य (स्टाफ) और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक फेडरेशन के साथ पृथक,-पृथक, नियमित बैठकें की जाती है। इसके अतिरिक्त, जब कभी आवश्यक हो तो अनौपचारिक तथा संयुक्त बैठकें भी की जाती हैं।

यह व्यवस्था, जो स्थायी बातचीत तंत्र के नाम से जानी जाती है, काफी कामयाब साबित हुई है।

इसके अलावा चूंकि सभी रेल कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं इसलिये ऐसी बैठकों में सरकारी स्तर पर चर्चाएं होती हैं जिनकी अध्यक्षता मन्त्रिमडल सचिव अथवा उनके नामित व्यक्ति द्वारा की जाती है, जिनमें इन फेडरेशनों के माध्यम से संयुक्त परामर्श-दात्री तंत्र के अधीन सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व सहित रेल कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इस संयुक्त परामर्श-दात्री तंत्र स्कीम से आगे सदस्य (स्टाफ), रेल मंत्रालय के सचिव के रूप में इन दो यूनियनों के साथ विभागीय परिषद् बैठकें करते हैं। अतः यह देखना है कि रेल कर्मचारियों को अपनी शिकायतें दूर करवाने के पर्याप्त अवसर मिलें।

यह भी सरकार की नीति रही है कि कर्मचारियों की सीधे भेजी गई व्यक्तिगत शिकायतें या संसद सदस्यों द्वारा भेजी गई सामूहिक शिकायतों का समाधान किया जाये। सरकार कर्मचारियों के साथ स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्धों में विश्वास करती है परन्तु स्पष्टतया धरनों, घेरावों और काम बन्दी को प्रोत्साहित नहीं कर सकती।

श्रमिक संघ बहुत अधिक न हों यह भी सरकार की नीति है क्योंकि यह न तो कमचारियों के हित में होगा और न ही देश के हित में। ऐसी किसी भी कार्यवाही से रेलवे में केवल श्रमिक संघों का विभाजन ही होगा। अतः आल इंडिया रेलवे एम्प्लाईज कन्फेडरेशन जैसे अमान्यता-प्राप्त संगठनों से बातचीत व्यावहारिक नहीं है।

श्री ए० के० राय : महोदय, मन्त्री महोदय ने जो कुछ कहा है उससे उत्तर निश्चय ही संतोषजनक नहीं है, यहां तक कि आपके लिये भी।

आपका कहना है कि श्रम विभाग की सलाह पर मान्यता दी जाती है। मैं पूछना चाहूंगा कि श्रम विभाग ने ऐसी राय पिछली बार कब दी थी।

श्री ए० बी०ए० गनी खान चौधरी : मेरे पास तारीख नहीं है।

श्री ए० के० राय : अभी आपको उत्तर नहीं देना है। इसके अन्त में आप उत्तर दे दीजिए।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैंने कहा कि सामान्यतया ऐसा किया जाता है।

श्री ए० के० राय : परन्तु मेरा कहना है···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री ए० के० राय : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। रेल कर्मचारियों की शिकायत का मुख्य कारण यह है कि यद्यपि वे औद्योगिक कर्मचारी हैं तथापि उनको सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलाया जाता है कोई मजूरी बोर्ड नहीं है। उनकी मजूरी और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की मजूरी के बीच भारी अन्तर है। यह अन्तर 300 रुपये से अधिक है।

मैं मन्त्री महोदय से पूछता हूं और उनको केवल हां या 'ना' में उत्तर देना चाहिये कि क्या रेल कर्मचारी ·····

अध्यक्ष महोदय : क्या यह बाध्यता है?

श्री ए० के० राय : क्या रेल कर्मचारी औद्योगिक कर्मचारी हैं या सरकारी कर्मचारी? कृपया 'हां' या 'ना' में उत्तर दीजिए। आप जरा बतायें।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी मैंने इस बारे में विस्तृत उत्तर दे दिया है। मैं आगे और कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये मैंने उसे पूछा था कि क्या यह बाध्यता है या नहीं, क्योंकि वे पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैंने सोचा कि मैंने उसे पढ़ कर सुना दिया है और मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता। परन्तु यदि वह आग्रह करते हैं तो मैं यही कहूंगा कि सभी रेल कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं। क्या आप संतुष्ट हैं?

श्री ए० के० राय : जी नहीं। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार·····

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि आल इण्डिया रेलवे एम्पलाईज कान्फेडरेशन को मान्यता नहीं दी गई है। किन्तु 1978 में इस ग्रुप को सीमित बातचीत की सुविधा इस आशा से दी गई थी कि ये आमने सामने बैठ कर समस्याओं के समाधान के लिए परामर्शदात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे। लेकिन इस ग्रुप ने अनेक आन्दोलनात्मक तथा अशोभनीय तरीकों का सहारा लिया और इसीलिए उनको दी गई सुविधा 1981 में वापस ली गई। तो मैं यहां यह जानना चाहूंगा कि क्या आन्दोलन करने पर सरकार ने रोक लगा दी है? अगर रोक लगा दी है तब तो आपका कहना सही हो सकता है और फिर मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आपने क्या यह पता लगाया है कि इस कान्फेडरेशन के साथ कैटेगरी की कितनी यूनियनें शामिल हैं और उनकी सदस्य संख्या क्या है? उनकी सदस्य संख्या पर ही तो यह मान्यता दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं···

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब दे दिया कि लेबर डिपार्टमेंट की सलाह पर किया है।

श्री रामावतार शास्त्री : उन्होंने यह जवाब नहीं दिया कि सदस्य संख्या इस कान्फेडरेशन की क्या है ? सदस्य संख्या जो रेकग्नाइज्ड की है वह जवाब दे दिया लेकिन अनरिकाग्नाइज्ड का नहीं दिया। इसके अन्दर शामिल एसोसिएशंस और यूनियनों की सदस्य संख्या क्या है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : लोकतांत्रिक ढांचे में आन्दोलनों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। वह हमारा इरादा नहीं है। परन्तु हमें उनका रवैया देखना है। जब शिकायत दूर करवाने के लिये कोई उचित तन्त्र है तो हम चाहते हैं कि इस आन्दोलन के बजाय पहले हम इस तन्त्र को आजमायें। यदि यह तन्त्र असफल हो जाता है तो कर्मचारी सदैव हमारे पास आ सकते हैं और हमारे साथ बैठ सकते हैं और हम रास्ता निकाल सकते हैं। मैं जो महसूस करता हूं वह यह है कि यदि वे हर बार किसी न किसी प्रकार का आन्दोलन आरम्भ करते हैं और आमने-सामने बैठने से इन्कार करते हैं तो हम हल नहीं निकाल सकते।

श्री रामावतार शास्त्री : उन्होंने इन्कार नहीं किया। वे अभी भी आपसे बात करने के लिये तैयार हैं। महोदय, वह इन्कार कर रहे हैं। यहां वह गलत बोल रहे हैं।

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : आदरणीय सदस्य महोदय, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह रवैये का सवाल है। अन्य दो फेडरेशनों का हमारे तन्त्र में विश्वास है। परन्तु दुर्भाग्यवश, जिस फेडरेशन की आप बात कर रहे हैं उसका वह रवैया नहीं है। मैं रवैये के बारे में कह रहा हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : आप उनको बुलायें। यह आप पर छोड़ा जाता है।

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आल इण्डिया रेलवे एम्पलाइज कन्फेडरेशन अव्यवस्थित रूप से बना नौ सेक्शनल एसोसिएशनों का फेडरेशन है जो दावा करता है कि वह विभिन्न श्रेणियों के रेल कर्मचारियों, अर्थात्, स्टेशन मास्टरों, गार्डों, कमर्शियल क्लर्कों, लोको मेकेनिकल स्टाफ, टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ, मिनिस्टीरियल स्टाफ, टिकट चैकिंग स्टाफ आदि, आदि के हितों की देखभाल करता है। श्रेणीवार ये सेक्शनल यूनिट मान्यता प्राप्त फेडरेशनों के उप-समूह (स्प्लिंटर ग्रुप) हैं क्योंकि वे मान्यता प्राप्त फेडरेशनों के सामान्य परामर्श दृष्टिकोण से सहमत नहीं हुए।

महोदय, जहां तक आंकड़ों का सवाल है, मेरे पास आंकड़े नहीं है और इसलिए मैं श्री शास्त्री जी को आंकड़े नहीं दे सका। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

कलकत्ता पत्तन की शुष्क गोदियों का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण

*369. **श्री नीरेन घोष** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन की शुष्क गोदियां पुरानी हैं, और वे प्रयोग के लायक नहीं रही हैं;

(ख) कलकत्ता पत्तन की कितनी शुष्क गोदियों का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण किया जाना है;

(ग) क्या उन शुष्क गोदियों का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कलकत्ता पत्तन अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी): (क) और (ख) कलकत्ता पत्तन में 5 शुष्क गोदियां हैं और ये सभी गोदियां काफी पुरानी हैं तथा इनका जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता है।

(ग) से (च) जी हां। कलकत्ता पत्तन ने 475.76 लाख रुपए के कुल परिव्यय से नेताजी सुभाष गोदियों और किद्दरपुर गोदियों पर शुष्क गोदियों के कुछ संयंत्र और महीनों को बदलने की एक योजना भेजी है। योजना विचाराधीन है।

श्री नीरेन घोष : महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, भारत की शुष्क गोदियों में से 5 कलकत्ता में स्थित हैं।

प्रो० मधु दंडवते : कलकत्ता बहुत शुष्क है।

श्री नीरेन घोष : बम्बई तर है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : इसीलिये कलकत्ता में अधिक स्वस्थता पायी जाती है।

श्री नीरेन घोष : महोदय, इन शुष्क गोदियों का काफी लम्बे समय से उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनका आधुनिकीकरण और जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। ये शुष्क गोदियां विभिन्न प्रयोजनों के लिये पत्तन प्रणाली के आवश्यक अंग हैं। उच्च शुष्क गोदियां चालू न होने के कारण पत्तन अधिकारी महसूस कर रहे हैं कि समूचे परिचालन कार्य में बाधा पहुंच रही है। क्या आज उन शुष्क गोदियों का तुरन्त जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण करने के लिये कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेंगे ? क्या आप इसके पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित करेंगे ?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : महोदय, यह सही है कि इन शुष्क गोदियों की काफी लम्बे समय से उपेक्षा की जाती रही है और उनमें से अधिकतर उपयोग में नहीं आ रही हैं। इसीलिये पत्तन न्यास ने 475 लाख रुपये के कुल परिव्यय की एक योजना की सिफारिश की है। सरकार इन गोदियों के जीर्णोद्धार की इस योजना पर मंजूरी देने के लिये गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है और यह मामला पूरी तरह सरकार के ध्यान में है।

श्री नीरेन घोष : अब मंत्री महोदय कहते हैं कि सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है। इस पर केवल गम्भीर रूप से विचार करने की ही बात नहीं है। उन्हें योजना स्वीकृत करनी चाहिये और इसे आरम्भ करना चाहिये क्योंकि उन शुष्क गोदियों को जीर्णोद्धार किये बिना कलकत्ता पत्तन के विभिन्न कार्य रुक रहे हैं। जहां तक कलकत्ता पत्तन न्यास के चेयरमैन से मुझे जानकारी मिली है, वे इन शुष्क गोदियों में विभिन्न प्रकार के कार्य करना चाहते हैं। अतः केवल विचार करने जैसी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सभा को आश्वासन दें कि वह इसे स्वीकृत करेंगे और जितना जल्दी सम्भव होगा, इसका जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण करेंगे क्योंकि इस पत्तन की काफी लम्बे समय से उपेक्षा की जाती रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री नीरेन घोष के प्रश्न को दो शब्दों में संक्षेप में कह सकता हूं, इसकी देखरेख कीजिए।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मैं माननीय सदस्य के विचार से सहमत हूं। सरकार भी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है। हम इन कार्यों को शीघ्र ही स्वीकृत कर रहे हैं। हम इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कलकत्ता पत्तन न्यास ने केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव कब भेजा था ? मैं तारीख जानना चाहता हूं। राशि उतनी नहीं है। क्या सरकार आवश्यक राशि मंजूर करेगी ? मैं उसे नीति-निर्णय के रूप में लेता हूं, सरकार ने काम चालू रखने का निर्णय किया है। यह तो केवल इतनी सी बात है कि इसे कब क्रियान्वित किया जाये। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उनका जीर्णोद्धार करने का निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो इसे अंतिम रूप देने में कितना समय और लगेगा तथा निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मेरे पास ठीक तारीख नहीं है। परन्तु इसे इस वर्ष के बजट में शामिल किया जाना था। यह देश में कुल शुष्क पत्तन सुविधाओं का एक भाग है। इन सुविधाओं को सुधारने का निर्णय किया गया है। इसे कब किया जायेगा, इसके बारे में जैसाकि मैंने कहा कि सरकार कार्य आरम्भ करने के लिये गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है।

श्री जेवियर अराकल : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। यह सांविधिक आवश्यकता है कि जहाजों के लिए शुष्क गोदियां हों। श्री नरपति दत्त द्वारा प्रस्तुत नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार जहाजों के लिये 7200 शुष्क गोदियों की आवश्यकता है जबकि हमारे यहां देश में केवल 2400 शुष्क गोदियां हैं। मंत्री महोदय के उत्तर का स्वागत है परन्तु मुद्दा यह है कि हम इस मामले के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा के रूप में इतनी अधिक धनराशि खर्च कर रहे हैं।

क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि सरकार देश में स्वदेशी शुष्क गोदी सुविधायें विकसित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? कलकत्ता पत्तन, कोचीन पत्तन के बाद दूसरा पत्तन है। कोचीन पत्तन पर शुष्क गोदी की सबसे अधिक सुविधायें हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय कोचीन पत्तन के सम्बन्ध में इस मामले में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : श्री दत्त की अध्यक्षता में बनाई गई विशेषज्ञ समिति के सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने बहुत सारे कदम उठाये हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण कदम है कोचीन पत्तन पर सुविधाओं में सुधार करना। माननीय सदस्य को जानकारी है कि हमने उसमें जितनी राशि लगाई है वह कहां तक लाभकारी है : वहां कितनी हड़तालें आदि हुई हैं। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस पर ध्यान देंगे। इसके अतिरिक्त हमने हाल ही में बम्बई पत्तन पर एक निजी कम्पनी द्वारा शुष्क गोदी सुविधायें दी हैं और मद्रास में, एक अन्य शुष्क गोदी बनाई जायेगी। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को आंशिक रूप से क्रियान्वित किया गया है। यह सिफारिश 15 वर्षों के लिए है; यह परिपेक्ष्य योजना है। पहला भाग हमने आरम्भ कर दिया है।

बंदेल और भद्रेश्वर के लिये तीसरी लाइन

*372 **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बन्देल और भद्रेश्वर के बीच एक तीसरी लाइन बिछाने के लिये कदम उठाने गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हो चुका है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) तारकेश्वर शाखा लाइन सहित सेवडाफली और बंडेल के बीच लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए पहले से ही सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह एक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण है जिससे यह विनिश्चय किया जायेगा कि क्या मुख्य लाइन का विस्तार किया जाये तो कब और यदि ऐसा किया जाता है तो लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए तीसरी लाइन के प्रस्तावित आरेखण, स्टेशनों के खाके, सिगनल प्रणाली आदि की व्यवस्था करनी होगी।

(ख) संचयी प्रगति लगभग 50 प्रतिशत है।

प्रो० रूप चन्द्र पाल : महोदय, ऐसा समझा जाता है कि रेल मंत्री, जो एक विशेष राज्य के हैं, को उस राज्य में रेल लाइनों के बारे में कुछ भौगोलिक जानकारी होनी चाहिए। मैंने हावड़ा-बर्दवान मेन लाइन पर, जो बंदले और भद्रेश्वर स्टेशनों के बीच में है, तीसरी रेल लाइन के बारे में एक प्रश्न पूछा था। इसका जो उत्तर दिया गया है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। यह कहा गया है :

"तारकेश्वर शाखा लाइन सहित सेवड़ाफली और बंदेल के बीच लाइन क्षमता बढ़ाने के लिये पहले से ही सर्वेक्षण किया जा रहा है।" वह पूर्णतया अलग बात है।

श्री सुनील मैत्रा : महोदय या तो आप हमारी मदद करें या भगवान मदद करें।

प्रो० रूप चन्द्र पाल : मैं मंत्री महोदय की मदद करने के लिए प्रश्न को और अधिक स्पष्ट करता हूं।

स्वाधीनता से लेकर अब तक बंदेल और हावड़ा के बीच केवल दो ही लाइनें, एक अप और एक डाउन, चल रही हैं। हावड़ा से भद्रेश्वर तक केवल एक ही तीसरी लाइन है।

यदि भद्रेश्वर से बंदेल तक की इस 15 कि० मी० की लाइन को बिछाया जाये तो रेल यात्रियों को सुविधा होगी और 80 उपनगरीय गाड़ियों में सुधार होगा। इस समय गाड़ियों के समय पर आने-जाने पर सबसे पहले प्रभाव पड़ा है। इनका समय पर आवागमन सुधारा जा सकता है। गाड़ियों का समय पर चलाना और अधिक ठीक हो जायेगा।

मैं सरकार से 1980 से इस आशय के अभ्यावेदन करता रहा हूं परन्तु सरकार एक ही जवाब देती जा रही है कि उसने सर्वेक्षण कर लिया है। तीसरी लाइन बिछाने में केवल 15 कि० मी० की दूरी पूरी की जानी है।

सरकार के उत्तर में यह बताया गया है कि 50% प्रगति हुई है। इतनी प्रगति कैसे हो सकती है जबकि सरकार को यह मालूम ही नहीं है कि कितनी दूरी तय की जानी है और कौन सी लाइन बिछाई जानी है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : भद्रेश्वर बंदेल सेक्सन पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान भद्रेश्वर और बंदेल के बीच तीसरी लाइन के प्रवधान का अध्ययन किया जायेगा। सर्वेक्षण से हमारा तात्पर्य यह है कि यातायात तथा ऐसी ही अन्य बातों को ध्यान में पहले रखा जायेगा। बाद में हमें लागत और प्रतिफल पर ध्यान देना होगा। जब तक कि सर्वेक्षण सबसे पहले पूरा नहीं हो जाता मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता हूं।

परियोजना पर स्वीकृति दिये जाने के बाद ही भूमि अर्जित करने की सामान्य प्रक्रिया है परन्तु सर्वेक्षण के दौरान नहीं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : भोगोलिक ज्ञान के सर्वोच प्रश्न के बारे में क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : वह प्रो० रूपचन्द पाल पर छोड़ा गया है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह मेरे साम्यवादी मित्रों का एकाधिकार है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : भूगोल सब के लिए नहीं है ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : उनका ज्ञान केवल बंगाल की खाड़ी के बारे में है अन्य किसी के बारे में नहीं ।

(व्यवधान)

प्रत्यक्षत: ऐसा लगता है कि 12 किलोमीटर की इस तीसरी लाइन के लिए प्रावधान इसलिए आवश्यक होगा कि इस सैक्शन पर अनुमानित यातायात से निपटा जा सके ।

तथापि, सही स्थिति का पता सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही चलेगा ।

इस समय सर्वेक्षण कार्य में 50 प्रतिशत प्रगति हुई है । वर्ष 1984 तक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाने की आशा है ।

प्रो० रूप चन्द्र पाल : मैं सरकार से 1980 से लेकर अब तक अभ्यावेदन करता रहा हूं और मैंने रेल मंत्री महोदय को भी लिखा है कि यदि सर्वेक्षण किया जाना है तो रेल लाइनों के दोनों तरफ की निजी जमीनों को अधिग्रहण तुरन्त और जितना जल्दी संभव हो, किया जाये । उस मामले में रेलवे द्वारा अदा किया जाने वाला मुआवजा बहुत कम होगा । परन्तु 1980 से लेकर अब तक सरकार एक ही जवाब देती जा रही है कि सर्वेक्षण किया गया है और 50 प्रतिशत प्रगति हुई है ।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस 50 प्रतिशत प्रगति में 12 किलोमीटर लम्बी दूरी तक की उस रेल लाइन के इधर उधर की निजी भूमि का अधिग्रहण अथवा अर्जन भी शामिल है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : सर्वेक्षण से हमारा अर्थ है कि सबसे पहले यातायात और अन्य सभी बातों को ध्यान में लेना होगा । बाद में, हमें लागत और लाभ को भी ध्यान में लेना होगा । जब तक सर्वेक्षण पूरा नहीं होता है, मैं किसी बात का उत्तर नहीं दे सकता हूं ।

यह एक सामान्य प्रथा रही है कि सदैव परियोजना को स्वीकृति मिल जाने के बाद और सर्वेक्षण पूरा हो जाने पर ही भूमि प्राप्त की जाती है, सर्वेक्षण के दौरान नहीं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : भूगोल की जानकारी के बारे में क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रो० रूप चन्द पाल के लिए छोड़ दिया गया है ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मेरे साम्वादी मित्रों का इस पर एकाधिकार है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : भूगोल सबके लिए नहीं है ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : उन्हें केवल बंगाल की खाड़ी का ज्ञान है, अन्य किसी बात का नहीं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन नं० 377, श्री राम विलास पासवान ।

श्री राम विलास पासवान : क्वेश्चन नं० 377 ।

ए स्टेटमेंट इज लेड आन दि टेबिल आफ दि हाऊस, यही बोल दें और अगर मंत्री जी नहीं बोल रहे हैं, तो मैं ही बोल देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह रास्ते में खो गया है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या रेल मंत्री पटरी से उत्तर गये हैं ?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब को कहिये कि जरा होम वर्क कर के आया करें ।

आर/आर बिल्टियों में "सैड टु कन्टेन" नियम

*377 श्री राम विलास पासवान
श्री भीकू राम जैन } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 नवम्बर, 1982 के "हिन्द व्यापार" (हिन्दी) में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अनेक व्यापारियों को आर/आर बिल्टियों पर अंकित "सैड टु कन्टेन" नियम के अन्तर्गत भारी हानि उठानी पड़ी है तथा उनके दावों को इन्ही आधारों पर अस्वीकृत कर दिया गया है;

(ख) क्या मुगल सराय और खगड़पुर जैसे विभिन्न रेलवे यार्डों पर रेलवे अधिकारियों की सांठ-गांठ से असामाजिक तत्वों द्वारा रेलवे वैगनों की सीलें तोड़ दी जाती हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित कारणों से पिछले पांच वर्षों की तुलना में हावड़ा रेलवे स्टेशन के लिए रेलवे वैगनों की बुकिंग अब कम हो गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस नियम में संशोधन करने तथा आर/आर-बिल्टियों पर "सैड टु कन्टेन" शब्द न लिखने का है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) ऐसा कोई समाचार सरकार के नोटिस में नहीं आया है ।

(ख) मुगल सराय और खड़गपुर यार्डों में लाल डिब्बों की सीलों को तोड़ने के कुछ मामले हुए हैं। सरकार के नोटिस में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें रेल कर्मचारियों की मिली भगत से समाज-विरोधी तत्वों द्वारा माल डिब्बों की सील तोड़ी गयी हो ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं । ऐसे मामलों में, जहां ट्रकों से मालडिब्बों में सीधा लदान किया जाता हो या जहां रेल कर्मचारी उपलब्ध न होते हों और साइडिंगों से लदान होता हो, वहां रेल कर्मचारियों के लिए माल डिब्बों में लादे गये थैलों/पैकिटों की संख्या की जांच करना/गिनती करना संभव नहीं है, "सेड टू कन्टेन" रेलवे रसीद जारी करनी होती है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अनुवाद और भाषान्तर की तकनीक को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र

*365. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं में अच्छे अनुवाद के अभाव के कारण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और साहित्य तथा राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय एकता में अपेक्षित विकास नहीं हो सका;

(ख) क्या राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर की बैठकों, विचार गोष्ठियों और सम्मेलनों में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं में अच्छे भाषान्तरकारों की कमी है; और

(ग) क्या देश की आवश्यता को पूरा करने के लिए अनुवाद और भाषान्तर की कला और तकनीक को बढ़ावा देने हेतु एक केन्द्र की स्थापना की जायेगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में स्तर की पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए उपयुक्त कदम उठा चुका है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा लगभग 3,87,500 वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द हिन्दी में तैयार किए गए हैं। उक्त आयोग द्वारा कृषि, औषधि, फार्मेसी, पशु-चिकित्सा, विज्ञान और इन्जीनियरी में विश्वविद्यालय स्तर की 195 पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित की गई हैं। शिक्षा मन्त्रालय की योजना के अन्तर्गत हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञान और मानविकी के विभिन्न विषयों की लगभग 7730 पुस्तकें विभिन्न पुस्तक प्रकाशन एजेन्सियों के माध्यम से प्रकाशित की गई हैं।

राष्ट्रीय पुस्तकें न्यास ने भी अपनी "आदान-प्रदान" माला के अंतर्गत लगभग 551 पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें चुनी हुई साहित्यिक कृतियों का अनुवाद एक प्रमुख भारतीय भाषा से अन्य भाषा में किया गया है। इसके अलावा, साहित्य अकादमी में "भारतीय साहित्य के निर्माता" माला के अन्तर्गत पुस्तकों की बड़ी संख्या है, जिनका अनुवाद, इसके द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के संबंध में, एक भारतीय भाषा से अन्य भाषा में किया जाता है।

कई विश्वविद्यालय विदेशी और भारतीय भाषाओं के शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं जो एक विदेशी अथवा भारतीय भाषा से अन्य विदेशी अथवा भारतीय भाषा में अनुवाद तथा भाषांतरण के लिए सहायक होती हैं। कुछ विश्वविद्यालय अनुवाद और भाषांतरण में प्रशिक्षण के लिए भी सुविधाएं प्रदान करते हैं।

अतः यह देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और साहित्य के विकास के लिए ऐसे प्रकाशनों की प्राथमिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके उपयुक्त प्रकाशन निकालने के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए हैं।

यह सही है कि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर बैठकों विचार-गोष्ठियों तथा सम्मेलनों में सहायता प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के अच्छे भाषान्तरकारों की कमी है। तथापि, सरकार इस समस्या से पहले ही अवगत है। विदेश मन्त्रालय भाषांतरकारों का एक संवर्ग स्थापित करने के संबंध में कार्य कर रहा है ताकि उपयुक्त योग्यता रखने वाले भाषांतरकारों की भर्ती की जा सके। सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में अनुवाद तथा समकालिक भाषांतरण एकक स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों/कालेजों के प्राध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेतन समिति

*370. **श्री गुफारान आजम** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मध्य प्रदेश में कालेज और विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए हाल ही में एक वेतन समिति नियुक्त की थी; और

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट दे दिये जाने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) (क) जी नहीं। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त की है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार इस स्तर पर इस समिति का कार्य पूरा होने की कोई निश्चित समय सीमा बताना कठिन है।

बेरुत में हुई जान-माल की हानि का ब्योरा

*371. **श्री मंगलराम प्रेमी**
श्री जगपाल सिंह } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेबनान और इजराइल के बीच उनके आपसी मतभेदों के कारण संघर्ष में तीसरी बार बमबारी के परिणामस्वरूप बेरुत और इसके आसपास के क्षेत्रों में हुई जान-माल की हानि का कोई अनुमान लगाया गया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) वहां पर युद्ध विराम के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) हाल के महीनों में अन्य कारणों के अतिरिक्त फिलिस्तीनी ठिकानों पर इजराइली विमानों की बमबारी की वजह से बेरुत में और उसके आस-पास के क्षेत्रों में जान और माल का काफी नुकसान हुआ है। इस हानि का अभीतक कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया गया है और न यह अभी संभव है।

(ख) सरकार ने लेबनान में राष्ट्रीय सामंजस्य स्थापित करने की सभी कोशिशों का स्वागत किया है और इस समय लुसेने, स्विटजरलैंड में विभिन्न लेबनानी नेताओं के बीच जो बातचीत चल रही है उसका वह स्वागत करती है। कई बार युद्ध विराम पर सहमति हुई है लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक युद्ध विराम हो नहीं पाया है।

लोको सवारी डिब्बों, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिटों और माल डिब्बों की आवश्यकता

*373. **श्री नवीन रावणी**
श्री मोहन लाल पटेल } : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नये लोकोमोटिव, सवारी डिब्बों, इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिटों तथा माल डिब्बों की वार्षिक आवश्यकता क्या है;

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान भारत में कुल कितने लोकोमोटिव, सवारी डिब्बों, इलैक्ट्रिक यूनिटों तथा माल डिब्बों का निर्माण किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि भारत में इन मदों की अभी भी कमी है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान उक्त चीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) क्या मांग को पूरा करने के लिए आयात करने के कोई कार्यक्रम हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं के अनुरूप, रेल इन्जनों, सवारी डिब्बों, बिजली गाड़ी यूनिटों और माल डिब्बों की आवश्यकताएं 5 वर्ष में एक बार निर्धारित की जाती हैं यथानिर्धारित आवश्यकताओं के भीतर, योजना आवंटन और प्रत्याशित यातायात के स्तर के आधार पर वार्षिक उत्पादन निर्धारित किया जाता है।

1984-85 के निर्माण कार्यक्रम में 168 रेल इंजनों, 1229 सवारी डिब्बों, 174 बिजली गाड़ी यूनिटों और 12,000 माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) के निर्माण का अनुमान लगाया गया है।

(ख) 1983-84 में जितने रेल इन्जनों, सवारी डिब्बों, बिजली गाड़ी यूनिटों और माल डिब्बों के निर्माण किये जाने की संभावना है, उनकी संख्या नीचे दी गयी है:—

रेल इन्जन	—170
सवारी डिब्बे	—1100
बिजली गाड़ी यूनिट	—72
माल डिब्बा (चौपहियों के हिसाब से)	16600

(ग) माल डिब्बों और मोटे तौर पर रेल इंजनों के निर्माण के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। सवारी डिब्बों की मौजूदा उत्पादन क्षमता आवश्यकताओं से कम है और इसलिए सवारी डिब्बा कारखाने में सवारी डिब्बों के निर्माण की क्षमता 1000 तक बढ़ायी जा रही है तथा एक नया सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने के संबंध में पहले ही कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है।

(घ) 1984-85 में चल-स्टाक के उत्पादन का लक्ष्य भाग (क) के उत्तर में दिया गया है। आलोच्य वर्ष के लिए योजना आबंटन में जो राशि निर्धारित की गयी है उसमें और वृद्धि करने की गुंजाइश नहीं है।

(ङ) जी नहीं, केवल उच्च अश्व शक्ति और आधुनिक अभिकल्प वाले कुछ प्रोटोटाइप बिजली रेल इंजनों को आयात करने का प्रस्ताव है।

जहाज निर्माण उद्योग में यूगोस्लाविया का सहयोग

*374. **श्री हरीश रावत** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया से जहाज निर्माण उद्योग में सहयोग देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केरल में तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा के लिये योजना परिव्यय

*376. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पंचवर्षीय योजनाओं में से प्रत्येक योजना के दौरान तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए कुल कितना योजना परिव्यय रखा गया था;

(ख) प्रत्येक योजना अवधि के दौरान केरल के संबंध में कितना योजना परिव्यय रखा गया था;

(ग) क्या केरल सरकार ने कम से कम सातवीं योजना अवधि में केरल में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए योजना परिव्यय में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अनुरोध का ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) पिछली प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के दौरान दोनों केन्द्र तथा राज्य स्तर पर तकनीकी शिक्षा के लिए किया गया कुल परिव्यय निम्नलिखित है :—

योजना	परिव्यय (रुपए लाखों में)
पहली योजना	2156
दूसरी योजना	5503
तीसरी योजना	13444
चौथी योजना	10951
पांचवी योजना	15600
छठी योजना	30000

(ख) केरल में प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अवधि में तकनीकी शिक्षा के लिए किया गया कुल योजना परिव्यय निम्नलिखित है :

योजना	परिव्यय (रुपए लाखों में)
पहली योजना	केरल राज्य 1956 में बना
दूसरी योजना	237
तीसरी योजना	378
चौथी योजना	232
पांचवी योजना	236
छठी योजना	700

(ग) जी, नहीं । केरल सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अभी तैयार नहीं किया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

टिप्पणी : क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा का परिव्यय सामान्य शिक्षा में शामिल किया गया है, इसे अलग से बताया नहीं जा सकता ।

राष्ट्रीय एकता के लिए स्कूल और कालेजों के पाठ्यक्रम बनाना

*378. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छात्रों में राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रप्रेम की भावना बढ़ाने को सुनिश्चित करने हेतु स्कूल और कालेज स्तर पर पाठ्यक्रम में समुचित परिवर्तन करने हेतु कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और क्या सरकार उसे पर्याप्त मानती है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या शिक्षा के माध्यम से इन मूल्यों और भावनाओं को प्रोत्साहित करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी;

(घ) यदि हां, तो वह किस किस्म की होगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ङ) स्कूली शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और इसकी व्यवस्था अधीकांशतः उन्हीं के द्वारा की जाती है। अतः पाठ्यचर्या तैयार करना और निर्धारित करना, पाठ्य पुस्तकें लिखवाना अथवा उन्हें अनुमोदित करना और स्कूल स्तर पर अध्ययन की सामान्य योजनाएं तैयार करना राज्य सरकारों का काम है। राष्ट्रीय स्तर पर रा० शै० अ० प्र० प० ने माडल पाठ्यचर्या और माडल पाठ्य पुस्तकें तैयार की हैं जिनका कुछ राज्य सरकारों/माध्यमिक शिक्षा बोर्डों ने प्रयोग किया है/अपनाया है। रा०शै० अ० प्र० प० ने स्कूल स्तर पर विभिन्न विषयों में मार्गदर्शी रूप रेखाओं के रूप में "दस वर्षीय स्कूल पाठ्यचर्या-एक रूप रेखा" भी तैयार की है। रा० शै० अ० प्र० प० द्वारा तैयार की गई माडल पाठ्यचर्या और माडल पुस्तकें शिक्षण में उत्कर्षता, राष्ट्रीय एकीकरण की प्रोन्नति, सामुदायिक और जातीय पक्षपात के निराकरण और देशभक्ति की भावना को मन में बैठाने के उद्देश्यों पर आधारित हैं।

2. शिक्षा मन्त्रालय ने, राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से राज्य सरकारों की एजेंसी के माध्यम से विभिन्न राज्यों में प्रयोग में लायी जा रही पाठ्य पुस्तकों, प्रथम चरण में इतिहास और भाषाओं (केवल अंग्रेजी और हिन्दी), के मूल्यांकन का कार्य रा० शै० अ०प्र० प० के माध्यम से शुरू किया है। रा० शै० अ० प्र० प० ने राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से पाठ्य-पुस्तकों का मूल्यांकन करने के लिए मानदण्ड और साधन तैयार किए हैं। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से इतिहास और भाषाओं की स्कूली पाठ्य पुस्तकों के संशोधन का यह कार्यक्रम शुरू किया है। पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा निम्नलिखित पूर्वाग्रहों और दृष्टिकोणों के संदर्भ में की जाएगी।—

(1) साम्प्रदायिकता
(2) जातिवाद और अस्पृश्यता
(4) प्रादेशिकता और भाषावाद
(4) प्रजातिवाद
(5) रूढ़िवाद और अन्धविश्वास

रा० शै० अ० प्र० प०, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अनेक राज्यों ने मूल्यांकन का कार्य पहले ही पूरा कर लिया है और अपनी पाठ्य पुस्तकों को संशोधित कर लिया है। अन्य राज्य इस कार्य को पूरा करने में लगे हैं।

कालेज स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फरवरी, 1982 में सभी विश्वविद्यालयों को इस अनुरोध के साथ मार्गदर्शी रूपरेखाएं परिचालित की थीं कि वे इस दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करें कि, इन पुस्तकों में ऐसी कोई सामग्री शामिल न हो जो समुदायों के बीच आसामंजस्य पैदा करती हो।

3. कुछ समय पहले सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से स्कूली पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है ताकि स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास का क्रमिक परिचय शामिल किया जा सके।

4. सरकार समय-समय पर पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा कर रही है ताकि यह सुनिश्चत किया जा सके कि विभिन्न स्तरों की पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रीय एकीकरण की धारणा पर उपयुक्त रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

हल्दिया और हावड़ा बरास्ता पंसकुरा एक अन्य दुतरफा रेल गाड़ी चलाना

*379. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण-पूर्व रेलवे में हल्दिया से हावड़ा बरास्ता पंसकुरा एक अन्य दुतरफा रेलगाड़ी चलाने का है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रस्ताव स्वीकृति के लिए काफी समय से विचाराधीन है;

(ग) इस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए एक अन्य दुतरफा रेलगाड़ी चलाने के बारे में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) हावड़ा और पंसकुड़ा के बीच चल रहीं मौजूदा स्थानीय बिजली गाड़ियों में से एक गाड़ी को 1.4.1984 से हल्दिया तक चलाकर हल्दिया के लिए एक गाड़ी की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

गल गंड रोग से पीड़ित व्यक्ति

*380. **श्री राम लाल राही** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में दो करोड़ से भी अधिक बच्चे गल-गण्ड रोग से पीड़ित हैं; और

(ख) वर्ष 1980 से 83 तक इस रोग से पीड़ित मरीजों की वर्ष-वार संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) किये गये सर्वेक्षणों के आधार पर लगाये गये अनुमानों से पता चलता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में गल-गण्ड का प्रकोप काफी अधिक है। लेकिन इस रोग से प्रभावित बच्चों की ठीक-ठीक संख्या बताना संभव नहीं है।

एशियाई संसदीय फोरम द्वारा दिये गये सुझाव

*381. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई संसदीय फोरम ने फरवरी, 1984 में आयोजित चार दिवसीय सम्मेलन के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर घटाने और शिशु मृत्यु-दर को 50 प्रतिशत तक कम करने के लिये क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन सुझावों को अपनी स्वास्थ्य नीति में शामिल करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) इस सम्मेलन के सुझाव जनसंख्या वृद्धि-दर और शिशु मृत्यु-दर में कमी लाने के बारे में हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ शिशु मृत्यु-दर को 60 से कम लाना और सन् 2000 ई० तक वास्तविक प्रजनन दर को एक पर लाना है।

गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में कुछ पत्तनों की रेल पटरियों और स्थापनाओं के अधिग्रहण के बारे में विवाद

* 382 डा० बसंत कुमार पंडित : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में ओरवा, बेदी, पोरबन्दर और वेरावल पत्तनों पर रेल पटरियों और स्थापनाओं के अधिग्रहण के बारे में विवाद है;

(ख) क्या गुजरात के पत्तन और मेरीटाइम बोर्ड का यह कहना है कि इन पत्तनों की रेल पटरियां और भवन पश्चिम रेलवे की सम्पत्ति है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा "डिपोजिट सर्वेक्षण" के लिये आवश्यक राशि अदा करने पर पश्चिम रेलवे इनके अधिग्रहण के लिये तैयार है;

(घ) क्या रेलवे के आधारभूत सुविधा के बिना सभी मौसमों में काम करने वाले इन महत्वपूर्ण पत्तनों के विकास में बाधा आ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो माल के लाने ले जाने की व्यवस्था में सुधार करने, माल भाड़े और ईंधन में बचत करने तथा आयात-निर्यात वस्तुओं के सस्ते निपटाने के लिये राज्य सरकार के साथ एक उपयुक्त समझौता करने के लिये अन्य प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) से (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 295 के अन्तर्गत संबंधित पत्तनों में स्थित रेल पटरियों और उनसे संबद्ध निर्माणों पर केन्द्रीय सरकार का अधिकार है और इसलिए वे छोटे पत्तनों, जो कि राज्य सरकार के अधीन हैं, की सम्पत्ति नहीं हो सकते ।

(घ) और (ङ) ओरवा, बेदी, पोरबन्दर और वेरावल छोटे पत्तन हैं । छोटे पत्तनों के विकास और प्रबन्ध की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है । जहां तक रेलवे के आधारभूत ढांचे का संबंध है, उसकी व्यवस्था यातायात की आवश्यकता और उपलब्ध धन के अन्तर्गत परस्पर प्राथमिकताओं के आधार पर की जाती है ।

"नोरप्लांट" नामक गर्भनिरोधक

*383. श्री के० मालन्ना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नोरप्लांट नामक हाल में खोजा गया तरीका और एक बहुत टिकाऊ गर्भ निरोधक बहुत कामयाब सिद्ध हुआ है;

(ख) यदि हां तो क्या इसे विदेशों में भी पसंद किया गया है और यह वहाँ भी लोकप्रिय है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शकरानंद) : (क) से (ग) "नोरप्लांट" लम्बे अर्से तक प्रभावकारी रहने वाला गर्भरोधक तरीका है जिसका भारत सहित लगभग 15 देशों में क्लीनिकी परीक्षण किया जा चुका है । अब तक के अनुभवों से यह पता चलता है कि इस तरीके से तीन से पांच वर्ष तक गर्भरोधन किया जा सकता है तथा इसे हटा कर व्यक्ति को पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है ।

बगाह-छितौनी रेल पुल

*384. **श्री पीताम्बर सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मन्त्री ने गण्डक नदी पर बनाए जा रहे बगहा-छितौनी रेल पुल का शिलान्यास किस तारीख को किया था;

(ख) उपर्युक्त पुल, जो गोरखपुर जंकशन को नरकटियागंज जंकशन चम्पारण से रेल द्वारा जोड़ता है, किस तारीख को गिरा; और

(ग) उपर्युक्त पुल, निर्माण के किस चरण में है और इसके कब तक पूरा होने की आशा है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 22-10-1973

(ख) 1924-1925

(ग) इस परियोजना पर अब 61 करोड़ रुपये से अधिक लागत आने का अनुमान है, जिसमें से नदी के बहाव को नियंत्रित करने से संबंधित कार्यों आदि के लिए 38 करोड़ की राशि के बड़े भाग का अंशदान सिंचाई मन्त्रालय और उत्तर प्रदेश तथा बिहार की राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में उनके अंशदान और मूल्यों में वृद्धि होने के कारण बढ़ी हुई लागतों को वहन करने की उनकी वचनबद्धता की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में पुष्टि प्राप्त हो जाने के पश्चात इस कार्य की प्रगति में तेजी लाई जाएगी।

अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से निकाले गए जी० ओ० सी० वर्कशाप के कर्मचारी

4196. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964 में और उसके बाद अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण जी०ओ०सी० वर्कशाप, तमिलनाडु से सेवा से निकाले गये कर्मचारियों की वर्षवार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे कितने कर्मचारियों को बहाल/पुनः नियुक्त किया गया है;

(ग) कितने मामलों में पुनर्नियुक्ति के बाद सेवा में व्यवधान को माफ कर दिया गया है; और

(घ) वेतन वृद्धि रोकने के कितने मामलों में एक बार दिये गये दण्ड को बाद में बढ़ा दिया गया है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वरिष्ठ डाक्टरों के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण की पद्धति

4197. **श्री अनन्त रामुलु मल्ल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय स्वास्थ्य योजना और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के वरिष्ठ डाक्टरों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके साथ जुड़े आधार और फायदों को ध्यान में रखते हुये इस संबंध में सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली पद्धति से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा में भाग लेने वाली अनेक यूनिटों जैसे डाक तार विभाग, श्रम मंत्रालय (कोयला खान कल्याण संगठन, बीड़ी कर्मचारी संगठन) असम राइफल्स, अण्डमान

निकोवार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, दिल्ली प्रसाशन और केंद्रीय सरकार के संस्थानों जैसे सफदरजंग अस्पताल, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसन्धान संस्थान, पांडिचेरी तथा सारे देश में स्थित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विभिन्न औषधालयों के लिए चिकित्सा अधिकारियों की व्यवस्था करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों में यह व्यवस्था है कि इस सेवा के लिए भर्ती किये गये अधिकारियों को भारत में किसी भी स्थान पर सेवा करनी होगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के आदेश ट्रांसफर आर्डर के पैटर्न के अनुसार जारी किये जाते हैं, जो 1971 में जारी किया गया था, प्रतिलिपि अनुबंध-1 पर है। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं० एल० टी०-8018/84] केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों का इस्तेमाल अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि कुछेक संघ शासित क्षेत्रों को छोड़कर विशेषकर सभी राज्यों की अपनी-अपनी मेडिकल सेवाएं हैं।

"डेनिडा" कार्यक्रम में उड़ीसा को शामिल करना

4198. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राथमिक और प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार के लिये "डेनिडा" कार्यक्रम में शामिल करने के लिये उड़ीसा राज्य सहित कुछ राज्यों को चुना गया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उड़ीसा राज्य को इस सम्बन्ध में अपनी योजना भेजने के लिये कहा गया था; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार द्वारा भेजी गई योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए एक परियोजना की रूपरेखा, जिसमें 8.02 करोड़ रुपये की डेनिश सहायता मांगी गई है, डेनिश प्राधिकारियों को उनके विचारार्थ दिसम्बर, 1982 में भेजी गई थी। शिक्षकों के क्वार्टरों सहित स्कूल भवनों के निर्माण के अलावा इस परियोजना में शिक्षकों के प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या सुधार तथा पर्यवेक्षण की व्यवस्था है। बाद में हुए द्विपक्षी विचार-विमर्श के दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि डेनिश प्राधिकारी क्षेत्रों की सीमित संख्या पर सकेन्द्रित करने के अपने अभिप्राय तथा अपनी प्रशासनिक और तकनीकी सीमाओं के कारण इस परियोजना को इस समय वित्तपोषित करने की स्थिति में नहीं है।

रेलवे कर्मचारियों द्वारा धान जब्त किये जाने को रोका जाना

4199. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 फरवरी, 1984 के "इंडियन एक्सप्रेस" मदुराई संस्करण में "पैडी सीजर पवारटेड बाई रेलवे आफिशियल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शेनकोट्टाह स्टेशन के स्टेशन मास्टर, (दक्षिण रेलवे) के विरुद्ध कोई कार्यवाही, करने का है?

रेल मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) जांच से पता चला है कि शेंकोटा स्टेशन पर राजस्व अधिकारियों द्वारा धान जब्त किया गया था और शेंकोटा स्टेशन के रेल कर्मचारी इसमें शामिल नहीं थे।

महानगरों और राज्यों की राजधानियों में कामकाजी महिलाओं के लिये अधिक होस्टल

4200. श्री अमर सिंह राठवा : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए लगभग कितने आवास की आवश्यकता है और इस समय कामकाजी महिलाओं के होस्टलों में कितनी महिलाओं के लिये आवास उपलब्ध हैं;

(ख) क्या दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के और होस्टलों के निर्माण को कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी सुविधायें अन्य महानगरों और राज्यों की राजधानियों में भी उपलब्ध कराई जा रही हैं और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार उन क्षेत्रों में भी ऐसी सुविधायें उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) दिल्ली में श्रमजीवी महिलाओं के लिये अपेक्षित अनुमानित आवास के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी, 31-12-1983 तक दिल्ली में स्वीकृत किये गये होस्टलों की संख्या 7 है जिनमें कुल 1928 संवासियों के रहने की क्षमता है।

(ख) समाज कल्याण मन्त्रालय श्रमजीवी महिलाओं के होस्टलों के निर्माण के लिये स्वयं-सेवी संगठनों को अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करता है। योजना के अनुसार यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो उन पर विचार किया जाता है।

(ग) से (घ) यह योजना सम्पूर्ण देश में लागू है और जो स्वयंसेवी संगठन योजना के अन्तर्गत विहित पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हैं, वे अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं जिसकी सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश की जाती है।

दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिये होस्टल

4201. श्री एन० ई० होरो : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिये आवास की भारी कमी है और अनेक संनठन सरकार की वित्तीय सहायता से कामकाजी महिलाओं के लिये इस प्रकार के होस्टल चला रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन होस्टलों के प्रबन्धकों ने अपने होस्टलों में रहने वालों के रुकने की अवधि सीमित की हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या इन संगठनों पर सरकार का ऐसा कोई नियंत्रण है कि वे मंत्रालयों के निदेशों का पालन करवा सके ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी नहीं। मंत्रालय की वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत बनाये गये होस्टलों में रहने वालों के प्रवास की कोई अवधि सीमा नहीं है।

(घ) संगठनों को योजना में दिये गये निदेशों का पालन करना पड़ता है और इनका अनुपालन न करने के लिये उन्हें इस मंत्रालय की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

देश में खुदरा भेषजज्ञों का राज्यवार ब्यौरा

4202. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 में खुदरा भेषजज्ञों की राज्यवार संख्या कितनी थी;

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान, राज्य-वार, कुल कितने लाइसेंस जारी किये गये;

(ग) इस कार्य के लिए राज्य-वार कुल कितने भेषजज्ञ उपलब्ध हैं;

(घ) देश में विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानित बिक्री के लिये अनुमानतः कितने खुदरा दुकानों की आवश्यकता है; और

(ङ) 1975 से 1982 तक प्रत्येक राज्य में भेषजज्ञों की संख्या में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तट दूर सप्लाई पोतों का अधिग्रहण

4203. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग वर्ष 1985 तक कितने तट-दूर सप्लाई पोत खरीदना चाहता है;

(ख) किन गैर-सरकारी क्षेत्र की किन-किन कम्पनियों को तट-दूर सप्लाई पोत खरीदने की अनुमति दी गई है, उनके द्वारा खरीदे जाने वाले पोतों की संख्या कितनी है और किन मूल्यों पर खरीदेंगे;

(ग) भारतीय नौवहन निगम कितने तट दूर सप्लाई पोत खरीदेगा और किन मूल्यों पर;

(घ) नौवहन विकास समिति ने पहले ही कितने आवेदन पत्र स्वीकृत कर लिए हैं परन्तु मंत्रालय ने स्वीकृति नहीं दी है; और

(ङ) उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, 1985 की प्रथम तिमाही तक 36 तट दूर सप्लाई जहाज खरीदना चाहता है।

(ख)

कम्पनी का नाम	अनुमत जहाजों की संख्या	एक जहाज की कीमत (मिलि० में)
1	2	3
1. ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी (नई)	4	4.35 अमरीकी डालर
2. गरवारा शिपिंग कार्पोरेशन (नया)	5	4.55 अमरीकी डालर

1	2	3
3. हेडे फैरोमिनाश प्राइवेट लि० (पुराना)	1	1.95 अमरीकी डालर
4. ईस्सर बल्क कैरियर (नया)	4	5.5 अमरीकी डालर
5. वरुण शिपिंग कम्पनी (नई)	2	3.2 अमरीकी डालर

(ग) भारतीय नौवहन निगम 4.598 मिलियन अमरीकी डालर प्रति जहाज की दर पर 10 तट दूर सप्लाई पोत खरीद रहा है।

(घ) और (ङ) छह। ये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए गए हैं, क्योंकि यह अनुभव किया गया कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को चार्टर किराये के लिए जितने जहाजों की आवश्यकता थी, वह पहले ही पूरी हो चुकी है तथा और जहाज खरीदने की अनुमति देने से जहाज खरीदने वाली कम्पनियों को केवल कठिनाई होगी।

हावड़ा और समस्तीपुर तथा जयनगर और वाराणसी के बीच सीधी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाना

4204. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा और समस्तीपुर के बीच तथा जयनगर और वाराणसी के बीच प्रतिदिन सीधी एक्सप्रेस रेल गाड़ियां चलाए जाने के लिए लगातार मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) सवारी डिब्बों, इन्जनों जैसे संसाधनों, लाइन और टर्मिनल क्षमता की कमी के कारण, हावड़ा और समस्तीपुर के बीच ऐसा करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है। फिर भी, बरौनी और हावड़ा के बीच जनवरी, 1984 से एक साप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ी चलायी है। जहां तक जयनगर और वाराणसी के बीच गाड़ी चलाने का सम्बन्ध है, इसके लिए पर्याप्त औचित्य नहीं बनता है।

लम्बी दूरी की गाड़ियों में दिये जाने वाले भोजन की किस्म

4205. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित रेलवे अधिकारी उस भोजन की जांच करते हैं, जो लम्बी दूरी की यात्रा के दौरान यात्रियों को दिया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि पैकेटों में जो भोजन दिया जाता है वह न तो अच्छी किस्म का है और न ही ताजा होता है;

(ग) यदि हां, तो गाड़ियों में, विशेष रूप से लम्बी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी किस्म के भोजन में विभिन्न मदें दिए जाने के बारे में सरकार का विचार अच्छे तथा भिन्न-भिन्न किस्म का भोजन उपलब्ध करवाने के लिए क्या कदम उठाने का है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या रेलवे के खान-पान विभाग ने हाल में चलती गाड़ी में भोजन की व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति का पुनरीक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो गाड़ियों में भोजन की शीघ्र उपलब्धता के बारे में अपनाए जाने वाले नए ढंग अथवा प्रक्रिया से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) लम्बी दूरी की गाड़ियों में, दोपहर और रात के खाने में विभिन्न व्यंजन परोसे जाते हैं। इसके अलावा, मांग करने पर विभिन्न खाद्य पदार्थ वस्तु अनुसार मूल्य के आधार पर भी परोसे जाते हैं।

(घ) और (ङ) सभी गाड़ियों में और सभी स्टेशनों पर खान-पान सेवाओं में सुधार लाने के लिए रेलों द्वारा सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

चल अस्पताल आरम्भ करना

4206. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या नैदातिक और चिकित्सीय सुविधाओं से मुक्त चल अस्पताल एक कम लागत वाली प्रभावशाली स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली उपलब्ध कराते हैं; जो विकासशील देशों के अनुकूल हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त जानकारी राष्ट्रमण्डल सचिवालय के चिकित्सा सलाहकार द्वारा दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या चल अस्पताल भारत में भी आरम्भ कर दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उन्हें राष्ट्रमण्डल सचिवालय द्वारा सहायता दी गई है;

(ङ) चल अस्पताल कितने राज्यों में आरम्भ किए गए हैं;

(च) भारत में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं; और

(छ) क्या देश में चालू वर्ष के दौरान और चल-अस्पताल आरम्भ किए जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) नैदानिक और चिकित्सीय सुविधाओं वाले मोबाइल अस्पताल अस्थाई उपाय के रूप में केवल तब तक ही स्वास्थ्य परिचर्या की सुविधायें प्रदान कर सकते हैं जब तक स्थायी सुविधायें उपलब्ध नहीं हो जातीं।

(ख) नहीं।

(ग) से (छ) मोबाइल अस्पताल खोलने की कोई योजना नहीं है।

बज-बज नामखाना रेल लाइन का निर्माण

4207. **श्री अमल दत्त** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 में बज-बज नामखाना रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया जाएगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इस काम को कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) संसाधनों की कमी के कारण योजना आयोग द्वारा परियोजना की स्वीकृति नहीं दी गयी है। स्वीकृति प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

राजधानी में यातायात का बहुत बढ़ जाना

4208. **श्री जयन्ती पटनायक** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी में अत्यधिक यातायात के होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। राजधानी में यातायात में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) राजधानी में बढ़ी हुई यातायात की समस्या से निपटने के लिए पहले ही बहुत सारे कदम उठाये जा चुके हैं। इनमें सड़क को चौड़ा किया जाना, महत्वपूर्ण अन्तरखंडों पर गोल चक्करों को दूर करना, फ्लाईओवर्स का निर्माण किया जाना, गलत ढंग से खड़ी की गई गाड़ियों को क्रेन द्वारा हटाने की सिस्टम को लागू करना, यातायात की गति की दिशा और कड़ाई से चैक किया जाना शामिल है। मोटर व्हीकिल्स (संशोधन) अधिनियम, 1982 के माध्यम से यातायात नियमों के उल्लंघन को कड़ाई से दबाने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक ड्राइवर गाड़ी चलाते समय अपना लाइसेंस आवश्यक रूप से साथ रखेगा, और उस लाइसेंस पर ड्राइवर की फोटो भी निश्चित रूप से चिपकी रहेगी। यातायात नियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कुछ निश्चित श्रेणी निर्धारित की गई है ताकि मामले का निपटान शीघ्रतापूर्वक किया जा सके। अनाधिकृत व्यक्तियों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने, निर्धारित गति सीमा से अधिक पर गाड़ी चलाने, असावधानी और मनमाने ढंग से गाड़ी चलाना, मुकाबला करना, और गति का ट्रायल्स आदि किस्म के यातायात अपराधों के सम्बन्ध में दण्ड/जुर्माने की राशि में वृद्धि कर दी गई है। इसके अलावा, दिल्ली यातायात पुलिस ने समस्या का निदान पालने के लिए दिल्ली प्रशासन को निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

(1) पर्याप्त मात्रा में रोशनी की सुविधा सहित सड़क की स्थिति में सुधार।

(2) सड़क पर यातायात में वृद्धि को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस को सुदृढ़ किया जाना।

(3) दिल्ली में धीमी गति से चलने वाली गाड़ियों के यातायात पर धीरे-धीरे रोक लगाना।

(4) दिल्ली नगर निगम द्वारा मार्गों के निर्माण में किसी भी तेह-बाजारी को अनुमति नहीं दी जाय।

(5) परिवहन गोदामों और अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं को अलग कर देना चाहिए और दिल्ली के बाहर में कहीं पर उसे स्थान दिया जाना चाहिए।

(6) शिक्षा और इन्फोर्समेंट उपायों में वृद्धि की जानी चाहिए।

मंत्रालय द्वारा राज्यों में स्थित अपने विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों को हिन्दी में लिखे गये मूल पत्र

4209. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान अलग-अलग, राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अनुसार देश के "क", "ख" और "ग" राज्यों में स्थित अपने विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों उपक्रमों को कुल कितने मूल पत्र लिखे;

(ख) उन मूल पत्रों में से, राज्य-वार और वर्ष-वार, कितने मूल पत्र हिन्दी में और कितने अंग्रेजी में लिखे गए;

(ग) इन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, उनके मंत्रालय को उक्त "क", "ख" और "ग" राज्यों में स्थित मंत्रालय के विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों से वर्ष-वार कितने मूल पत्र प्राप्त हुए; और

(घ) इन मूल पत्रों से, राज्य-वार कितने मूल पत्र हिन्दी में और कितने अंग्रेजी में प्राप्त हुए?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नौवहन कम्पनियों से बकाया ऋण की वसूली

4210. **श्री के० प्रधानी** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौवहन कम्पनियां विकास कार्यों के लिए उन्हें दिए गए ऋण पिछले गत वर्षों से वापस नहीं कर सकी हैं;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र की वे कम्पनियां कौन सी हैं और दिसम्बर, 1983 के अन्त तक प्रत्येक कम्पनी की और मूलधन और ब्याज के रूप में कितना ऋण बकाया था; और

(ग) सरकार का इन ऋणों को किस प्रकार वसूल करने का विचार है; विशेष रूप से जब कि इस समय नौवहन उद्योग में मंदी चल रही है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) नौवहन विकास निधि समिति द्वारा मंजूर किये गये ऋण को वर्ष 1977 से कुछ नौवहन कम्पनियों ने अभी तक वापस नहीं किया है। 31-12-1983 के अनुसार इन कम्पनियों के पास मूलधन और ब्याज की बकाया धनराशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) उन मामलों में अंततः जहां कम्पनियों की स्थिति युक्तिसंगत समझी गई, नौवहन विकास निधि समिति ने 1982-83 तक कम्पनियों की धनराशि के भुगतान को पुनर्निर्धारित किया और कुछ समय के लिए भुगतान में छूट भी दी गयी। ऐसी सम्भावना है कि लगभग एक वर्ष में मंदी समाप्त हो जायेगी और उसके बाद ये कम्पनियां पुनर्निर्धारित धनराशि का पुनर्भुगतान कर सकेंगी मैसर्स निलहट शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के मामले में सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस कम्पनी की बंधक समाप्त कर दी जाय और उसके जहाजों को बेचकर बकाया धनराशि वसूल की जाए।

विवरण

नौवहन कम्पनियों का नाम	31-12-83 के अनुसार बकाया मूलधन	31-12-83 के अनुसार बकाया अर्द्धवार्षिक ब्याज	वर्ष जब से यह बाकी है (क) मूल	(ख) ब्याज
(क) सरकारी क्षेत्र :				
मुगल लाइन लि०	13,25,77,631·29	8,25,50,383·17	1977	1980
(ख) निजी क्षेत्र :				
1. निलहट नौवहन कम्पनी लि०	2,91,32,000·00	4,39,45,491·58	1977	1977
2. दामोदर वल्क कैरियर लि०	13,89,68,805.00	3,11,53,263·20	1977	1982

दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि स्नातक कक्षाओं में स्थान

4211. **श्री भीखा भाई** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में 1983 के सत्र में विधि स्नातक की (दिन तथा सांध्य) कक्षाओं में कुल कितने स्थान हैं;

(ख) वर्ष 1983 के सत्र में विधि स्नातक कक्षाओं (दिन और सांध्य) में अनुसूचित जतियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1983 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का कोटा पूरा नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि स्नातक की दिन और सांध्य कक्षाओं में प्रवेश की आरक्षण नीति क्या है ;

(ङ) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय का विचार विधि स्नातक कक्षाओं में स्थान बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो इन स्थानों की कुल संख्या कितनी है और दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कितने प्रतिशत स्थान मिलेंगे ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) एल० एल० बी० कक्षाओं के प्रथम वर्ष (1983-84) में दाखिल छात्रों की कुल संख्या और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के दाखिल उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गई है :—

कक्षा	कुल संख्या	अनु०जाति की संख्या	अनु०ज०जा० की संख्या
दिवा कक्षा	630	69	42
संध्या कक्षा	868	206	11

सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार, अनुसूचित जातियों के लिये 15% और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये 7½% स्थान आरक्षित किए जाते हैं विश्वाविद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिये सभी प्रयास कर रही है कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित स्थान इन्हीं उम्मीदवारों से भरे जाएं । विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति से सम्बन्धित किसी भी छात्रा को इन कक्षाओं में दाखिला देने से इन्कार नहीं किया गया है ।

(ङ) और (च) इस समय एल० एल० बी० कक्षाओं में स्थानों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनन क्षमता नियंत्रण उपाय

4212. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत द्वारा विभिन्न जनन क्षमता नियंत्रण उपायों का पिछले कुछ वर्षों से मिश्रित सफलता के साथ परीक्षण किया जा रहा है तथा विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं अपने प्रयासों में अधिक गति लाने के लिए तथा बेहतर प्रौद्योगिकियों पर कार्य कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा किये गये अध्ययनों के आधार पर इसका कार्य निष्पादन कैसा रहा है तथा इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा इसके द्वारा परीक्षण आदि कब किये जा रहे हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पिछले लगभग चार वर्षों से मानव प्रजनन में अनुसंधान का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें सहयोगी केन्द्रों के रूप में विभिन्न संस्थान शामिल हैं । यह अनुसंधान जिन मुख्य दृष्टिकोणों को लेकर किया जा रहा है वे इस प्रकार हैं:—

(1) मौजूदा गर्भ-निरोधकों की प्रभावकारित और स्वीकार्यता में सुधार लाना;

(2) गर्भ निरोधकों के नये/सुधरे हुए तरीकों की प्रभावकारिता, सुरक्षा और स्वीकार्यता का अध्यनन करना, (3) मनो-सामाजिक, सांस्कृतिक और आचरण सम्बंधी पहलुओं का अध्ययन जिसमें परिवार नियोजन के तरीकों की स्वीकार्यता और इन्हें जारी रखने की दरों में सुधार लाने के लिए सेवाएं प्रदान करना शामिल हैं, और (4) गर्भ-निरोध के नये तरीके तैयार करने के लिए मिशन-आधारित बुनियादी अनुसंधान । इन व्यापक दृष्टिकोणों का अनुसरण करते हुए अनेक अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं जो जो प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पिछले चार वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में लगभग 827 लाख रुपये खर्च किए हैं ।

स्टेशन मास्टरों के रिक्त पद

4213. **श्री एम० के० शेजवलकर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि विभिन्न रेलवे में स्टेशन मास्टरों के जोर-वार, कितने पद रिक्त पड़े हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बल्लाल धीपी के उत्खनन को रोकना

4214. **श्री रेणुपद दास** : क्या शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान सीजन में धनराशि की कमी के कारण बल्लाल धीपी के खुदाई कार्य को रोक दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो खुदाई के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसको पर्याप्त धनराशि आवंटित न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० युंगन) : (क) और (ख) जी नहीं । बल्लाल धीपी, जिला नाडिया, पश्चिमी बंगाल में मौसम वर्ष 1983-84 के लिए निर्धारित उत्खनन कार्य फरवरी, 1984 में बंद करा दिया है । इस उत्खनन कार्य पर कुल 1,25,073.02 रुपये खर्च हुए हैं । वर्तमान मौसम कार्य की समीक्षा करने के उपरांत इस स्थल पर भविष्य में उत्खनन कराने का कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापकों की मांगें

4215. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक अपनी कुछ मांगों की पूर्ति के लिए पिछले एक पखवाड़े से आंदोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्योरा क्या है; और

(ग) अध्यापकों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ समय समय पर अनेक मांगें प्रस्तुत करता रहा है। 8 फरवरी, 1984 को उन्होंने विश्वविद्यालय को यह सूचित किया कि उन्होंने क्रमिक भूख हड़ताल करने का निर्णय किया है। 25 फरवरी, 1984 को उन्होंने यह सूचित किया कि उनकी बहुत सी मांगों के प्रति स्वीकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए उन्होंने क्रमिक भूख हड़ताल उठा ली है।

(ख) संघ की प्रमुख मांगे निम्नलिखित हैं :—

(1) आयुर्वेदिक और यूनानी तिबिया कालेज को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अपने हाथ में लेना।

(2) योग्यता पदोन्नति योजना के अन्तर्गत वेतन निर्धारण सूत्र का संशोधन;

(3) उच्च ग्रेडों के लिए योग्य न पाए गए अध्यापकों की पदोन्नति;

(4) गतिरोध दूर करना और प्रवरण ग्रेड अध्यापक;

(5) 8 वर्ष की सेवा के बाद वेतनवृद्धि प्रदान करने के लिए एम० फिल०/पी०एच० डी० की अपेक्षित अर्हता समाप्त करना।

(6) राजकीय कालेजों में कार्य कर रहे अध्यापकों पर विश्वविद्यालय अध्यापकों की सेवा शर्तों को लागू करना;

(7) केन्द्रीय विश्वविद्यालय सम्बन्धी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट को हटा देना।

(ग) तिबिया कालेज के शासी बोर्ड का दिल्ली प्रसासन द्वारा पुनर्गठन किया गया है। विश्वविद्यालय ने वेतन निर्धारण सूत्र के संशोधन, विश्वविद्यालय अध्यापकों की सेवा शर्तों को राजकीय कालेज के अध्यापकों पर लागू करना इत्यादि का प्रश्न संबन्धित एजेन्सियों के साथ उठाया है। केन्द्रीय विश्वविद्यायों से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति की रिपोर्ट की अभी सरकार को जांच करनी है।

मकसी और भोपाल के बीच पड़ने वाले स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं

4216. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साबरमती एक्सप्रैस गाड़ी के मार्ग में परिवर्तन कर देने के कारण ऐसे यात्रियों के लिए मकसी और भोपाल के बीच पड़ने वाले स्टेशनों पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जो उन स्टेशनों से यात्रा करना चाहते हैं, जहां यह गाड़ी पहले रुका करती थी; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा यदि कोई ऐसी व्यवस्था की जानी है, तो इसमें कितना समय लगेगा ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां। 111/112 बडोदरा-उज्जैन पैसेंजर 23.2.1984 से भोपाल तक/से चलायी जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सक

4217. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 जनवरी, 1984 तक रेलवे के विभिन्न जोनों में, जोनवार, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति के पद्धति-वार कितने-कितने चिकित्सक थे;

(ख) क्या रेलवे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति को मान्यता देती है; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इन पद्धतियों के अंतर्गत नियुक्त किए गए चिकित्सकों का वेतन-मान क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेलों के अपने वेतन बिलों में कोई होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या यूनानी डॉक्टर नहीं हैं।

(ख) बहरहाल, रेलों ने कर्मचारी हित निधि योजना के अन्तर्गत रेल कर्मचारियों के लाभ के लिए रेल परिसरों में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों की दवाइयां देने की कुछ सुविधाएं प्रदान कर रखी हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इलेक्ट्रिक इंजन शेड में टी० एफ० आर० के० वेतनमान

4218. **श्री बयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री इलेक्ट्रिक इंजन शेड, टूंडला में टी० एफ० आर० के वेतनमान के बारे में 22 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5021 उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 700-900 रुपये के ग्रेड के टी० एफ० आर०/टूंडला के पद को 840—1040 रुपये (संशोधित) के ग्रेड में एस० एफ० एफ० ओ०/एल० आर० के रूप में वर्गोन्नत किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"नेशनल डिस्टेन्ट लर्निंग सेंटर"

4219. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल डिस्टेंट लर्निंग सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसके द्वारा स्कूलों में न जाने वाले बच्चों के लिए विशेष शैक्षिक कार्यक्रम और उपकरण तैयार किए जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित केन्द्र की विस्तृत रूप रेखा क्या है यह केन्द्र कहां पर स्थापित किया जायगा और बच्चों को शिक्षा देने तथा "डिस्टेंट लर्निंग" प्रणाली के अन्तर्गत लाये जाने वाले बच्चों के लिए अपेक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का तरीका क्या है; और

(ग) उक्त केंद्र द्वारा कब तक कार्य आरम्भ किये जाने की सम्भावना है और क्या कुछ समय के बाद राज्यों में भी इस प्रकार के केंद्र स्थापित किये जायेंगे ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन)

(क) एक अलग से नेशनल इन्स्टिट्यूट आफ डिस्टेंट लर्निंग स्थापित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव इस समय स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एक भाग के रूप में ओपन स्कूल को जारी रखने का निर्णय किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

अम्बरनाथ में सड़क उपरिपुल

4220. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले अम्बरनाथ में रेल मार्ग पर सड़क उपरिपुल के निर्माण की मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो कब और उक्त कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त योजना की अनुमानत: कुल लागत कितनी है और उसे कैसे पूरा किया जायेगा;

(घ) इस महत्वपूर्ण पुल के निर्माण को पूरा करने में विलम्ब के विशिष्ट कारण क्या हैं; और

(ङ) इन कठिनाइयों को दूर करने और यह सुनिश्चित करने हेतु कि पुल का निर्माण कार्य शीघ्र समाप्त हो, रेल प्राधिकारियों ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) इस काम को रेलवे के 1979-80 के निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया था। कार्य के रेलवे भाग के लिये निविदाएं आमन्त्रित की गयी हैं। राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का कार्य भी अभी आरंभ होना है।

(ग) ऊपरी सड़क पुल की अनुमानित लागत 37.01 लाख रुपये है जिसमें से 19.38 लाख रुपये रेलवे का भाग होगा और 17.63 लाख रुपये राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वहन किये जायेंगे।

(घ) स्थानीय प्राधिकरण पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सका है क्योंकि उस पर प्राइवेट लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इसलिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सड़क पहुंच मार्गों की सामान्य व्यवस्था योजना को बदलना पड़ा है। इसके बाद स्थानीय प्राधिकरण ने संशोधित योजना को स्वीकृत कराने के लिए बी एम आर डी ए सहित विभिन्न प्राधिकारियों से बात की है। राज्य सरकार से अन्तिम स्वीकृति की अभी प्रतीक्षा है।

(ङ) पुल की संशोधित योजना को शीघ्र स्वीकृत कराने के लिए रेलवे इस मामले में म्यूनिसिपल कमिश्नर कल्याण और राज्य सरकार के साथ बातचीत कर रही है।

दिल्ली की बसों में रोज आने-जाने वालों के लिए कूपन प्रणाली

4221. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार सिक्कों, विशेषत: छोटे सिक्कों की कमी को ध्यान में रखते हुये राजधानी में बसों में रोज आने जाने वालों तथा बस कंडक्टरों की सुविधा के लिये कुछ महा नगरों द्वारा आरम्भ की गई कूपन प्रणाली प्रारंभ करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : अभी दिल्ली परिवहन निगम ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

शोआल-वे-राईट मिओ से बम्बू फ्लैट जेट्टी के बस यात्रियों के लिए नौका और बस के समय का समायोजन

4222. **श्री अजित बाग** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह शोआल-वे-राईट मिओ से बम्बू फ्लैट जेट्टी तक के बस यात्रियों की नौका यात्रा की सुविधा प्राप्त करने सम्बन्धी कठिनाई की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परिवहन और 'मेरिन' विभाग के बीच कोई तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से यात्रियों को नुकसान पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो नौका और बस को समय के समायोजन के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ताकि बस से आने वाले यात्री सुबह 9.30 बजे तक नौका का लाभ उठा सकें ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पारादीप पत्तन को घाटा

4223. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप पत्तन के आरम्भ के समय से अब तक उसको कुल कितना घाटा है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, केंद्रीय सरकार की वित्तीय सहायता को छोड़कर, पारादीप पत्तन को उसके अपने संसाधनों से कुल कितनी वार्षिक आमदनी हुई है और इस आमदनी में से उक्त अवधि के दौरान हुये वित्तीय घाटे या लाभ की राशि कितनी है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) पारादीप पोर्ट को प्रारम्भ से 31 मार्च, 83 तक कुल 32.13 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(ख) पिछले तीन वर्षों की सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आय (करोड़ रुपए)	लाभ/हानि (करोड़ रुपए)
1980-81	10.07	(−) 6.18
1981-82	9.81	(−) 8.83
1982-83	20.18	(+) 2.86

प्राथमिक शिक्षा को सब तक पहुंचाये जाने का लक्ष्य

4224. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह**
श्री सतीश अग्रवाल } : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राथमिक शिक्षा को सब तक पहुंचाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कितनी सफलता मिली है;

(ग) उक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) प्रारम्भिक शिक्षा को 1990 तक सर्वसुलभ बनाने के संदर्भ में छठी योजना के अंत में प्राथमिक स्तर पर दाखिले के लक्ष्य 95% तथा मिडिल स्तर पर 50% है। वर्ष 1983-84 के अन्त तक प्रारम्भिक स्तर (कक्षाएं 1-5 आयु-वर्ग 6-11 और कक्षा 6-8 आयु-वर्ग 11-14) में राज्य वार सम्भावित दाखिला अनुपातों को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ग) और (घ) प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिकल्पित तथा किए गए विभिन्न उपायों को दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-I

1983-84 के अन्त तक प्रारम्भिक स्तर (कक्षा i-v तक आयु वर्ग 6-11 और कक्षा vi-viii तक आयु वर्ग 11-14) में दाखिला अनुपात (अनुमानित)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कक्षा i-v आयु वर्ग 6-11	कक्षा vi-viii आयु वर्ग 11-14
1.	आन्ध्र प्रदेश	97.3	44.9
2.	असम	70.4*	59.2*
3.	बिहार	83.0	34.0
4.	गुजरात	109.0	65.0
5.	हरियाणा	82.8	57.0
6.	हिमाचल प्रदेश	91.0	64.0
7.	जम्मू और कश्मीर	91.0	52.0
8.	कर्नाटक	86.7	35.9
9.	केरल	99.5*	90.3*
10.	मध्य प्रदेश	69.0	33.0
11.	महाराष्ट्र	115.0*	52.0
12.	मेघालय	116.7*	46.6*
13.	मणिपुर	105.0	71.0*
14.	नागालैंड	120.0	102.6
15.	उड़ीसा	89.0	40.0
16.	पंजाब	103.0	72.0
17.	राजस्थान	85.0	30.0
18.	सिक्किम	182.1*	68.4*
19.	तमिलनाडु	96.2	63.1
20.	त्रिपुरा	103.9	47.5
21.	उत्तर प्रदेश	78.0	44.0
22.	पश्चिम बंगाल	98.3*	उपलब्ध नहीं
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप	149.9	101.9
24.	अरुणाचल प्रदेश	93.8	33.1
25.	चण्डीगढ़	102.4*	89.5*
26.	दादरा और नागर हवेली	93.0	38.0
27.	दिल्ली	106.7*	90.4
28.	गोवा दमन और दीव	110.6*	89.5*
29.	लक्षद्वीप	102.0	105.0
30.	मिजोरम	103.5	93.5
31.	पांडिचेरी	118.0	108.0
	कुल	93.3*	50.7*

(राज्य और संघ शासित क्षेत्र)

स्रोत: राज्य योजना दस्तावेज ।

*1971 की जनसंख्या के अनुमानों के आधार पर अनुमानित

विवरण—2

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिये परिकल्पित तथा उठाये गये कदम

(1) प्रारंभिक शिक्षा को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (न्यू० आ० का०) तथा सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है और छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शिक्षा में इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है।

(2) सभी बस्तियों की आवश्यकताओं को देखते हुए प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल ऐसे स्थानों पर खोलना जहां बच्चे आसानी से पैदल चल कर पहुंच सकें।

(3) स्कूली शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं का अधिक उपयोग करना।

(4) एकल शिक्षक स्कूलों को दो शिक्षक स्कूलों में बदलना।

(5) प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों की भौतिक सुविधाओं को सुधारना।

(6) काफी बड़े पैमाने पर अनौपचारिक अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

(7) महिला-शिक्षकों को बड़े पैमाने पर नियुक्त करना तथा प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के लिए सहायक के रूप में शिशु सदनों/पूर्व स्कूलों की व्यवस्था करना।

(8) शैक्षिक योग्यता तथा सेवारत प्रशिक्षण के बेहतर स्तरों का प्रयोग करके शिक्षक क्षमता को सुधारना।

(9) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन श्रमिकों तथा गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग जैसे लक्षित समूहों तथा लड़कियों की ओर विशेष ध्यान देना।

(10) निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें तथा लेखन सामग्री, निःशुल्क वर्दियां विशेष रूप से लड़कियों के लिए, उपस्थित छात्रवृत्तियां विशेष रूप से लड़कियों के लिए तथा मध्याह्न भोजन की पर्याप्त व्यवस्था करना।

(11) पाठ्यचर्याओं के विकेन्द्रीकरण के जरिए शिक्षा की कोटि को सुधारना तथा इन्हें विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों में बच्चों की आवश्यकताओं, जीवन-स्थिति और पर्यावरण के उपयुक्त बनाना।

(12) बिना ग्रेड वाली स्कूल प्रणाली शुरू करना तथा गतिरोध को समाप्त करना ताकि प्रत्येक बच्चा एक कक्षा को प्रत्येक वर्ष पूरा कर सके तथा तब तक उसकी कक्षोन्नति होती रहेगी जब तक वह कक्षा VIII पूरी करता है, किंतु इसके लिए निरन्तर आधार पर आवधिक मूल्यांकन और निर्धारण के जरिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय होने चाहिए।

(13) प्रारंभिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा में बहु-बिन्दु प्रवेश की व्यवस्था करना।

(14) शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में संकेन्द्रित प्रयास, इन राज्यों तथा प्रत्येक राज्य के पिछड़े क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों में भी अनौपचारिक कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा बढ़ाया जाना।

(15) प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में उपस्थिति का निरीक्षण।

(16) पर्यवेक्षी तंत्र को सुदृढ़ करना तथा नीचे ब्लाक स्तर तक प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन को विकेन्द्रित करना।

(17) माता-पिता को शिक्षित करना ताकि बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के प्रति उनकी उदासीनता को समाप्त किया जा सके और विशेष रूप से ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के सभी स्कूलों में स्कूल समितियां गठित करना।

(18) शिक्षक-प्रशिक्षण सहित प्रारंभिक शिक्षा के लिए जन-संचार साधन का अधिकाधिक प्रयोग।

(19) शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में शिक्षा को व्यापक बनाने के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा समिति गठित करना तथा इन राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राज्य कार्य बलों की स्थापना करना।

(20) प्रारंभिक आयु-वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के वास्ते अध्यापन तथा अध्ययन सामग्री तैयार करने हेतु सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कागज की केन्द्रीय सहायता।

(21) पूरे शैक्षिक वर्ष में अनुवर्ती कार्रवाई सहित अभियान अवधि के दौरान नामांकन बढ़ाने तथा उन्हें पढ़ाई जारी रखने के संबंध में गहन प्रयासों के लिए, राष्ट्रीय अभियान तैयार करना।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अतिरिक्त अन्य पार्टियों द्वारा तट दूर पोत किराये पर लिया जाना

4225. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन नौवहन कम्पनियों को तट दूर सप्लाई को तट दूर सप्लाई पोत खरीदने की अनुमति मिली है, वे कम्पनियां भारत के बाहर की पार्टियों का भी उन्हें किराये पर देने की पेशकश कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कम्पनियां यह करने को तैयार हैं;

(ग) यदि वे कम्पनियां कहती हैं कि वे केवल तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग पर ही निर्भर नहीं कर सकती, तो क्या सरकार ऐसे तट दूर पोत खरीदने की अनुमति देगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) किसी भी नौवहन कंपनी से जिन्हें आफ शोर सप्लाई जहाज खरीदने की अनुमति दी गई है, अपने जहाजों को भारत के बाहर की पार्टियों को किराये पर देने सम्बन्धी अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) सरकार ने अभी तक केवल घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए आफ शोर सप्लाई जहाज खरीदने की अनुमति दी है। अतः वर्तमान नीति विदेशों में रोजगार के आधार पर जहाजों की खरीदने की अनुमति नहीं देने की है क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि ऐसा करने से इन कम्पनियों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में किराये भाड़ों की दरों में गिरावट के कारण वित्तीय संकट का सामना करना पड़ेगा।

गोंडा के नजदीक बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों और टिकट निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों के बीच झगड़ा (पूर्वोत्तर रेलवे)

4226 **डा० ए० यू० आजमी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में गोंडा के नजदीक 29 फरवरी, 1984 को बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों और टिकट निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों के बीच हुये झगड़े में कुछ लोग मारे गये और कुछ घायल हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो टिकट निरीक्षण कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने हेतु उनके मन्त्रालय का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) घायलों और मृतकों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां। 28-2-1984 को हुई इस दुर्घटना में एक व्यक्ति मारा गया और 36 व्यक्तियों को चोटें आयी थीं।

(ख) यह कानून और व्यवस्था की समस्या है और राज्य पुलिस के सीधे नियंत्रण में कार्यरत राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा इससे निपटा जाता है। जब कभी आवश्यक होता है ये टिकट जांच कर्मचारियों और रेल कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं।

(ग) सशस्त्र रा० रे० पु० कार्मिकों द्वारा गोली चलाने के कारण एक बाहरी व्यक्ति मारा गया था और भीड़ द्वारा ईंटें और पत्थर फैंके जाने के कारण 26 व्यक्तियों अर्थात् 11 रे० रा० पु०, 1 टिकट जांच कर्मचारी और 14 रे० सु० ब० के कार्मिकों को चोटें पहुंची।

तमिलनाडु में मंदिरों से पंचलोक मूर्तियों की चोरी

4227. **श्री ईरा मोहन** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान (वर्ष-वार) तमिलनाडु के मन्दिरों से पंचलोक मूर्तियों (पंचधातुओं से निर्मित देवी देवताओं की मूर्तियां) की चोरी की कितनी घटनायें हुईं;

(ख) ऐसी कितनी मूर्तियां बरामद की गई हैं (वर्ष-वार) और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं;

(ग) चोरी के कितने मामलों में तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करने और मुजरिमों को पकड़ने का अनुरोध किया है; और

(घ) क्या बहुमूल्य मूर्तियों की चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के कारण की जांच पड़ताल में केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीधे सहायता लेने का भी कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान चोरी गई पंचलोहे की मूर्तियों की वर्ष-वार संख्या निम्नलिखित है :—

1979	1980	1981	1982	1983
101	106	114	113	101

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऐसी मूर्तियों में से जो बरामद हुई और इस संबंध में कितने लोग गिरफ्तार हुए, उनकी वर्षवार संख्या निम्नलिखित है :—

बरामद हुई पंचलोहे की मूर्तियों की संख्या

1979	1980	1981	1982	1983
27	32	20	20	17

गिरफ्तार लोगों की संख्या

1979	1980	1981	1982	1983
10	23	23	19	17

(ग) और (घ) तमिलनाडु सरकार द्वारा जैसी सूचना दी गई है उनके अनुसार चोरी गई मूर्तियों के मामलों में छानबीन के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से निवेदन नहीं किया गया था अपितु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अंतर्राष्ट्रीय पुलिस विंग से सहायता मात्र ली गई थी।

टिकट निरीक्षक स्टाफ (उत्तर रेलवे) के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

4228. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के उन टिकट निरीक्षक कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्यवाही की जा रही है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) बीकानेर मण्डल के उन टिकट निरीक्षक कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके खिलाफ सतर्कता विभाग में मामले लम्बित पड़े हुए हैं तथा उनकी ड्यूटी के स्थान तथा अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भाग (ख) में उल्लिखित इन दोषी कर्मचारियों की संपत्तियों का कोई मूल्यांकन किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) उत्तर रेलवे में 18 कर्मचारियों अर्थात् 11 चल टिकट परीक्षकों, 3 वरिष्ठ टिकट परीक्षकों, 3 टिकट क्लेक्टरों और एक कंडक्टर के विरुद्ध शिकायतों से प्रोद्भूत भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।

(ख) बीकानेर मण्डल के रतनगढ़, बीकानेर तथा हनुमानगढ़ स्टेशनों के एक वरिष्ठ टिकट परीक्षक तथा दो चल टिकट परीक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है।

(ग) जी नहीं।

परिवहन में लापता सामान के लिये मुआवजे के दावे

4229. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 में रास्ते में सामान के लापता हो जाने के कारण मुआवजे के दावों में कितनी वृद्धि हुई है और वर्ष 1981 और 1982 में किये गये दावों की तुलना में यह कितने न्यूनाधिक हैं;

(ख) दावों की राशि में यदि कोई वृद्धि हुई है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि रास्ते में सामान रेल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण लापता होता है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) 1981 और 1982 में प्रस्तुत किये गये दावा की संख्या की तुलना में 1983 के दौरान परिवहन में माल के खो जाने के कारण क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत दावों की संख्या में क्रमशः 27.2% और 18.6% की कमी हुई है। बहरहाल, 1981 और 1982 की तुलना में 1983 के दौरान भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि हुई है जो मुख्यतः पण्यों के मूल्यों में वृद्धि तथा अधिक मूल्य वाले दावों के निपटारे के कारण हुई।

(ग) और (घ) परिवहन में माल खो जाने की घटनाएं रेल कर्मचारियों की गलतियों सहित विभिन्न कारणों से होती है। जहां कहीं गलती के लिए कर्मचारी जिम्मेदार पाये जाते हैं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, जो गलती की गंभीरता और अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत पर निर्भर करती है। कर्मचारियों को गोष्ठियों के माध्यम से दावा निवारक उपायों के संबंध में शिक्षित किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों द्वारा दावा निवारक उपायों का अनुपालन किया जाता है, समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाये जाते हैं।

खजुराहो कम्प्लेक्स में मन्दिर

4230. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुजराहो का निर्माण कितने वर्ष पूर्व किया गया था;

(ख) खुजराहो काम्प्लेक्स में कितने मन्दिर हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार उनके रख-रखाव पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च करती है और वहां पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(घ) क्या सरकार ने खुजराहो के मन्दिरों के संरक्षण हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) खजुराहो स्थित मन्दिरों का निर्माण काल लगभग 9वीं से 12वीं ईसा शती है।

(ख) खजुराहो में 22 केन्द्र परिरक्षित मन्दिर हैं। बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बने ये मन्दिर सनातन धर्म तथा जैन धर्म से संबंधित हैं। इनमें से कुछ के बाहरी भाग सादे हैं, जबकि अन्य मन्दिरों के बाहरी भाग आकर्षक ऊर्ध्वबंद की विशेषताओं और मूर्तियों की विविधता से विशिष्ट हैं।

(ग) वर्ष 1982-83 के दौरान इन मन्दिरों के अनुरक्षण और परिरक्षण पर 2,76,321 रुपये की राशि खर्च हुई। इन मन्दिरों के अनुरक्षण और सुरक्षा के लिए 30 नैमित्तिक चौकीदारों के अतिरिक्त 62 कर्मचारी कार्यरत हैं।

(घ) तथा (ङ) खजुराहो के मन्दिरों की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर प्रतिवर्ष वार्षिक तथा विशेष मरम्मतें कार्य कराये जाते हैं। तथापि खजुराहो में चलाई गई कार्यशाला के विशेषज्ञों द्वारा, जिनमें दो यूनेस्को के विशेषज्ञ भी थे, दिये गये सुझावों के अनुसार भविष्य के लिए कार्यक्रम तैयार करने हेतु आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं।

मंत्रालय में कार्यरत नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया जाना

4231. **श्री के० वी एस० मणि** : क्या नौवहन परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय में नैमित्तिक श्रमिकों को, कुछ दिन काम करने के बाद स्वत: नियमित कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान उनके मन्त्रालय में कितने नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया गया है;

(घ) ऐसे कितने नैमित्तिक श्रमिक है जो दो वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं और उन्हें नियमित नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) नैमित्तिक श्रमिकों को कुछ खास दिनों तक काम करने के बाद स्वत: नियमित नहीं किया जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार, समूह 'घ' की रिक्तियों को भरते समय, प्रत्येक विभाग/मन्त्रालय को पहले, सरप्लस मेल में उपलब्ध व्यक्तियों को नामित करने के लिए महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण से संपर्क करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के उपलब्ध न होने पर, रिक्तियों के उन दिहाड़ी श्रमिकों में से भर ली जाती हैं, जो नीचे दी गई शर्तें पूरा करते हैं :

(1) यदि वे रोजगार कार्यालय के माध्यम से रखे गए हों।

(2) यदि वे, भर्ती किए जाने वाले कार्यालय । स्थापना में नैमित्तिक मजदूर के रूप में कम से कम लगातार दो वर्ष का अनुभव रखते हों और दो वर्षों की सेवा के दौरान प्रत्येक वर्ष में नैमित्तिक श्रमिक के रूप में कम से कम 240 दिनों (सेवा की भग्न अवधि सहित) तक सेवा की हो।

(3) यदि वे, भर्ती नियमों में दी गई योग्यताएं रखते हों।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान 12 नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया गया।

(घ) इस मन्त्रालय में इस समय दो वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे 23 ऐसे नैमित्तिक मजदूर हैं, जिन्हें नियमित रिक्तियों के उपलब्ध न होने के कारण अब तक नियमित नहीं किया गया है।

(ङ), (च) और (छ) चूंकि नियमित नियुक्ति, नियमित रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर है, इसलिए प्रश्न नहीं होता।

भाड़ा राजस्व

4232. श्री सूरज भान
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1983-84 के लिए रेलवे ने 250 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान लगाया था जबकि वर्तमान अनुमानों से यह पता चलता है कि राजस्व में लक्ष्य से अधिक लगभग 465 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, तथा यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं;

(ख) माल परिवहन के लिए अनुमानित लक्ष्य क्या था और चालू वर्ष में यह वास्तव में कितना था तथा इस कमी के कारण भाड़ा राजस्व में कितना घाटा हुआ है;

(ग) उसी यात्रा/माल परिवहन के लिए गत वर्ष की तुलना में 1983-84 के दौरान ईंधन की खपत की लागत क्या है; और

(घ) 1983-84 में राजस्व लक्ष्य के लगभग 465 करोड़ रुपये कम होने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 1983-84 के बजट अनुमान में, लाभांश का पूरा भुगतान करने के बाद 205.73 करोड़ रुपये का सकल अधिशेष का अनुमान लगाया गया था। लेकिन यह सही नहीं है कि राजस्व लक्ष्यों से 465 करोड़ रुपये कम हैं। 1983-84 के संशोधित अनुमान के अनुसार, बजट अनुमान की तुलना में शुद्ध रेलवे राजस्व में 332.70 करोड़ रुपये की कमी है।

(ख) 1983-84 के बजट अनुमान के अनुसार, प्रारम्भिक राजस्व माल यातायात के लक्ष्य का अनुमान 241 मिलियन टन लगाया गया था। बजट लक्ष्यों के अनुपात के संदर्भ में वर्ष के दौरान वास्तविक लदान में गिरावट महसूस की गयी थी। जनवरी, 1984 के अन्त तक 198.05 मिलियन टन के अनुपात लक्ष्य की तुलना में, वस्तुतः 187.70 मिलियन टन का लदान हुआ। इन रुझानों के आधार पर, वर्ष का लक्ष्य संशोधित करके 230 मिलियन टन कर दिया गया है। लदान में गिरावट के कारण माल यातायात से आमदनी में गिरावट आयी है। माल यातायात की दुलाई में गिरावट तथा वहन दूरी में कमी-बेशी, उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन आदि जैसे अन्य कारकों के आधार पर यह प्रत्याशा की जाती है कि माल यातायात से आमदनी में 114.19 करोड़ रुपये की कमी आयेगी।

(ग) 1983-84 के लिए ईंधन की खपत के अन्तिम आंकड़े मार्च, 1984 में लेखा बन्द करने के बाद ही उपलब्ध होंगे।

बहरहाल, यह उल्लेखनीय है कि परिशुद्ध आधार पर तुलनात्मक लागतें तत्काल उपलब्ध नहीं हो सकती हैं और कर्षण में परिवर्तन तथा बिजली कर्षण के मामले में माल गाड़ी सेवाओं और अन्य सेवाओं के बीच विभाजन और दोनों अवधियों में मूल्यों में घटा-बढ़ी जैसे कारकों के कारण लेखागत आंकड़ों में समायोजन करना पड़ेगा।

1982-83 में ईंधन पर कुल 760.10 करोड़ रुपये (शुद्ध) खर्च हुए थे। इसकी तुलना में, 1983-84 के लिए प्रत्याशित खर्च 824.56 करोड़ रुपये है। इसमें मूल्यों की कमी बेशी भी शामिल है।

(घ) जैसा कि ऊपर (क) के उत्तर में बताया गया है, राजस्व लक्ष्य में 460 करोड़ रुपये की कमी नहीं हुई है।

ऊपर (क) के उत्तर में विनिर्दिष्ट शुद्ध रेलवे राजस्व में कमी बजट स्तर की तुलना में माल और यात्री यातायात से आमदनी में गिरावट तथा कर्मचारियों को अन्तरिम राहत, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, ईंधन की कीमत में वृद्धि, पदों का पदोन्नयन के कारण साधारण संचालन खर्चों में वृद्धि, बाढ़ के कारण सामान्य से अधिक दरारें पड़ने, रेलपथ पर गहन गश्त बढ़ाने आदि के कारण हुई।

लाहौर कंट्रोल टावर द्वारा भारतीय विमान चालकों को गुमराह करना

4233. **श्री छोटे सिंह यादव**
श्री रशीद मसूद
डा० ए० यू० आजमी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाहौर कंट्रोल टावर एयर इण्डिया के विमान चालकों को गलत मार्ग बता कर गुमराह करता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) सरकार ने अखबार में इस आशय की खबरें देखी हैं।

इस सम्बन्ध में एयर इण्डिया की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

प्राथमिक विद्यालयों में साइंस-किट

4234. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर से ही विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी के नवीनतम विकास के सम्बन्ध में शिक्षा दिया जाना आवश्यक है ताकि बच्चे विश्व की वर्तमान स्थिति के प्रति सजग हो सकें जिसका उन्हें सामना करना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सभी प्रारम्भिक विद्यालयों को विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी सजगता को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए "न्यूनतम साइन्स-किटों" से सज्जित करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) स्कूल शिक्षा प्रमुख रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है और इसका प्रबन्ध अधिकांशत: उन्हीं के द्वारा ही किया जाता है। तथापि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने

विज्ञानकिटों का विकास किया है और सीमित मात्रा में वर्ष 1969-70 से उसने स्कूलों को विज्ञान-किटें मुहैया करना आरम्भ किया है। कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने अपने स्कूलों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार किए गए विज्ञानकिटों से पहले ही सुसज्जित कर दिया है जबकि अन्य ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। इन किटों की विषय-वस्तु को पाठ्यचर्या में परिवर्तनों के अनुसार आवश्यक होने पर संशोधित किया जाता है।

पुस्तकों के प्रकाशकों के लिए छपाई का कागज

4235. **श्री के० ए० राजन** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि कागज उत्पादकों द्वारा पाठ्यक्रम की पुस्तकों के प्रकाशकों को रियायती मूल्यों पर सप्लाई किए जाने वाला छपाई का सफेद कागज खुले बाजार से 13 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है जबकि इसका अधिकृत मूल्य 2.25 रुपए प्रति किलोग्राम है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका पुस्तक प्रकाशन उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) शैक्षिक क्षेत्रों को मुहैया किए जा रहे रियायती सफेद छपाई कागज का मूल्य कागज (नियंत्रण) आदेश 1979 द्वारा 11-4-1983 से 5,400/-रु० प्रति टन नियत किया गया है। इससे कापियां/पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए निर्माताओं द्वारा विभिन्न आवंटियों को निर्धारित मूल्य पर कागज मुहैया किया जा रहा है। सरकार को राज्य/संघ शासित प्रदेशों से रियायती सफेद छपाई कागज 13 रुपये प्रति किलो की दर से बेचे जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

झांसी रेलवे स्टेशन के बाहर दुकानों का आवंटन

4236. **श्री हरीश कुमार गंगवार**
श्री रामलाल राही } : क्या रेल मंत्री झांसी स्टेशन के सामने दुकानों का आवंटन के बारे में दिनांक 22 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4913 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्रशासन ने उन 10 दुकानों को किस आधार पर आवंटित किया था;

(ख) उन दुकानों के आवंटन में विस्थापित ठेलेवालों को प्राथमिकता न देने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त उत्तर के साथ संलग्न विवरण में क्र० सं० 1.6,7,8,9 और 10 में दर्शाए गए छः व्यक्तियों को किन आधारों पर ठेलेवाला माना गया;

(घ) क्या ठेकेवालों की इन दुकानों का आवंटन न करने के कारण बताने के सम्बन्ध में प्रतिष्ठित जन नेताओं से कोई पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) स्थानीय समाचार-पत्रों में व्यापक प्रचार करके तथा विभिन्न कार्यालयों में नोटिस लगाकर मुहरबन्द खुली निविदाएं आमन्त्रित करने के बाद सबसे अधिक बोली लगाने वालों को दस दुकानें आवंटित की गयी थीं।

(ख) आय बढ़ाने की दृष्टि से रेलवे ने झांसी में दस दुकानों का निर्माण किया था। व्यापक प्रचार करके सभी बोली दाताओं को समान अवसर देने की नीति अपनायी गयी थी इसलिए किसी कोटि विशेष को तरजीह देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पहले के आवेदनों अथवा उनको दिये गये नोटिसों अथवा उनकी इस घोषणा के आधार पर कि वे दुकानों के आवंटन से पूर्व ठेले पर सामान बेचा करते थे, छः व्यक्तियों को ठेले वाले के रूप में माना गया था।

(घ) भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के श्री वृन्दावन कुशवाह से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसे श्री राजनारायण, संसद सदस्य द्वारा समुचित रूप से अग्रेषित किया गया था। 13-2-1984 को श्री निरंकार नाथ पांडेय तथा विरोधी दलों के कुछ अन्य सदस्य झांसी में मंडल रेल प्रबन्धक से मिले और यह पूछ-ताछ की कि विस्थापित ठेले वालों को दुकानें आवंटित क्यों नहीं की गयीं।

(ङ) श्री निरंकार नाथ पांडेय तथा अन्य को मंडल रेल प्रबन्धक द्वारा यह बताया गया कि वर्तमान नीति के अनुसार, सबसे ऊंची बोली दाताओं को आवंटन किया जाता है तथा जहां ठेले वाले सफल बोली बदातओं में आये हैं, उन्हें दुकानें आवंटित की गई हैं।

मेवात रेलवे स्टेशन के पास रेलवे फाटक

4237. **श्री एस० बी० पाटिल** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बम्बई-मद्रास रेलवे लाइन पर मेवात रेलवे स्टेशन के पास के० एम० सं० 239/2 पर एक रेलवे फाटक के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि जिला परिषद्, पुणे द्वारा निर्माण लागत के लिए 3.5 लाख रुपये जमा करा दिए हैं तथा भीम सहकारी शक्कर कारखाना कर्मचारियों पर होने वाले व्यय (गेटमैन के वेतन आदि) को वहन करने को सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस रेलवे फाटक का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) इस कार्य को अप्रैल, 1984 में प्रारम्भ करने की सम्भावना है।

रायगढ़ा रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल

4238. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान रायगढ़ा रेलवे स्टेशन पर एक ऊपरी पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, रायगढ़ा में वर्तमान समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव की रेलवे और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जांच की जा रही है। इस प्रस्ताव को रेलवे के भावी निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए तब विचार किया जायेगा जब इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा और रेलवे तथा राज्य सरकार द्वारा इस पर पारस्परिक सहमति हो जायेगी बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

मालवान पत्तन के निकट तलकर्षण कार्य प्रारम्भ करना

4239. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी तट पर मालवान पत्तन बम्बई के पणजी तक तटवर्ती नौवहन सेवा में शामिल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पत्तन को पत्तन के निकट मन्द्री जल के उथलेपन के कारण शामिल नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मालवान पत्तन के निकट तलकर्ष कार्य प्रारम्भ करने का है जिससे तटवर्ती यात्रियों की आवश्यकता पूर्ति हेतु जहाज पत्तन के निकट लंगर डाल सकें ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। महाराष्ट्र राज्य में मालवान पत्तन एक लघु पत्तन है। लघु पत्तनों के विकास और प्रबन्ध का उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकार का है।

तमिलनाडु में केंद्रीय विद्यालय

4240. **श्री एन० डेनिस** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में अनेक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने वाले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां ये विद्यालय खोले जायेंगे ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) नये खोले जाने वाले केन्द्रीय विद्यालयों के स्थानों से सम्बन्धित निर्णय केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा शैक्षिक सत्र के आरम्भ होने के समय पर किया जाता है। इस समय तमिलनाडु में ऐसे स्थानों की सख्या अथवा नाम जहां नये स्कूल खोले जाएंगे, बताना सम्भव नहीं है।

पाक गुप्तचर विभाग के लिये काम करने वाले भारतीय दूतावास के अलावा कर्मचारी

4241. **श्री रशीद मसूद**
प्रो० अजित कुमार मेहता } : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्लामाबाद में भारतीय वाणिज्य दूत के यहां काम करने वाले दो कर्मचारी जो हाल में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए थे और बाद में भारत पहुंच गए थे, वास्तव में पाकिस्तानी गुप्तचर विभाग के लिए काम करते थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) इस्लामाबाद स्थित भारतीय राजदूतावास के एक परामर्शदाता के दो भारत आस्थानी घरेलू नौकर 2 जनवरी, 1984 को बहुत सवेरे ही उनके घर से लापता हो गए। इन गुमशुदा कर्मचारियों की तलाश के लिए पाकिस्तान सरकार से तत्काल ही सम्पर्क किया गया। बाद में, ये दो कर्मचारी भारत में प्रकट हो गए। उपर्युक्त भारतीय अधिकारी के घर से इन दोनों कर्मचारियों के गायब हो जाने में और फिर उनके भारत लौट आने में पाकिस्तानी प्राधिकारियों का गुप्त सहयोग होने का साक्ष्य मौजूद है। छानबीन से यह भी ज्ञात हुआ है कि पाकिस्तान के गुप्तचर अभिकरणों ने इनमें से एक कर्मचारी का इस्तेमाल करने के लिए कोशिश की थी। ये कर्मचारी अब उक्त सरकारी अधिकारी की सेवा में नहीं हैं। उनके यकायक गायब होने और उन्हें इस्तेमाल किए जाने के मामले को पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ उपयुक्त रूप से उठाया गया है।

पिपरा और जीवधारा रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों पर शेड

4242. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व रेलवे की मुजफ्फरपुर नरकोदिया ब्रांच लाइन में पिपरा और जीवधारा स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर अभी तक शेडों की व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन प्लेटफार्मों पर शेडों की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) जी हां, पिपरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर 185 वर्ग मीटर के शेड की पहले से ही व्यवस्था है। जिवधारा स्टेशन में 21 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक प्रतीक्षालय पहले से ही है।

धन की उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष जरूरतों के आधार पर अतिरिक्त यात्री सुविधाओं की योजनाबद्ध आधार पर व्यवस्था की जाती है। जिवधारा स्टेशन में शेडों की व्यवस्था करने के काम की अभी योजना नहीं बनायी गयी है।

भूमध्य सागर में अमरीका का आक्रामक रवैया

4243. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका के राज्याध्यक्ष ने भू-मध्यसागर में स्थित अमरीकी नौसेना के जहाजों और उनके वायुयानों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि लेबनान की मुख्य भूमि पर सीरिया द्वारा नियन्त्रित ठिकानों को उड़ा दिया जाय; और

(ख) एक महाशक्ति के इस आक्रामक रवैये के सम्बन्ध में भारत सरकार और गुट निरपेक्ष देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हां। राष्ट्रपति रीगन ने 7 फरवरी को जो वक्तव्य दिया था उसका पाठ सरकार ने देखा है।

(ख) सरकार का हमेशा यह विचार रहा है कि ऐसी कोई उत्तेजनात्मक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए जिससे लेबनान में संघर्ष और अधिक भड़के और शांतिपूर्ण तथा न्यायोचित समाधान को और अधिक कठिन बना दे।

प्रत्यायित संवाददाताओं को यात्रा सुविधाएं

4244. **श्री ए० के० बालन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद के सत्रों के समाचार देने वाले प्रत्यायित संवाददाताओं (एक्रेडिटिड कोरोसामेंडन्ट्स) को प्रथम और द्वितीय श्रेणी की निःशुल्क यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इस प्रकार की कोई सुविधा इस समय उपलब्ध है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम में संशोधन का निर्णय

4245. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष के नामांकन के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम में संशोधन का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) से (ग) सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, जो कि देश में चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक बनाए रखने के लिए उत्तर-दायी है, के प्रभावी ढंग से काम करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, अधिनियम, 1956 के उपबन्धों में संशोधन करने का विचार रखती है।

आदिवासियों में साक्षरता

4246. श्री वलीप सिंह भूरिया : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक देश में आदिवासियों की साक्षरता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) अपेक्षित सीमा तक वृद्धि न होने के क्या कारण हैं;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर यह वृद्धि शून्य अथवा बहुत थोड़ी रही है;

(घ) आदिवासियों में साक्षरता शीघ्रता से बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अब तक लिए गए प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उनके कोई लाभदायक परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार देश भर में आदिवासियों के लिए एक समान शिक्षा संहिता बनाने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) योजना-वार साक्षरता सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। साक्षरता सम्बन्धी सूचना केवल जनसंख्या जनगणना के जरिए ही एकत्र की जाती है। 1971 तथा 1981 की साक्षरता-दर संलग्न विवरण में दी गई हैं। 1971-81 अवधि के दौरान, देश में आदिवासियों की साक्षरता-दर 11.30% से बढ़कर 16.35% तक हो गई है।

(ख) यद्यपि, 1971 और 1981 के बीच साक्षरता दर में 5.05% की वृद्धि हुई, फिर भी वृद्धि की दर सामाजार्थिक परिस्थियों, दूरवर्ती, पर्वतीय और वन-क्षेत्र में आदिवासी जनसंख्या के बाहुल्य, जनजातीय बोलियों में पठन-सामग्री के अभाव, तथा जनजातीय क्षेत्रों में पर्याप्त शैक्षिक अवस्थापना की कमी के कारण अधिक नहीं रही है।

(ग) आदिवासियों की साक्षरता दरों में इस अवधि के दौरान सभी राज्यों में वृद्धि हुई है जिन राज्यों में वृद्धि राष्ट्रीय औसत से नीचे रही है, ये हैं : आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल।

(घ) आदिवासियों में साक्षरता विस्तार में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना के लिए मानदण्डों में छूट, प्राथमिकता के आधार पर जनजातीय क्षेत्रों में अधिक गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलना, जनजातीय भाषाओं में पठन-सामग्री तैयार करना, नि:शुल्कता, नि:शुल्क वर्दियां, मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्तियां, पुस्तकें तथा लेखन सामग्री आदि नि:शुल्क मुहैया करने जैसे विशेष प्रोत्साहन शामिल हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

वर्ष 1971 और 1981 की जनगणना के लिए आदिवासियों की साक्षरता दर दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1971	1981 (अनन्तिम)
1	2	1
1. आंध्र प्रदेश	5.34	7.82
2. असम	26.03	उपलब्ध नहीं
3. बिहार	11.64	16.99
4. गुजरात	14.12	21.14
5. हिमाचल प्रदेश	15.89	25.93
6. कर्नाटक	14.85	20.14*
7. केरल	25.72	31.79
8. मध्य प्रदेश	7.62	10.08
9. महाराष्ट्र	11.74	22.29
10. मणिपुर	28.71	39.74
11. मेघालय	26.45	31.55
12. नागालैंड	24.01	40.32
13. उड़ीसा	9.46	13.96
14. राजस्थान	6.47	10.27
15. सिक्किम	उपलब्ध नहीं	33.13
16. तमिलनाडु	9.02	20.46
17. त्रिपुरा	15.03	23.70
18. उत्तर प्रदेश	14.59	20.45
19. पश्चिम बंगाल	8.92	13.21
20. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17.85	31.11
21. अरुणाचल प्रदेश	5.00	14.04
22. दादरा और नागर हवेली	8.90	16.86
23. गोवा, दमन और दीव	12.73	26.48
24. लक्षद्वीप	41.37	53.13
25. मिजोरम	उपलब्ध नहीं	59.63
भारत	11.30	16.35

* समाधान किया जाना है।

नागरिकताहीन व्यक्तियों के बारे में श्रीलंका वार्ता में मतैक्य होना

4247. **श्री कमल नाथ** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 फरवरी, 1984 को कोलम्बो में हुए सर्व-दलीय सम्मेलन में नागरिकताहीन भारतीयों के बारे में मतैक्य था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) सरकार ने अखबारों में इस आशय की खबरें देखी हैं जिनसे यह पता चलता है कि भारतीय मूल के शेष सभी राज्यविहीन लोगों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करने के बारे में श्रीलंका में सर्व-दलीय सम्मेलन में मतैक्य हो गया है। लेकिन अभी किसी निर्णय की घोषणा नहीं की गई है। राष्ट्रपति जयवर्धन ने भी हमें यह आश्वासन दिया है कि वे शेष सभी राज्यविहीन लोगों के श्रीलंका के नागरिक के रूप में पंजीकृत करने के लिए कदम उठाएंगे।

(ग) भारत सरकार यह चाहती है कि यह समस्या स्थायी रूप में सुलझ जाए।

राजधानी की 2000 ईसवी तक की परिवहन आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए योजना

4248. **श्री जयपाल सिंह**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय राजधानी के चारों ओर बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए, सरकार ने 2000 ई० तक की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई दीर्घावधिक/अल्पावधिक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) शहर की आयोजना और विकास के साथ-साथ परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शहर के विकास से सम्बन्धित प्राधिकारियों जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण नगर निगम और दिल्ली परिवहन निगम के बीच इस समय किस प्रकार का समन्वय है और यदि वर्तमान समन्वय प्रणाली में, कोई कमी है तो वह क्या है; और

(घ) अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उन कमियों को किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में ई० एम० यू० डिब्बों को बदलने के लिए धनराशि

4249. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के चल स्टाक (रोलिंग स्टाक) के लिए छठी योजना के प्रत्येक वर्ष में कुल कितनी-कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी;

(ख) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली के लिए ई० एम० यू० सवारी डिब्बों को बदलने/प्राप्त करने के लिए पृथक्-पृथक् रूप से कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी;

(ग) क्या दैनिक यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या के अनुपात में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में सवारी डिब्बे बढ़ाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो ज्यादा डिब्बों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए रेलवे का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) छठी योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान चल स्टाक के लिए खर्च की गयी/निर्धारित की गयी राशि निम्नलिखित है :—

	(करोड़ रुपयों में)
1980-81 (वास्तविक परिव्यय)	343.25
1981-82 (वास्तविक परिव्यय)	432.59
1982-83 (वास्तविक परिव्यय)	489.33
1983-84 (संशो० अनु०)	538.03
1984-85 (बजट अनुमान)	515.00

(ख) जनवरी, 1984 तक छठी योजना में क्रमश: बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली को सप्लाई किये गये कुल सवारी डिब्बों की संख्या इस प्रकार है :—

बम्बई— 117 सवारी डिब्बे
कलकत्ता— 249 सवारी डिब्बे
मद्रास— 82 सवारी डिब्बे
दिल्ली— 24 सवारी डिब्बे

छठी योजना में बिजली गाड़ी डिब्बों की खरीद पर कुल परिव्यय लगभग 115 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) आगामी वर्षों में बिजली गाड़ी डिब्बों का निर्माण बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है।

हार्मज जलडमरू मध्य में ब्रिटिश युद्ध पोतों का तैनात किया जाना

4250. **श्री नारायण चौबे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटेन ने हार्मज जलडमरू मध्य में अपने युद्धपोतों को इसलिए तैनात कर रखा है कि यदि ईरान उसको बंद करता है तो उसको खुलवाने के लिए वह अमरीकी नौसेना का साथ दे सके और सहायता कर सके;

(ख) विश्व के उस भाग में वास्तव में क्या हो रहा है और क्या इसके और प्रतिद्वन्दिता में और वृद्धि होने की आशंका है जिसके कारण विश्वव्यापी विवाद और युद्ध की संभावना हो सकती है; और

(ग) युद्ध के खतरे को टालने के लिए भारत द्वारा निर्गुट सम्मेलन के अध्यक्ष होने के नाते क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां।

(ख) अमरीकी नौसैनिक बेड़े ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी जहाजों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में कुछ कार्रवाई की है। अमरीकी बेड़े ने 22 जनवरी, 1984 को एक विशेष नोटिस जारी किया है कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में खुले समुद्र के ऊपर 20° उत्तर की दिशा में उड़ने वाले सभी विमान विशिष्ट फ्रीक्वेन्सियों पर अमरीकी नौसैनिक विमान-वाहकों से सम्पर्क करें अन्यथा उन्हें गम्भीर खतरा हो सकता है।

अमरीकी सरकार ने यह भी घोषणा की है कि वह हारमुज जलडमरू मध्य को यातायात के लिए खुला रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इस स्थिति के और बिगड़ने की स्पष्ट आशंका है जिससे न केवल संघर्ष बढ़ेगा बल्कि इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थायित्व को भी खतरा हो सकता है।

(ग) प्रधानमंत्री गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की अध्यक्षता के नाते ईरान और इराक के राष्ट्रपतियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि इस अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण संघर्ष को समाप्त किया जा सके। प्रधानमंत्री निरन्तर चल रहे इस संघर्ष के बारे में कुछ अन्य राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों से भी विचार-विमर्श कर रही हैं।

इंटेग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर में क्षमता उपयोग

4251. **श्री ईरा अनबरासु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटेग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर में कोच और वैगनों की संस्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या प्रथम श्रेणी के कोचों का निर्माण बंद करने और केवल श्रेणी II वातानुकूलित शयन कोच का निर्माण कराने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो श्रेणी I कोच के निर्माण के लिए उपलब्ध क्षमता का क्या होगा ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां सवारी डिब्बे के निर्माण के लिए सवारी डिब्बा कारखाना, पैराम्बूर की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है।

सवारी डिब्बा कारखाना (आई० सी० एफ०), पैराम्बूर में माल डिब्बों का निर्माण नहीं किया जाता है।

(ख) 1977-78 से पहले दर्जे के सवारी डिब्बों का निर्माण बन्द कर दिया गया है। अब, सवारी डिब्बा कारखाने में वातानुकूलित शयनयानों सहित अन्य प्रकार के सभी सवारी डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है।

(ग) पहले दर्जे के सवारी डिब्बों के निर्माण की क्षमता का उपयोग अन्य प्रकार के शयन यानों, दुमंजिले सवारी डिब्बों, वातानुकूलित शयन यानों आदि के निर्माण के लिए किया जा रहा है।

दमोय रेलवे स्टेशन का निर्माण

4252. **श्री बलवीर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे पर कटनी-सिंगरौली लाइन को बिछाते समय कटणी से आगे दमोय रेलवे स्टेशन के निर्माण करने की कोई योजना थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका निर्माण करने के क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) कटनी-सिंगरौली रेल लाइन बिछाते समय, अपेक्षित होने पर भविष्य में इंदवार (डामया) गांव के निकट एक नया स्टेशन खोलने की व्यवस्था की गयी थी।

नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियां

4253. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में भारतीयों को उनके आर्थिक क्रिया कलाप के न्याय-संगत अधिकार से वंचित करने के उद्देश्य से अमरीकी दूतावास के एक भूतपूर्व कर्मचारी मंजूर सल्र्ड की पहल पर काठमांडू (नेपाल) में राष्ट्रीय समाज सुधार संस्थान नामक एक संगठन का गठन किया गया है;

(ख) क्या उन्होंने यह प्रचार करना आरम्भ कर दिया है कि उस देश की अर्थव्यवस्था पर भारतीय हावी हो रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ख) सरकार को ऐसी खबरें मिली हैं कि नेपाल में राष्ट्रीय समाज सुधार संस्थान नामक एक संगठन है जिसके अध्यक्ष श्री मंजूर वर्ल्ड हैं। इस संगठन का प्रत्यक्ष उद्देश्य संगोष्ठी के आयोजन, इश्तहारों के वितरण, समाचारपत्रों में लेखों और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से जलमार्गों, तस्करी, नेपाल में आप्रवासन, कार्य परमिट आदि जैसे मसलों पर ध्यान केन्द्रित करना है। भारत सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि दूसरी बातों के अलावा इस संगठन ने नेपाल में भारतीयों के भारी मात्रा में तथाकथित आगमन के प्रश्न का प्रचार किया है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा बीड़ी कर्मकारों को होने वाली स्वास्थ्य सम्बंधी खतरों और रोगों का सर्वेक्षण

4254. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी**
श्री अनन्त रामुलु सल्लु
श्रीमती माधुरी सिंह } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने बीड़ी कर्मकारों को तम्बाकू की चूरे के कारण होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों और रोगों के मामलों का कोई अध्ययन करवाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस व्यवसाय से सम्बद्ध रोगों के प्रभावी नियंत्रण के लिए यदि सरकार द्वारा कोई योजनाएं बनाई हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) हां।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अधीन राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद ने बीड़ी का तम्बाकू बनाने वाले श्रमिकों की व्यवसायिक स्वास्थ्य कठिनाइयों का एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में शामिल किए गए 100 बीड़ी श्रमिकों में से 69 श्रमिकों में उलटी होना, चक्कर आने और सरदर्द होने आदि जैसे छोटे मोटे रोग के लक्षण पाए गए। ये लक्षण केवल ज्यादा धूल उठने से या ज्यादा गर्मी के मौसम के दौरान देखने में आए।

कभी-कभार नजर आने वाले ऐसे लक्षणों का प्रभाव कुछ घण्टों के लिए ही रहा । ज्यादातर मामलों में ये लक्षण बिना दवाई लिए ही ठीक हो गए और अगले दिन श्रमिक काम जारी रख सके । अत: लक्षाण गौण थे जिन्होंने श्रमिकों को दैनिक कार्य करने में अक्षम नहीं बनाया । रोग के वे लक्षण किसी विशेष आयु वर्ग, लिंग विशेष, बीमारी के सम्पर्क में रहने की अवधि अथवा धूम्रपान की आदतों वाले लोगों में ही नहीं पाये गये ।

सी० जी० एच० एस० आयुर्वेदिक औषधालयों में एक दूसरे आयुर्वेदिक चिकित्सक की नियुक्ति

4255. **श्री छांगुर राम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे भारत में सी० जी० एच० एस० आयुर्वेदिक औषधालयों में दूसरे आयुर्वेदिक चिकित्सक की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या ऐसा कोई औषधालय है जहां पर अभी तक दूसरा आयुर्वेदिक चिकित्सक नियुक्त नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जहां, पर एक आयुर्वेदिक चिकित्सक नियुक्त है उसके छुट्टी पर चले जाने पर उन औषधालयों में क्या वैकल्पिक व्यवस्था है; और

(घ) ऐसे सभी औषधालयों में दो आयुर्वेदिक चिकित्सकों की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) स्टेंडर्ड स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार आयुर्वेदिक यूनिटों के लिए कम से कम दो आयुर्वेदिक चिकित्सक मंजूर किये जाते हैं ।

(ख) नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उडीसा के लिए यू० के० की स्वास्थ्य योजना

4256. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में स्वास्थ्य के सुधार हेतु भारत सरकार ने यू० के० सरकार की सहायता से एक योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो किस किस्म की सहायता दी गयी है और अब तक इसमें कितनी प्रगति हुई है और तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) यू० के० सरकार की आंशिक सहायता से उड़ीसा के पांच जिलों में एक क्षेत्र परियोजना आरम्भ की गई है जिसका मूल उद्देश्य प्रजनन दर में कमी लाना और जच्चा-बच्चा रुग्णता और मृत्युदर में कमी लाना है । परियोजना के अन्तर्गत जिलों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं को सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है । नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार इसमें 1400.38 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं, 555 भवनों का निर्माण किया जा चुका है और विभिन्न स्तरों पर 8106 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

जोधपुर रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के प्रतीक्षालय में गीजरों की व्यवस्था

4257. **श्री विस्त्रा राम फुलवारिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोधपुर स्टेशन में प्रतीक्षालयों के साथ लगने वाले स्नानागृहों में गीजरों के न होने के कारण प्रथम दर्जे के यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में किसी भी स्टेशन पर प्रतीक्षालयों में कोई गीजर नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार में प्रतीक्षालयों में गीजर लगाने की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) यह सच है कि जोधपुर स्टेशन के प्रतीक्षा गृहों के साथ लगे स्नान गृहों में गीजरों की व्यवस्था नहीं की गयी है। किन्तु यात्राओं को होने वाली असुविधा के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी हां, सिवाय बम्बई वी० टी० और बम्बई सेन्ट्रल स्टेशनों के ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रतीक्षा कक्ष अनिवार्य रूप से अल्प अवधि के लिए पारगमन वाले यात्रियों के लिए या सम्बद्ध गाड़ियां पकड़ने के लिए प्रतीक्षारत यात्रियों के लिए बनाए जाते हैं। अतिमहत्वपूर्ण स्टेशनों पर विश्राम कक्षों की व्यवस्था की गयी है, जो पारगमन वाले उन यात्रियों के लिए बनाये जाते हैं जिन्हें ऐसे स्टेशनों पर लम्बी अवधि तक रुकना पड़ता है, और अधिकतर मामलों में ऐसे कक्षों में अधिक परिष्कृत सुविधाएं होती हैं।

रेलवे की भूमि पर गंदी बस्ती सुधार योजनाएं लागू करना

4258. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंदी बस्ती सुधार योजना को केन्द्रीय सरकार की ऐसी भूमि जिसका निकट भविष्य में किसी परियोजना के लिए विकास नहीं किया जाना है, पर बनी गंदी बस्तियों पर लागू करने के सरकार के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए उक्त योजना रेलवे भूमि पर भी लागू की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों का पता लगा लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां, वृहत बम्बई में रेल भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में रेलवे द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, केवल ऐसे गन्दे क्षेत्रों में सुधार की अनुमति दी जाएगी जिनकी रेलों की परियोजना के लिए जरूरत नहीं है और जो निकटतम रेल पथ की सेन्टर लाइन से 50 गज की दूरी पर हो और उनसे परिचालन संबंधी संरक्षा प्रभावित न होती हो ।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार के साथ संयुक्त रूप से ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए मध्य और पश्चिम रेलों को उपयुक्त अनुदेश दे दिए गए हैं ।

जोधपुर और बाड़मेर के एक नयी गाड़ी का शुरू किया जाना

4259. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के अन्तर्गत राजस्थान के दो महत्वपूर्ण स्थानों, जोधपुर और बाड़मेर के बीच कब से दो पैसेन्जर गाड़ियां चल रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए लोगों को सुविधा प्रदान करने हेतु इन को स्टेशनों के बीच एक नयी गाड़ी शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां तो यह गाड़ी किस तारीख में चलनी शुरू हो जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) अक्तूबर 1956 से जोधपुर और बाड़मेर के बीच 1/2 जे० बी० पैसेंजर और 97/98 जोधपुर बाड़मेर एक्स प्रेस गाड़ियां चल रही हैं।

(ख) और (ग) जोधपुर और बाड़मेर के बीच एक नयी गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ये दो जोड़ी गाड़ियां, अर्थात् 1/2 जे० बी० और 97/98 एक्सप्रेस, इस खंड की यात्री यातायात की मौजूदा आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर रही है। इसके अलावा, संसाधनों के अभाव में, जोधपुर और बाड़मेर के बीच फिलहाल एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना भी व्यावहारिक नहीं है ।

साहित्यिक चोरी

4260. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में व्यापक मात्रा में हो रही साहित्यक चोरी की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लेखक और प्रकाशक के बीच कोई आदर्श करार नहीं होता जिसके परिणाम-स्वरूप लेखकों को नुकसान होता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस चोरी को रोकने और लेखक के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां। सरकार को समाचार पत्र की रिपोर्टों और पुस्तक प्रकाशकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के माध्यम से यह जानकारी है कि देश में पुस्तकों की बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है।

(ख) और (ग) यह सच है कि कोई माडल संविदा निर्धारित नहीं है। प्रत्येक कृति के संबन्ध में संविदा की शर्तें लेखकों और प्रकाशकों द्वारा आपस में तय की जाती हैं और—इसके लेखकों को कोई नुकसान नहीं होता है। जहां तक चोरी का संबन्ध है, यह समस्या प्रौद्योगिकी में तीव्र विकास के कारण हुई है। चोरी एक गुप्त क्रिया है जिससे देश, लेखकों और वास्तविक प्रकाशकों को हानि होती है। सरकार, उपयुक्त उपचारात्मक उपायों का पता लगाने के उद्देश्य से इस समस्या का, इसके विभिन्न पहलुओं के साथ अध्ययन कर रही है।

दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत प्राइवेट बसों के ड्राइवरों का काम करने का समय निर्धारित करना

4261. श्री मनोहर लाल सैनी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली परिवहन निगम के बसों से बार-बार हो रही दुर्घटनाओं का कारण प्राइवेट बसों के मालिकों द्वारा पूरे-दिन के आधार पर नियुक्त किए गए ड्राइवरों की थकावट और परिश्रम है; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय का दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चल रही प्राइवेट बसों के ड्राइवरों का समय निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) :(क) और (ख) सड़क दुर्घटनाओं के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं। ड्राइवर को लगातार काम करने से थका हुआ होना भी एक कारण है। मोटर व्हीकिल्स अधिनियम 1939 की धारा 65 में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जो उसके द्वारा परिवहन यान के चलाने के लिये नियुक्त है या जो ऐसे उद्देश्य के लिये उसके नियंत्रण में आता है, तो निम्नलिखित उपबंध के अलावा कार्य करने के लिये न तो बाध्य करेगा और न ही अनुमति देगा :—

(क) चालक को 5 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना।

(ख) एक दिन में 8 घंटे

(ग) एक सप्ताह में 48 घंटे

तदनुसार दिल्ली परिवहन निगम के अधीन काम करने वाले प्राइवेट आपरेटर मोटर यान अधिनियम के इन उपबन्धों द्वारा प्रशासित होते हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

4262. **डा० कृपाल सिंधु भोई** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिये क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को छात्रों के प्रवेश में अनियमितताएं किए जाने की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जहां कहीं प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, उस बच्चे के उत्तीर्ण होने की शर्त पर केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए एकमात्र मापदण्ड अभिभावकों का स्थानान्तर है।

(ख) और (ग) जब कभी भी अनियमित दाखिलों के मामले केन्द्रीय विद्यालय संगठन के ध्यान में लाये जाते हैं तो उनकी जांच की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

कोटा-चित्तौड़गढ़ रेल लाइन

4263. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा-चित्तौड़गढ बड़ी लाइन के निर्माण का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ख) कोटा और चित्तौड़गढ़ के बीच आने वाले प्रमुख स्टेशनों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या बेगू जो कि इस आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा आदिवासी नगर है, को भी इस क्षेत्र के लोगों की मांग ध्यान में रखकर इस रेल लाइन से जोड़ा जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) परियोजना का पूरा होना वर्षानुवर्ष धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) यह सम्भावना है कि अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित मुख्य स्टेशन अनुमोदित संरेखण के अन्तर्गत आयेंगे :

कोटा, बूंदी, मोहनपुरा, मंडलगढ़, परसोली और चित्तौड़गढ़।

(ग) बेगून अनुमोदित संरेखण के अन्तर्गत नहीं आता है।

गांधी-दर्शन के अध्ययन केन्द्रों वाले विश्वविद्यालय

4264. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कौन से विश्वविद्यालय हैं जिनमें गांधी दर्शन संबंधी अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) अन्य विश्वविद्यालयों में ऐसे केन्द्र स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सभी विश्वविद्यालय के लिये इस प्रकार केन्द्रों की स्थापना अनिवार्य करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित विश्वविद्यालय गांधी अध्ययन सम्बन्धी पाठयक्रम चला रहे हैं :—

(1) भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर ।

(2) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद ।

(3) कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ ।

(4) मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै ।

(5) नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर ।

(6) पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ ।

(7) सागर विश्वविद्यालय, सागर ।

(8) श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति ।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों से गांधी अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं । इस प्रकार से प्राप्त प्रस्तावों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है और उन विश्वविद्यालयों को, जिनके प्रस्ताव अनुमोदित किये जाते हैं, वित्तीय सहायता दी जाती है । सभी विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से गांधी अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

छठी योजना के दौरान "सभी के लिये स्वास्थ्य कार्यक्रम" के कार्यान्वित करने के लिए धन राशि

4265. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान "सभी के लिए स्वास्थ्य" कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कुछ धनराशि नियत की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निश्चित की गयी है; और

(ग) उसमें छठी योजना के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम शामिल किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) ग्रामीण/जनजातीय इलाकों, शहरी गन्दी बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य और चिकित्सा परिचर्या की बेहतर सेवाओं की व्यवस्था करके "सन् 2000 ईसवी तक सब के लिये स्वास्थ्य" का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है । वैसे, छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिये 1753.05 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है ।

(ग) "सन् 2000 ईसवी तक सब के लिये स्वास्थ्य" का लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनायी जाने वाली कार्यनीतियां इस प्रकार हैं :—

(1) नगरों में उपचारात्मक सेवाओं और चिकित्सा की अतिविशिष्टियों का विकास करने की बजाय अब ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने की ओर अधिक बल दिया

जा रहा है। निवारक, स्वास्थ्य बर्धक और उपचारात्मक स्वास्थ्य परिचर्या की मिली-जुली सेवाओं के आधार पर एक ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति तैयार की जा रही है जिसके अन्तर्गत सेवायें प्रदान करने का कार्य ग्राम से आरम्भ किया जायेगा।

(2) ग्राम स्वास्थ्य परिचर्या के बुनियादी ढांचे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्र होंगे और प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 30,000 तथा प्रत्येक उप केन्द्र 5,000 की आबादी के लिये सेवायें प्रदान करेगा। पहाड़ी और आदिवासी इलाकों में ये मानदण्ड शिथिल कर दिये जाते हैं। ग्राम या एक हजार की आबादी वाला क्षेत्र एक ऐसी बुनियादी इकाई है, जहां लोगों द्वारा चुना गया एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य रक्षक मौजूद है।

(3) बुनियादी विशिष्टियों में इलाज की सुविधाएं ब्लाक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुलभ करायी जाती हैं। प्रत्येक केन्द्र एक लाख आबादी को सेवायें सुलभ कराता है और प्रत्येक केन्द्र में एक 30 पलंगों वाला अस्पताल होता है। रोगियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से जिला अस्पताल/मेडिकल कालेज अस्पताल में भेजने की पद्धति शुरू की जा रही है।

(4) छठी योजना में परिवार नियोजन की उच्च प्राथमिकता दी गई है जिसका दीर्घावधिक लक्ष्य 1995 तक वास्तविक जन्मदर को घटाकर एक पर लाना है।

वर्ष 1983-84 के दौरान अनुसंधान वैज्ञानिकों के पदों का सृजन

4266. **श्री मनमोहन दत्त** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1983-84 के दौरान अनुसंधान वैज्ञानिकों के कुछ नये पदों का सृजन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न वेतनमानों में सृजित किये गये अनुसंधान वैज्ञानिक के ऐसे नये पदों की संख्या क्या है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) उच्च कोटि के अनुसंधान को बढ़ावा देने और वातावरण योग्यता वाले व्यक्तियों को रचनात्मक कार्य के अवसर प्रदान करने के लिए आयोग ने, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान वैज्ञानिकों का एक संवर्ग बनाने का निर्णय किया है। संवर्ग में 200 वैज्ञानिक होंगे, लैक्चरार के स्तर पर 128, रीडिंग के स्तर पर 60 और प्रोफेसर के स्तर पर 20। आरम्भ में आयोग ने मात्र लेक्चरार के स्तर पर वर्ष 1983-84 में वैज्ञानिकों को नियुक्त करने का निर्णय किया है। इन नियुक्तियों के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आयोग द्वारा नियुक्त समिति द्वारा इनका चयन किया जाना है। अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

सीलमपुर में रेलवे स्टेशन बनाना

4267. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली देहात सुधार कांग्रेस ने सीलमपुर में एक रेलवे स्टेशन बनाने की मांग की है; और

(क) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) सीलमपुर में रेलवे स्टेशन खोलने से सम्बंधित दिल्ली देहात सुधार कांग्रेस की मांग का समाचार 26-2-1984 को नयी दिल्ली के 'नव भारत टाइम्स' में छपा था।

(ख) दिल्ली और दिल्ली-शाहदरा स्टेशनों के बीच सीलमपुर में एक फ्लैग/हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की पहले भी जांच की गयी थी लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

इंडियन काउंसिल आफ पैरा मेडिकल रिहेब्लिटेशन प्रोफेशन के बारे में विधान

4268. **श्री सज्जन कुमार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री इण्डियन काउंसिल आफ पैरा-मेडिकल रिहेब्लिटेशन प्रोफेशन के बारे में विधान के बारे में 28 अप्रैल, 1983 के अतरांकित प्रश्न संख्या 9099 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन काउंसिल आफ परा-मेडिकल रिहेब्लिटेशन प्रोफेशन के बारे में विधान बनाने हेतु कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां तो यह प्रस्तावित विधान कब तक बनने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार पैरा-मेडिकल पुनर्वास व्यवसाय परिषद् अधिनियम के स्थान पर केवल किसीओथेरापिष्ट और व्यवसायिक थेरापिष्ट परिषद् अधिनियम के बारे में ही विधान बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं।

(ख) से (घ) इस संबंध में कोई निर्णय ले लिये जाने के बाद ही विधेयक प्रस्तुत करने का प्रश्न उठेगा। इस बारे में कोई पक्का वचन देना संभव नहीं है।

टाटा नगर और बांसपानी के बीच एक पैसेन्जर गाड़ी शुरू किया जाना

4269. **श्री हरिहर सोरन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत टाटानगर और बासपानी के बीच एक पैसेन्जर गाड़ी शुरू करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा प्रस्ताव कब कार्यान्वित होगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

केन्द्रीय विद्यालयों के गैर-शिक्षा कर्मचारियों के वेतन मानों में संशोधन

4270. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के अन्य कर्मचारियों तथा दिल्ली प्रशासन के गैर-शिक्षण कर्मचारियों की तरह ही शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 49 (ख) के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों के गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमानों में भी संशोधन करने के लिये कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम के स्कूलों सैनिक स्कूलों दिल्ली प्रशासन स्कूलों में व्याप्त कर्मचारी पद्धति को केन्द्रीय विद्यालय के कार्यालयों के लिए भी अपना लिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पदनामों में परिवर्तन करने तथा केन्द्रीय विद्यालय के कार्यालयों में काम के भारी दबाव के कारण इन की संख्या में तथा पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि करने के लिये कोई उपाय किए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों की शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 49 (ख) के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारियों के वेतनमान वही होंगे जो समय-समय पर संगठन द्वारा निर्धारित किए जाएं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के गैर-शिक्षण स्टाफ (लिपिक वर्गीय) के वेतनमानों के संशोधन के प्रश्न पर संगठन द्वारा व्यापक रूप से विचार किया गया है, और यह निर्णय किया गया कि वर्तमान वेतनमानों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार गैर-शिक्षण स्टाफ के पदनामों के परिवर्तन को भी आवश्यक नहीं समझा गया।

केन्द्रीय विद्यालयों संगठन ने केन्द्रीय विद्यालयों के गैर-शिक्षण स्टाफ के निर्धारण के लिए अपने मानदण्ड बनाए हैं। बुनियादी संघटक, किसी स्कूल में एक साथ ली गई विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की संख्या है। यह प्रणाली ठीक चल रही है। सैनिक स्कूलों और दिल्ली प्रशासन के स्कूलों से तुलना संगत नहीं है क्योंकि इन स्कूलों और केन्द्रीय विद्यालयों का स्वरूप भिन्न-भिन्न है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बायोकैमिस्ट्री के प्रोफेसर द्वारा एक लाख रुपये का पुरस्कार प्राप्त करने के लिये सरकारी अनुमति

4271. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कुष्ठ रोग निरोधक गर्भ-धारण निरोधक वैक्सीन का विकास करने में सफलता के बारे में 18 अगस्त, 1983, के अतारांकित प्रश्न संख्या 3968 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के बायोकैमिस्टरी के प्रोफेसर को एक गैर-सरकारी न्यास से एक लाख रुपये का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सरकारी अनुमति प्रदान की गई थी जबकि इस बात का रिकार्ड है कि वह "जनसंख्या" और "कुष्ठ रोग" पर नियंत्रण करने में जिसके लिए उन्हें वाचन-पत्र के अनुसार पुरस्कार दिया गया है, सफल नहीं हो पाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने यह बताया है कि रामेश्वर दास बिरला स्मारक कोष से एक लाख रुपये का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जीव-रसायन विज्ञान के आचार्य डा० जी०पी० तलवार को कोई अनुमति नहीं दी गई थी और ना ही उन्होंने अनुमति मांगी थी।

ईरान-इराक के संघर्ष को समाप्त कराने के लिये गुट-निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में उठाये गये कदम

4272. **श्री हेमवती नंदन बहुगुणा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष की हैसियत एक ईरान-इराक संघर्ष के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) सातवें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के बाद से, जिसमें प्रधान मन्त्री को "नाम" की अध्यक्षता की हैसियत से उचित ही आगामी कार्रवाई करने का कार्य सौंपने का निर्णय लिया गया, प्रधान मन्त्री ईरान और इराक दोनों देशों के नेताओं के साथ निरन्तर संपर्क बनाए हुए हैं। इन दोनों देशों के बीच फिर से भड़क उठी लड़ाई को देखते हुए ईरान और इराक दोनों देशों के राष्ट्रपतियों को सम्बोधित हाल ही के संदेह में प्रधानमन्त्री ने इस संघर्ष को रोकने के लिये एक साथ कदम उठाने के वास्ते दोनों देशों के नेताओं से अपील की। उन्होने दोनों देशों से यह आश्वासन भी मांगा है कि वे युद्ध में एक दूसरे के शहरों

और गैर-सैनिक जनता को अपना निशान नहीं बनाएंगे। प्रधान मन्त्री ने कई गुट-निरपेक्ष देशों के नेताओं को भी लिखा है जिसमें उन्होंने उनसे यह कहा है कि वे यह बताएं की इस संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के क्या तरीके और उपाय हो सकते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर दिये गये केटरिंग/बुक स्टाल/साइकिल स्टैंड के ठेके.

4273. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर कैटरिंग/बुक्स स्टाल/साइकिल स्टैण्ड के ठेके दिये गये तथा बीना, खुरई तथा सागर रेलवे स्टेशनों पर भी इस प्रकार के दिये गये ठेकों की इस समय संख्या क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मध्य प्रदेश में विभिन्न स्टेशनों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को खान-पान/वेंडिंग के 34 ठेके दिये गये हैं। यद्यपि खुरई और सागर स्टेशनों पर कोई ठेका अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पास नहीं है जबकि बीना में एक ठेका उनके पास है।

दिल्ली पोलिटेक्निक में मदान समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

4274. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या शिक्षा और संकृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मदान समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र में इनके कार्यान्वयन की क्या स्थिति है;

(घ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली पोलिटेक्निक में इसके कार्यान्वयन में अत्यधिक विलंब हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) यदि नहीं, तो मन्त्रालय द्वारा इस बारे में कब अपनी तकनीकी मन्जूरी दी गई थी; और

(छ) दिल्ली पोलिटेक्निक में इसके तेजी से तथा बिना किसी और विलम्ब के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या सक्रिय तथा ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) मदान समिति की सिफारिशें. जिन्हें मामूली संशोधनों के साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया था। सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को कार्यान्वयन के लिए अक्तूबर 1978 में भेज दी गई थी।

(ग) से (छ) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है जो इस प्रयोजन के लिए किए गए सम्बन्धित राज्य योजनागत प्रावधानों पर आधारित है।

दिल्ली में बाल पालिटेक्निकों के सम्बंध में मदान समिति रिपोर्ट को कार्यान्वित करने की तकनीकी स्वीकृति दिल्ली प्रशासन को अगस्त, 1981 में भेजी गई थी। दिल्ली प्रशासन से पदों की

स्वीकृति का प्रस्ताव जनवरी, 1984 में ही प्राप्त हुआ था और इस मंत्रालय के विचाराधीन है। तथापि, महिला पोलिटेक्निक के सम्बंध में मदान समिति रिपोर्ट के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में इस मन्त्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

क्षय रोग के कारण जनशक्ति और उत्पादन की हानि

4275. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के क्षय रोगियों की संख्या तथा क्षय रोग के कारण नष्ट हुए कुल श्रम घंटे और उत्पादन के रूप में प्रतिदिन हुए नुकसान से संबंधित कोई आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध हैं?

(ख) देश में कितने क्षय रोग-विरोधी सेवा केन्द्र चल रहे हैं तथा वे कहां-कहां हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय क्षय रोग विरोधी कार्यक्रम के अन्तर्गत औषधियां वितरित करने संबंधी केन्द्र के माध्यम को छोड़कर रोगियों को क्षय रोग निरोधी औषधियां सप्लाई करने के संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा 1955-58 में किये गये राष्ट्रीय नमूना क्षय रोग सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार और बाद के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में किये गये सीमित सर्वेक्षणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि इस समय लगभग एक करोड़ व्यक्ति फेफड़ों के ऐसे क्षय रोग से पीड़ित हैं जिसका पता उनका एक्सरे लेने से चल सकता है और उनमें से 25 लाख लोगों की बलगम में रोगाणु मौजूद हैं या उनका रोग संक्रामक किस्म का है। रोज कुल कितने घंटे के काम और कितने उत्पादन की हानि होती है इसके बारे में ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) देश में कार्यरत जिला क्षय रोग केन्द्रों, क्षय रोग क्लीनिकों और क्षय रोग पलंगों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण संलग्न है।

(ग) केन्द्रीय और राज्य सरकारें क्षय रोगियों के इलाज के लिये सभी परिसरीय स्वास्थ्य और चिकित्सा संस्थानों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्षय रोग रोधी औषधियां उपलब्ध करा रही हैं।

विवरण

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम क्षय रोगी के इलाज के लिये उपलब्ध सुविधायें

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिलों की सं०	जिला क्षय रोग केन्द्रों की सं०	क्लीनिकों की कुल सं०	क्षय रोग पलंगों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	23	23	26	2699
2.	असम	16	10	8	799
3.	बिहार	33	25	18	1799
4.	गुजरात	19	19	6	3488
5.	हरियाणा	12	9	5	265
6.	हिमाचल प्रदेश	12	8	10	643
7.	जम्मू व कश्मीर	14	9	5	655

1	2	3	4	5	6
8.	कर्नाटक	19	19	5	3373
9.	केरल	12	10	11	2537
10.	मध्य प्रदेश	45	45	7	1911
11.	महाराष्ट्र	30	26	27	7234
12.	मणिपुर	8	2	1	110
13.	मेघालय	5	2	—	304
14.	नागालैण्ड	7	1	2	100
15.	उड़ीसा	13	13	2	801
16.	पंजाब*	12	10	6	921
17.	राजस्थान	27	26	2	2028
18	सिक्किम	4	1	4	100
19.	तमिलनाडु	16	15	41	3569
20.	त्रिपुरा	3	2	—	50
21.	उत्तर प्रदेश	56	56	19	3437
22.	पश्चिम बंगाल	16	16	102	5948
	संघ राज्य क्षेत्र				
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	2	1	1	67
24.	अरुणाचल प्रदेश	5	1	4	182
25.	चण्डीगढ़	1	1	—	10
26.	दादर व नगर हवेली	1	—	—	—
27.	दिल्ली	1	1	11	1539
28.	गोवा दमन और द्वीव	3	1	3	276
29.	लक्षद्वीप	1	—	—	—
30.	मिजोरम	3	1	1	92
31.	पांडिचेरी/	1	1	3	178
		420	354	330	45145

*आंकड़े 31.3.79 के स्थिति के अनुसार हैं।

केन्द्रीय सड़क परिवहन वित्त निगम की स्थापना

4276. **श्री के० टी० कौसलराम : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क परिवहन वित्त निगम की स्थापना में देरी के क्या कारण हैं; और

(ख) इस प्रकार के निगम के अभाव में इस क्षेत्र को ऋण प्राप्त करने के लिये क्या वर्तमान कठिन प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है उसे सुचारू बनाने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सड़क परिवहन विकास वित्त निगम स्थापित करने के प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं की ब्योरेवार जांच करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि सर्वप्रथम मौजूदा स्रोतों से पर्याप्त और समय पर ऋण के उपयोग करने में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर किया जाए। इसलिए राज्य परिवहन उपक्रमों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से उदार शर्तों और कम ब्याज दर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विद्या सागर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के लिये अनुदान

4277. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में विद्या सागर विश्वविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शीघ्र अनुदान देने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) विद्या सागर विश्वविद्यालय, जो जनवरी 1981 में अस्तिव में आया, को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-क के अंतर्गत केंद्रीय संसाधनों से वित्तीय सहायता के लिए अभी उपयुक्त घोषित किया जाना है। इस प्रयोजन के लिये आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार से नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने से संबंधित सूचना भेजने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सूचना अभी भेजी जानी है।

वाराणसी और मुगलसराय रेलवे स्टेशनों पर चोरी, डकैती, उठाईगिरी और जाली टिकटों की बिक्री की दुर्घटनाएं

4278. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे के मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर चोरी, डकैती, उठाई गिरी और जाली टिकटों की बिक्री जैसे अपराधों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इन घटनाओं में वाराणसी, मुगलसराय और वाराणसी सी टी स्टेशनों पर काम कर रहे कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों के संगठित गिरोह का हाथ है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वाराणसी और मुगल सराय रेलवे स्टेशनों के आस-पास ऐसी कितनी घटनाओं से सम्बन्धित रिपोर्ट दर्ज की गई है और राजकीय रेलवे पुलिस और सुरक्षा बल द्वारा इनमें से कितने मामलों का पता लगाया गया और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

		वाराणसी			मुगलसराय		
		1981	1982	1983	1981	1982	1983
यात्री सम्पत्ति की चोरी	दर्ज किये गये मामले	189	148	160	39	65	79
	पकड़े गये	32	40	37	6	11	18
	बरामद की गयी सम्पत्ति (रु०)	4883	33748	9000	1120	37260	6685
	गिरफ्तार किये गये	59	42	39	7	12	39

		वाराणसी			मुगलसराय		
		1981	1982	1983	1981	1982	1883
डकैती	दर्ज किये गये मामले	—	—	—	—	—	—
	पकड़े गये	—	—	—	—	—	—
	बरामद की गयी सम्पत्ति (रु०)	—	—	—	—	—	—
	गिरफ्तार किये गये	—	—	—	—	—	—
बुक किए गए पोषणों की उठाईगीरी	दर्ज किये गये मामले	3	9	8	13	17	10
	पकड़े गये	—	2	2	13	17	10
	बरामद की गयी सम्पत्ति (रु०)	1780	2812	1398	1921	612	517
	गिरफ्तार किए गए	—	—	—	12	5	2
जाली टिकटों की बिक्री	दर्ज किए गए मामले	—	—	2	—	—	—
	पकड़े गए	—	—	1	—	—	—
	बरामद की गयी सम्पत्ति (रु०)	—	—	—	—	—	—
	गिरफ्तार किए गए	—	—	4	—	—	—

देखभाल और संरक्षण के मोहताज बच्चों के कल्याण के लिये अनुदान में वृद्धि करना

4279. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्मूरी** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे बच्चों के कल्याण हेतु जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, योजना, कार्यक्रमों के अधीन प्रति बच्चे को किस दर से आर्थिक सहायता अनुदान दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिये योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों के सहायक अनुदान की दरों को दर्शाने वाला विवरण।

(क) विद्यमान दरें नीचे दिए अनुसार हैं :—

आवर्ती :—

(1) अनुरक्षण (खाद्य, वस्त्र, साबुन, तेल; इत्यादि) हेतु प्रति बच्चा प्रतिमाह 60 रुपए की दर से;

(2) पानी, बिजली, डाक-खर्च, स्टेशनरी इत्यादि जैसे फुटकर खर्चों हेतु प्रति कुटीर (25 बच्चों के लिए) प्रति माह 100 रुपए की दर से;

(3) पलंग और बिस्तरे के लिये प्रति बच्चे आवर्ती खर्च के लिए 30 रुपये प्रति वर्ष की दर से और प्रति बच्चे गैर आवर्ती खर्च के लिए 30 रुपए प्रति वर्ष की दर से;

(4) अंशकालिक व्यावसायिक सेवाओं हेतु प्रति बच्चा 10 रुपए प्रति वर्ष की दर से;

(5) गृह माता के वेतन हेतु प्रति माह 200 रुपए की दर से;

(6) मूल संगठन के पर्यवेक्षीय और प्रशासकीय स्टाफ को पारिश्रमिक हेतु प्रत्येक दो कुटीरों हेतु प्रति माह 200 रुपए की दर से;

(7) प्रति कुटीर के लिए एक रसोइये/सहायक के वेतन हेतु प्रति माह प्रत्येक को 100 रुपए की दर से;

(8) किराए हेतु प्रति बच्चा प्रति माह 16 रुपये की दर से;

गैर आवर्ती

(9) फर्नीचर, उपकरण और बर्तनों हेतु प्रति कुटीर के लिये 300 रुपये की दर से;

(10) सम्बन्धित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के लोक निर्माण विभाग की दरों की अनुसूची के अनुसार कुटीरों के निर्माण हेतु भवन धनराशि (बिल्डिंग फंड);

सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता को अनुमानित लागत या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, के 90 प्रतिशत भाग को भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य समान हिस्सों में बांट लिया जाता है। दस प्रतिशत व्यय का बहन स्वयंसेवी संगठन द्वारा किया जाता है। बिन्दुओं (1), (2), (3) (केवल आवर्ती) और (4) पर उल्लिखित मदों को प्रति बच्चा प्रति माह 76.50 रुपए के कुल आवर्ती खच के रूप में समूहों में विभाजित कर लिया जाता है और इसमें व्यक्तिगत मदों के अन्तर्गत राशि को पुनः समायोजित करने की स्वतन्त्रता दी जाती है।

(ख) 1 अप्रैल, 1984 से सहायक अनुदान की दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण की योजना के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1984 से विभिन्न मदों के लिए निम्नलिखित दरें लागू होंगी :—

I. आवर्ती अनुदान	**अनुदान का परिमाप**
(i) सभी आवर्ती मदों अर्थात भोजन, कपड़े, साबुन, तेल बिजली व पानी का खर्च डाकखर्च, लेखन सामग्री, शिक्षा, पाठ्य-पुस्तकें, व्यावसायिक शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरजन, गृह माताओं, पर्यवेक्षकों, सहायकों आदि के वेतन हेतु संचित	प्रति बच्चा प्रति मास 150 रुपए (अधिकतम)
(ii) किराया	प्रति बच्चा प्रति मास 40 रुपए (अधिकतम) (कुटीर निर्माण) किए जा रहे होने पर यदि निर्माण अनुदान दिया जाता है तो रोक दिया जाए।)
II. गैर-आवर्ती अनुदान	
(i) **प्रारम्भिक गैर आवर्ती अनुदान** फर्नीचर, व्यवसायिक प्रशिक्षण उपकरण, बर्तन, पलंग और बिस्तर इत्यादि।	प्रति बच्चा 500 रुपए (अधिकतम)

(ii) कुटीर निर्माण के लिए पूंजीगत अनुदान	प्रति बच्चा 6,000/-रुपए (अधिकतम)

व्यय का प्रतिमान

राज्य

1. केन्द्र का भाग	45 प्रतिशत
2. राज्य का भाग	45 प्रतिशत
3. स्वयंसेवी संगठन	10 प्रतिशत

केन्द्र शासित प्रदेश

1. केन्द्र का भाग	90 प्रतिशत
2. स्वयंसेवी संगठन	10 प्रतिशत

केरल के लिए आई० आई० टी०

4280. **श्री पी० के० कोडियन**
श्री जी० एम० बनातवाला
श्री ए० के० बालन } : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केरल राज्य में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में उन्नत अध्ययन और शोध कार्य के लिए पर्याप्त सुविधाओं वाला इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (आई० आई० टी०) के स्तर का कोई तकनीकी संस्थान नहीं है;

(ख) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में ऐसे एक संस्थान की स्थापना करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) राज्य में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्तर का संस्थान स्थापित करने के संबंध में केरल राज्य सरकार से मन्त्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्रीय संस्थान हैं, जो इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान की उच्चतम स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करते हैं और इनका अखिल भारतीय स्वरूप है। इन संस्थानों को राज्य वार आधार पर स्थापित नहीं किया जाता।

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अमान्य किए गये मेडिकल कालेज

4281. **श्री मोहन लाल पटेल**
श्री पीयूष तिरकी } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा कितने मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त की गयी है;

(ख) इन कालेजों के नाम क्या हैं तथा वे किन-किन स्थानों पर हैं तथा किन तारीखों को उनकी मान्यता समाप्त की गई तथा उनकी मान्यता समाप्त करने के क्या कारण है;

(ग) क्या यह सच है कि बाद में उनको पुनः मान्यता दे दी गयी थी और यदि हां, तो कितने वर्ष बाद; और

(घ) उन छात्रों का क्या हुआ जो इन मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्ति की अवधि के दौरान स्नातक हुए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी मेडिकल कालेज की मान्यता समाप्त नहीं की । वैसे परिषद द्वारा निरीक्षण किए जाने पर यह पाया गया कि कुछेक मेडिकल कालेजों में स्टाफ, भवन, अस्पताल, उपकरण, पुस्तकालय और प्रयोगशाला आदि संबन्धी जो सुविधायें उपलब्ध की गई थीं, वे पर्याप्त नहीं थीं । इन कालेजों को सलाह दी गई थी कि वे इन कमियों को दूर करें । उनकी चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता/मंजूरी देने के लिए उनसे प्राप्त अनुपालन संबन्धी रिपोर्टों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा ध्यान में रखा जाएगा ।

छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4282. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने किलोमीटर गेज लाइन है;

(ख) वर्ष 1982-83 तक और कितने किलोमीटर मीटर गेज लाइन में बदल दिया गया है;

(ग) क्या वर्ष 1984-85 और 1985-86 में और अधिक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) दिल्ली-अहमदाबाद मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज में बदलने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) :(क) 24,514 कि०मी० (31-3-83 को)

(ख) 2,163 कि० मी० (31-3-83 तक)

(ग) जी हां । 3500 कि० मी० लम्बे रेलपथ को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में भिन्न चरणों में होंगी । इसमें से 367 कि० मी० मीटर लाइन को 1984-85 में तथा 182 कि० मी० मीटर लाइन को 1985-86 में बड़ी लाइन में बदलने की योजना बनायी गयी है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1984-85 में

1. वीरमगाम-ओखा-पोरबन्दर (चरण-II) 289 कि० मी०
2. सूरतगढ़-सरुपसर-अनूपगढ़-78 कि० मी०

1985-86 में

1. सूरतगढ़-बीकानेर-182 कि० मी०;

(घ) अभी तक इस परियोजना को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति नहीं दी गयी है ।

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज कालीकट के लिये वित्तीय सहायता

4283. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

विदीप

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुरोध का ब्योरा क्या है और और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) और (ख) केरल राज्य सरकार ने 170·00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर तीन नए छात्रावासों (2 लड़कों के लिए और 1 लड़कियों के लिए) के निर्माण तथा वर्तमान दो छात्रावासों के अनुरक्षण तथा उनकी विशेष मरम्मत के वास्ते क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कालीकट की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया था।

राज्य सरकार तथा कालेज को दो वर्तमान छात्रावास भवनों का अनुरक्षण कार्य और महत्वपूर्ण मरम्मत शीघ्र शुरू करने तथा 200 छात्रों के लिए एक-एक सीट वाले नये छात्रावास के निर्माण की योजना तैयार करने की सलाह दी गई है। कालेज को 30 और छात्राओं के लिए वर्तमान बालिका छात्रावास में एक और मन्जिल बनवाने की सलाह दी गई है। इन कार्यों के लिए धनराशि अगले वित्त वर्ष (1984-85) के शुरू में मुक्त कर दी जाएगी।

कोचीन-निजामुद्दीन, जयन्ती जनता एक्सप्रैस के निर्धारित कार्यक्रम में परिवर्तन

4284. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन निजामुद्दीन जयन्ती जनता एक्सप्रैस का पहले की तरह कुछ दिनों न चलने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इसके कारण यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोचीन-निजामुद्दीन के बीच जयन्ती जनता को चलाने का है जैसे पहले चल रही थी ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) उपलब्ध कोचिंग स्टाक का अधिकतम उपयोग करने के विचार से, 131/132 जयन्ती जनता एक्सप्रैस के चालन के दिनों का युक्तिकरण किया गया है और इस युक्तिकरण से मनमाड-धोंड-गुन्तकल्लु के रास्ते बेंगलुरु और हजरत निजामुद्दीन के बीच सप्ताह में एक बार चलने वाली एक नयी गाड़ी अर्थात् 905/906 गाड़ी चलायी गयी है। इसलिए, रेलों का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि 131/132 गाड़ी के दिनों में परिवर्तन किया जाये।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा खेतीहर औद्योगिक श्रमिकों को स्वास्थ्य संबंधी खतरों का अध्ययन

4285. **श्री अमर सिंह राठवा**
श्री नवीन रावणी
श्री सनत कुमार मंडल
श्री जी० आई० कृष्णन } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनसंधान परिषद् (आई० सी० एन० आर०) इस समय खेतिहर और औद्योगिक श्रमिकों को स्वास्थ्य संबंधी व्यवसायजन्य खतरों का अध्ययन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो, उन मुख्य उद्योगों के नाम क्या हैं जिनका भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा अध्ययन किया जा रहा है;

(ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा कदम उठाने का सुझाव दिया गया है; और

(ङ) इनके क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ङ) हां। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् अपने राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद के माध्यम से कृषि और औद्योगिक कार्यकर्त्ताओं की व्यावसायिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन कर रही है। मुख्यतया, कपड़ा, एसबैस्टस, सेरामिक्स, फउण्डरी, स्लेट-पेंसिल, क्वार्ट्स-क्रशिग, कीटनाशी दवाइयां, रंग तथा शीशा उद्योगों का अध्ययन किया गया। बीड़ी तम्बाकू में नारियल के रेशों का काम करने वालों के बारे में भी अध्ययन किया गया।

स्लेट-पेंसिल और क्वार्ट्स क्रशिग उद्योगों में नियुक्त कार्यकर्त्ताओं के स्वास्थ्य संबंधी सर्वेक्षण से उनमें फेफड़ों के रोग "सिलिकोसिसा—डस्ट" की बहुत उच्च व्यापकता में प्रमाण मिले। देखने में आयी जमी हुई धूल (डस्ट) की मात्रा संस्तुत सुरक्षित स्तर से कई गुणा अधिक थी। फाउण्डरी और सेरामिक्स उद्योगों के पर्यावरणिक और स्वास्थ्य सर्वेक्षण से पता चला कि वहां के कार्यकर्त्ताओं को बहुत अधिक गर्मी में कार्य करना होता है और वहां पर हानिकारक धूल के सांस द्वारा शरीर में जाने संबंधी समस्यायें भी मौजूद हैं किन्तु ऐसी-समस्यायें गर्मी की समस्या की अपेक्षा कम हैं। एस्बैस्टस उद्योगों में जुटे कार्यकर्त्ताओं की स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों के सर्वेक्षण से पता चला है कि उद्योग द्वारा सफाई रखने और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी बातों पर नजर रखने से और वहां पर "एस्बैस्टोसिस" का प्रकोप और इस रोग की व्यापकता में फर्क पर पड़ जाता है। कपड़ा उद्योग के अध्ययन से पता चला कि जो लोग नियमित रूप से रात की पारी में कार्य करते हैं वे मनः कायिक समस्याओं से ग्रस्त होते है। बुनाईघरों के कार्यकर्त्ता बहुत शोर में कार्य करते हैं और श्रवण-विहीनता तथा मनोवैज्ञानिक समास्याओं से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे मामलों में कान से आवरणों के उपयोग से श्रवण विहीनता को रोकने में मदद मिली है। कीटनाशी दवाइयों के क्षेत्र में अध्ययन करने से पता चला कि बी० एच० सी० का छिड़काव करते समय कार्यकर्त्ताओं को यथोचित सुरक्षा उपाय बरतने चाहिएं और उनके रक्त में जमा होने वाले बी० एच० सी० के अवशेषों का पता लगाकर लम्बे अर्से में उन कार्यकर्त्ताओं पर पड़ने वाले प्रभावों पर नजर रखना जरूरी है। मालाथियन के हवाई छिड़काव के विशाक्तात्मक मूल्यांकन संबंधी अध्ययन से पता चला है कि पाइलट और माल लादने वाले जो व्यक्ति इसके संपर्क में आते हैं उन्हें इनसे नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। बीड़ी तम्बाकू का काम करने वालों की व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन करने से उनमें कै, चक्कर आने और सिरदर्द के लक्षणों की मौजूदगी का पता चला। ये लक्षण कभी-कभी उत्पन्न होते और कुछ घंटो तक बने रहते हैं। अधिकतर मामलों में ऐसे लक्षण बिना किसी दवाई के दूर हो जाते हैं और कार्यकर्त्ता अगले दिन कार्य जारी रख सकते हैं। कर्नाटक में नारियल के रेशों का काम करने वाले लोगों के एक औद्योगिक सफाई सर्वेक्षण से मालूम हुआ कि इस काम में लगे कार्यकर्त्ताओं को नारियल के रेशों की धूल के संपर्क का कोई खास खतरा नहीं होता जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के निष्कर्ष और सिफारिशें भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधीन संबन्धित विभागों, तथा कार्यकर्त्ताओं को ऐसे कामों में लगाने वाले उद्योगों के प्रबन्धकों को आवश्यक कारंवाई के लिए भेजी जाती हैं।

खुले माल डिब्बों में ढुलाई के कारण खाद्यान्नों को क्षति

4286. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों की खुले रेल डिब्बों में लाया-ले जाया जा रहा है और उन्हें खुले प्लेटफार्म पर उतारा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत 3 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों को लाने-ले जाने के दौरान कितनी क्षति अथवा नुकसान हुआ है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार के नुकसान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं;

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) सामान्यत: खाद्यान्नों की ढुलाई बन्द माल डिब्बों में की जाती है। बन्द मालडिब्बों की सीमित सप्लाई को ध्यान में रखते हुए तथा सीमेंट, उर्वरक आदि जैसी अन्य महत्वपूर्ण मदों की ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए रेलों को बरसात के मौसम को छोड़कर व्यस्त अवधियों में, जब सभी प्रकार के बन्द माल डिब्बों के लिए प्रतियोगी मांगें होती हैं, खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए कुछ खुले डिब्बे देने पड़ते हैं।

महत्वपूर्ण स्टेशनों पर विभिन्न प्रकार के माल को उतारने के लिए छतदार शेड की व्यवस्था सम्बन्धित स्टेशनों के महत्व और सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा और किस्म, जिसके लिए छतदार स्थान की आवश्यकता पड़ती है, को ध्यान में रखकर की जाती है, बशर्ते धन उपलब्ध हो अधिकतर खाद्यान्नों का लदान भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है जिनके पास सामान्यत: अपने हिस्से के खाद्यान्नों के लदान/उतराई के लिए अपनी साइडिंग होती है और यह कार्य उनके अपने श्रमिकों द्वारा कराया जाता है।

(ख) खुले माल डिब्बों में क्षतिग्रस्त अथवा खोये गये खाद्यान्नों की मात्रा के सम्बन्ध में आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जब कभी भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों के लदान के लिए खुले माल डिब्बे सप्लाई किये जाते हैं तो माल डिब्बों को तिरपालों से ढक दिया जाता है तथा रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों के मार्गरक्षण में ब्लाक रेकों में संचलन की व्यवस्था की जाती है। इन ब्लाक रेकों का मार्ग में विनिर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण किया जाता है और यदि तिरपालें हटी हुई पायी जाती हैं अथवा रस्सियां ढीली पायी जाती हैं तो उन्हें ठीक कर दिया जाता है।

भारतीय नौवहन को बचाने के लिये प्रमुख विदेशी बैंकों के एक साथ द्वारा प्रस्तावित योजना

4287. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख विदेशी बैंकों के सार्थ समूह ने भारतीय नौवहन को जो इस समय भारी संकट में है, बचाने के प्रयास में भारत सरकार को एक नई योजना भेजी है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना का एक मुद्दा यह भी है कि सरकार की ओर से ऋण देने वाले संस्थानों को जारी किये जाने वाले यूरोपीय डालर बांडों को भुनाया जा सकेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रमुख विदेशी बैंकों के साथ समूह की पेशकश को स्वीकृति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ । तथापि भारतीय नौवहन उद्योग को विस्तार और पुनर्निर्माण योजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में धन जुटाने की व्यवस्था करने के लिए सरकार को एक विदेशी बैंक से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बज-बज नामखाना रेल लाइन का निर्माण

4288. **श्री अमल दत्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बज-बज से नामखाना तक एक नई रेल लाइन बिछाने के प्रस्ताव की मंजूरी के बाद रेलवे बोर्ड द्वारा मंजूर की गई नई रेल लाइनों/बदली जाने वाली रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है, उनकी मंजूरी की तारीख क्या है, मंजूरी की तारीख को उनकी अनुमानित लागत कितनी थी, यदि उसके बाद लागत के बारे में कोई पुनरीक्षण किया गया हो तो वह क्या है; और

(ख) मंजूर की गई लाइनों में से किन-किन लाइनों को बिछाने का काम शुरू हो गया है और उन हर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

ऐसीनयी लाइनों/आमान परिवर्तन परियोजनाओं का विवरण जिन्हें 1981-82 में बज-बज से नामखाना तक नयी लाइन के निर्माण के अनुमोदन के बाद अनुमोदित किया गया था :

(करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	निर्माण कार्यक्रम का वर्ष	अनुमोदित लागत / नवीनतम लागत	परिव्यय 81-82	82-83	83-84
	नयी लाइनें					
1.	भुज-नलिया	81-82	22.00 / 14.00	0.25	3.00	4.45
2.	भटिंडा बाई पास	82-83	2.96 / 4.28	—	0.60	0.55
3.	कालका-परवानू	82-83	1.60 / 6,50	—	0.50	0.01
4.	अलेप्पी-कायनकुलम	82-83	11.10 / —	—	1.40	0.01

5. जोगीघोपा से गुवाहाटी तक एक बड़ी रेल लाइन के निर्माण सहित जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र के पार एक रेल एवं सड़क पुल का निर्माण	83-84	87.73	—	—	0.69
6. मथुरा-अलवर	83-84	34.75	—	—	1.01
7. एकलखी-बालूरघाट	83-84	36.38	—	—	1.01
8. अदिलाबाद-पिम्पलकुट्टी	83-84	8.39	—	—	1.51
9. गढ़ीमानिकपुर के रास्ते रीवा-सुल्तानपुर	84-85	200.00	—	—	—
10. तामलुक-दिवा	84-85	43.72	—	—	—
11. तालचेर-सांबलपुर आमान परिवर्तन	84-85	46.39	—	—	—
1. सूरतगढ़-सरूपसर-अनूपगढ़	82-83	16.64	—	2 00	4.00
2. सूरतगढ़-बीकानेर	82-83	36.00	—	2.80	2.26
		43.38			

पिछले तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा सेवाओं पर व्यय

4289. श्री अमल दत्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कार्यालय से एकत्र की गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा चिकित्सा सेवाओं पर किया गया कुल खर्च इस प्रकार है :—

1979-80	72,34,78,624
1980-81	84,17,95,460
1981-82	105,48,34,536

उच्च शिक्षा का निरन्तर गिरता हुआ स्तर

4290. श्री नवीन रावणी : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस गिरावट के लिए उत्तरदायी विभिन्न तत्वों का पता लगाने के लिए सरकार का विचार कोई सर्वेक्षण कराने का है; और

(ग) सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए और क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) आजादी के बाद उच्च शिक्षा में असाधारण विस्तार हुआ है। इस मात्रात्मक विस्तार के साथ साथ पर्याप्त गुणात्मक सुधार नहीं हुआ है जो कि उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए अनिवार्य होता है इस स्थिति का विश्वविद्यालयों के शिक्षण, अनुसंधान और परीक्षाओं के स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था;

(ख) जी, नहीं।

(ग) शिक्षा में गुणात्मक सुधार एक सतत प्रक्रिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्ययन के पाठ्यक्रमों में सुधार लाने तथा उनको अनुरूप बनाने, अनुसंधान सम्बन्धी प्रयासों में सहायता करने तथा शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए, जिनका उच्च शिक्षा की कोटि और स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, विश्वविद्यालयों और कालेजों की अवस्थापनाओं को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है।

जनवरी 1984 में रेल राजस्व की प्राप्ति

4291. **श्री नवीन रावणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1984 के दौरान पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में रेल राजस्व की प्राप्ति में काफी सुधार हुआ है; यदि हां, तो कितना प्रतिशत; और

(ख) तत्सम्बन्धी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां। जनवरी, 1984 के दौरान रेलों की राजस्व आय (445.63 करोड़ रुपये) पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि अर्थात् जनवरी, 1983 (366.95 करोड़ रुपये की तुलना में 78.68 करोड़ रुपये 21.44% अधिक थी।

(ख) क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न तालिका से देखा जा सकता है :

(करोड़ रुपये में)

रेलवे	जनवरी 1983	जनवरी 1984	कमी बेशी वृद्धि (+) कमी (—)	प्रतिशत कमी
मध्य	62.34	77.62	+ 15.28	+ 24.51
पूर्व	45.13	51.92	+ 6.76	+ 15.04
उत्तर	74.11	63.41	— 10.70	— 14.44
पूर्वोत्तर	7.47	13.24	+ 5.77	+ 77.24
पूर्वोत्तर सीमा	9.78	11.68	+ 1.90	+ 19.43
दक्षिण	24.26	34.10	+ 9.84	+ 40.56
दक्षिण मध्य	31.53	47.46	+ 15.93	+ 50.52
दक्षिण पूर्व	63.22	77.51	+ 14.29	+ 22.60
पश्चिम	49.11	68.69	+ 19.58	+ 39.87
जोड़	366.95	445.63	+ 78.68	+ 21.44

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का क्रियान्वयन

4292. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित 14 मुद्दों को क, ख और ग तीनों श्रेणियों के राज्यों के लिये द्विभाषी रूप में क्रियान्वित करने का प्रवधान है ;

(ख) यदि हां, तो क, ख और ग राज्यों में स्थित उनके मत्रालय, विभागों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों द्वारा वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान धारा 3(3) की क्रियान्विति की प्रतिशतता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) तीनों श्रेणियों के राज्यों में उक्त सभी चौदह मुद्दों को शत-प्रतिशत द्विभाषी करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(घ) इन कठिनाइयों पर नियंत्रण पाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बन्दरगाहों पर भारतीय जहाजों को परेशान किया जाना

4293. **श्री के० प्रधानी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बन्दरगाहों पर भारतीय जहाजों को मामूली कारणों से परेशान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई उपयुक्त कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के पत्तन पर भारतीय पोत मालिकों को मामूली कारणों से तंग किये जाने के सम्बन्ध में अभी तक उनसे कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

ईरान को भारत की सहायता

4294. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान सरकार द्वारा अपनी विभिन्न परियोजनाओं के पुन: निर्माण के लिये भारत से सहायता का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते, इत्यादि सहित उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनके लिये सहायता का अनुरोध किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वल्लाल धिपि स्थल संग्रहालय

4295. **श्री रेणुपद दास** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वल्लाल धिपि में वर्तमान उत्खनन स्थल से निकली वस्तुओं के प्रदर्शन के लिये एक स्थल संग्रहालय बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो दुर्लभ वस्तुओं के प्रदर्शन के अन्य विकल्प क्या हैं; और

(ग) इन्हें किस प्रकार सुरक्षित रखा जाएगा, प्रदर्शित किया जायगा और विद्वानों द्वारा किस प्रकार उपयोग में लाया जायेगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) दुर्लभ वस्तुओं और पुरावशेषों के संरक्षण, प्रदर्शन तथा विद्वानों को उनके अध्ययन हेतु सुविधाएं देने का प्रश्न उस स्थल पर चल रहे खुदाई काय के अन्तिम रूप से समाप्त होने के बाद ही उठेगा।

वल्लाल धिपि में अनावृत्त इमारतों का संरक्षण

4296. **श्री रेणुपद दास** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वल्लाल धिपि में की गई खुदाई के दौरान हाल ही की खोजों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो अनावृत्त इमारतों के संरक्षण के लिये क्या संरक्षणात्मक उपाय किये गये हैं; और

(ग) उनके संरक्षण और रखरखाव के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) अनावृत्त संरचनाओं के संरक्षण के लिए किए गए संरक्षणात्मक उपाय निम्नलिखित हैं :—

1. ईंटों वाली संरचना को सुर्खी-चूने से सुदृढ़ करना ताकि वर्षा का जल इसमें रिसने न पाये और सहज जल निकास के लिए नाली की व्यवस्था करना।
2. अनावृत्त संरचना में खाली जगहों को भरने के लिए विशेष प्रकार की ईंटों को मिश्रित मसाले के जरिए बैठाना; और
3. अनावृत्त दीवारों में चूना कंक्रीट बिछाकर ईंटों का कंचुक बैठाना।

(ग) फिलहाल, रात-दिन पहरे व निगरानी की व्यवस्था की गई है। अनावृत्त संरचना के उचित संरक्षण के लिए आवश्यक संरक्षणात्मक उपाय किये गये हैं।

वल्लाल धिपि की खुदाई

4297. **श्री रेणुपद दास** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो सत्रों 1982-83 और 1983-84 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य के वल्लाल धिपि में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा करवाई गई खुदाई में मुख्य रूप से क्या प्राप्त हुआ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र की खुदाई का भावी कार्यक्रम क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) वल्लाल धिपि में वर्ष 1982-83 और 1983-84 के कार्य मौसमों के दौरान कराये गये उत्खनन से एक विशाल ईंटों का मन्दिर प्रकाश में आया है, जिसका निर्माण काल लगभग 10-11वीं ईसा शताब्दी है, जिसका तलछन्द कोणाकार, ऊर्ध्वछन्द पिरामिडाकार है और चारों ओर विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। इस मन्दिर परिक्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जल, निकास की व्यवस्था में एक मकर मुखी प्रणाल से हो कर ईंटों के वृत्ताकार कुण्ड में गिरता है। अनावृत्त अन्य पुरावशेषों में ताम्र की वस्तुएं—जैसे :—दीये, कलछी और ढक्कन, गच शीर्ष और एक प्रस्तर की मूर्ति शामिल है।

(ग) वर्तमान कार्य मौसम के परिणामों की समीक्षा करने के बाद इस स्थल पर भविष्य में उत्खनन कराये जाने का कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।

पांचवीं तथा छठी योजनाओं में बिछाई गई रेलवे लाइनें

4298. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना से छठी पंचवर्षीय योजना तक की अवधि के दौरान 1 मार्च, 1984 तक बिछाई गई विभिन्न गेजों की रेलवे लाइनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) :

पहली पंचवर्षीय योजना से छठी पंचवर्षीय योजना (1-3-84 तक) की अवधि के दौरान खोली गई नई रेल लाइनों का राज्य-वार और आमान-वार ब्यौरा

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	किलोमीटर		
	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	छोटी लाइन
1. आंध्र प्रदेश	362.35	—	—
2. असम	106.00	355.15	—
3. बिहार	496.58	183.28	—
4. गुजरात	317.89	456.71	11.29
5. हरियाणा	120.82	3.00	—
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	81.11
7. जम्मू और कश्मीर	83.37	—	—
8. कर्नाटक	119.34	271.67	—
9. केरल	125.75	155.35	—
10. मध्य प्रदेश	1,003.03	59.84	—
11. महाराष्ट्र	204.25	242.45	—
12. उड़ीसा	659.24	—	—
13. पंजाब	88.61	—	—
14. राजस्थान	27.56	391.72	—
15. तमिलनाडु	145.99	376.34	—
16. त्रिपुरा	—	15.00	—
17. उत्तर प्रदेश	786.72	29.30	—
18. पश्चिम बंगाल	573.26	7.95	—
19. चण्डीगढ़	6.08	—	—
20. दिल्ली	57.36	—	—
21. गोवा	—	22.53	—

गाड़ियों का विलम्ब से चलना

4299. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाड़ियों के विलम्ब से चलने के क्या कारण हैं तथा उनका समय से चलना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) फरवरी, 1984 में भोपाल स्टेशन पर 16 अप जी० टी० एक्सप्रेस तथा नागदा स्टेशन पर 25 डाउन बम्बई डीलक्स, पृथक्-पृथक् रूप से कितने दिन विलम्ब से पहुंची तथा कितने दिन समय पर पहुंची और इन गाड़ियों के विलम्ब से चलने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) खतरे की जंजीर खींचने, शरारती तत्वों की गतिविधियों, होस पाइप अलग करने, दुर्घटनाओं, जन-आन्दोलनों, वर्षा/लाइन में दरारें पड़ने, चल-स्टाक की खराबी, सिगनलों में खराबी/त्रुटि तथा अन्य परिचालनिक खराबियों के कारण कुछ गाड़ियां देरी से चलती हैं। रेलवे बोर्ड कार्यालय में खोले गये विशेष सैल में 220 महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन निष्पादन की निगरानी दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जाती है। गाड़ियों के समय से चलने से सम्बन्धित मामलों पर महा प्रबन्धकों और मण्डल रेल प्रबन्धकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जा रहा है। खतरे की जंजीर खींचने, होस पाइप अलग करने तथा असामाजिक तत्वों की अन्य गतिविधियों की रोक-थाम करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार के साथ सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

(ख) फरवरी, 1984 के दौरान, 16 अप नयी दिल्ली-मद्रास जी० टी० एक्सप्रेस भोपाल में 7 दिन सही समय पर पहुंची और कुहरे वाले मौसम, खतरे की जंजीर खींचने, सिगनल और दूर-संचार में खराबी/त्रुटि हो जाने तथा अन्य परिचालनिक खराबियों के कारण 22 दिन विलम्ब से पहुंची तथा 25 डाउन बम्बई सेंट्रल-नयी दिल्ली वातानुकूल एक्सप्रेस नागदा में 13 दिन सही समय पर पहुंची और दुर्घटना, खतरे की जंजीर खींचने तथा यांत्रिक त्रुटियों आदि के कारण 7 दिन विलम्ब से पहुंची।

चित्तौड़गढ़, नीमच, रतलाम, इन्दौर, खंडवा, नागदा और उज्जैन में रेल कर्मचारियों को आवास

4300. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तौड़गढ़, नीमच, रतलाम, इन्दौर, खंडवा, नागदा, उज्जैन मुख्यालयों सहित पश्चिमी रेलवे के सम्पूर्ण रेलवे डिविजन में 1 मार्च, 1984 को कुल कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है तथा इनमें से श्रेणी-वार कितने कर्मचारियों को रेलवे आवास आवंटित किए गए हैं;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित बिना आवास वाले कर्मचारियों को आवास प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) रेल कर्मचारियों को आवास देने की योजना और नीति को किस प्रकार लागू किया जा रहा है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ह्यून सांग मेमोरियल

4301. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालन्दा (बिहार) में ह्यून सांग मेमोरियल का काम पूरा हो गया है तथा उसने काम करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस मेमोरियल द्वारा कैसी और क्या गतिविधियां चलाई जा रही हैं तथा परियोजना की कुल लागत क्या है और उसके प्रबन्ध मण्डल का स्वरूप क्या है; और

(ग) इसके किस तारीख तक पूरा हो जाने की सम्भावना है तथा निर्माण कार्य किस तारीख को शुरू हुआ था और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) अब तक जिस कुल व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है, वह 35.55 लाख रुपए हैं। स्मारक अब पूरा होने के अन्तिम चरणों में है।

(ग) भू-दृश्य-निर्माण आदि को अन्तिम रूप देने जैसे कार्य को छोड़कर स्मारक लगभग पूरा हो गया है। निर्माण कार्य वर्ष 1961 में शुरू किया गया था जिसमें स्मारक हाल की छत के बाहरी भाग को ढकने के लिए जापान से चमकदार फिरोजी नीली छत्त की टाईल के आयात में देरी होने के कारण पर्याप्त विलम्ब हो गया था।

राज्यों द्वारा 10+2 प्रणाली का अपनाया जाना

4302. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर**
श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने स्कूलों के लिए 10+2 शिक्षा प्रणाली को अपनाया है तथा इसे उन्होंने कौन सी तारीख से अपनाया है;

(ख) शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसको कौन सी तारीखों से क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने इस प्रणाली को विचार करने में अपनी पूरी असमर्थता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा इस प्रणाली को न अपनाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में स्कूली शिक्षा के लिए एक समान प्रणाली अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 17 राज्यों और 9 संघ शासित क्षेत्रों ने स्कूलों के लिए 10+2 पद्धति को अपनाया है। वे हैं :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. जम्मू और कश्मीर
6. कर्नाटक

(···जारी)

7. केरल
8. महाराष्ट्र
9. मणिपुर
10. मेघालय
11. नागालैंड
12. उड़ीसा
13. सिक्किम
14. तमिलनाडु
15. त्रिपुरा
16. उत्तर प्रदेश
17. पश्चिम बंगाल
18. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
19. अरुणाचल प्रदेश
20. चण्डीगढ़
21. दादरा और नागर हवेली
22. दिल्ली
23. गोवा, दमन और दीव
24. लक्षद्वीप
25. मिजोरम
26. पांडिचेरी

जिस तारीखों से पद्धति को अपनाया गया है उससे सम्बन्धित सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ख) शेष राज्य/संघ शासित क्षेत्र कब से इस परिवर्तन को कार्यान्वित करेंगे, इसके बारे में अभी कोई अन्तिम तारीखें निर्धारित नहीं की गई हैं। दिनांक 5 और 6 जनवरी, 1983 को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों के सम्मेलन में यह आग्रह किया गया था कि राज्यों को 1984-85 के शैक्षणिक सत्र से पहले +2 पद्धति को अपनाना चाहिए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) स्कूल शिक्षा मूलरूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और अधिकांशत: इसका प्रबन्ध वही करती है। भारत सरकार राज्य सरकारों से समय-समय पर एक जैसी शिक्षा पद्धति अपनाने की सिफारिश करती रही है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने भी "दस वर्षीय स्कूल पाठ्यचर्या—एक ढांचा" राज्यों द्वारा अपनाने/अनुकूल के लिए तैयार किया है।

रेल किराये में वृद्धि का रेलवे की आमदनी पर प्रभाव

4303. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे की कुल आय (यात्री किरायों से) पर, किरायों में वृद्धि अथवा यात्रियों की कतिपय श्रेणियों के किरायों में वृद्धि के प्रभाव का विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि रेलवे को लाभ केवल तभी होता है, जबकि रेल यात्री किराए प्रचलित बस किरायों की तुलना में कम हों तथा 50 किलोमीटर से कम यात्रा के लिए किसी भी खंड में सड़कों पर बस सेवाएं उपलब्ध हों;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार यात्रियों के लिए यात्रा किराए ढांचे को इस तरह तैयार करेगी कि जिससे सस्ती रेल यात्रा सेवा सुनिश्चित हो सके तथा यात्रियों को रेल छोड़कर सड़क परिवहन की ओर जाने से रोक कर उससे होने वाले सम्भव घाटे को दूर किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो यह किस तारीख तक सुनिश्चित किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) संसाधन लागतवार, कम दूरी के यातायात की ढुलाई के लिए रेल से भिन्न परिवहन-साधनों की व्यवस्था करना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति, रेल दर जांच समिति आदि द्वारा इस नीति की सिफारिश की गई है और सरकार द्वारा इसे मान लिया गया है तथा तैयार की गई किराया-संरचना इसी नीति-गत उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है। इस बात का उल्लेख अभी हाल में अनेक बजट भाषणों में भी किया गया है। किराया संरचना को, इस नीति-गत उद्देश्य के विपरीत, पुनः समंजित करने का प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद डिवीजन में कार्यरत इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरों का स्थानान्तरण

4304. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद डिवीजन में ऐसे कितने वरिष्ठ डिवीजनल इलैक्ट्रिकल इन्जीनियर अथवा डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इन्जीनियर हैं जो इस डिवीजन में 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार एक डिवीजन में अधिकारीगण लगातार केवल 5 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं; यदि हां, तो इन इन्जीनियरों का दस वर्ष तक एक ही डिवीजन में बने रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इन अधिकारियों का शीघ्र स्थानान्तरण करेगी जिन्होंने निर्धारित नियमों के अन्तर्गत एक स्टेशन पर रहने की अवधि पूरी कर ली है।

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) दो। वे इलाहाबाद मण्डल पर विभिन्न क्षमता में कार्यरत हैं।

(ख) किसी विशेष मण्डल पर अधिकारियों के तैनात रहने की अवधि के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

यात्री डिब्बों और माल डिब्बों को बदलना

4305. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1984 तक कितने रेल यात्री डिब्बों और माल डिब्बों को तुरन्त बदलना आवश्यक था, तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1983-84 में कितने रेल यात्री डिब्बों और माल डिब्बों को बदलना आवश्यक है;

(ग) वर्ष 1983-84 में कितने रेल यात्री डिब्बों और माल डिब्बों को बदला जायेगा;

(घ) सभी टूटे-फूटे और बेकार माल डिब्बों और यात्री डिब्बों को बदलने हेतु कितनी धनराशि की जरूरत है और वर्ष 1983-84 में कितनी धनराशि की आवश्यकता है और अब तक कितनी धनराशि दी गयी है; और

(ङ) क्या यह सच है कि बेकार हुए माल डिब्बों और यात्री डिब्बों की संख्या में वृद्धि हो रही है, यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) माल डिब्बों और सवारी डिब्बों के बदलाव की योजना चल स्टाक की निर्धारित आयु के आधार पर बनाई जाती है लेकिन अलग-अलग किस्म के स्टाक की हालत के आधार पर उन्हें नकारा किया जाता है। अग्रिम योजना बनाने के लिए निर्धारित आयु के आधार पर चल स्टाक से सम्बन्धित सूचना वित्त वर्ष वार रखी जाती है न कि महीना वार। 31-3-83 को गतायु माल डिब्बों और सवारी डिब्बों की संख्या तथा 1983-84 के दौरान गतायु होने वाले और सवारी डिब्बों की संख्या तथा 1983-84 के दौरान गतायु होने वाले माल और सवारी डिब्बों की संख्या नीचे दी गयी है :—

माल डिब्बे		31-3-83 को गतायु	1983-84 में गतायु होने वाले
(चौपहियों के हिसाब से)	ब० ला०	25492	2140
	मी० ला०	6196	137
	छो० ला०	3948	—
सवारी डिब्बे			
(यात्री ढोने वाले वाहन)	ब० ला०	722	545
	मी० ला०	983	242
	छो० ला०	399	35

(ग) 1983-84 के दौरान बनाये जाने वाले माल डिब्बों और सवारी डिब्बों की संभावित संख्या नीचे दी गई है :—

माल डिब्बे		
(चौपहियों के हिसाब से)	ब० ला०	16202
	मी० ला०	400
	छो० ला०	—
सवारी डिब्बे		
(यात्री ढोने वाले वाहन)	ब० ला०	1150
	मी० ला०	100
	छो० ला०	50

(घ) लेकिन सभी माल डिब्बों और सवारी डिब्बों, जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता है, का बदलाव अपेक्षित नहीं होता है। जो चल स्टाक मरम्मत की दृष्टि से किफायती होता है उसकी मरम्मत करके सेवा में लगा दिया जाता है। केवल वे ही माल डिब्बे और सवारी डिब्बे, जो मरम्मत की दृष्टि से अलाभप्रद होते हैं, नकारा कर दिये जाते हैं। नकारा किये गये माल डिब्बों और सवारी डिब्बों के बदलाव की योजना वार्षिक चल स्टाक कार्यक्रम के आधार पर बनाई जाती है।

(ङ) जी नहीं।

रेल इन्जनों की क्षमता का उपयोग

4306. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाप, डीजल और बिजली से चलने वाले रेल इन्जनों की अलग-अलग क्षमता का उपयोग 1 जनवरी, 1984 तक प्रतिदिन चलने वाले घण्टों के रूप में अथवा अन्य किसी रूप में कितना होता रहा है, और इस बारे में तथ्य क्या हैं;

(ख) उपरोक्त के लिए अधिकतम कितनी क्षमता का उपयोग होना चाहिए था;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले दस वर्षों से रेल इन्जनों की क्षमता के उपयोग में कमी आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 1982-83 के दौरान इस्तेमाल के लिये प्रति-दिन प्रति इन्जन उपलब्ध चालित घण्टे इस प्रकार थे :—

	भाप	डीजल	बिजली
बड़ी लाइन	10.2	18.9	19.3
मीटर लाइन	8.69	18.8	13.5

(ख) लाइन पर डीजल और बिजली रेल इन्जनों का अनुकूलतम उपयोग करने का लक्ष्य प्रतिदिन प्रति इन्जन 18.9 घण्टे है। भाप रेल इन्जनों के सम्बन्ध में इस प्रकार का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया यह है कि कैलेण्डर दिन के आधार पर 15% निष्क्रियता की अनुमति है और इस्तेमाल के लिए उपलब्ध प्रतिदन प्रति इन्जन चालित घंटे लगभग 8 से 11 घण्टे हैं।

(ग) दस साल पहले अर्थात् 1972-73 के दौरान इस्तेमाल के लिए उपलब्ध प्रतिदिन प्रति इन्जन चालित घण्टों के तदनुरूपी आंकड़े इस प्रकार थे :—

	भाप	डीजल	बिजली
बड़ी लाइन	11.9	18.9	16.9
मीटर लाइन	10.3	16.0	21.1

जहां तक भाप रेल इन्जनों का सम्बन्ध है, उत्तरोत्तर बढ़ते हुए डीजलीकरण/विद्युतीकरण के कारण भाप रेल इंजनों के उपयोग में गिरावट आना अपरिहार्य है जिसके परिणामस्वरूप भाप रेल इन्जनों को कम महत्वपूर्ण सेवाओं में लगाया जाने लगा है। डीजल और बिजली रेल इंजनों के उपयोग के आंकड़ों में सुधार हुआ है।

(घ) डीजल और बिजली रेल इंजनों के उपयोग में और सुधार लाने के उद्देश्य से निम्न-लिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) गाड़ियों को उपयुक्त क्रम देना तथा माल गाड़ियों के लिए समय सारणी बनाना।

(2) जिन माल गाड़ियों को जो रेल इन्जन कर्षित कर रहे हों उन्हीं रेल इन्जनों से माल गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाना।

(3) रेल इंजनों के खाली खड़े रहने के घण्टे तथा रेल इंजनों को खाली चलाना न्यूनतम करने के लिए डीजल और बिजली रेल इन्जनों पर कारगर ढंग से निगरानी करना।

(4) रुकावटों को कम करने के उद्देश्य से कर्मियों के अदला-बदली वाले स्थानों पर कर्मी अति-व्याप्ति की व्यवस्था ।

(5) माल गाड़ियों की औसत रफ्तार बढ़ाने के लिए भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों का बाई-पास करते हुए थ्रू माल गाड़ियां चलाना ।

(6) रेल इन्जनों के नियमित फेरे तथा होम शेड की बजाय निकटतम लोको शेडों में रेल इंजनों की नैमी जांच करने के लिए साप्ताहिक अनुरक्षण अनुसूचियां बनाना ।

(7) रेल इन्जनों की खराबियां, आदि कम करने के लिए शेडों में रेल इन्जनों का निवारक और आवधिक अनुरक्षण गहन करना ।

जनसंख्या योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रबन्ध को मजबूत करना

4307. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषित और परिवार नियोजन पर जोर देने के लिए व्यापक मूल आवश्यकता संबंधी दृष्टिकोण के अन्तर्गत कोई जनसंख्या केन्द्रित समेकित सामुदायिक विकास कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं, और परिवार नियोजन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ग) क्या उनका ध्यान जनसंख्या कार्यक्रम के प्रबन्ध मंडल की अन्तर्राष्ट्रीय समिति के कार्यकारी निदेशक के 19 फरवरी, 1984 के उस कथन की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो प्रबन्धक और डाक्टर किसी दूसरे सरकारी क्षेत्र और चिकित्सा कार्यों के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त होते हैं उन्हें परिवार नियोजन विभागों में भेज दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है और जनसंख्या योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रबन्ध मंडल को मजबूत करने हेतु उनका क्या विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं को पोषण और परिवार नियोजन के साथ मिला दिया गया है और लोगों की ये सेवाएं समग्र स्वास्थ्य परिचर्या के एक अंग के रूप में प्रदान की जा रही है। इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों, उपकेन्द्रों, ग्रामीण अस्पतालों आदि का तथा शहरी क्षेत्रों में अस्पतालों, प्रसूति गृहों, बाल चिकित्सा, यूनिटों, नवजात यूनिटों, शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों, जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य केन्द्रों और प्रसवोत्तर केन्द्रों आदि का एक बड़ा जाल सा बिछा दिया गया है ।

चालू योजनावधि में परिवार नियोजन के लिए 1984-85 तक 240.0 लाख नसबन्दी आपरेशन, 770 लाख आई० यू० टी० निवेशन और 110 लाख प्रचलित गर्भनिरोधक तथा खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ताओं (समीकृत) के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ।

(ग) और (घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम को स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ मिला दिया गया है तथा विभिन्न चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्मिक इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में काम करने वाले व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों के लोग होते हैं ।

इन लोगों की व्यावसायिक और प्रबन्ध सम्बन्धी कुशलता को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजक किया जा रहा है ।

दिवा-बसई रेलवे लाइन को दोहरा बनाना

4308. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे प्राधिकारियों ने यह घोषणा की है कि दिवा-बसई रेलवे लाइन का उपयोग केवल माल ढोने के लिए किया जायेगा तथा जब तक लिंक लाइन एकल (सिंगल) है, उस पर कोई सवारी गाड़ी चलाई जा सकती है;

(ख) क्या सिंगल लाइन लिंक को डबल लाइन में परिवर्तित करने की रेलवे की कोई योजनाएं है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यह सिंगल लाइन लिंक इस बात के अतिरिक्त इस लाइन पर सवारी गाड़ी न चलाने में और क्या विशिष्ट कठिनाइयां है; और

(ङ) इन कठिनाइयों को दूर करने तथा इस लिंक लाइन पर सवारी गाड़ी चलाने के सम्बन्ध में रेलवे द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) दीवा-बसई लाइन को केवल माल यातायात के लिए खोला गया है। लेकिन यात्री गाड़ियां न चलाने का कारण यह नहीं है कि यह खंड इकहारी लाइन खंड है। इस रेल सम्पर्क पर यात्री गाड़ियां चलाने के लिए अव-संरचना सम्बन्धी अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गयी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) यात्री गाड़ियां चलाने के लिए ई० एम० यू० रेकों और अनेक अन्य अव-संरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता होगी, जो रेलों के पास नहीं है। संसाधनों के अभाव में, निकट भविष्य में यात्री गाड़ियां चलाने के लिए अनिवार्य अपेक्षित सुविधाओं का विकास करना सम्भव नहीं है।

नौवहन और परिवहन के मन्त्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लाभ/घाटा

4309. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक उप-क्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980, 31 मार्च, 1981, 31 मार्च, 1982 और 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्षों में (एक) अधिकृत और जारी की गई/स्वीकृत पूंजी (दो) भंडार (तीन) अस्तियां (चार) बही खाते की धनराशि (पांच) अर्जित लाभ अथवा उनको हुए घाटे का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड
2. मुगल लाइन लिमिटेड

3. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
4. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
5. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम
6. भारतीय निकर्षण निगम
7. भारतीय सड़क निर्माण
8. दिल्ली परिवहन निगम

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

बम्बई-पुणे सिंहगढ़ एक्सप्रेस को धौंड तक बढ़ाया जाना

4310. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पुणे सिंहगढ़ एक्सप्रेस को धौंड स्टेशन तक ले जाए जाने के बारे में सेन्ट्रल रेलवे के महाप्रबन्धक को प्रवासी व्यास पीठ, दैनिक तरुण भारत पुणे से एक प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो कब और इस मांग के समर्थन में क्या कारण दिए गए हैं; और

(ग) रेल विभाग ने इस बारे में क्या फैसला किया है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी हां । पुणे और धोंड के बीच दैनिक यात्रियों के साथ-साथ अहमदाबाद, वारामती और वालचन्द नगर से बम्बई जाने वाले यात्रियों के लिये भी 309/310 बम्बई-पुणे सिंहगढ़ एक्सप्रेस को धोंड से/तक बढ़ाने के बारे में दिसम्बर, 1983 में प्रवासी व्यासपीठ, दैनिक तरुण भारत, पुणे से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था ।

(ग) 309/310 बम्बई-पुणे सिंहगढ़ एक्सप्रेस एक अति लोकप्रिय और भीड़-भाड़ वाली गाड़ी है । इसको धोंड तक बढ़ा देने से पुणे की यात्री जनता इस समय पुणे से प्रारम्भ होने वाली गाड़ी से वंचित हो जायेगी इसलिए यह वांछनीय नहीं है ।

कारजत रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं

4311. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाप्रबन्धक, मध्य रेलवे को प्रवासी व्यासपीठ डेली तरूण भारत पुणे से कारजत रेलवे स्टेशन पर अपर्याप्त यात्री सुविधाओं के बारे में शिकायतें/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कब और क्या शिकायत की गई हैं/क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी हां । कारजत रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर शौचालय ब्लाकों और मूत्रालयों को बन्द करने तथा बैन्चों की संख्या कम होने के सम्बन्ध में 3-12-83 के मराठी दैनिक "तरूण भारत" में प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट की संलग्न प्रति के साथ प्रवासी व्यासपीठ दैनिक तरूण भारत से एक पत्र मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक को प्राप्त हुआ था ।

(ग) अप प्लेटफार्म के शौचालय ब्लाक को मरम्मत के पश्चात् पुनः खोल दिया गया है ।

इस स्टेशन के अप और डाउन प्लेटफार्मों, प्रतीक्षा कक्ष/प्रतीक्षालयों में बैन्चों की संख्या पर्याप्त समझी जाती है।

गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति

4312. श्री चिन्तामणि जेना : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ख) वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान ऐसे राज्यों में विशेष रूप से उड़ीसा में राज्य योजना के अन्तर्गत और केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत कितने-कितने पदों का सृजन किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आवंटित पदों में से कितने पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है;

(घ) क्या यह सच है कि उक्त अवधि के दौरान सभी स्वीकृत पदों को भरा नहीं गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और शेष पदों को भरने के लिए क्या अनुदेश जारी किये जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) "गैर हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्तियों" की योजना के अन्तर्गत" गैर हिन्दी भाषी राज्य सरकारों को, हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए, केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस योजना को व्यापक मात्रा में कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों को शामिल करने की दृष्टि से 50:50 के आधार पर खर्च वहन किया जाता है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जगन्नाथ मंदिर के आधुनिकीकरण की योजना

4313. श्री चितामणि जेना : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में ऐतिहासिक जगन्नाथ मन्दिर की प्रबन्ध समिति ने जगन्नाथ मन्दिर के आधुनिकीकरण की एक योजना भारतीय पुरातत्व विभाग को स्वीकृति के लिए भेजी है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होगा;

(ग) उक्त योजना कब प्रस्तुत की गई थी; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दक्षिण अण्डमान में अन्धा डेरा पर पुल

4315. श्री अजित बागे : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्धा डेरा, दक्षिण अण्डमान में दस वर्ष पूर्व एक पुल गिराया गया था और अभी तक नहीं बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस पुल को गिराये जाने के कारण इस मार्ग पर बम्बू फ्लेट से और बम्बू फ्लेट तक बस सेवा रद्द कर दी गई थी;

(घ) क्या सरकार को स्कूल जाने वाले बच्चों और दूसरे लोगों की कठिनाइयों के बारे में जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो केम्प के नजदीक सड़क तक बस सेवा चलाने और इस पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने हेतु क्या कार्यवाही की जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) से (ङ) जी नहीं। इस पुल में 15 स्लूईस गेट हैं, उसे भारी वाहनों के आयात के लिए बन्द कर दिया गया न कि तोड़ दिया गया है क्योंकि यह क्षतिग्रस्त बुनियाद और भूकंप के बाद दरारें पड़ जाने से असुरक्षित हो गया था। चूंकि इस सड़क पर कोई बस सेवा नहीं चल रही थी, इसलिए इस सेवा को रद्द करने का प्रश्न ही नहीं होता। मौजूदा पुल के साथ-साथ स्लूईस गेट वाले नए पुल का निर्माण किया जा रहा है और यह लगभग पूरा हो गया है।

फिशरमैन कालोनी होकर जंगलीघाट जेट्टी से डेरी फार्म तक सड़क का निर्माण

4316. **श्री अजित बाग** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में फिशरमैन कालोनी होकर जंगलीघाट से डेरी फार्म तक सड़क को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) और (ख) डेयरी फार्म पहले से ही पक्की सड़क द्वारा जंगलीघाट जेट्टी के साथ जुड़ा है। हालांकि मुख्यतः पैदल यात्रियों के लिए समुद्र के किनारे-किनारे फिशरमैन कालोनी होकर जंगलीघाट जेटी से डेयरी फार्म तक एक सड़क निर्मित करने का प्रस्ताव है। सड़क आधा किलोमीटर लम्बी है और इसके निर्माण का काम चल रहा है।

नोर प्लांट इंप्लांटों का निर्माण

4317. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जनसंख्या सलाहकार परिषद् ने "नोर प्लांट इंप्लांटों" के बड़ी संख्या में निर्माण के लिए फिनलैंड स्थित एक इण्टरनेशनल फर्मास्युटिकल संगठन के साथ एक करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तान द्वारा नए हवाई अड्डों का निर्माण

4318. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान की उन योजनाओं की कोई सूचना प्राप्त हुई है जिसमें वह अगले पांच वर्षों के दौरान सात नये हवाई अड्डों का निर्माण कर रहा है जिसमें से एक हवाई पट्टी पाक-अधिकृत काश्मीर में मुजफ्फराबाद में होगी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की स्थिति सुविदित है। पाक-अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान की कोई कानूनी स्थिति नहीं है और एक ऐसे क्षेत्र में, जो भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान की कोई ऐसी कार्रवाई गैर-कानूनी है और भारत की सुरक्षा पर इसका प्रभाव पड़ता है।

देश में मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग

4319. **श्री धर्मदास शास्त्री**
श्री के० लकप्पा } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों की संख्या में प्रतिवर्ष 2 की दर से वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं के अपर्याप्त होने के कारण मानसिक रूप से अस्वस्थ्य लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की अस्वस्थता को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) मानसिक अस्वस्थता की व्याप्तता अथवा प्रकोप दर के बारे में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है जिससे यह पता चले कि ऐसे रोगियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। वैसे, सामान्यतया यह समझा जाता है कि मानसिक अस्वस्थता के लिए परिस्थिति जन्य कारणों में से एक कारण प्रसूति और शिशु परिचर्या की कमी है। भारत सरकार ने संस्थाओं तथा परिसरीय स्तरों पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठा लिए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में सुधार करने तथा समन्वित बाल विकास योजना को चलाने से भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

कलकत्ता पत्तन पर कनटेनर ट्रैफिक स्टेशन टर्मिनल बनाने तथा पुराने पड़ चुके उपकरणों को बदलने का प्रस्ताव

4320. **श्री नीरेन घोष** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन पर कनटेनर ट्रैफिक स्टेशन टर्मिनल बनाने तथा पुराने पड़ चुके उपकरणों के बदलने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां कनटेनर ट्रैफिक टर्मिनल बन गया है;

(ग) क्या वहां पुराने पड़ चुके उपकरणों को बदल दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) और (ख) जी हां, कलकत्ता में एक कनटेनर टर्मिनल बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। कलकत्ता पत्तन पर पुराने पड़ चुके उपस्करणों को बदलने की योजना को मंजूरी अलग से दी गई है।

(ग) और (घ) पुराने उपस्करों के बदले में पत्तन ने 6 टन क्षमता वाली 7 और 10 टन क्षमता वाली 2 मोबाइल क्रेनें खरीदी हैं। 3 टन वाले 8 ट्वार्फ और विद्युत क्रेनों को खरीद करने के लिए आर्डर भी दिए गए हैं।

कलकत्ता और हल्दिया बन्दरगाह के डुबाव को गहरा करने के कार्य में प्रगति

4321. **श्री नीरेन घोष** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता और हल्दिया बन्दरगाह के डुबाव को गहरा करने की योजना में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या डुबाव में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) बलारीबार में धारा के विपरीत दिशा में बनाए जाने वाली 2800 मीटर गाइडवाल में से डिजाइन के अनुसार नदी तल से लगभग 5 मीटर ऊंची लगभग 1800 मीटर लम्बी दीवार बनाई जा चुकी है।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 1982 से फरवरी, 1984 की अवधि में नेवीगेशन ट्रेक के कुछ भागों में डुबाव में 0.3 मीटर से भी अधिक सुधार हुआ ही है। जनवरी, 1984 की तुलना में बलारीबार के अधिकांश भाग में सुधार हो रहा है।

बैतूल रेल स्टेशन पर पैदल पार पुल

4322. **श्री गुफरान आजम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में बेतूल रेल स्टेशन पर एक पैदल पार पुल निर्माणाधीन हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त पुल का पहला और आखिरी छोर प्लेटफार्मों पर हैं;

(ग) क्या रेलवे स्टेशन की सभी पस्थ कालोनी के निवासियों ने जनवरी, 1984 में बम्बई सर्कल के महाप्रबन्धक का लगभग चार घण्टों के लिये घेराव किया था और उक्त पैदल पारपुल के निर्माण को कालोनी तक बढ़ाने के लिये एक ज्ञापन दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) बेतूल में दोहरी लाइन बिछाने की परियोजना के भाग के रूप में एक ऊपरी पैदल पुल निर्माणाधीन है।

(ख) प्रस्तावित ऊपरी पैदल पुल प्लेटफार्मों को जोड़ेगा और इसकी व्यवस्था रेल यात्रियों के उपयोग के लिए की जा रही है।

(ग) महाप्रबन्धक, मध्य रेलवे को उनके निरीक्षण के दौरान 23-1-84 को एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें कालोनी को जोड़ने के लिए इस ऊपरी पैदल पुल का विस्तार करने का अनुरोध किया गया था।

(घ) सामने की ओर से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए सभी रेलपथों पर गुण-दोष के आधार पर ऊपरी पैदल पुल का विस्तार करने का निर्णय किया गया है।

बंदेल और नेहाटी के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाना

4323. **प्रो० रूप चंद पाल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे में इस समय बंदेल और नैहाटी के बीच कितनी रेल गाड़ियां चल रही हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस लाइन पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए रेल गाड़ियों की संख्या बढ़ाने का है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) बन्देल और नैहाटी के बीच इस समय उन्नीस जोड़ी गाड़ियां चल रही हैं।

(ख) जी नहीं।

बलरामवती (पश्चिम बंगाल) पर उप-मार्ग

4324. **प्रो० रूप चन्द्र पाल** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि हाबड़ा-बर्दवान बड़ी लाईन पर बलरामबती पर एक उप-मार्ग बनाने के लिए पश्चिम बंगाल में हरीपाल के स्थानीय व्यक्तियों द्वारा काफी लंबे अर्से से आंदोलन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे लाइन की पश्चिम ओर पूर्वी ओर की बैलगाड़ियों तथा अन्य वाहनों के आने जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक उप-मार्ग के निर्माण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) सरकार को इस बारे में किसी आंदोलन के होने की जानकारी नहीं है। बहरहाल, जनता और वाहनों के पश्चिम से पूर्व की ओर जाने के लिए बलरामबटी के हावड़ा छोर पर एक समपार पहले से ही मौजूद है। इस प्रकार एक उपमार्ग की व्यवस्था का औचित्य नहीं समझा जाता है। इसके अतिरिक्त प्रचलित नियमों के अनुसार, अपेक्षित किसी अतिरिक्त सुविधा पर आने वाली लागत राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वहन करनी होती है। इस आधार पर अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

सौराष्ट्र क्षेत्र में छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्यक्रम

4325. **श्री नवीन रावणी**
श्री मोहनलाल पटेल } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में वीरमगांव-ढव्वा-पोरबन्दर लाइन के अतिरिक्त अन्य छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का और कोई कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

4326. **श्री हरीश रावत** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अन्तर्राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की गई है, और

(ख) यदि हां, तो मन्त्रालय की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) (ख) जी हां। वित्तीय कठिनाइयों और अन्य प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे अधिकतर मामलों में अनुरोध स्वीकार करना संभव नहीं है। छठी योजना (1980-85) में उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में लगभग 1869 किलोमीटर लम्बी 6 राज्य सड़कों को राजमार्ग प्रणाली में जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 को जयपुर से ब्यावर तक बढ़ाया गया है। और पण्डिचेरी जो कि अब तक किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा हुआ था, को राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित कुल 2375 किलोमीटर लम्बी सड़क बनाई गयी और राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई इस समय 31398 किलोमीटर है।

परीक्षाओं को स्थगित करना

4327. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मन्त्रालय में पिछले तीन वर्षों के दौरान अनियमितताओं और अन्य कारणों से विभिन्न पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं को एक से अधिक बार स्थगित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त परीक्षाएं कितनी बार स्थगित की गईं और स्थगन के क्या कारण थे; और

(ग) उनके मन्त्रालय द्वारा इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री ए०बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए रेल सेवा आयोगों द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया में सुधार लाने और उसे सरल एवं कारगर बनाने का प्रस्ताव है। रेल सेवा आयोगों के लिए प्रक्रिया नियमावली का मसौदा पहले ही समेकित किया जा चुका है जिस पर इस मन्त्रालय में विचार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के मन्दिरों से चोरी हुई मूर्तियां

4328. **श्री हरीश रावत** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मन्दिरों से कितनी बहुमूल्य मूर्तियां चोरी हुई हैं;

(ख) क्या मूर्ति चोरों से बरामद की गयी विभिन्न मूर्तियों को संबंधित मन्दिरों में पुनः स्थापित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनका मन्त्रालय इस क्षेत्र के किसी महत्वपूर्ण नगर में इन मूर्तियों के लिए एक संग्रहालय की स्थापना करने पर विचार करेगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में अवस्थित केन्द्र परिरक्षित संस्मारकों से कोई भी बहुमूल्य मूर्ति की चोरी नहीं हुई ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

इज्जत नगर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में भर्ती किये गये कर्मचारी और अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किये गये कर्मचारी

4329. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983 और 1985 में उत्तर रेलवे की इज्जत नगर डिवीजन में कितने नए कर्मचारियों की भर्ती की गई, कितने कर्मचारी सेवा-निवृत हुए तथा कितने कर्मचारी अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत किए गए ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

इज्जत नगर मण्डल में भर्ती किये गये/अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किये गये कर्मचारियों के सम्बन्ध में 22.3.84 को लोकसभा में श्री जयपाल सिंह कश्यप द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4329 के उत्तर से सम्बंधित विवरण ।

	1983		1984	
	श्रेणी-iii	श्रेणी-iv	श्रेणी-iii	श्रेणी-iv
(I) भर्ती किये गये कर्मचारियों की संख्या	89	498	17	13
(II) सेवा-निवृत कर्मचारियों की संख्या	106	156	18	36
(III) अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत किये गये कर्मचारियों की संख्या	16	—	2	—

देश में शराब की दुकानों की संख्या

4330. **श्री राम विलास पासवान** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में 1980 में राज्यवार और 31 दिसम्बर 1983 को शराब की दुकानों की राज्य-वार संख्या क्रमशः कितनी-कितनी थी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल कोरोनरी केयर यूनिट का बन्द किया जाना

4331. **श्री राम विलास पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्र-मंडल देशों की बैठक के समय डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में कोरोनरी केयर यूनिट (सी० सी० यू०) आरम्भ किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह यूनिट अपने उदघाटन के बाद से ही बन्द पड़ा है और यदि नहीं, तो उसमें कितने व्यक्तियों का इलाज किया गया है; और

(ग) यदि यूनिट बन्द पड़ा है तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) नहीं। कोरोनरी केयर यूनिट को पूर्ण रूप से चलाने के लिए अभी सभी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं हो पायी है।

कनाडा में एशियाई डाक्टरों की दशा

4332. **श्री राम विलास पासवान** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 14 फरवरी, 1984 के "पेट्रीओट" में प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट को देखा है कि जिसमें यह बताया गया है कि कनाडा में एशियाई डॉक्टर विशेषकर भारत से गये डॉक्टर वहां डॉक्टरी से भिन्न अन्य छोटे मोटे कार्य कर रहे हैं। और उन्हें वहां उपयुक्त कार्य नहीं मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें वापस बुलाने तथा अच्छे प्रोत्साहन देने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) 14 फरवरी, 1984 को "प्रैट्रियट" में छपी इस खबर को सरकार ने देखा है।

(ख) सरकार ने पहले ही कुछ ऐसे रचनात्मक कदम उठाए हैं कि डॉक्टर देश में ही रहें।

बैंकिंग ब्रांच में पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

4333. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग के बैंकिंग ब्रांच में कुछ प्रतिशत पदों को 1 जनवरी, 1984 से पदोन्नत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पदों के क्रमश: विवरण और प्रतिशत क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि प्रथम श्रेणी के कोचों के कंडक्टरों के पदों को उन्नत किए जाने के मामले में पूर्णत: अपेक्षा बरती गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, जबकि अन्य शाखाओं में 425-640 रुपये के मान के सभी अन्य पदों को उन्नत किया गया है; और

(ङ) क्या प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित कोचों के कंडक्टरों ने इस सम्बन्ध में रेल विभाग को एक ज्ञापन दिया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) इस संवर्ग के लिए निम्नलिखित तालिका में संशोधित प्रतिशत दिया गया है :—

ग्रेड (रु०)	प्रतिशत
260-400	20
330-560	37
425-640	29
550-750	9
700-900	5

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) संशोधित प्रतिशत स्वीकृति करते समय गाड़ी कंडक्टरों के अभ्यावेदनों को ध्यान में रखा गया है।

कल्याण विस्तार परियोजनाओं (शहरी) के उद्देश्य और प्रयोजन और वित्तीय सहायता

4334. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां अभी भी कल्याण विस्तार परियोजनाएं (शहरी) चल रही हैं और इनके उद्देश्य और प्रयोजन क्या हैं; और

(ख) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने वर्ष 1983-84 में इन परियोजनाओं के लिए सहायता या अन्य रूप में कितनी धनराशि दी है और इस धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और यह धन राशि किस आधार पर दी गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) कल्याण विस्तार परियोजनाओं (शहरी) के लिए योजनाबद्ध बजट और राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के आधार पर सहायता स्वीकृत की जाती है। योजना के उद्देश्य और लक्ष्य निम्नलिखित हैं:—

(1) शहरी समुदाय को प्रभावित करने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय लोगों द्वारा पहल करने और नेतृत्व का विकास करना;

(2) स्वास्थ्य शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्रों में कुछ न्यूनतम कल्याण सेवाओं को केन्द्र रूप प्रदान करना जो कि स्वयं सहायता के आधार पर समुदाय के प्रयास का केन्द्र बिन्दु बन सके। स्वयं-सहायता का सिद्धांत इस कार्यक्रम को कार्यरूप प्रदान करने हेतु निर्देशक नियम बन जायेगा।

(3) समुदाय के मध्य इसके सदस्यों के लिए बेहतर जीवन हेतु अवसर उत्पन्न करने के लिए सामूहिक प्रयोजन का विकास करना; और

(4) बेहतर नागरिक सेवाएं और सुखसुविधाएं प्रदान करने और समुदाय के सामाजिक और आर्थिक जीवन को सुधारने के लिये अन्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेंसियों के सहयोग से काम करना।

वर्ष 1983-84 के दौरान 14 मार्च 84 तक परियोजनाओं को स्वीकृत की गई धनराशि और उन स्थानों के नाम जहां पर परियोजनाएं अभी चल रही हैं, को कृपया अनुबन्ध में देखा जाए।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या-एस० टी० 8019/84]

कमोजर रेल फाटकों पर ऊपरी पुल

4335. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश से गुजरने वाली सभी रेल लाइनों में से कितनी रेल लाइनों के फाटकों पर चौकीदार नहीं है;

(ख) क्या बिना चौकीदार के फाटकों को मानव चालित, स्वचालित बनाने और उन पर उपरि पुल बनाने की कोई योजना है; यदि हां, तो अगले पांच वर्षों की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1981, 1982 और 1983 में मध्य प्रदेश में रेल फाटकों पर कितनी दुर्घटनाएं हुईं और इन में कितने व्यक्ति मारे गए; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने दुर्घटना-प्रवण रेल फाटकों पर उपरि पुल बनाने के लिए किसी सहयोग या वित्तीय सहायता का प्रस्ताव रखा है ?

रेल मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) मध्य प्रदेश में बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या लगभग 1763 है।

(ख) रेलें सभी बिना चौकीदार वाले समपारों पर रेल एवं सड़क यातायात की आवधिक गणना करती हैं और जहां कहीं औचित्यपूर्ण होता है चौकीदारों की व्यवस्था करने को अंतिम रूप दे दिया जाता है। रेलवे ने सभी राज्यों में 1600 बिना चौकीदार वाले समपारों को जहां से नियमित रूप से बसें गुजरती हैं और जहां जोखिम की संभावना बनी रहती है को चार वर्ष के चरणबद्ध कार्यक्रम में चौकीदार तैनात करने के लिए चुना है। इनमें से 1200 पर रेलवे की लागत पर चौकीदार तैनात किये जायेंगे और 400 के लिए राज्य सरकारों को प्रारम्भिक लागत वहन करने को कहा जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य में बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या जिनमें चौकीदार तैनात कर दिये गये हैं या किये जायेंगे, नीचे दी गयी है :—

चौकीदार तैनात किये जाने वाले बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या

1982-83	—	22
1983-84	—	35
1984-85	—	17
1985-86	—	15

केवल व्यस्त चौकीदार वाले समपारों के बदले में ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था करने पर विचार किया जाता है।

(ग) दुर्घटना के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं 1980 से 1983 तक प्रत्येक वर्ष के दौरान सीमावर्ती राज्यों के क्षेत्रों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य को सेवित करने वाले 7 रेलवे मंडलों में बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं की संख्या के साथ-साथ इन दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों की संख्या सहित इस प्रकार है :—

वर्ष	बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटानाओं की संख्या	मृत व्यक्ति
1980	6	3
1981	3	—
1982	8	12
1983	6	10

वर्तमान नियमों के अनुसार व्यस्त समपारों के बदले में ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण की 50 प्रतिशत लागत राज्य सरकारों को वहन करनी होती है। मध्य प्रदेश में मुरैना, विदिशा, इटारसी, बिरला नगर, मनेन्द्रगढ़ और राजनांद गांव में ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण लागत की भागीदारी के आधार पर पहले से ही स्वीकृत कर दिया गया है।

नेरल-मेथेरन मार्ग पर इंजनों का रख-रखाव

4336. **श्री बसंत कुमार पंडित** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजनों का उचित रख-रखाव न होने के कारण कई बार गाड़ियां खराब हो जाने और रद्द कर दिये जाने अथवा रास्ते में रद्द कर दिये जाने के परिणामस्वरूप नेरल और मथेरन (मध्य रेल) रेल मार्ग पर यात्री और माल ढोने की सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और गाड़ियां अकुशलता पूर्वक चलती हैं;

(ख) क्या जनता ने मोटर कार रोड टर्मिनल, आमन लांज और मथेरन स्टेशन के बीच एक शटल सेवा चलाने की मांग की है;

(ग) क्या इस सेवा को चालू करने संबंधी सर्वेक्षण किया जा चुका है ताकि मुख्य मार्ग पर हुये घाटे को पूरा किया जा सके;

(घ) क्या पुराने तथा अप्रचलित हो चुके इंजनों को हटाने तथा बम्बई के निकटतम प्रतिष्ठित पहाड़ी केन्द्र और पर्यटन केन्द्रों का और लोगों को लाने के लिये नेरल मेथेरन रेल मार्ग को विद्युतीकृत करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) रेल सेवा की वर्तमान अव्यवस्था को ठीक करने और इस "अति आवश्यक" रेल सेवा की नई समस्याओं से निपटने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां। पिछले 12 वर्षों के दौरान इंजन की खराबी के कारण अक्तूबर 1983 में केवल एक गाड़ी रद्द की गयी थी। 3 जनवरी, 1984 को, पटरी से उतरने के कारण 3 गाड़ियां रद्द की गयी थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) चूंकि इस खंड पर परिचालित डीजल रेल इंजन 1955-57 के दौरान लाइन पर चलाये गये थे, अत: इन रेल इंजनों का पुनर्पावर पैकिंग, पुन: स्थापन और/या नये इंजन चलाने का प्रश्न विचाराधीन है।

मेडिकल कालेजों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि

4337. **श्री के० मालन्ना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल में चिकित्सा शिक्षा देने वाले प्रत्येक मेडिकल कालेज को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो उन कालेजों के नाम क्या हैं और केन्द्रीय सरकार ने उनको ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा करने के संबंध में क्या निदेश दिये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) और (ख) भारत सरकार मेडिकल कालेजों को वित्तीय सहायता नहीं देती है। वैसे, चिकित्सा शिक्षा को समयानुकूल बनाने की योजना, जिसके अन्तर्गत मेडिकल कालेज ग्रामीण और अर्ध-शहरी लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या सुविधायें प्रदान करने के लिए सीधे उत्तरदायी हैं, को कार्यान्वित करने के लिए 105 मेडिकल कालेजों में से प्रत्येक कालेज के लिए तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के लिए 1604 लाख रुपये का वित्तीय आबंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त, इनमें से प्रत्येक मेडिकल कालेज को 3 मोबाइल क्लिनिक भी दिए गए हैं।

ट्रेंक्विलाइजरों के प्रयोग के विरुद्ध विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशें

4338. श्री डी० एम० पुत्तेगौडा
श्री बाल कृष्ण वासनिक } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल में चिन्ता कम करने, नींद लाने और मांस-पेशियों के तनाव को कम करने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले ट्रेंक्विलाइजरों का प्रयोग न करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उन ट्रेंक्विलाइजरों के नाम क्या हैं;

(ग) इन ट्रेंक्विलाइजरों का प्रयोग करने से क्या प्रतिक्रिया होती है; और

(घ) सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिफारिश की है कि निम्नलिखित 33 प्रशान्तक (ट्रेंक्विलाइजर्स) चिकित्सक द्वारा लिखे गये नुस्खे पर दिए जाएं : अल्ड्राजोलम, ब्रोमाजिपाम, कामाजिपाम, क्लोरडायाजिपाक्साइड, क्लोबाजाम, क्लोनाजिपाम, क्लोराजिपेट, क्लोशियाजिपाम, क्लोक्साजोलाम, डिलोराजिपाम, डायाजिपाम, एस्टालोलाम, एथिल, लोफलाजिपेट, फ्लूडायाजिपाम, फ्लूनाइट्राजिपाम, फ्लूराजिपाम, हालाजिपाम, हेलोक्साजोलाम, केटाजोलाम, लोप्राजोलाम, लोराजिपाम, लोरमेटाजिपाम, प्राजिपाम, टेमाजिपाम, मेडाजिपाम, नाइमेटाजिपाम, नाइट्राजिपाम,, नोडाजिपाम, ओक्साजिपाम, ओक्सालोलाम, पाइनाजिपाम, टेट्राजिपाम और ट्रायालोलाम ।

(ग) इन प्रशान्तकों, जो मनुष्य को आदी बना देते हैं, के दुरुपयोग से जन स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं ।

(घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन की, शिफारिशों को जहां तक ये भारत में लागू होती हैं, सरकार जांच कर रही है ।

दक्षिण एशियाई देशों की बैठक

4339. श्री के० प्रधानी
श्री वी० वी० देसाई } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में पिछले महीने साउथ ऐशियन रिजनल कोआपरेशन (एस० ए० आर० सी०) की स्थायी समिति की पहली बैठक का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं, और बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई थी; और

(ग) दक्षिण एशिया में राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सामूहिक आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने हेतु सम्मेलन में क्या निर्णय किया गया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां । दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग समिति की पहली बैठक 27 व 28 फरवरी, 1984 को नई दिल्ली में हुई ।

(ख) इस बैठक में भाग लेने वाले देश थे :—बंगला देश, भूटान, भारत, मालद्वीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका । स्थायी समिति ने, अगस्त, 1983 में विदेश मंत्रियों द्वारा शुरू की गई

एकीकृत कार्य योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। इस समिति ने विश्व आर्थिक स्थिति पर भी विचार किया।

(ग) इस स्थायी समिति ने सहयोग के नौ सहमत क्षेत्रों के बारे में तकनीकी समितियों की सिफारिशों का भी अनुमोदन किया, जिनकी बैठकें अक्तूबर, 1983 से जनवरी, 1984 के बीच हुई थी। ये क्षेत्र हैं :— परिवहन, डाक - सेवाएं, कृषि, दूरसंचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मौसम विज्ञान, खेल कूद, कला एवं संस्कृति, ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य एवं जनसंख्या। यह समिति आगामी कार्य संबंधी दिशा-निर्देशों पर भी सहमत हुई। इसने उत्तर-दक्षिण वार्ता के गतिरोध पर गंभीर चिंता व्यक्त की और विकासार्थ मुद्रा एवं वित्त संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन की पुन: पूर्ति जैसे इस क्षेत्र से संबंधित कुछ तात्कालिक मसलों की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया।

स्वास्थ्य नीति की मुख्य विशेषताएं

4340. **श्री भीखा भाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहले ही घोषित स्वास्थ्य नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) अब तक दुर्गम्य तथा दूरस्थ क्षेत्रों के लिए इलाज की क्या प्रणाली मंजूर की गई है;

(ग) आदिवासी क्षेत्रों के लिए इलाज की कौनसी पद्धति अपनाई गई है;

(घ) चर्मरोग कुपोषण, एल बीडी आदि जैसे विशेष रोगों से ग्रस्त आदिवासी लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में, जहां रोगनिवारक, स्वास्थ्य संवर्धक, जन स्वास्थ्य और पुनर्वास पहलुओं पर बल दिया गया है वहां यह देश दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली जनता के लिए विस्तृत, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं स्थापित करने की आवश्यकता, स्वास्थ्य और मानव विकास को समग्र, एकीकृत सामाजिकन्आर्थिक विकास के रूप में देखने, अधिकाधिक लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने की विकेन्द्रीकृत पद्धति तथा व्यक्ति की आत्मनिर्भरता और योगदान की ओर भी इशारा करती है। इस नीति में जनता के विभिन्न वर्गों, के लिए पर्याप्त पौषणिक आहार, सुरक्षित पेयजल और अच्छी सफाई व्यवस्था मुहैया करने पर भी बल दिया गया है।

(ख) और (ग) देश के दूरस्थ आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य के संवर्धन, रोगों को रोकने और रोगों का इलाज करने संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे में निचले स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षकों के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहायक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप केन्द्र शामिल हैं। आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में उपर्युक्त इकाइयां कितनी आबादी को सेवाएं प्रदान करेंगी, इन प्रतिमानों में ढील दे दी गई है। आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा एक उप केन्द्र क्रमश: 20,000 (बीस हजार) और 3000 (तीन हजार) लोगों को सेवाएं प्रदान करेगा जबकि गैर-आदिवासी और गैर-पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह संख्या क्रमश: 30,000 (तीस हजार) और 5,000 (पांच हजार) है।

(घ) और (ङ) आदिवासी लोगों, जैसे समाज के ऐसे वर्गों में जिन्हें रोग जल्दी पकड़ लेता है, अल्प-पोषण और कुपोषण को रोकने के लिए भारत सरकार आदिवासी लोगों के लिए विशिष्ट रूप से बनाये गये निम्नलिखित कार्यक्रम चला रही है :—

(1) विशिष्ट पोषण कार्यक्रम

(2) एकीकृत बाल विकास सेवाएं

(3) पौषणिक अरक्तता से बचाव, और

(4) विटामिन "ए" की कमी से बचाव।

जहां तक चर्म रोगों समेत सम्भोग जनित रोगों का संबंध है, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित किये गये एस० टी० डी० क्लिनिकों द्वारा रोगियों का इलाज मुफ्त किया जाता है।

राज्यों में मोबाइल सर्जिकल यूनिट

4340. **श्री भीखा भाई :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में कार्यरत मोबाइल सर्जिकल यूनिट, बीमारियों के उन्मूलन में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं;

(ख) किन किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मोबाइल यूनिट कार्य कर रहे हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि एलोपैथी तथा स्वदेशी दोनों ही चिकित्सा पद्धतियों में, शल्य चिकित्सा और चिकित्सा, दोनों में ही मोबाइल यूनिटों की प्रभावकारी शक्ति को स्वीकार किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) मोबाइल सर्जिकल यूनिटों की कोई योजना नहीं है। वैसे, चिकित्सा शिक्षा को समयानुकूल बनाने की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मेडिकल कालेज को 3 मोबाइल क्लिनिक प्रदान किए गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव पर वर्ष 1982-83 के दौरान हुआ व्यय

4342. **श्री भीखा भाई :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : प्रत्येक राष्ट्रीय राज्यमार्ग के रखरखाव पर वर्ष 1982-83 के दौरान कितना व्यय हुआ ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : 1982-83 में पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत पर 5907.23 लाख रुपए खर्च किए गए। राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण पर जो राशि खर्च होती है, उसका रेकार्ड राज्यवार रखा जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्गवार जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है।

प्रताप नगर-डबगोई-छोटोदीपुर मीटर गेज लाइन का बदलना

4343. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतापनगर-डबगोई-छोटोदीपुर तथा इन्दौर तक "मीटरगेज" लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कोइ प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और परिवर्तन कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उस क्षेत्र के लोगों के सुगम परिवहन तथा यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं। फिर भी, प्रतापनगर-छोटा उदयपुर और छुच्छापुरा-टनखाला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए गुजरात सरकार की ओर से निक्षेप कार्य के रूप में रेलवे द्वारा एक यातायात सर्वेक्षण किया गया था और दिसम्बर, 82 में राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी गयी थी। जिन्होंने इस सम्बन्ध में आगे कोई रुची नहीं दिखायी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है जिससे प्रस्तावित परियोजना आरम्भ की जा सके।

मोतीहारी में गांधी जी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना

4344. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी दलों की यह मांग है कि बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले में मोतीहारी में जहां गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार आंदोलन शुरू किया था, गांधी जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) पूर्वी चंपारण जिले में गांधी जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए गांधी स्मारक समिति, मोतीहारी की ओर से बिहार राज्यपाल को प्रस्तुत प्रस्ताव की एक प्रति सरकार को प्राप्त हुई थी। एक संसद सदस्य ने भी इसी प्रकार का सुझाव दिया था।

(ख) और (ग) उन्हें सूचित किया गया है कि नये विश्वविद्यालयों की स्थापना की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और इस मामले में बिहार सरकार से सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए।

नेताजी पर दूरदर्शन फिल्म

4345. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर बनी फिल्म के एक प्रिंट को जनवरी 1984 में दूरदर्शन पर प्रदर्शित किये जाने से पूर्व ब्रिटेन में स्थित भारतीय उच्चायोग को उपलब्ध कराया गया था; और

(ख) क्या भारतीय उच्चायोग ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर अपनी सहमति प्रकट की थी अथवा इसका विरोध किया गया था; और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर बनी फिल्म का कोई प्रिंट उपलब्ध नहीं कराया गया था लेकिन हाई कमीशन के लिए 22 दिसंबर, 1983 को सार्वजनिक प्रदर्शन से पूर्व इसे दिखाने की व्यवस्था की गई थी।

(ख) इस फिल्म का स्वरूप जानने के बाद हाई कमिश्नर ने 23 दिसम्बर को ग्रेनेडा टी० वी० के अध्यक्ष को पत्र लिखा कि इस फिल्म में भारत के श्रद्धेय नेताओं पर लांछन लगाए गए हैं जो सरासर अनुचित हैं। उन्होंने कहा कि इसमें समुचित संशोधन किया जाना चाहिए। फिल्म में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और इसे 4 जनवरी, 1984 को टेलीविजन पर दिखाया गया। इसके बाद यह मामला ब्रिटिश सरकार के साथ उठाया गया है और इस फिल्म के स्वरूप पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सद्भाव का प्रयोग करें कि यह फिल्म भविष्य में यूनाइटेड किंगडम या कहीं अन्यत्र नहीं दिखाई जाए।

राज्यों में प्रौढ़ शिक्षा लागू करना

4346. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान किन-किन राज्यों और जिलों में प्रौढ़ शिक्षा और व्यवहारिक (फंक्शनल) शिक्षा संबंधी योजनाएं लागू की गई हैं;

(ख) इन योजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के परिणामस्वरूप साक्षरता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

(घ) क्या इन योजनाओं के वांच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हुये हैं;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं को बन्द करने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) प्रौढ़ शिक्षा को छठी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है। भारत सरकार राज्यों को ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के संचालन के लिए शत प्रतिशत सहायता प्रदान कर रही है। इसी प्रकार राज्य सरकारें अपने ही संसाधनों के माध्यम से भी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का आयोजन करती हैं। दिसम्बर, 1983 के अन्त तक, भारत के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 316 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं चल रही थी। इससे सम्बन्धित विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय रखा गया देखिए संख्या एल० टी—8020/84] वर्ष 1983-84 में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र को 70 नई ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। चालू वित्तीय वर्ष 1983-84 के अन्त तक ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल मिलाकर 386 जिले शामिल किए जाएंगे।

(ख) छठी पंच वर्षीय योजना में 128 करोड़ रुपये के परिव्यय (60 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में और 68 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र में) की व्यवस्था है। योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान 61.10 करोड़ रुपये का व्यय किया है जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	योग
1980-81	6.08	9.38	15.46
1981-82	8.92	10.15	19.07
1982-83	15.29	11.28	26.57
		(पूर्वानुमानित)	———
			61.10

वर्ष 1983-84 के लिए 40.04 करोड़ रुपये के परिव्यय व्यवस्था है :

वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	योग
1983-84	22.0	18.04	40.04

(ग) से (च) 1990 तक 100 प्रतिशत साक्षरता के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 11 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को शामिल करना होगा । छठी योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रौढ़ निरक्षरों को दाखिल करने में की गई प्रगति नीचे दी गई :

1980-81	.....	25.91 लाख
1981-82	.....	30.99 लाख
1982-83	.....	43.57 लाख

इस प्रकार प्रथम तीन वर्षों के दौरान 1 करोड़ से भी अधिक प्रौढ़ों को शामिल किया गया है । 1983-84 के लिए 52.07 लाख का लक्ष्य है और दिसम्बर, 1983 तक 46.16 लाख को शामिल किया गया है । ये ब्यौरे यह दर्शाते हैं कि साक्षरता की वृद्धि में की गई प्रगति उत्साह-वर्धक है और यह शत प्रतिशत साक्षरता के उद्देश्य की प्राप्ति तक जारी रहेगी ।

केन्द्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय

4347. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में आदिवासियों की समस्याओं के संदर्भ में अनुसंधान और विशेष शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) क्या आदिवासियों को शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय स्तर पर कोई विशेष योजना कार्यान्वित की जा रही है अथवा क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, हां । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:—

(1) अनुसूचित जाति के लिए 15% तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% तक सीटों का आरक्षण ।

(2) विशेष प्रशिक्षण, उपचारी शिक्षण, आदि के लिए वित्तीय सहायता ।

(3) विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त जूनियर शिक्षावृत्तियों में 10% के आरक्षण के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, अ० जा०/अ० ज० जा० के छात्रों को सीधे ही 50 शिक्षा वृत्तियां देने की एक विशेष योजना है ।

(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कालेज अध्यापकों के लिए प्रति वर्ष 50 अध्यापक शिक्षावृत्तियों की एक विशेष योजना शुरू की गई है ।

(5) सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के लिए 25 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों की एक योजना प्रारम्भ की गई है ।

(6) पर्याप्तरूप से अ० जा०/अ० ज० जा० के छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कालेजों को पात्रता की शर्तों में ढील देकर विकास अनुदान प्रदान किए जाते हैं ।

ब्रिटेन की दूरदर्शन फिल्म पर भारत विरोधी प्रचार

4348. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या विदेश मन्त्री मकबूल भट्ट को फांसी के सम्बन्ध में तथा कथित जम्मू और कश्मीर मुक्ति मोर्चे के नेताओं की ओर से ब्रिटेन के दूरदर्शन पर भारत विरोधी प्रचार के सम्बन्ध में 27 फरवरी, 1984 को ध्यानकर्षण के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश दूरदर्शन ने भारत के विरोध का इस बीच कोई जवाब दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में और क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या भारतीय उच्चायोग ने ब्रिटेन में अपनी तरफ से कोई कानूनी कार्यवाही शुरू की है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या राजनयिक कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) ब्रिटेन के इंडिपेन्डेंट ब्राडकास्टिंग अथोरिटी के चेयरमैन ने यूनाइटेड किंगडम स्थित हमारे हाई कमिश्नर को पत्र लिखते हुए स्वीकार किया है कि इस टी० वी० कार्यक्रम में कुछ आपत्तिजनक अंश हैं और उन्होंने इसके लिए खेद व्यक्त किया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार ने कोई कनूनी कार्रवाई नहीं की क्योंकि यह जरूरी नहीं समझा गया।

(ङ) हमारे हाई कमीशन ब्रिटिश समाचार माध्यमों के इन आपत्तिजनक विचारों की अभिव्यक्ति के प्रति सचेत है। यह मामला ब्रिटिश प्राधिकारियों के साथ पुरजोर तरीके से उठाया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि ब्रिटिश प्रचार माध्यम भारत की संसद और जनता की प्रतिक्रिया को अनदेखा नहीं करेगा।

18 जनवरी, 1984 को 15 अप रांची एक्सप्रेस की चंडील में दुर्घटना

4349. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 18 जनवरी, 1984 को 15 अप रांची एक्सप्रेस के चन्दील में दुर्घटनाग्रस्त होने के क्या कारण थे;

(ख) यह दुर्घटना कब और कैसे हुई;

(ग) इस दुर्घटना में कितना नुकसान हुआ;

(घ) कितने व्यक्ति हताहत हुए; और

(ङ) उन्हें क्या सहायता दी गई ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) 18.1.84 को करीब 03.30 बजे चाण्डिल स्टेशन में प्रवेश करते समय 15 अप हावड़ा–रांची–हटिया एक्सप्रेस के 4 डिब्बे रेलपथ की खराबी की वजह से पटरी से उतर गए थे।

(ग) इस दुर्घटना की वजह से रेलवे सम्पत्ति को 75,000 रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) और (ङ) इस दुर्घटना में कोई व्यक्ति हताहत अथवा घायल नहीं हुआ। इस तरह आर्थिक राहत प्रदान करने का कोई प्रश्न नहीं उठा। सभी यात्रियों को गाड़ी में स्थान दिया गया जिसे बाद में कम डिब्बा भार में चलाया गया।

दक्षिण-पूर्व की बन्दरगाह उत्सा द्वारा भारतीय माल वाहक जहाज "दामोदर जनरल" का रोका जाना

4350. **श्री डा० बालानन्दन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 25 जनवरी, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फ्रेटर डिटेंड" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की जानकारी है, जिसमें कहा गया है कि 23 जनवरी, 1984 को दक्षिण पूर्व के बन्दरगाह उत्सा ने बम्बई के भारतीय मालवाहक जहाज "दामोदर जनरल" को रोक लिया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त जहाज के मालिक कौन हैं और उसके रोके जाने के क्या कारण थे ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क)हां।

(ख) दामोदर टी० जे० पार्क नामक जिस जहाज को रोक लिया गया, उसका मालिक मैसर्स दामोदर बल्क कैरियर्स लि०, बम्बई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार दामोदर बल्क कैरियर्स का एम० वी० दामोदर गंगा नामक जहाज मैसर्स इंडियोमर एस० ए० द्वारा 14-5-83 से 9 महीने की अवधि के लिए चार्टर किया गया था। टाइम चार्टरकर्त्ताओं ने सितम्बर/अक्तूबर, 1983 में जहाजों को निम्नलिखित देशों में परेषितियों को दक्षिण अमेरिका से जनरल कार्गो भरकर भेजा :—

(क) जापान (ख) ताईवान (ग) दक्षिण कोरिया (घ) सिंगापुर (ड़) इण्डोनेशिया।

अक्टूबर, 1983 से प्रारम्भ हुई यात्रा में चार्टरकर्त्ताओं ने चार्टर किराए का भुगतान नहीं किया और जहाज जकार्ता में इंडोनेसिया के कार्गो को उतार कर अन्य गंतव्य स्थानों पर जाने के लिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि चार्टरकर्त्ता यात्रा खर्च का भुगतान करने में असमर्थ थे। परेषितियों के लंडन वाले अधिवक्ता ने सूचित किया कि मैसर्स इण्डियोमर दिवालिया हो गया। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मालिक के परेषितियों के कार्गो बिल्टी में उल्लिखित स्थान पर भेजे जाएं। यह अनुमान लगाया गया कि इस पर मालिक को 1,000,000 अमेरिकी डालर खर्च करना पड़ेगा जिसे वे वहन नहीं कर सकते। मालिक ने तब तक के लिए जकार्ता से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया जब तक कार्गो के स्वामी या तो यात्रा खर्च में अंशदान नहीं करेंगे या विकल्प के रूप में अपने कार्गो को जकार्ता में ही अपने कब्जे में ले लें जहां जहाज रुका हुआ है। परेषितियों ने अधिवक्ता फर्म मैसर्स क्लाइड आफ लंडन को मालिक से बातचीत करने के लिए नियुक्त किया। हालांकि दक्षिण कोरिया के परेषिती ने इस बातचीत में भाग लेने से इनकार कर दिया। दक्षिण कोरिया के परेषिती मैसर्स कुकजे कारपोरेशन ने अपनी बात मनवाने के लिए दामोदर बल्क कैरियर्स के एम० वी० दामोदर जनरल टी० जे० पार्क को रोक लिया जो उत्सान, दक्षिण कोरिया में कार्गो उतार रहा था। दक्षिण कोरिया का कानून ऐसी कार्रवाई के पक्ष में है जबकि जापानी और इन्डोनेसियाई कानून ऐसी कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। परेषितियों और मालिकों के बीच समझौता हो जाने से जहाज को मुक्त कर दिया गया और यह जहाज 16 फरवरी 1984 को उत्सान से रवाना हुआ।

पेराम्बूर में एक और 'इंटिग्रेटिड कोच बिल्डिंग यूनिट' की स्थापना का प्रस्ताव

4351. **श्री ईरा अनबरासु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डिब्बों के केवल निर्यात आदेशों की पूर्ति के लिये एक और स्वतंत्र तथा संपूर्ण 'इंटिग्रेटिड कोच बिल्डिंग यूनिट' की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा एक एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) रेलवे क्षेत्र में दूसरी सवारी डिब्बा निर्माण यूनिट की स्थापना को योजना आयोग ने सिद्धांत रूप से अनुमोदित कर दिया है, लेकिन इसके स्थान निर्धारण का विनिश्चय किया जाना अभी बाकी है । स्थान निर्धारण सहित इसके तकनीकी अध्ययन का काम मैसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकानामिक सर्विसेज लिमिटेड को सौंपा गया है । इसलिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसमें स्थान निर्धारण सर्वेक्षण भी शामिल है, को अन्तिम रूप दे दिये जाने पर ही इसके स्थान निर्धारण के बारे में कोई विनिश्चय लिया जायेगा ।

चिंगलपेट और कांचीपुरम के बीच रेल मार्ग का विद्युतीकरण

4352. **श्री ईरा अनबरासु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेशम और जरी के प्रसिद्ध केन्द्र चिंगलपेट और कांचीपुरम के बीच रेल मार्ग के विद्युतीकरण के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संक्रामक रोगों के उन्मूलन के लिये कार्यक्रम

4353. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संक्रमक रोगों के उन्मूलन/नियंत्रण के लिये देश के विभिन्न भागों में कार्यक्रम चलाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा और अन्य राज्यों में कौन से रोगों के लिए राष्ट्रीय उन्मूलन/नियंत्रण कार्यक्रम चलाए गए हैं; और

(ग) उड़ीसा और अन्य राज्यों में छठी पंच वर्षीय योजना में ऐसे रोगों के उन्मूलन/नियंत्रण संबंधी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) भारत में (उड़ीसा सहित) निम्नलिखित राष्ट्रीय उन्मूलन/नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किये हैं :—

(1) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम ।

(2) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ।

(3) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम ।

(4) राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम ।

(ग) छठी योजन के दौरान उड़ीसा सहित भारत में इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में हुई उपलब्धियों के विस्तृत नोट संलग्न विवरण में दिये गये हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी०-8021/84]

शंटमैनों, लीवरमैनों और स्विचमैनों के ड्यूटी के घंटे

4354. **श्री एन० के शेजवलकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शंटमैन, लीवरमैन और चतुर्थ श्रेणी में स्विचमैन जंक्शनों पर अभी भी 10 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं; और

(ख) क्या उनके द्वारा की गयी दो घंटों की अतिरिक्त ड्यूटी के लिए उनको कोई समयोपरि भत्ता दिया जा रहा हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) कर्मचारियों की इन कोटियों की 'सतत' या 'अनिवार्यतः सविरामी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो उनके कार्यभार पर आधारित होता है और उनके दैनिक रोस्टर घंटे 8 से 12 घंटे के बीच होते हैं। जंक्शनों पर उनकी रोस्टर ड्यूटी सामान्यतः 8 घंटे की होती है, यदि कार्यभार को देखते हुए अपेक्षित हो। निर्धारित नियमों के अनुसार समयोपरि का भुगतान किया जाता है, यदि उन्हें नियोजन काल विनियम के अन्तर्गत यथानिर्धारित रोस्टर घंटों से अधिक काम करना पड़ता है।

साइड स्टेशन मास्टरों के कर्तव्य

4355. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेशन मास्टरों के मुख्य कर्तव्य क्या है;

(ख) साइड स्टेशनों पर उनसे टिकटों के वितरण और एकत्रण, पार्सल और अन्य वस्तुओं की बुकिंग करने तथा अन्य कई कार्य लिये जाने के क्या कारण हैं जबकि उनका कार्य केवल गाड़ियों के आने-जाने को नियमित करना है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन स्टेशनों पर उनसे 12 घंटे तक काम लिया जाता है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) यातायात विभाग से सम्बद्ध स्टेशन मास्टरों की मुख्य ड्यूटियां परिवहन तथा स्टेशनों के वाणिज्यिक कार्य से सम्बन्धित हैं।

परिवहन ड्यूटियों में गाड़ी पास करने, शंटिंग और संरक्षा सुनिश्चित करने आदि के कार्य शामिल हैं। वाणिज्यिक ड्यूटियों में टिकटों की मांग करना एवं उनका स्टाक करना, टिकटों को जारी करने तथा इकट्ठा करने, माल पार्सल तथा सामान की बुकिंग एवं सुपुर्दगी, नकदी का प्रेषण आदि कार्य शामिल है।

(ख) बड़े स्टेशनों पर जहां कार्यभार के आधार पर औचित्य होता है, वाणिज्यिक ड्यूटियों के लिए अलग वाणिज्यिक कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है। बहरहाल, छोटे स्टेशनों पर जहां अलग वाणिज्यिक कर्मचारियों की तैनाती के औचित्य सिद्ध करने के लिए कार्यभार अधिक नहीं होता है, वहां वाणिज्यिक ड्यूटियां स्टेशन मास्टर द्वारा निष्पादित की जाती हैं।

(ग) छोटे स्टेशनों पर तैनात स्टेशन मास्टर जिन्हें इनके कार्यभार के आधार पर नियोजन विनियमन घंटों के अन्तर्गत 'अत्यावश्यक विरामी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जिन्हें स्टेशन से 0.5 कि० मी० की दूरी के भीतर क्वार्टर दिया गया है, एक दिन में 12 घंटे कार्य करने तथा प्रारम्भिक पूरक कार्य के लिए अपेक्षित समय, यदि कोई हो, तक कार्य करने के लिए रोस्तर में रखे जाते हैं।

नैमित्तिक श्रमिकों, परिचरों (एटेण्डेंट), शंटमैन और लीवरमैन की नियुक्ति

4356. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में पोर्टरों (एटेण्डेंट), शंटमैन, लीवरमैन के कई पद रिक्त पड़े हैं और क्या उन व्यक्तियों को जिन्होंने वर्ष 1978 में नैमित्तिक श्रमिक के रूप में काम किया था, अभी तक इन पदों पर नियुक्त नहीं किया गया; और

(ख) इस सम्बन्ध में कर्मचारी संघ के साथ कोई समझौता हुआ था और यदि हां, तो उन्हें अभी तक नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और संभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राज्य सड़क परिवहन निगमों को हुआ घाटा

4357. श्री अर्जुन सेठी
श्री लक्ष्मण मलिक } : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सड़क परिवहन निगमों को वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से ऐसे निगमों के कार्य-निष्पादन और लाभ-हानि की रिपोर्टें मिलती हैं;

(ग) यदि हां, तो 29 फरवरी, 1984 तक गत दो वर्षों के दौरान किन-किन निगमों को घाटा हुआ; अथवा लाभ हुआ तथा उसकी राशि कितनी-कितनी है; और

(घ) इस प्रकार के घाटे के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। मंत्रालय का परिवहन अनुसंधान निदेशालय राज्य परिवहन उपक्रमों के भौतिक और वित्तीय कार्य के बारे में विश्लेषण करने के लिए आंकड़ा एकत्रित करता है और सरकारी विभागों को भेजता है।

(ग) और (घ) हानि का विवरण संलग्न है। आमतौर पर राज्य परिवहन उपक्रमों को पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि, बढ़ते हुए वेतन खर्च और भाड़े से आय तथा प्रचलन खर्च के बीच काफी अन्तर होने के कारण हानि होती है।

विवरण

1981-82 और 1982-83 में राज्य सड़क परिवहन निगमों को हुई हानि का विवरण

राशि लाख रुपयों में

	1981-82	1982-83
1. आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	1485.53	908.00
2. बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम	539.53	एन ए
3. कलकता राज्य परिवहन निगम	1655.74	एन ए
4. दिल्ली परिवहन निगम	5115.28	2893.00
5. दुर्गापुर राज्य परिवहन निगम	199.00	एन ए
6. गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम	3675.00	एन ए
7. कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम	900.00	1400.00 (लगभग)
8. केरल राज्य सड़क परिवहन निगम	1604.45	1414.51

	1981-82	1982-83
9. मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	675.44	691.45
10. महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम	3155.81	1700.00 (लगभग)
11. उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम	465.44	एन ए
12. उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम	307.95	393.32
13. पेप्सु सड़क परिवहन निगम	736.41	800.04
14. राजस्थान परिवहन निगम	1103.89	669.71
15. उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम	267.94	एन ए
16. असम राज्य परिवहन निगम	272.79	एन ए
17. हिमाचल सड़क परिवहन निगम	440.00	290.00
18. जम्मू और कश्मीर सड़क परिवहन निगम	74.91	एन ए
19. मेघालय परिवहन निगम	97.84 (लगभग)	एन ए
20. मणिपुर राज्य सड़क परिवहन निगम	46.19	74.58
21. त्रिपुरा सड़क परिवहन निगम	132.95	एन ए

टिप्पणी—वित्तीय वर्ष समाप्त होने और लेखा परीक्षित लेखे को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद किसी वर्ष के 29 फरवरी तक के लाभ/हानि के आंकड़े उपलब्ध होते हैं।

गैंगमैनों को स्थायी बनाया जाना

4358. श्री चिंतामणि जेना : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के विभिन्न जोनों में जोन-वार कुल कितने गैंगमैन कार्य कर रहे हैं और उनमें से जोन-वार कितनों की सेवायें स्थायी नहीं की गयी हैं; और

(ख) किसी गैंगमैन को स्थायी बनाये जाने के क्या मानदंड हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) कार्यरत गैंगमैनों को स्थायी करने (स्थायी पदों में मूल रिक्तियों में नियुक्ति) का मानदंड सेवा में वरिष्ठता है।

उड़ीसा में औपचारिक शिक्षा केंद्र

4359. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की राज्य सरकार ने वर्ष 1983-84 के दौरान उड़ीसा राज्य में लड़के और लड़कियों के लिए पृथक-पृथक कुछ नए औपचारिक शिक्षा केंद्र खोलने के लिये वित्तीय सहायता स्वीकृत करने हेतु कोई प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) चालू वर्ष और आगामी तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के कितने केंद्र खोले जाने की संभावना है; और

(घ) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में एक है, यदि हां, तो इस राज्य को अखिल भारतीय औसत के समकक्ष लाने के लिये क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) 1983-84 के दौरान उड़ीसा सरकार का अनौपचारिक शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 50.50 के हिस्से के आधार पर प्रारंभिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए 3,000 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र तथा उदार सहायता योजना के अन्तर्गत 90:10 के हिस्से के आधार पर केवल लड़कियों के लिए 560 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव था। 1983-84 के दौरान उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में 3000 नये अनौपचारिक केन्द्र खोलने के लिए 15,86,250/-रु० और केवल लड़कियों के लिए 560 केंद्र खोलने के लिए 3,60,990/-रु० की राशि संस्वीकृत की गई थी। अगले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में खोले जाने वाले प्रस्तावित केंद्रों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी, हां। स्कूली शिक्षा मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है और अधिकांशत: इसकी व्यवस्था उन्हीं के द्वारा की जाती है तथापि, प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। ऊपर उल्लिखित योजनाओं के अतिरिक्त एक अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजना तैयार की है, जिसके अंतर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों को 80:20 के हिस्से के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है और 1983-84 के दौरान लागू कर दी गई है। 1983-84 के दौरान 200 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उड़ीसा को वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई है।

कुष्ठ रोग के उपचार के लिए अस्पतालों में टीके का उपयोग

4360. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ रोग के उपचार के लिए किसी टीके का उत्पादन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत उस टीके का उपयोग देश के सभी अस्पतालों में कब से शुरू करेगा; और

(ग) क्या सरकार तब तक, कुष्ठ रोगियों में भिखारियों को शरण स्थल देने पर विचार करेगी ताकि उन्हें उक्त रोग तथा भीख मांगने की मजबूरी, दोनों ही अभिशापों से बचाया जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) कुष्ठ के इलाज के लिए प्रयोगात्मक वैक्सीन तैयार कर ली गई है और अब उसका परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) अनुसन्धान और विकास की प्रक्रिया पर समय लगता है और वैक्सीन की प्रभावकारिता को मालूम करने से पूर्व कई परीक्षण/मूल्यांकन करने होते हैं।

(ग) कुष्ठ रोग से मुक्त किये गये व्यक्तियों के कल्याण के लिए पुनर्वास योजनायें चल रही हैं। समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसके अधीन विकलांग व्यक्तियों और कुष्ठ रोग से मुक्त हुये उन व्यक्तियों, जिनमें स्थाई रूप से शारीरिक विकृति आ गई है उनके लिये संगठनों को सहायता देने की एक योजना है। स्वत: बसाई गई कालोनियों तथा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले कुष्ठ रोगियों को प्रोत्सहान देने के उद्देश्य से एक और समाज कल्याण कार्यकलाप चलाने का प्रस्ताव है ताकि वे अपना जीवन यापन स्वयं कर सकें।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान संबंधी कार्यक्रम के लिए कलाकारों का चयन

4361. प्रो० संफुद्दीन सोज : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के लिए विदेशों का दौरा करने के लिए, राज्य-वार, कितने कलाकारों को प्रायोजित किया था; और

(ख) इनका चयन करने वाली समिति के गठन के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) विदेशों के साथ द्विपक्षी सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और विनिमय के विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था है। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अध्येताओं/विशेषज्ञों और अन्य व्यक्तियों को, सम्बन्धित विभागों/संगठनों द्वारा, जो अपने-अपने मदों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, विदेश दौरों के लिए भेजा जाता है। ये चयन प्रत्येक विभाग संगठन द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम की अपेक्षाओं और उनकी अपनी-अपनी प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है न कि राज्य-वार आधार पर।

आंध्र प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना

4362. श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में, कोई संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और इसके आंध्र प्रदेश में कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी नहीं। फिर भी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस आशय का अनुरोध किया गया है कि वह तिरुपति स्थित विद्यमान केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था के रूप में अधिसूचित करने की सम्भावना की जांच करे। मामला अभी आयोग के विचाराधीन है।

जयन्ती जनता एक्सप्रेस का पालनपुर में भीलड़ी पालनपुर पैसेंजर गाड़ी से मिलाया जाना

4364. श्री बिरदा राम फुलवारिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भीलड़ी-पालनपुर पैसेंजर गाड़ी का पालनपुर में जयन्ती जनता एक्सप्रेस से मेल न होने से अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों को दूसरी गाड़ी लगभग चार पांच घंटे प्रतीक्षा के पश्चात् मिलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का जयन्ती जनता एक्सप्रेस का भीलड़ी-पालनपुर यात्री गाड़ी से मेल कराके यात्रियों की परेशानी दूर करने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 15-2-1984 से पालनपुर में 239 समदड़ी-पालनपुर पैसेंजर और 31 जयन्ती जनता एक्सप्रेस के बीच मेल लेने की व्यवस्था की गई है।

दिल्ली-अहमदाबाद सुपरफास्ट गाड़ी में आबू रोड स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के शायिकाओं के कोटे में वृद्धि किया जाना

4365. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आबू रोड स्टेशन पर दिल्ली-अहमदाबाद सुपरफास्ट गाड़ी में दिल्ली के लिये प्रथम श्रेणी की केवल दो शायिकाओं का कोटा है;

(ख) क्या आबू रोड स्टेशन से दिल्ली के लिये अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए प्रथम श्रेणी की दो शायिकाओं की व्यवस्था किये जाने की मांग है क्योंकि यह माउन्ट आबू का स्टेशन है जो राजस्थान और गुजरात का एकमात्र पर्यटन स्थल है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दो शायिकाओं का कोटा बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) आबू रोड स्टेशन पर 506 डाउन अहमदाबाद-दिल्ली सुपरफास्ट गाड़ी में पहले दर्जे की दो शायिकाओं का कोटा आवंटित किया गया है। यदि आबू रोड पर अति विशिष्ट व्यक्तियों की आरक्षण सम्बन्धी मांगों को सामान्य प्रक्रिया में पूरा नहीं किया जा सकता है, तो इसकी सूचना क्षेत्र अधिकारी, अहमदाबाद को भेज दी जाती है, जो इस गाड़ी में अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए दो शायिकाओं का कोटा नियंत्रित करता है।

इस गाड़ी में पहले दर्जे की केवल 18 शायिकाओं की सीमित जगह होने और प्रारम्भिक स्टेशन अर्थात् अहमदाबाद में इस गाड़ी में भारी मांग को देखते हुए इस स्टेशन पर मौजूदा कोटे में वृद्धि करना व्यावहारिक नहीं समझा जाता है।

बम्बई में रेलवे की भूमि पर 'हटमेंट्स' में रहने वालों को वैकल्पिक स्थान

4366. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में रेलवे की भूमि पर 'हटमेंट्स' में रहने वाले लोगों को सरकार ने आश्वासन दिया है कि उन्हें हटाने से पहले वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराये जायेंगे और उसके लिए प्रतिपूर्ति भी की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से बातचीत की है;

(ग) यदि नहीं, तो राज्य सरकार से भूमि प्राप्त करने की क्या योजनाएं हैं; और

(घ) क्या विलम्ब को ध्यान में रखते हुए सरकार 'हटमेंट्स' में रहने वालों का स्थान खाली करने के नोटिस वापस ले लेगी ?

रेल मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) सम्बन्धित विभाग के सम्पदा अधिकारियों द्वारा बेदखली आदेश पारित कर दिये जाने के बाद वैकल्पिक स्थानों पर पुनर्वास के लिए प्रति परिवार अनुदान का भुगतान करके रेलों सहित केंद्रीय सरकार की भूमि से इस प्रकार के हटमेंटों को हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार सहमत हो गई है क्योंकि इस भूमि की तत्काल इस्तेमाल के लिए जरूरत है।

(ख) जी हां। यह निर्णय निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा सम्बन्धित मंत्रालयों और महाराष्ट्र सरकार के साथ आयोजित संयुक्त बैठक में लिया गया है। बेदखल किये गये व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) वास्तविक बेदखली और राज्य सरकार द्वारा वैकल्पिक स्थानों पर पुनर्वास की व्यवस्था करने से पहले रेलों की बेदखली सम्बन्धी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।

होमोग्लोबिन ब्लड प्रोटीन और विटामिन बी युक्त शर्बत

4367. **श्री एन० ई० होरो :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई और मद्रास स्थित एक बहु-राष्ट्रीय कम्पनी संतरे के स्वाद वाला एक शर्बत तैयार करती है जिसमें होमोग्लोबिन ब्लड प्रोटीन और विटामिन बी होता है तथा उसके लेबल पर यह लिखा हुआ है कि इस शर्बत के प्रत्येक 15 मि०लि० में 7.2 ग्राम ताजा जिगर (प्रोटोमोलिस) विटामिन बी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी फर्में हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं, इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) रेपटेकॉस, ब्रेट्ट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, जो बहु-राष्ट्रीय कम्पनी नहीं है, के दो कारखाने हैं जिनमें से एक बम्बई में और दूसरा मद्रास में स्थित है। यह कम्पनी "सिरप" के रूप में 'हेपाटोग्लोबिन" नामक एक योग का निर्माण करती है जो विशेषकर गर्भावस्था, स्तनपान, शल्य-चिकित्सा के उपरान्त, बाल्यावस्था, स्वास्थ्य-लाभ, वृद्धावस्था और कमजोरी की अन्य हालतों में प्रोटीन की कमी के कारण उत्पन्न अरक्तता तथा तत्सम्बन्धी परिस्थितियों में दिया जाता है।

इसके लेबल पर किए गए उल्लेख के अनुसार, इन योगों का संयोजन इस प्रकार है :—

प्रत्येक 15 मि० ली० (लगभग भरा हुआ एक बड़ा चम्मच) में निम्नलिखित घटक होते हैं :—

प्रोटयोलाइज्ड लिवर (4.8 मेग० के समतुल्य विटामिन बी 12 सक्रियता वाले ताजे लिवर की कम से कम 7.2 ग्राम मात्रा से प्राप्त किया हुआ)	...	1.2 ग्राम
पेपटोन	...	0.75 ग्राम
आक्सी हेमोग्लोबिन	...	0.25 ग्राम
आयरन और आमोनियम साइट्रेट आई०पी०	...	0.20 ग्राम
निकोटीनिक एसिड आई०पी०	...	22.5 मि०ग्रा०
साइनोकोबालामिन आई०पी०	...	2.5 मि०ग्रा०
अल्कोहल आई०पी०	...	0.36 मि०ली०

मैसर्स रेपटेकॉस, ब्रेट्ट एण्ड कम्पनी लिमिटेड के अलावा, एक अन्य इकाई नामत: वार्ड ब्लेंकिनसोप एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, साहिबाबाद, फ्रेंको (इण्डिया) फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त लाइसेंस के अधीन सिरप के रूप में "डेक्सोरेंज" नामक एक योग का निर्माण कर रही है जिसमें हेमोग्लोबिन होता है और जिसे लोहतत्व की कमी, हाइपो-क्रोमिक अरक्तता, भूख न लगने, कमजोरी होने, स्वास्थ्य बिगड़ने की हालतों में तथा गर्भावस्था में और प्रसव के बाद स्वास्थ्य लाभ करने के लिए एक सामान्य टॉनिक के रूप में दिया जाता है।

डेस्कोरेंज का संयोजन इस प्रकार है :—

प्रत्येक 15 मि०ली० में निम्नलिखित घटक होते हैं :—

हेमोग्लोबिन	...	2.095 ग्रा०
साइनोकोबालामिन आई०पी०	...	15 मेग०
अल्कोहल	...	0.87 मि०ली०

लघु क्षेत्र में इसी तरह के योगों का निर्माण करने वाली अन्य इकाइयां भी हो सकती हैं।

सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं

4368. **श्री एन० ई० होरो** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि राष्ट्रीय योजना में स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रमुखता दिये जाने के बावजूद भारत सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने में असफल रहा है;

(ख) वर्ष 1950 में स्वास्थ्य के लिए कुल केन्द्रीय आवंटन कितना था और छठी योजना के दौरान यह आवंटन कितना है; और

(ग) क्या जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लोगों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां परिवार कल्याण के उपाय लोकप्रिय नहीं हुए हैं अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) देहाती/आदिवासी क्षेत्रों, शहरी गंदी बस्तियों आदि में प्राथमिक स्वास्थ्य और चिकित्सा उपचर्या की बेहतर सेवायें उपलब्ध करा कर 2000 ई० तक "सभी के लिये स्वास्थ्य" का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। उपर्युक्त लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये योजनागत लक्ष्य तैयार किये जाते हैं।

(ख) 1950-55 में कुल स्वास्थ्य परिव्यय 90.30 करोड़ रुपये था जबकि छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के लिये यह परिव्यय 1753.05 करोड़ रुपये है।

(ग) हां, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई जाने वाली कार्य-नीतियां इस प्रकार हैं :—

(1) शहरों में स्थित उपचार सेवाओं और उच्च विशिष्टताओं का विकास करने के बजाय अब ग्रामीण स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने पर अधिक बल दिया गया है। निवारक, स्वास्थ्य-वर्धक और उपचारात्मक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की मिलीजुली सेवाओं के आधार पर एक ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति तैयार की जा रही है। जिसके अन्तर्गत सेवायें प्रदान करने का कार्य गांव से ही आरम्भ किया जायेगा।

(2) ग्राम स्वास्थ्य परिचर्या के बुनियादी ढांचे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र होंगे और प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 30,000 तथा प्रत्येक उप-केन्द्र 5,000 की आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगा। पहाड़ी और आदिवासी इलाकों के मामलों में ये मानदण्ड शिथिल कर दिये जाते हैं। ग्राम या 1,000 की आबादी वाला क्षेत्र एक ऐसी बुनियादी इकाई है जहां लोगों द्वारा चुना गया एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य रक्षक मौजूद है।

(3) बुनियादी विशिष्टियों में इलाज की सुविधायें ब्लाक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुलभ कराई जाती हैं। प्रत्येक केन्द्र एक लाख आबादी को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराता

है और प्रत्येक केन्द्र में 30 पलंगों वाला एक अस्पताल होता है। रोगियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से जिला अस्पताल/मेडिकल कालेज अस्पताल में भेजने की पद्धति शुरू की जा रही है। छठी योजना में परिवार नियोजन को उच्च प्राथमिकता दी गई है जिसका दीर्घावधि लक्ष्य 1995 तक वास्तविक जन्म-दर को घटाकर एक पर लाना है।

घटिया खान-पान सेवा

4369. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि देश के अधिकांश रेलों में खान-पान सेवा घटिया किस्म की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश के अधिकांश स्टेशनों पर ठेले वालों द्वारा बेचे जाने वाले नमकीन, फल और मिठाइयां घटिया किस्म की होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं;

(ग) यदि हां, तो इस सेवा में सुधार के लिए किये गये ठोस उपायों का ब्यौरा क्या है तथा ये कदम किन-किन तारीखों को उठाये गये; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इन उपायों के परिणाम भी लाभदायक साबित नहीं हुए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

लूनी-पचपदारा शटल गाड़ी को बलोटरा तक बढ़ाना

4370. **श्री बुद्धि चंद्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लूनी-पचपदारा शटल गाड़ी समदरी स्टेशन पर समाप्त हो जाती है और रात भर वहीं रुकती है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस गाड़ी को समदरी से बलोटरा तक बढ़ाने तथा वापिसी में समदरी में रात को हाल्ट देने का है, ताकि बलोटरा औद्योगिक क्षेत्र तथा समदरी के आस-पास के गांवों में रहने वाले 1500 श्रमिकों को सुविधा प्रदान की जा सके; और

(ग) यदि हां, तो किस तारीख से ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, इससे रेक के अनुरक्षण पर प्रभाव पड़ेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीलंका में जाति संबंधी हिंसा के शिकार हुए व्यक्तियों को भारत की सहायता

4371. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका में जाति सम्बन्धी हिंसा के शिकार हुए व्यक्तियों को आवास तथा अन्य सुविधाएं देने के सम्बन्ध में भारत द्वारा सहायता दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रीलंका से शिकार हुए, लोगों की सूची देने के लिए कहा गया है तथा उनके पुनर्वास के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी;

(ग) यदि हां, तो इसमें कितने व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं; और

(घ) उनके पुनर्वास के लिए भारत द्वारा कितनी सहायता दी गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) गत वर्ष जुलाई में श्रीलंका के जातीय दंगों के पीड़ितों को भारत ने औषधि, खाद्यान्न, वस्त्र, बिस्तर और बर्तनों के रूप में सहायता दी थी। भारत सरकार और इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी ने करीब एक करोड़ दस लाख भारतीय रुपयों की कीमत की चीजें मुहैया की हैं।

इसके अलावा, श्रीलंका में अब भी जो लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं उनको बसाने के लिए प्रधानमन्त्री ने भी चालीस लाख भारतीय रुपये की राशि स्वीकार की है। सहायता के लिए आवेदनपत्रों की जांच-पड़ताल करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें श्रीलंका की अनिवार्य सेवा महाआयुक्त का एक प्रतिनिधि, सम्बन्धित शरणार्थी शिविर के प्रभारी अधिकारी, सिलोन वर्कर्स कांग्रेस का एक प्रतिनिधि और भारतीय हाई कमीशन का एक प्रतिनिधि शामिल होगा।

(ग) और (घ) अनिवार्य सेवा महा आयुक्त से प्राप्त सूचनानुसार, संबंधित व्यक्तियों की संख्या करीब 2000-2500 हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को अपना काम-काज और सामान्य जीवन व्यतीत करने में हमारा यह योगदान सहायक होगा।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का क्रियान्वयन

4373. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित 14 मुद्दों को क, ख और ग तीनों क्षेत्र के राज्यों के लिये द्विभाषी रूप में क्रियान्वित करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय तथा विभागों और क, ख और ग क्षेत्रों के राज्यों में स्थित उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों द्वारा वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान 3(3) की क्रियान्विति की प्रतिशतता का राज्यवार एवं वर्ष-वार ब्योरा क्या है;

(ग) तीनों क्षेत्रों के राज्यों में उक्त सभी चौदह मुद्दों सम्बन्धी कार्य को शत-प्रतिशत द्विभाषी रूप में करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों को हिंदी में लिखे गये पत्र

4374. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में राजाभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अनुसार "क", "ख" और "ग" श्रेणी के राज्यों में स्थित अपने विभागों संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों को अलग-अलग कितने मूल पत्र लिखे;

(ख) उन पत्रों में से राज्य-वार एवं वर्ष-वार कितने मूल पत्र हिन्दी में और कितने अंग्रेजी में थे;

(ग) उक्त "क", "ख" और "ग" श्रेणी के राज्यों में स्थित उनके विभागों सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों ने उक्त अवधि के दौरान उनके मंत्रालय को कितने मूल पत्र लिखे हैं; और

(घ) उन मूल पत्रों में से राज्य-वार कितने पत्र हिन्दी में और कितने अंग्रेजी में थे ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पो०के० थुंगन) : (क) से (घ) समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा एक ओर सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों एवं संस्थानों और दूसरी ओर व्यक्तियों, राज्य सरकारों, आदि के सम्बन्ध में हिन्दी और अंग्रेजी में भेजे जाने वाले या प्राप्त होने वाले मूल पत्रों के बारे में आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का क्रियान्वयन

4375. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा अधिनियम, 1983 की धारा 3(3) में उल्लिखित 14 मुद्दों को क, ख और ग तीनों श्रेणियों के राज्यों के लिये द्विभाषी रूप में क्रियान्वित करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क, ख और ग राज्यों में स्थित मंत्रालय विभागों सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों द्वारा वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान धारा 3(3) की क्रियान्विति की प्रतिशतता का राज्यवार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) तीनों श्रेणियों के राज्यों में उक्त सभी चौदह मुद्दों को शत-प्रतिशत द्विभाषी करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जनसंख्या तथा विकास संबंधी एशियाई संसदविज्ञ फोरम के सम्मेलन में भाग लेने वाले देश

4376. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह**
श्री एन० ई० होरो } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में समाप्त हुए जनसंख्या तथा विकास सम्बन्धी एशियाई संसदविज्ञ फोरम के सम्मेलन में किन-किन देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : सम्मेलन के आयोजकों से मिली सूचना के अनुसार जनसंख्या तथा विकास सम्बन्धी एशियाई संसदविज्ञ फोरम के सम्मेलन में भाग लेने वाले निम्नलिखित देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया :—

1. आस्ट्रेलिया
2. चीन
3. फिजी
4. भारत
5. जापान

6. कोरिया गणराज्य
7. मलेशिया
8. मालदीव
9. मंगोलिया
10. फिलीपीन्स
11. सिंगापुर
12. श्रीलंका
13. सीरिया
14. थाइलैंड
15. वियतनाम
16. भूटान
17. साइप्रस
18. ईरान
19. इराक
20. लाओ गणतन्त्र गणराज्य
21. नेपाल
22. पापुआ न्यू गिनी
23. समोआ
24. सोलोमन द्वीप समूह
25. अफगानिस्तान

निरक्षरता दूर करने के उपाय

4377. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय देश में लगभग चार करोड़ निरक्षर बच्चे हैं;

(ख) यदि हां, तो निरक्षता दूर करने के लिए अब तक किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कम से कम बच्चों में निरक्षरता कब तक दूर कर दी जाएगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 1981 की जनगणना के प्राक्कलनों के अनुसार, 1984-85 में 6-14 आयु-वर्ग की जनसंख्या लगभग 140 लाख हो जाएगी । छठी पंचवर्षीय योजना के दाखिला (लगभग 1160 लाख) लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी चालू योजना अवधि के अन्त तक गैर-नामांकित बच्चों की संख्या लगभग 240 लाख होगी ।

(ख) प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए परिकल्पित तथा किए गए व्यापक उपायों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) प्रारंभिक शिक्षा (1-14 आयु-वर्ग) के सर्वसुलभीकरण के उद्देश्य को 1990 तक प्राप्त करने का लक्ष्य इस समय रखा गया है।

प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिये परिकल्पित तथा उठाए गये कदम

विवरण

(1) प्रारंभिक शिक्षा को, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (न्यू० आ० का०) तथा सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शिक्षा में इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है।

(2) सभी बस्तियों की आवश्यकताओं को देखते हुए प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल एसे स्थानों पर खोलना जहां बच्चे आसानी से पैदल चलकर पहुंच सकें।

(3) स्कूली शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं का अधिक उपयोग करना।

(4) एकल शिक्षक स्कूलों को दो-शिक्षक स्कूलों में बदलना।

(5) प्राथमिक तथा मिडल स्कूलों की भौतिक सुविधाओं को सुधारना।

(6) काफी बड़े पैमाने पर अनौपचारिक अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

(7) महिला-शिक्षकों को बड़े पैमाने पर नियुक्त करना तथा प्राथमिक और मिडल स्कूलों के लिए सहायक के रूप में शिशु सदनों/पूर्व स्कूलों की व्यवस्था करना।

(8) शैक्षिक योग्यता तथा सेवारत प्रशिक्षण के बेहतर स्तरों का प्रयोग करके शिक्षक क्षमता को सुधारना।

(9) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन श्रमिकों तथा गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग जैसे लक्षित समूहों तथा लड़कियों की ओर विशेष ध्यान देना।

(10) नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा लेखन-सामग्री, नि:शुल्क वर्दियां, विशेष रूप से लड़कियों के लिये, उपस्थिति छात्रवृतियां विशेष रूप से लड़कियों के लिए तथा मध्याह्न भोजन की पर्याप्त व्यवस्था करना।

(11) पाठ्यचर्याओं के विकेन्द्रीकरण के जरिए शिक्षा की कोटि को सुधारना तथा इन्हें विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों में बच्चों की आवश्यकताओं, जीवन-स्थिति और पर्यावरण के उपयुक्त बनाना।

(12) बिना ग्रेड वाली स्कूल प्रणाली शुरू करना तथा गतिरोध को समाप्त करना ताकि प्रत्येक बच्चा एक कक्षा को प्रत्येक वर्ष पूरा कर सके तथा तब तक उसकी कक्षोन्नति होती रहेगी जब तक वह कक्षा VIII पूरी करता है, किंतु इसके लिए निरन्तर आधार पर आवधिक मूल्यांकन और निर्धारण के जरिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय होने चाहिए।

(13) प्रारंभिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा में बहु-बिन्दु प्रवेश की व्यवस्था करना।

(14) शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में संकेन्द्रित प्रयास, इन राज्यों तथा प्रत्येक राज्य के पिछड़े क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों में भी अनौपचारिक कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा बढ़ाया जाना।

(15) प्राथमिक और मिडल स्कूलों में उपस्थिति का निरीक्षण।

(16) पर्यवेक्षी तन्त्र को सुदृढ़ करना तथा नीचे ब्लाक स्तर तक प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन को विकेन्द्रित करना।

(17) माता-पिता को शिक्षित करना ताकि बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के प्रति उनकी उदासीनता को समाप्त किया जा सके और विशेष रूप से ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के सभी स्कूलों में स्कूल समितियां गठित करना।

(18) शिक्षक-प्रशिक्षण सहित प्रारंभिक शिक्षा के लिए जन-संचार साधन का अधिकाधिक प्रयोग।

(19) शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में शिक्षा को व्यापक बनाने के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मार्गदर्शन करने के लिये राष्ट्रीय 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 16 से संबंधित समिति गठित करना तथा इन राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राज्य कार्य बलों की स्थापना करना ।

(20) प्राम्भिक आयु-वर्ग के बच्चों के लिये अनौपचारिक शिक्षा के वास्ते अध्यापन तथा अध्ययन सामग्री तैयार करने हेतु सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को कागज की केन्द्रीय सहायता ।

(21) पूरे शैक्षिक वर्ष में अनुवर्ती कार्रवाई सहित अभियान अवधि के दौरान नामांकन बढ़ाने तथा उनकी पढ़ाई जारी रखने के सम्बन्ध में गहन प्रयासों के लिए, राष्ट्रीय अभियान तैयार करना ।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिये छात्रों तथा अध्यापकों का सामूहिक चयन

4378. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सामूहिक परीक्षा लेने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली किन कारणों से अपनाई जा रही है;

(ग) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अध्यापकों का सामूहिक चयन करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि केवल उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय को छोड़कर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में योग्यता और अखिल भारतीय आधार पर दाखिला दिया जाना चाहिए । समिति ने यह भी सिफारिश की कि इस प्रयोजन के लिए एक राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा आयोजित की जाए । रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । तथापि, समिति ने सिफारिश की कि लेक्चरार के पद पर नियुक्ति के लिए लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम अर्हताओं के अलावा सभी विश्वविद्यालयों के लिए केन्द्रीय रूप से आयोजित परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी ।

रेल मन्त्रालय के हिन्दी निदेशालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध कर्मचारी

4379. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का हिन्दी निदेशालय पदोन्नति के मामले में यह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी अनुदेशों का पालन नहीं करता है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या मंत्रालय के सामान्य विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की 5½ वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद श्रेणी-दो के पदों पर पदोन्नति हो जाती है, जबकि हिन्दी निदेशालय में इस नीति का पालन नहीं किया जाता है;

(ग) हिन्दी निदेशालय में श्रेणी दो के कुल कितने पद हैं तथा 40-पाइन्ट रोस्टर की नीति के अन्तर्गत इन श्रेणी दो के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं;

(घ) क्या श्रेणी-दो के पदों के लिये उम्मीदवारों का चयन करने वाली चयन समिति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि को शामिल करने का कोई प्रावधान है; और

(ङ) यदि हां, तो हाल के चयन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं। अनुदेशों का पालन किया जाता है।

(ख) जनरल साइड में किसी भी नियम द्वारा यह निर्धारित नहीं किया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों को, 5½ वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, श्रेणी-II के पदों पर पदोन्नत कर दिया जाय।

(ग) हिन्दी निदेशालय में श्रेणी-II के 11 नियमित पद हैं। 40 प्वांट रोस्टर के अधीन अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी की पदोन्नति की गयी है।

(घ) और (ङ) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य को भी शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए, विशेषकर जब 30 अथवा अधिक उम्मीदवारों का एक साथ चयन करना हो। हिन्दी निदेशालय में श्रेणी-II के पदों के लिये किये गये पिछले चयन के दौरान, जो 30 से कम रिक्त स्थानों के लिये था, विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई सदस्य नहीं था। बहरहाल, आरक्षित समुदाय के एकमात्र पात्र उम्मीदवार का चयन किया गया था और यह स्थिति इस मंत्रालय के आरक्षण कक्ष के प्रभारी अधिकारी को भी स्वीकार थी।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थायें

4380. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक स्थापित की गई विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर इस प्रकार की संस्थाएं स्थापित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार का पश्चिम उड़ीसा में इस प्रकार की एक संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) देश में इस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मिश्रित संस्थान निम्नलिखित हैं :

(1) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलोर

(2) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, खड़गपुर

(3) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई

(4) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास

(5) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

(6) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली

(7) बिड़ला विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, पिलानी

(8) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

छठी योजना के दौरान उड़ीसा में कार्यान्वित बाल कल्याण परियोजनायें

4381. **श्री नित्यानन्दन मिश्र : क्या समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान उड़ीसा में कितनी बाल कल्याण परियोजनाएं कार्यान्वित की गईं; और

(ख) उपर्युक्त के कार्यान्वयन और उस योजना अवधि में परियोजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा कितना धन आवंटित किया गया ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में, 1979-80 तक स्वीकृत 8 परियोजनाओं सहित, 43 समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी० एस०) परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ख) समेकित बाल विकास सेवा योजना की क्रियान्विति के लिये वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान उड़ीसा सरकार को 2,54,94,015/-रुपये की धनराशि उपलब्ध की गई है जिसमें से 1979-80 तक विमुक्त अनुदान में से 5,84,403/- रुपये की अव्ययित धनराशि शामिल है। वर्ष 1984-85 के लिये 1,73,30,000/-रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है ।

केवल दिल के रोगियों के उपचार के लिये संस्थानों की स्थापना

4382. **श्री हरि हर सोरन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में केवल दिल के रोगियों के उपचार के लिए कुछ चिकित्सा संस्थानों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में ऐसे कितने चिकित्सा संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) दिल के रोगियों के उपचार के लिए इस समय क्या अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं और भविष्य में क्या सुविधाएं उपब्लध किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) :

(क) नहीं

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हृदय रोगियों के उपचार की सुविधाएं देश के बड़ अस्पतालों में पहले से मौजूद हैं और इनमें से कुछ अस्पतालों में इन्टेंसिव कार्डिक केयर यूनिटें स्थापित करके और ईको-कार्डियोग्राफी मशीनें लगाकर इन सुविधाओं को और बढ़ाया गया है । देश के 22 संस्थाओं में ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं ।

केंद्रीय विद्यालयों के गैर-शिक्षक कर्मचारियों के चयन ग्रेड

4383. **श्री चिंता मणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में सभी श्रेणियों के गैर-शिक्षक कर्मचारियों के लिए चयन ग्रेड, मंजूर किया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में गैर-शिक्षक कर्मचारियों को किसी विशिष्ट ग्रेड 5 वर्ष का सेवाकाल पूरा होने या तुरन्त पदोन्नति दी जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में अपने निर्धारित नियमों का अथवा इस बारे के केन्द्र सरकार के नियमों का पालन कर रहा है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) केन्द्रीय विद्यालयों में गैर-शिक्षण स्टाफ में केवल अवरश्रेणी लिपिक तथा वर्ग घ के कर्मचारी प्रवरण ग्रेड की स्वीकृति के लिए हकदार होते हैं। तथापि, पुस्तकाध्यक्षों और प्रयोगशाला सहायकों को प्रवरण ग्रेड स्वीकृत करने के मामले में शिक्षण स्टाफ के साथ शामिल किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रवर श्रेणी लिपिक, मुख्य लिपिक अधीक्षक आदि विभिन्न गैर-शिक्षण पदों पर पदोन्नति उन पात्र कर्मचारियों में से वरीयता एवं-योग्यता के आधार पर की जाती है जिन्होंने सेवा की निर्धारित न्यूनतम अवधि पूरी कर ली है। तथापि प्रयोग शाला परिचर के पद पर पदोन्नति के लिए सेवा अवधि की सीमा अपेक्षित नहीं है।

(घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन अपने कर्मचारियों के स्थानान्तरणों के विनियमन के लिए अपने निर्धारित नियमों का पालन कर रहा है।

जीवाणु विज्ञान विभाग को पुराने परिसर से नये परिसरों में ले जाना

4385. **श्री राम विलास पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल में जीवाणु विज्ञान विभाग को उसके पुराने परिसर से रक्त बैंक और सी०एन०आर० के बीच नये परिसर में ले जाने से संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

माचिसों की ढुलाई के लिये प्रोत्साहन

4386. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माचिसों की शिवाकाशी से दिल्ली को ढुलाई ट्रकों में की जा रही है, जबकि पहले इन्हें माल गाड़ी से लाया जाता था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा रेलों को इससे कितनी वित्तीय हानि हो रही है; और

(ग) क्या माचिसों के उत्पादों को कुछ उपयुक्त प्रोत्साहन देकर उनको रेलों की ओर आकर्षित करने का रेलवे विभाग का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) चूंकि शिवाकाशी से दिल्ली तक रेल द्वारा ढुलाई करने के लिए मार्ग में यानांतरण करना है, इसलिए माचिसों के प्रेषक सामान्यत: अपने परेषण को मद्रास तक सड़क मार्ग से भेजना सुविधाजनक समझते हैं और यानांतरण से बचने के लिए मद्रास से दिल्ली तक इन्हें रेल द्वारा बुक कराते हैं। पिछले 3 वर्षों में मद्रास में बुक किये गये ऐसे माल डिब्बों की संख्या में वृद्धि हुई है और रेल की भाड़ा दरें सड़क की दरों की तुलना में कम है।

दिल्ली परिवहन निगम को वर्ष 1983-84 के दौरान हुआ घाटा

4387. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम को वर्ष 1983-84 में भारी घाटा हुआ है जिसमें कुल घाटा बढ़कर 500 करोड़ रुपया हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली परिवहन निगम के कार्यकरण की जांच करने हेतु एक जांच समिति गठित करने और दिल्ली की महानगर परिषद में दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरह दिल्ली परिवहन निगम के बजट पर चर्चा हेतु करने प्रावधान बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) दिल्ली परिवहन निगम को वर्ष 1983-84 में लगभग 43.82 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है। 1983-84 तक 379.82 करोड़ रुपए की कुल संचित हानि होने का अनुमान है।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम को हानि के मुख्य कारण हैं—कम भाड़ा ढांचा और कच्चे माल की बढ़ती हुई कीमत जो अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की विभिन्न किस्तों और अन्य लाभ देने के कारण है जिसे केन्द्रीय सरकार की दरों के बराबर रखा जाता है।

(ग) ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) दिल्ली परिवहन निगम एक कानूनी निगम है जिसकी स्थापना सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अधीन की गई है और ऐसे निगमों के बजट पर सिर्फ राज्य की विधान मंडल या दिल्ली परिवहन निगम के मामले में संसद चर्चा की जा सकती है।

ब्रिटेन में भारतीयों की संख्या

4388. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय ब्रिटेन में कुल कितने भारतीय रह रहे हैं;

(ख) क्या उनके साथ जातीय भेदभाव किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्रिटेन में भारत मूल के लोगों को आतंकित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) यूनाइटेड किंगडम में भारतीय मूल के व्यक्तियों की संख्या करीब 7,19,000 है। अनुमान है कि इनमें से लगभग 50 प्रतिशत लोगों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं।

(ख) से (घ) ब्रिटिश सरकार और सभी प्रमुख राजनैतिक दल जातिवाद के प्रत्येक रूप के विरुद्ध वचनबद्ध हैं। लेकिन, कभी-कभी भेदभाव के कुछ मामले ब्रिटिश प्राधिकारियों के ध्यान में लाए गए हैं और उन्होंने इनकी जांच-पड़ताल की है। ब्रिटेन में भारतीयों और अन्य अश्वेत लोगों ने उनके खिलाफ पक्षपात करने की कभी-कभी शिकायतें की हैं। लेकिन, इतिहास की पृष्ठ भूमि में

और यूनाइटेड किंगडम में इस समय रहने वाले अश्वेत लोगों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए ही इस पर गौर किया जाना चाहिए । इस प्रकार के पक्षपात के परिणामस्वरूप यदाकदा जातीय आक्रमण भी हुए हैं । लेकिन यह विश्वास करने का कारण है कि इस प्रकार के हमलों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार की अधिक सतर्कता और ऐसे मामलों पर अधिक सूझबूझ से विचार करने के लिए पुलिस बल को दी गई विशेष शिक्षा के कारण भी, गत दो वर्षों में इस प्रकार के आक्रमणों की संख्या में कमी हुई है ।

अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व के कारण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुलों के निर्माण का सुझाव दिया जाना

4389. **श्री फूल चंद वर्मा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व के कारण किन-किन स्थानों पर पुलों के निर्माण का सुझाव किया है;

(ख) क्या सरकार ने इन पुलों के निर्माण संबंधी स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो उनके लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) छठी योजना में अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के लिए केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत पहले से ही अनुमोदित कार्यों में संशोधन सम्बन्धी मध्य प्रदेश सरकार से विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर निम्नलिखित स्कीमों को अनुमोदित किया गया जिस पर लगभग 2.35 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय की संभावना है । इस कुल व्यय में 1.45 करोड़ रुपये केन्द्र के हिस्से में है और शेष 90.00 लाख रुपये राज्य को अपने ही साधनों से पूरा करना पड़ेगा ।

1. उज्जैन-बड़नागर-थंडला-लिमड़ी मार्ग पर लड़खी और माही नदियों पर 2 पुलों का निर्माण

2. बनजारिया-कनहन नदियों पर दो पुलों सहित चिरैदोन्ग्री-कन्हा-किसली सड़क को चौड़ा करना और मजबूत करना ।

विवरण

छठी योजना में अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के पुलों के लिये ऋण सहायता की मंजूरी हेतु मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का विस्तृत विवरण

क्रम सं०	सड़क/पुल का नाम	पुलों की संख्या	कुल व्यय लाख रुपये में
1.	बनजारी और कन्हन नदियों में चिराय दोन्गाय-कन्ह कीसली मार्ग पर पुलें	2	65.00
2.	बडोल बखारी मार्ग पर पुलें और पुलियां	9	22.00
3.	बंडोल कलरबंकी सड़क पर पुलें और पुलियां	5	8.00
4.	मुंगवानी जाम सड़क पर पुलें	3	6.00
5.	मोरबोड़ी सड़क पर पुलें	7	22.00
6.	क्लरकन्ती से खपा मार्ग पर पुलें	3	10.00
7.	बंकों से मुगवानी सड़क (बरास्ता) कतिया पर पुलें	4	17.00
8.	बरवारी से अमरवारा सड़क पर पुलें	5	15.00
9.	उज्जैन बड़नगर थंडाला लिमड़ी मार्ग (अर्थात् मही नदी और लड़खी नदी) पर पुलें ।	2	75.00
		40	240.00

थांडला रोड पर जनता रेलगाड़ी के रुकने की व्यवस्था

4390. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थांडला रोड पर बहुत कम रेलगाड़ियां रुकती हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार जनता से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिऐ थांडला रोड पर रेलगाड़ी को रोकने की व्यवस्था करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) थांडला रोड स्टेशन पर एक्सप्रेस अर्थात् 19/20 देहरादून एक्सप्रेस सहित 4 जोड़ी गाड़ियां रुकती हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) यातायात औचित्य की कमी के कारण फिलहाल थांडला रोड स्टेशन पर 23/24 जनता एक्सप्रेस को ठहराने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

स्कूली बच्चों में कुष्ठ रोग का अधिक फैलना

4391. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में किए गए नमूना सर्वेक्षण से स्कूली बच्चों में कुष्ठ रोग के अधिक फैलने का पता चला है जो कि 1000 विद्यार्थियों में से 2 की है, और यदि हां, तो इस रोग को समाप्त करने/रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं :—

(ख) क्या यह सच है कि कुष्ठ रोग का टीका विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास सम्बंधी प्रयत्न और उपलब्धियां अब तक असंतोषजनक रही हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में प्रभावी और बेहतर कुष्ठ रोग विरोधी दवाएं तैयार करने के लिये भी अनुसंधान और विकास के प्रस्ताव असंतोषजनक हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली में, दिल्ली प्रशासन अथवा दिल्ली नगर निगम द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) अनुसंधान और विकास समय लगने वाली प्रक्रियाएं हैं क्योंकि "लेप्रोमेन रीएक्शन" टाक्सीकोलोजीकल मूल्यांकन आदि जैसे अनेक परीक्षण कुछेक बुनियादी वैज्ञानिक मापदण्डों के अनुसार किये जाने होते हैं । इन वैक्सीनों की उपयुक्तता का मूल्यांकन कर लेने के बाद ही इनका मानवों पर परीक्षण किया जाता है लेप्रोसी वैक्सीन का विकास करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद भरसक प्रयत्न करता रहा है ।

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में रीफैम्पीसिन और क्लोफैजिमिन जैसी कारगर कुष्ठ—रोधी औषधियों को शामिल किया गया है और इन औषधियों के साथ डेपसोन मिला कर देने से संक्रामक रोगियों का उपचार काल 5-10 वर्ष से घट कर 2 वर्ष रह जाता है ।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को कमीशन विक्रेताओं के पद पर नियुक्ति

4392. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 से 1983 तक बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत, सरकार द्वारा कितने गरीब, भूमिहीन और शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की करुणा के आधार पर कमीशन विक्रेताओं के पद पर नियुक्ति की गई है; और

(ख) 1980 से 1983 तक कितने व्यक्तियों से कमीशन विक्रेताओं के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त हुए ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) 1980 से 1983 तक प्राप्त कुल 5218 आवेदनों में से कुल 830 व्यक्तियों को कमीशन वेंडरों के रूप में नियुक्त किया गया है।

विटामिन "ए" की कमी के कारण 40,000 भारतीयों का अंधा होना

4393. श्री हरीकेश बहादुर
श्री हरिश कुमार गंगवार } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "यूनिसेफ" की एक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें विटामिन "ए" की कमी के कारण प्रतिवर्ष 40,000 भारतीयों के अंधे होने पर चिन्ता व्यक्त की गई है और यदि हां, तो पूरे देश में कौन से व्यावहारिक दोषरहित तरीका अपनाये गये हैं और क्या कार्यक्रम चल रहे हैं;

(ख) क्या वे विटामिन "ए" की कमी के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान लोगों के अंधे होने के मामलों के राज्य-वार आंकड़े बताएंगी;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे मामले आदिवासियों अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों में अधिक होते हैं; और

(घ) क्या सरकार इससे अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत/सेवारत स्वैच्छिक एजेंसियों और गैर सरकारी/डाक्टरों के माध्यम से विटामिन "ए" का वितरण करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) यूनिसेफ के एक प्रकाशन में यह बताया गया है कि भारत में लगभग 40,000 बच्चे पोषण की समस्याओं के कारण अंधेपन से पीड़ित हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार देश में प्रति वर्ष लगभग 30,000 बच्चे विटामिन "ए" की कमी के कारण अंधे हो जाते हैं। विटामिन "ए" की कमी से होने वाले अंधेपन की रोकथाम के लिए स्कूल-पूर्व-आयु वाले बच्चों को विटामिन "ए" की खुराकें देने का एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) सरकार और स्वैच्छिक ऐजेंसियों द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-केन्द्रों में कार्यरत चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों के माध्यम से विटामिन "ए" वितरित की जा रही है।

राज्यों में सी० जी० एच०एस० के लाभार्थियों को सुविधाएँ देना

4394. श्री अमल दत्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सी० जी० एच०एस० के लाभार्थियों को जनरल मेडीकल कार्मिक स्पेशलिस्ट मेडिकल कार्मिक नर्सिंग स्टाफ, पैरा-मेडीकल स्टाफ, अस्पताल विस्तार और डिस्पेंसरियों के बारे में क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : यह सूचना विवरण में दे दी गई है।

विवरण

1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान जनरल मेडिकल कार्मिकों, विशेष चिकित्सा कार्मिकों, नर्सिंग स्टाफ, परा-चिकित्सा स्टाफ अस्पताल पलंगों और औषधालयों का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार विवरण।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1980-81						1981-82		
	जी०एम०पी	एस०एम०पी०	एन०एस०	पी०एम०एस०	एच०बी० डिस्पेंसरी		जी०एम०पी०	एस०एम०पी०	एन०एस०
उत्तर प्रदेश	126	10	22	238	शून्य	29	128	10	22
महाराष्ट्र	236	8	34	347	शून्य	43	261	16	42
गुजरात	23	2	3	43	शून्य	5	23	2	3
पश्चिम बंगाल	68	5	12	114	शून्य	12	76	5	13
तमिलनाडु	62	1	11	110	शून्य	11	66	1	11
कर्नाटक	42	2	8	75	शून्य	9	42	6	9
आन्ध्र प्रदेश	58	2	10	112	शून्य	14	62	4	13
बिहार	25	2	5	48	शून्य	6	25	2	5
राजस्थान	26	2	4	53	शून्य	6	26	6	5
दिल्ली	699	55	275	993	120	96	722	62	279

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1982-83								
	पी०एम०एस०	एच०बी०	डिस्पें०	जी०एम०पी०	एस०एम०पी	एन०एस०	पी०एम०एस०	एच०बी०	डिस्पेंसरी
उत्तर प्रदेश	252	शून्य	29	137	10	23	284	शून्य	32
महाराष्ट्र	391	शून्य	46	284	16	42	430	शून्य	48
गुजरात	45	शून्य	5	23	2	3	45	शून्य	5
पश्चिम बंगाल	160	शून्य	14	76	5	14	162	शून्य	16
तमिलनाडु	119	शून्य	13	69	5	13	125	शून्य	13
कर्नाटक	77	शून्य	9	45	6	9	98	शून्य	9
आंध्र प्रदेश	123	शून्य	14	66	4	13	125	शून्य	15
बिहार	49	शून्य	7	25	2	3	52	शून्य	7
राजस्थान	53	शून्य	6	28	6	5	57	शून्य	6
दिल्ली	937	120	98	740	64	301	958	120	100

*केवल स्वीकृत पद ।

**केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के दिल्ली से बाहर के शहरों में कोई अस्पताली पलंग नहीं हैं । वैसे, भर्ती करने के लिये अनेक सरकारी/प्राइवेट अस्पतालों को मान्यता दे दी गई है । इन अस्पतालों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिये कोई अलग पलंग आबंटित नहीं किये गये हैं ।

जी०एम०पी०—जनरल मेडिकल कार्मिक

एस०एम०पी०—विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी

एन०एस०—नर्सिंग स्टाफ ।

पी०एम० एस०—परा चिकित्सा स्टाफ

एच०बी०—अस्पताल के पलंग

डिस्पेंसरी—औषधालय ।

रेलगाड़ियों में वातानुकूलित 2 टियर यात्री डिब्बे जोड़ने का प्रस्ताव

4395. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वित्त वर्ष के दौरान कुछ और रेल गाड़ियों में वातानुकूलित 2-टीयर यात्री डिब्बे जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन रेल गाड़ियों के नाम क्या हैं जिनमें ऐसे डिब्बे जोड़े जाने का विचार है;

(ग) क्या कलिंग एक्सप्रेस में वातानुकूलित 2-टीयर डिब्बे जोड़े जाने की मांग बढ़ रही है;

(घ) यदि हां, तो कलिंग एक्सप्रेस में वातानुकूलित 2-टीयर डिब्बे जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) इस प्रकार के डिब्बों की कमी के कारण, फिलहाल कलिंग एक्सप्रेस में उनकी व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं है।

शिक्षा-संस्थाओं में योग प्रशिक्षण

4396. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसी व्यापक प्रस्ताव के अभाव में केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत शिक्षा संस्थाओं में योग प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा कितने प्रशिक्षित अध्यापक इस कार्य पर लगाए जाने के लिए उपलब्ध हैं अथवा इस कार्य पर लगाए जा चुके हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : केन्द्रीय विद्यालयों में योग को 1981 से प्रयोगात्मक आधार पर एक अलग विषय के रूप में शुरू किया गया है। यह प्रयोग 30-4-1985 तक जारी रहेगा। इस प्रयोग मूल्यांकन होने तक अन्य शैक्षिक संस्थाओं में योग को शुरू करने की सिफारिश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

योग अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिये उपलब्ध प्रशिक्षित अध्यापकों की कुल संख्या के बारे में सरकार के पास कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि इस समय केन्द्रीय विद्यालयों में 411 योग अध्यापक कार्यरत हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की शिकायत निवारण तंत्र

4397. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने कर्मचारियों की शिकायतों को निपटाने के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तन्त्र की स्थापना की है, (स्टेट्समैन-23 फरवरी, 1984);

(ख) क्या सरकार का विचार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के और अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापन कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए इसी तरह का तन्त्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसकी यदि कोई समय अनुसूची बनाई गई है तो क्या है; और

(ग) क्या सरकार का संविधान में किए गए उपबन्धों के अनुसार सभी कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना और सृजन में तेजी लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने छात्रों और गैर अध्यापन कर्मचारियों की अलग-अलग और सामूहिक शिकायतों पर विचार करने और उन्हें निपटाने के लिए पृथक् शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जनवरी, 1982 में स्थापित समिति ने, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में समुदाय के विभिन्न वर्गों की शिकायतों पर विचार करने तथा उनके निपटान के लिये मौजूदा पद्धतियों की जांच करने के बाद, इस प्रयोजन के लिये विशेष कोर्ट अथवा प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने सहित अनेक सिफारिशें की हैं। सरकार को अभी रिपोर्ट की जांच करनी है और इसमें की गई सिफारिशों पर अपना दृष्टिकोण बनाना है।

मेट्रो रेल, कलकत्ता के निर्माण पर खर्च की गई धनराशि

4398. **श्री हरिहर सोरन**
श्री सत्यगोपाल मिश्र } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेट्रो रेल, कलकत्ता के निर्माण पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) उपरोक्त परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने हेतु कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है; और

(ग) उस परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तारीख क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) फरवरी, 1984 तक मेट्रो रेलवे, कलकत्ता के निर्माण पर व्यय की गयी राशि लगभग 223 करोड़ रुपये है।

(ख) वर्ष 1984-85 के लिए आवंटित की गई राशि 80.70 करोड़ रुपये है।

(ग) बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों, इस परियोजना के खोले जाने के लिए निर्धारित समय इस प्रकार हैं :—

एस्प्लेनेड-भवानीपुर	—	1984 के मध्य में
दमदम-बेलगछिया	—	1984 के अन्त में
भवानीपुर-टालीगंज	—	1985 के अन्त में
बेलगछिया-एस्प्लेनेड	—	1987 के अन्त में

निसार हुसैन भट्ट को पाकिस्तान से स्वदेश वापस लाना

4399. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय ने नई कालोनी, सोपोर (जम्मू और कश्मीर राज्य) निवासी श्री निसार हुसैन भट्ट आत्मज श्री गुलाम मोहम्मद भट्ट को पाकिस्तान से स्वदेश वापस लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कौन से उपचारी कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम): (क) और (ख) अक्तूबर, 1982 में इस आशय की खबर मिलने पर कि निस्सार हुसैन भट्ट को पाकिस्तान के प्राधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है, हमने इस्लामाबाद स्थित अपने राजदूतावास को तुरन्त यह हिदायत दी कि इस मामले को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाएं ताकि उसका पता लगाया जा सके और उसे वहां से रिहा कराके भारत लाया जा सके। हमारा मिशन पाकिस्तान के प्राधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है लेकिन उधर से अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं आया है।

बरेठ रेलवे स्टेशन पर माल यातायात की सुविधा

4400. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का विचार मध्य प्रदेश में बरेठ रेलवे स्टेशन पर माल यातायात के लिए बुकिंग सुविधा पुनः आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) 10-1-1983 से मध्य प्रदेश में बरेठ रेलवे स्टेशन को माल डिब्बा भार/फुटकरों में माल यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सामान्य आवास पूल से आवंटन के पात्र सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण

4401. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और दिल्ली, नई दिल्ली स्थित उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में काम करने वाले सरकारी आवास पाने के पात्र कितने सरकारी कर्मचारियों को गृहनिर्माण ऋण मंजूर किया गया और उनमें से कितनों ने गत तीन वर्षों के दौरान अपने मकानों का निर्माण पूरा कर लिया है;

(ख) उनमें से कितनों को सरकारी आवास प्राप्त हैं और उनमें से कितने अपने सरकारी आवास खाली करके अपने मकानों में चले गए हैं और उनमें से कितनों ने अपने सरकारी आवास खाली करके उन्हें किराए पर दे दिया है; और

(ग) उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्हें नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है तथा तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) कैलेण्डर वर्षों 1981, 1982 और 1983 के दौरान समाज कल्याण मंत्रालय में काम कर रहे 16 अधिकारियों और कर्मचारियों, जो सरकारी आवास पाने के पात्र हैं, को गृह निर्माण के लिए ऋण स्वीकृत किया गया। इनमें से 7 कर्मचारियों ने अपने गृहों का निर्माण पूरा कर लिया है। एक कर्मचारी को जिसे सरकारी आवास आवंटित नहीं हुआ है, को भूमि खरीदने के लिए गृह निर्माण ऋण स्वीकृत किया गया है।

(ख) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई हैं :—

(1) सरकारी आवंटित किए गए कर्मचारियों की संख्या	7 (16 में से)
(2) (1) में से अपने घरों में चले गए कर्मचारियों की संख्या	1

(3) उन कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने अभी अपने सरकारी आवास खाली नहीं किया है परन्तु उसे किराए पर दे दिया है शून्य

(4) ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनके पास सरकारी आवास नहीं हैं परन्तु वे अपने मकानों में चले गए हैं 4 (7 में से)

(ग) क्योंकि अपने मकान वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास प्राप्त करने और अपने मकानों को किराए पर देने से निर्माण और आवास मंत्रालय के आदेश वर्जित नहीं करते अतः ऐसे सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बच्चों को छूत के रोग, निर्जलन बीमारी और मृत्यु से बचाने के लिये राज्यों में चल रही केंद्रीय योजनाएं

4402. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में कोई ऐसी केन्द्रीय योजना आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत बच्चों को छूत के रोग, निर्जलन बीमारी और मृत्यु से बचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार के मामले देश के दूरस्थ जन जातीय गांवों में बढ़ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो बच्चों के उपयुक्त उपचार के लिए क्या विशेष उपाय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) मध्य प्रदेश के कौन-कौन से जिलों में उपर्युक्त केन्द्रीय योजना आरम्भ की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य के अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनका सीधा सम्बन्ध शिशुओं के जीवित रहने और उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से है। इन कार्यक्रमों में डिफथीरिया, कुकरखांसी, टेटनस, पोलियो तथा क्षयरोग, पोषण की कमी से होने वाली अरक्तता से बचाव करना और डीहाइड्रेशन रोकने के लिए ओरल रीहाइड्रेशन साल्ट पैकेट की व्यवस्था करना शामिल है। ये सभी कार्यक्रम विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के सभी जिलों में चलाए जा रहे हैं। हालांकि, आदिवासी क्षेत्रों में इन बीमारियों की घटनाओं के बारे में कोई विशेष आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तथापि आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

जोगियारा स्टेशन पर पशुपति एक्सप्रेस के रुकने की व्यवस्था और चन्दौना में एक नया रेलवे स्टेशन 'हाल्ट' बनाना

4403. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुर रोड और कमताउल स्टेशन के बीच जालय एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक और पुलिस स्टेशन के लिए जोगियारा ही एक मात्र स्टेशन है और वहां पर पशुपति एक्स० (77 अप और 78 डाउन) के रुकने की सख्त जरूरत है;

(ख) यदि हां, तो वे रेल गाड़ियां किस तारीख से वहां रुकेंगी;

(ग) क्या जोगियारा और जनकपुर रोड स्टेशन के बीच चन्दौना में विशेषकर कालिदास मैमोरियल कालेज के छात्रों और अध्यापकों के आने-जाने के लिए, एक नया रेलवे 'हाल्ट' बनाने की मांग की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो वहां पर एक नया 'हाल्ट' बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) यद्यपि जैली से निकटतम स्टेशन जोगियारा है, फिर 77/78 एक्सप्रेस को जोगियारा में ठहराने का कोई औचित्य नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। जोगियारा और जनकपुर रोड स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई थी लेकिन आवर्ती हानि के कारण वित्तीय दृष्टि से औचित्य-पूर्ण नहीं पाया गया। इसके अलावा, हाल्ट के लिए प्रस्तावित स्थान जनकपुर रोड स्टेशन से केवल 3 कि० मी० दूर है।

सिंगरोली-ललितपुर रेल लाइन

4404. श्री भोर्येन्द्र झा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में सिंगरोली-ललितपुर रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य तथा अन्य औपचारिकताएं जैसे उसका अनुमोदन आदि का कार्य बहुत पहले पूरा हो गया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच कि उक्त रेल लाइन बिछाने की मांग समर्थन में 1 जनवरी, 1984 को गाड़ियों के आने-जाने को रोकने के लिए दूर-दराज स्थानों से लोग आ गये थे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सिंगरोली-ललितपुर रेल लाइन बिछाने का कार्य चरणों में पूरा करने का है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) खजुराहो, सतना और रीवा के रास्ते ललितपुर से सिंगरोली तक बड़ी लाइन के लिए 1979 81 की अवधि के दौरान प्रारंभिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था। दो वैकल्पिक संरेखणों की जांच की गई थी। सर्वेक्षण की रिपोर्ट से पता चला है कि दोनों विकल्प वित्तीय दृष्टि से अक्षम नहीं है। बहरहाल, रीवा, गोविन्दगढ़ तथा बाघवर के रास्ते सतना तथा ब्यौहार के बीच एक बड़ी लाइन के निर्माण के लिए एक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण 1984-85 के बजट में शामिल कर लिया गया है क्योंकि इस क्षेत्र में कुछ सीमेंट फैक्टरियां स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) ललितपुर-सिंगरोली रेलवे लाइन के निर्माण के लिए 1-1-1984 को ललितपुर स्टेशन पर एक आंदोलन किया गया था।

(ग) नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए उपलब्ध सीमित संसाधनों को देखते हुए इस रेल सम्पर्क के निर्माण के प्रश्न पर केवल तब ही विचार किया जा सकता है जब धन सम्बन्धी स्थिति में सुधार हो।

"यूनिसेफ" सहायता प्राप्त बाल कल्याण योजनाएं

4405. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल कल्याण के लिए यूनाइटेड नेशनल इन्टरनेशनल चिल्ड्रेन इमेर्जेंसी फण्ड की सहायता से चलने वाली कुछ परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त "यूनिसेफ" योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में चलाए जा रहे कल्याणकारी उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन स्वयंसेवी संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जो उपरोक्त "यूनिसेफ" परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के काम में लगी है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ) भारत सरकार की बहुत सी परियोजनाओं को कृषि विश्वविद्यालयों में खाद्य और पोषण में शिक्षा, खाद्य और गांव प्रोद्योगिकी जल और पर्यावरण सफाई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा विकास, बचपन में अपंगता, निराश्रित बच्चे, समेकित बाल विकास सेवाओं, विशेष पोषाहार कार्यक्रम क्षेत्र विकास में सामाजिक निवेश, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास, शहरी विकास, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रों में सहायता प्रदान करती है।

इन परियोजनाओं को देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डी डब्ल्यू सी आर ए) शहरी विकास (यू डी ई वी) जैसी बहुत सी यूनिसेफ सहायता प्राप्त परियोजनाओं में स्वयंसेवी संगठनों की सहायता को सम्मिलित कर लिया गया है। स्वयंसेवी संगठन वे हैं जो बाल कल्याण, विकलांग कल्याण महिला कल्याण और सम्बन्धित विषयों के क्षेत्रों में संचालित हैं।

पूर्वी रेलवे में स्विचमैनों के स्थान पर सहायक स्टेशन मास्टर रखे जाना

4406. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री सहायक स्टेशन मास्टर और सेक्शन नियंत्रकों के लिए साप्ताहिक अवकाश के बारे में 5 मई, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10350 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेल के आसनसोल डिवीजन में पैनल बोर्ड पर काम कर रहे स्विचमैनों के स्थान पर सहायक स्टेशन मास्टर रखे जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ख) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) पूर्व रेलवे द्वारा अपेक्षित संख्या में सहायक स्टेशन मास्टरों के पद सृजित किये गये हैं और इन पदों को भरने की कार्रवाई की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में विदेशी और केंद्रीय सहायता से चलाये जा रहे बाल गृह

4407. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कितने बाल गृह चलाए जा रहे हैं;

(ख) विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले उन बाल गृहों के नाम क्या हैं;

(ग) उनमें से कितनी बाल गृहों को केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो रही है; और

(घ) देश में चलाए जा रहे विभिन्न बाल गृहों को पिछले तीन वर्षों में प्राप्त विदेशी और केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण में मन्त्रालय उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) (क) से (घ) देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत बाल गृहों को चलाने हेतु अनुमोदित संगठनों की सूची समाज कल्याण

मन्त्रालय द्वारा रखी जाती है। मंत्रालय राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को एक मुश्त अनुदान प्रदान करता है। राज्य सरकारें केन्द्रीय हिस्से और राज्य के हिस्से सहित, स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान की राशियां विमुक्त करती हैं। बाल गृहों को केन्द्रीय सहायता सीधे तौर पर नहीं दी जाती है। बाल गृहों को चलाने के लिए अनुमोदित संगठनों की संख्या और समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को विमुक्त किए गए अनुदान को दर्शाने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

निम्नलिखित चार बाल गृहों ने गृह मन्त्रालय को रिपोर्ट दी है कि उन्होंने गत तीन वर्षों (1981, 1982, 1983) के दौरान विदेशी सहायता प्राप्त की है :—

नाम	1981, 1982 और 1983 के दौरान प्राप्त की गई विदेशी सहायता
1. बच्चों का घर, दरिया गंज, देहली	2,20,492·62
2. बाल गृह, नीमच-458441 मध्य प्रदेश	7,556.00
3. बाल गृह, सैकोट, पो० बा० 15, छुरछुनपुर-795128 मणिपुर	5,74,260.00 (30 जून, 1983 तक)
4. बाल गृह, भोगपुर, देहरादून, उत्तर प्रदेश	31,17·057·56

विवरण

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1980-81 से 1982-83 के दौरान अनुमोदित संगठनों की संख्या	विमुक्त धनराशि		
			1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	47	5,15,895	5,89,119	13,87,473
2.	असम	6	1,67,266	2,02,061	2,79,117
3.	बिहार	6	2,67,214	3,02,169	4,59,365
4.	गुजरात	10	1,97,468	3,87,410	4,12,448
5.	हरियाणा	9	2,77,911	1,46,301	1,69,098
6.	हिमाचल प्रदेश	1	—	—	10,699
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	42,525	10,699

1	2	3	4	5	6
8.	कर्नाटक	104	11,18,642	19,04,273	20,39,027
9.	केरल	18	7,12,186	8,35,729	9,22,969
10.	मध्य प्रदेश	10	90,418	1,94,568	2,60,713
11.	महाराष्ट्र	29	5,47,184	7,91,370	7,28,854
12.	मणिपुर	3	40,477	19,200	66,948
13.	मेघालय	6	1,87,200	1,79,261	2,30,724
14.	नागालैंड	5	7,856	42,678	1,31,113
15.	उड़ीसा	18	28,26,355	2,74,260	3,67,429
16.	पंजाब	5	31,685	19,200	68,731
17.	राजस्थान	6	6,72,540	5,97,255	7,06,194
18.	सिक्किम	2	2,683	27,579	28,800
19.	तमिलनाडु	95	13,22,937	21,66,482	27,70,894
20.	त्रिपुरा	9	1,89,930	1,71,882	2,18,683
21.	उत्तर प्रदेश	46	6,19,019	7,76,566	5,00,000
22.	पश्चिम बंगाल	33	3,55,672	7,87,400	12,42,809
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	27,015	54,870	1,56,034
24.	अरुणाचल प्रदेश	6	1,34,333	2,86,987	1,72,800
25.	चण्डीगढ़	—	—	—	—
26.	दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—
27.	दिल्ली	1	1,39,000	1,53,132	1,72,800
28.	गोवा दमन और द्वीप	2	5,835	29,800	38,139
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
30.	मिजोरम	1	27,600	74,160	74,160
31.	पांडिचेरी	8	1,66,672	3,32,931	3,56,312
	कुल योग	488	80,94,271	1,13,08,148	1,39,96,042

हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान बनाये गये जहाज

4408. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम्** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने पिछले दो वर्षों के दौरान कितने जहाज बनाए;

(ख) क्या कोई जहाज विदेशों के लिए बनाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने कितनी धनराशि अर्जित की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउरहमान अन्सारी) : (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने पिछले दो वर्षों में निम्नलिखित जहाजों का निर्माण प्रत्येक मद के आगे बताए गए चरण तक पूरा किया है :—

(1) 27,000 डी डब्ल्यू टी के 3 बल्करों के लिए कील डाली गई ।

(2) 3 जहाजों पर काम शुरू किया गया ।

पिछले दो वर्षों में उपरोक्त सहित 7 जहाजों का विभिन्न चरणों में निर्माण हो रहा था ।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दक्षिण रेलवे के अंतर्गत घाटे में चल रही रेल लाइनें

4409. श्री ही० एस० ए० शिवप्रकाशम् : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के अन्तर्गत घाटे में चल रही रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन रेल लाइनों पर कब से घाटा हो रहा है; और

(ग) इन रेल लाइनों पर घाटा कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) दक्षिण रेलवे पर ऐसी 16 लाइनें हैं जिनमें हानि हो रही है । इनमें से 13 लाइनें अलाभप्रद शाखा लाइनें हैं जिनको अलाभप्रद शाखा लाइन समिति, 1969 की सिफारिशों के सन्दर्भ में अलाभप्रद घोषित किया गया है तथा तीन नई लाइनें हैं । इन लाइनों का ब्यौरा तथा किस वर्ष से इनमें हानि हो रही हैं संलग्न विवरण में निर्दिष्ट हैं ।

(ग) इन लाइनों की वित्तीय अर्थक्षमता में सुधार जाने के लिए, समय-समय पर अनेक उपाय किये गये हैं ताकि ऐसी लाइनों की आय बढ़ाई जा सके और संचालन व्यय कम किया जा सके ।

इन उपायों में से कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) जनता की सुविधाओं के अनुकूल रेलवे समय सारणी में समायोजन करके अतिरिक्त यातायात का विकास करना ।

(2) उन गाड़ियों को रद्द करना जो कम लोकप्रिय हैं ?

(3) बिना टिकट यात्रा की रोकथाम।

(4) यात्री और माल गाड़ियों के स्थान पर मिश्रित गाड़ियां चलाना ।

(5) कुछ स्टेशनों/हाल्टों को बंद करना ।

(6) परिचालन लागत को कम करने के लिए चालित गाड़ियों के लिए 'केवल एक इंजन' प्रणाली लागू करना।

(7) कर्मचारी, ईंधन और अनुरक्षण व्यय में किफायत ।

(8) कम लोकप्रियता आदि जैसे कारणों से माल यातायात के लिए यथाआवश्यक स्टेशन बन्द करना ।

(9) राज्य सरकारों को, हालांकि इसमें बहुत सफलता नहीं मिली, स्टेशनों को मिलाने वाली पोषक सड़कों की व्यवस्था के लिए राजी करना तथा गाड़ी सेवाओं के समय के दौरान समानान्तर सड़क परिवहन में कटौती करना ।

विवरण

क्र०सं०	लाइनों का नाम	खुलने का वर्ष	वर्ष जब से हानि हो रही है
	अलाभप्रद शाखा लाइनें*		
1.	शेरुवण्णूर-निलम्बूर	1954	1969-70*
2.	विषुपुरम-पांडिचेरी	1879	1978-79*
3.	तिरुतरायपुंडी-प्वांइंट कालीमारी	1936	1969-70*
4.	मैट्टुपलायम-इटकमंड	1908	1969-70*
5.	मदुरै-बोदिनायकानूर	1954	1969-70*
6.	चिकजाजूर-चित्रदुर्ग	1921	1969-70*
7.	ननजुंगुड-चामराजनगर	1926	1969-70*
8.	बेंगलूरु सिटी-बंगारपेट्टै	1918	1969-70*
9.	निडामंगलम-मनारगुडी	1915	1969-70*
10.	पैरालम-करैक्कल	1898	1969-70*
11.	मयूरम-ट्रानक्वेबार	1926	1969-70*
12.	तिरुनेलवेली-तिरुचंदूर	1923	1969-70*
13.	सगारा-तालागुप्पा	1940	1969-70*
	नई लाइनें		
1.	सेलम-बेंगलूरु	1967	1969-70
2.	हसन-मंगलोर	1979	1980-81
3.	तिरुवनंतपुरम-नागरकोयल-कन्याकुमारी-नागरकोयल-तिरुनेलवेली	1981	1981 82

*जहां तक अलाभप्रद शाखा लाइनों का सम्बन्ध है, वित्तीय परिणामों के ब्यौरे केवल 1969 से रखे गये थे, इन लाइनों को 'अलाभप्रद शाखा लाइन समिति, 1969' की सिफारिशों के सन्दर्भ में प्रत्येक रेलवे पर परिभाषित और घोषित किया गया था।

बच्चों के बारे में "यूनिसेफ" की 1984 की विशेष रिपोर्ट

4410. **श्री अमर सिंह राठवा**: क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष (यूनिसेफ) की 1984 की विशेष रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें विकासशील देशों में बच्चों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) देश के भविष्य अर्थात् बच्चों और विशेषकर पिछड़े क्षेत्र के बच्चों के कल्याण हेतु उक्त सुझावों को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र बाल निधि) ने ही स्टेट आफ दी वर्ल्ड चिल्ड्रन 1984 प्रकाशित की है जो सरकार को प्राप्त हो गई है।

(ख) छोटे बच्चों में बाल उत्तरजीविका एवं विकास प्रबोधन, स्तनपान, अतिसार के प्रबल के लिये ओरल रिहाइड्रेशन थ्रेपी, संक्रामक रोगों के विरुद्ध बच्चों का प्रतिरक्षण, बच्चों के लिये पूरक खाद्यान्न, परिवार नियोजन और महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये अनेक उपायों के सुझाव दिए गये हैं।

(ग) सरकार छोटे बच्चों के कार्यक्रमों में विशेषकर समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) के कार्यक्रम में इन उपायों को पहले ही कार्यान्वित कर रही है।

115/116 लखनऊ-बम्बई एक्सप्रेस को मंडी-बमोरा स्टेशन पर रोकना

4411. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 115/116 लखनऊ-बम्बई एक्सप्रेस को मंडी-बामोरा स्टेशन पर रोकने का है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यातायात का औचित्य कम होने की वजह से।

बरेली और मथुरा के बीच यात्री टिकटों की बिक्री

4412. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरेली और मथुरा जंक्शन के बीच 1980, 1981, 1982, 1983 और जनवरी, 1984 तक, वर्ष-वार, कितने यात्री टिकट बेचे गये और रेल किराये के रूप में सरकार को कितनी धन-राशि प्राप्त हुई; और

(ख) टिकटों की बिक्री में कमी आने या वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) बरेली और मथुरा स्टेशनों के बीच 1981-82 से 1983-84 (जनवरी, 1984 तक) के दौरान बेचे गये टिकटों और इनसे प्राप्त आमदनी का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	बेचे गये टिकटों की संख्या	आमदनी रुपये
1980-81	43,30,957	1,47,03,497
1981-82	51,42,783	1,69,40,841
1982-83	45,83,990	1,89,69,654
1983-84 (जनवरी, 1984 तक)	41,64,018	1,97,96,471
1982-83 (जनवरी, 1983 तक)	38,61,638	1,61,44,653

(ख) यद्यपि प्रारम्भिक यात्री यातायात कम प्राप्त होने के कारण 1981-82 की तुलना में 1982-83 में बुक किये गये यात्रियों की संख्या में कुछ गिरावट आई, लेकिन 1983-84 के दौरान इसका रुख ऊर्ध्वगामी रहा, जैसा कि उपर्युक्त (क) से देखा जा सकता है।

"पाकिस्तान काश्मीर को भूल नहीं सकता"
शीर्षक से समाचार

4413. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जनवरी, 1984 के दैनिक हिन्दुस्तान में 'पाकिस्तान काश्मीर को भूल नहीं सकता" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध प्रकट किया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां। सरकार ने यह खबर देखी है।

(ख) और (ग) काश्मीर के बारे में भारत की स्थिति सुविदित है और इसे संसद में और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी स्पष्ट शब्दों में बार-बार बताया जा चुका है। कानूनी और संवैधानिक रूप से जम्मू और काश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान की सरकार को यह स्थिति बता दी गई है और उसे यह कह दिया गया है कि काश्मीर को लेकर उसका आंदोलन दोनों देशों के संबंधों को सुधारने में सहायक नहीं है। विदेश मन्त्री ने 30 जनवरी, 1984 को मद्रास में यह स्थिति एक बार फिर दोहराई थी।

जाली आय प्रमाणपत्रों के आधार पर जवाहर लाल नेहरू
विश्वविद्यालय में दाखिला

4414. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिले के मामले में अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कुछ छात्रों को जाली आय प्रमाणपत्रों के आधार पर दाखिला दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन छात्रों तथा जाली प्रमाणपत्र जारी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1982 में की गई आकस्मिक जांच से पता चला है कि कुछ छात्रों ने, जिन्हें दाखिल मिला था, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े पन के लिये किए गए आरक्षित स्थानों के लिये दी गई रियायत को प्राप्त करने के लिये जाली आय प्रमाणपत्र दिये थे।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय ने 6 छात्रों का दाखिला रद्द कर दिया। अन्य 8 को अर्थ-दण्ड दिया गया था और उनमें से 4 को प्रदान की गई शिक्षा वृत्ति/छात्रवृत्ति वापिस ले ली गई।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

खसरा अलर्क रोग (रबिस) और पोलियों रोगों के उन्मूलन के प्रयास

4415. श्री डी० वी० पुत्ते गौडा
श्री बाल कृष्ण वासनिक } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में खसरा, अलर्क रोग और पोलियो रोगों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए क्या प्रयास किए हैं;

(ख) ऐसे रोगों के उन्मूलन के लिए क्या सरकार का अन्य देशों से भी सहायता प्राप्त करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) खतरा अलर्क रोग और पोलियो की रोकथाम वेक्सीनों द्वारा की जा सकती है और इसलिए सरकार ने इन वेक्सीनों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। टीके लगाने के साथ-साथ ओरल पोलियो वेक्सीन देना रोग प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम का पहले ही अंग है।

पुस्तकों का प्रकाशन

4416. डा० प्रताप बाघ : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज की घटिया किस्म और कागज के निर्यात की अनुमति के कारण पुस्तकों के प्रकाशन में उन्नति पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो किस्म में सुधार और कागज की पूर्ति में वृद्धि, कागज प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण निर्यात को रोकने और अच्छी पुस्तकों के प्रकाशन के संवर्धन हेतु मूल्यों में कमी के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) कागज उद्योग इस समय मुद्रक कागज सहित विभिन्न प्रकार का कागज और कागज बोर्डों का उत्पादन कर रहा है। इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं हैं कि कागज की किस्म घटिया है। जहां तक कागज के निर्यात का सम्बन्ध है लेखन और मुद्रण कागज के निर्यात के लिए 10,000 टन तक की सीमित सीमा तक अनुमति दी जाती है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता के कारण लेखन और मुद्रण कागज का वास्तविक निर्यात नगण्य है और इससे पुस्तक प्रकाशन के विकास में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ी है।

कागज की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं इनमें लघु कागज मिलों को अपरम्परागत कच्चे माल का उपयोग करने के लिए उत्पादन-कर रियायत प्रदान करना और नई इकाइयों द्वारा निर्मित लेखन और मुद्रण कागज के लिए खोई का उपयोग करना, काष्ठ लुगेद के आयात को उदार बनाना, इसके आयात पर सीमा शुल्क घटाना, कागज बनाने के लिए काम में लाए जाने वाले रद्दी कागज पर आयात-कर हटाना तथा कागज के निर्माण के लिए काष्ठ खपच्चियों के आयात पर सीमा शुल्क में छूट देना शामिल है। अवस्थापना सहायता में सुधार किया जा रहा है ताकि कागज उद्योग अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग कर सके। कागज पर बुनियादी उत्पादन कर घटाया जा रहा है। और इससे कागज की उपलब्धता की स्थिति में सुधार होगा। अनेक कागज मिलों की, कागज के उत्पादन और किस्म में सुधार करने के लिए, आधुनिकीकरण नवीकरण की योजनाएं हैं।

सांसदों के एशियाई संघ के सम्मेलन में विवाह की आयु को 20 वर्ष करने का आह्वान

4417. **श्री पी० नामग्याल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांसदों के एशियायी मंच के हाल में ही नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए पुरुषों और महिलाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु 20 वर्ष करने का आह्वान किया गया; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस दिशा में कोई कानून बनाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) सम्मेलन में इस बात का आह्वान किया गया है कि विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया जाए।

(ख) बाल विवाह प्रतिबंध (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। यह महसूस किया जाता है कि महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ा कर 20 वर्ष करने का अभी उपयुक्त समय नहीं आया है।

विश्व शांति और न्यायोचित आर्थिक व्यवस्था

4418. **श्री के० लकप्पा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ शीत युद्ध रोकने और शक्ति लोलुप राष्ट्रों द्वारा घातक हथियारों के निर्माण रोकने में एक निष्क्रिय संस्था हो गई है; और

(ख) क्या उपरोक्त में संदर्भ में विश्व संविधान और संसद संघ जैसे आंदोलनों, जो विश्व शांति और न्यायोचित आर्थिक, व्यवस्था कायम करने के लिए प्रयत्नशील हैं, का समर्थन करने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) अपनी सीमाओं के बावजूद सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण तथा एक नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्राप्ति जैसे विश्व के बड़े-बड़े मामलों के हल ढूंढने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ही सर्वाधिक उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय मंच है। मार्च, 1983 में नई दिल्ली में आयोजित 7वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के उद्देश्यों तथा सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करने के संबंध में अपनी वचनबद्धता दोहराई थी और इस विश्व संगठन का समर्थन करने तथा उसे मजबूत बनाने की जरूरत को स्वीकार किया था ताकि अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने तथा विभिन्न राज्यों के बीच में न्यायोचित आर्थिक संबंध स्थापित करने और विश्व में मूल अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं के प्रदान किए जाने में अपनी केन्द्रीय भूमिका अदा करने के उद्देश्य से, इसे प्रभावकारी माध्यम बनाया जा सके।

(ख) भारत का विश्वास है कि विश्व शांति तथा एक न्याय संगत आर्थिक व्यवस्था कायम करने के लिए प्रयत्नशील सभी मंच उसी हद तक उपयोगी हैं, जहां तक वे विश्व में व्याप्त तनाव को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय अमन चैन बढ़ाने में सहायक होते हैं।

रेलवे द्वारा दायर की गई अपील की सुनवाई के लिए श्रमिकों को सुविधाएं

4419. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान रेलवे द्वारा दायर की गयी अपील की सुनवाई के लिए संयुक्त सचिव तथा अपील प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु श्रमिकों के प्रतिनिधियों को सुविधा देने

के लिए महाप्रबन्धक पूर्वी रेलवे को लिखे गये अवर सचिव, श्रम मन्त्रालय के दिनांक 29 दिसम्बर, 1983 के पत्र की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि निर्देशों के बावजूद कोई सुविधा नहीं दी गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

झांसी मंडल मैकेनिकल इंजीनियरों द्वारा धनराशि वसूल किये जाने का आरोप

4420. **श्री हेमवती नंदन बहुगुणा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी मण्डल के कुछ अधिकारियों ने 'कैरिज एण्ड वैगन दिवस' के नाम पर निर्धन लोगों से जबरदस्ती लाखों रुपये वसूल किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच करवाई है;

(ग) यदि हां, तो जांच के दौरान किन तथ्यों का पता चला है;

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

हल्दिया बन्दरगाह पर माल उतारने की सुविधाओं का विस्तार तथा और अधिक घाट बनाना

4421. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया बंदरगाह पर रिकार्ड माल और कोयला उठाने को ध्यान में रखते हुए हाल ही में सरकार ने इस बन्दरगाह पर माल उतारने की सुविधाओं के विस्तार तथा और अधिक घाट आदि बनाने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उसमें कितना पूंजी परिव्यय अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) इस विस्तार कार्यक्रम को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) पी० ओ० एल० की हैंडलिंग में बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए हल्दिया पत्तन में सेकेण्ड आयल जेट्टी के निर्माण का प्रस्ताव है। मौजूदा आयरन और बर्थ में कोयले की हैंडलिंग के लिए अतिरिक्त स्टैकिंग और रिक्लेमिंग सुविधाओं की व्यवस्था कर उसमें सुधार का प्रस्ताव भी है। हल्दिया में प्रस्तावित सेकेण्ड आयल जेट्टी के निर्माण और कोयले की हैंडलिंग के लिए मौजूदा आयरन और बर्थ में सुधार कार्य पर क्रमश: 34.15 करोड़ रुपये और 1.93 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है।

(ग) चूंकि इन दोनों ही स्कीमों की स्वीकृति अभी दी जानी है, अत: उसके पूरा होने की तारीख को बता पाना अभी संभव नहीं है।

बेरूत में संयुक्त राष्ट्र सेना रखने के लिये सुरक्षा परिषद में फ्रांस का प्रस्ताव

4422. **श्री छोटूभाई वसावा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरूत में अमरीकी नौसैनिक बेड़ों तथा फ्रांस, ब्रिटेन तथा इटली की वापस बुलाई जा रही सेनाओं के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र सेना भेजने के लिए फ्रांस द्वारा सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव रखा गया था;

(ख) क्या लेबनान तट से अमरीकी नौसेना को भी एक साथ वापस बुलाया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ग) जी, हां, लेबनान में बहुराष्ट्रीय सेनाओं के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र सेना रखने के बारे में फ्रांस ने हाल ही में सुरक्षा परिषद् में एक प्रस्ताव रखा था। भारत और अन्य गुटनिरपेक्ष देशों ने कई सुझाव रखे जिन्हें संशोधित मसौदे में शामिल कर लिया गया। इस मसौदे में अन्य बातों के अलावा यह भी व्यवस्था है कि संयुक्त राष्ट्र सेना का गठन किया जाए और "जैसे ही बहुराष्ट्र सेना के सभी तत्व लेबनान प्रदेश और उसकी जल सीमा से हट जाएं" वैसे ही इस सेना को बेरूत क्षेत्र में तैनात कर दिया जाए। भारत ने अन्य गुटनिरपेक्ष देशों के साथ संशोधित फ्रांसीसी मसौदे के पक्ष में मत दिया। सुरक्षा परिषद् में बहस के दौरान भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि हम यह जानते हैं कि संशोधित मसौदे में सभी बातें नहीं आईं। तो भी हमारा विश्वास है कि यह मसौदा "काफी व्यापक है और अनिवार्य तत्वों का स्वीकार्य ढांचा है और संयुक्त राष्ट्र सेना के गठन की दिशा में प्रारंभिक कदम उठाने के लिए यह परिषद को उपयुक्त आधार प्रदान करता है।" तथापि सोवियत समाजवादी गणतन्त्र ने इस मसौदे के विरुद्ध मत दिया था। अतः सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य द्वारा विरोध में मत दिए जाने के कारण यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सका।

छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के पुराने रेल डिब्बों को बदलना

4423. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के रेल डिब्बे बहुत पुराने हैं और इनमें पंखे और खिड़कियां पूरी तरह टूट जाने, शौचालय पूरी तरह से टूटे-फूटे होने तथा खतरे की जंजीर खराब होने के कारण बेकार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस लम्बी दूरी वाले ऐक्सप्रेस ट्रेन के रेल डिब्बे कब बदले जायेंगे; और

(ग) क्या उक्त गाड़ी में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा कर तथा गाड़ी के समय में परिवर्तन करके उसको पूरी तरह एक्सप्रेस गाड़ी बनाया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के सवारी डिब्बों की हालत की समीक्षा की गयी है और उपचारात्मक उपाय किये हैं। हाल ही में 2 रेकों का आवधिक ओवरहाल करके उन्हें सेवा में लगाया गया है तथा एक और रेक को शीघ्र ही सेवा में लगाया जाएगा। इन सवारी डिब्बों में सुविधा संबंधी सभी फिटिंगों की व्यवस्था की गयी है किंतु शरारती तत्वों तथा समाज विरोधी गतिविधियों और गुण्डागर्दी के कारण सुविधा संबंधी इन फिटिंगों की उठाई गीरी हो जाती है। सामान्य अनुरक्षण के दौरान प्रारम्भिक और अन्तिम स्टेशनों पर इन कमियों को पूरा करने के लिए सभी प्रकार से प्रयास किये जाते हैं।

(ग) 137/138 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की गति तेज करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि ऐसा करने के लिए ठहरावों में कमी करनी पड़ेगी, जिसका वर्तमान उपयोगकर्त्ताओं द्वारा विरोध किया जायेगा ।

करुर डिडीगुल रेल लाइन का पूरा किया जाना

4424. **श्री ईरा अनबाझगु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 के रेलवे बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन में करुर-डिडीगल बड़ी लाइन के पूरे होने की संभावित तारीख न बताने के क्या कारण हैं जबकि अन्य सभी नयी परियोजनाओं की पूरा होने की तारीखें बताई गयी हैं; और

(ख) इस परियोजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है और यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी ए० गनी खान चौधरी) : (क) संसाधनों की समग्र तंगी को देखते हुए, इन सभी नयी लाइन परियोजनाओं, जहां धन की उपलब्धता में कठिनाई थी, के पूरा होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख 1982-83 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में नहीं किया गया है ।

(ख) अब तक खर्च की गयी कुल राशि 7.25 करोड़ रुपये है । परियोजना का तूतीकोरिन से तिरुनलवेली तक का चरण-1, स्टेज (1) 1985 में खोले जाने की सम्भावना है । बहरहाल, संपूर्ण परियोजना के पूरा होने की तारीख वर्षानुवर्ष संसाधनों की उपलब्धता तथा धन के आबंटन पर निर्भर करेगी ।

भंडार निरीक्षकों के वेतनमान

4425. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने ग्रुप 'ग' और 'घ' संवर्ग का पुनर्गठन करते समय नौवहन निरीक्षकों को भंडार निरीक्षकों के रूप में पुनः पदलयित किया है और 700-900 रुपये के वेतनमान को सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं;

(ग) निरीक्षकों के संयुक्त अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) नौवहन निरीक्षकों की कोटि के लिए तीसरे वेतन आयोग ने 550-750 रु० के उच्चतम वेतनमान की सिफारिश की थी । बहरहाल, संवर्ग की पुनर्संरचना करते समय पूर्व रेलवे पर उपलब्ध इस कोटि के लिए 1976 में जारी आदेश में गलती से 700-900 रु० का वेतनमान लिख दिया गया था जब गलती का सुधार किया गया तो जिन कर्मचारियों को गलती से यह ग्रेड आबंटित कर दिया गया था उनको व्यक्तिगत रियायत के रूप में इस ग्रेड में जारी रहने की अनुमति दे दी गई थी । नौवहन निरीक्षकों का भंडार निरीक्षकों के रूप में पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) अन्य बातों के साथ-साथ नौवहन निरीक्षकों को 700-900 रु० का ग्रेड या इस ग्रेड के समतुल्य ग्रेड आबंटित किये जाने की मांग पर चौथे वेतन आयोग द्वारा विचार किया जायेगा जो रेलवे कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों में संशोधन आदि के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है ।

अधिक औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना

4426. **श्री० ए० के० बालन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का और अधिक औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) देश में अब तक कितने राज्यों ने पर्याप्त संख्या में औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) नहीं।

(ख) गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और तमिलनाडु राज्यों के पास औषधियां के सभी वर्गों की जांच करने की सुविधायें उपलब्ध हैं और आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा और केरल राज्यों के पास औषधियों के कुछेक वर्गों की जांच करने की सीमित सुविधायें उपलब्ध हैं।

12.02 म०प०

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अब तो क्वेश्चन आवर खत्म हो गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है, उसमें इतनी देर हो गई है कि अब देश इस को बर्दास्त नहीं कर सकता।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। इसमें मसला इतना ही है कि मेरे बस में जो था, वह मैंने करवा दिया है। अब अगर इसमें और वाद-विवाद करना चाहते हो, तो इसको बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में रख देंगे और अगर वहां यह तय हो जाए कि बहस की जाए, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आगे भी बहुत करवाया है, चार दफा करवाया है। और चाहो तो कर लो। जो मेरे बस में था, वह मैंने कर दिया और बाकी आप जानें और गवर्नमेंट जाने।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : हमें अधिकतम अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, परन्तु मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं। भूतपूर्व गृह मंत्री श्री वेंकटरामन भी इस समय यहां उपस्थित हैं। उन्होंने और श्री सेठी ने भी इस सभा में बार-बार वक्तव्य दिये हैं। यदि आप सभा की कार्यवाही के रिकार्ड को देखें तो आपको पता चलेगा कि सरकार ने स्पष्ट वक्तव्य दिये हैं तथा समूची सभा का यह एकमत है कि यदि वे इसे लागू नहीं करते तो हमारे लिए और क्या चारा रह जाता है ? अन्ततः संसद की क्या गरिमा है, यह सर्वोच्च संस्था है।

अध्यक्ष महोदय : एक दफा और कर लो।

आप एक बार और चर्चा कर सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप मंत्री महोदय से यह क्यों नहीं पूछते कि वे क्या करना चाहते हैं ?... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ये क्या कर रहे हैं। आप अपने स्थान पर खड़े हों। यह अच्छा नहीं लगता है कि आप इस तरह से खड़े हों।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं पुनः आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि संविधान के कुछ उपबन्ध...

अध्यक्ष महोदय : उस दिन भी किया था।

प्रो० मधु दंडवते : मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं उसकी आगे की व्याख्या इस प्रकार है। संविधान के अनुच्छेद 340 के परन्तुक (3) में कहा गया है :

"राष्ट्रपति इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि, उस पर की गई कार्यवाही के संक्षिप्त ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।"

पिछली बार आपने बताया था "हमने सरकार से पूछा है कि वह हमें बताये वे क्या कर रही हैं।' संविधान में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि 'की गई कार्यवाही' प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाये। आप सरकार को संविधान की इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए और कितनी ढील देना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कार्यवाही की है। अब आगे·····

श्री चन्द्रजीत यादव : उन्होंने कार्यवाही नहीं की है (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : अकर्मण्यता को "की गई कार्यवाही" प्रतिवेदन नहीं कहा जा सकता। उन्हें इसे स्पष्ट करना चाहिए। मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : तो यह आपका व्यवस्था का प्रश्न है और में समझता हूं कि हम इस पर पहले भी विचार कर चुके हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमन् मैं आपको याद दिला दूं कि उस समय जब यह प्रश्न उठाया·····

अध्यक्ष महोदय : मेरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। आप इस संबंध में मेरे पास आकर अपनी बात कह सकते हैं। हम देखेंगे कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। आप इस पर मुझसे चर्चा कर सकते हैं। यदि आप मुझे अनुमति दें··· (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : इस विषय पर अपना विनिर्णय देने से पहले···

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर अपना विनिर्णय दे चुका हूं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या विनिर्णय के संबन्ध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए आप मुझे कुछ छूट देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे यह देख लेने दीजिये कि मैंने पिछली बार क्या निर्णय दिया था। मैं इसे देखूंगा·····

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको बताऊंगा मुझे आपका वह विनिर्णय याद है। मैं आपको बता सकता हूं कि आपने क्या विनिर्णय दिया था। आपने कहा था "यह सही है कि परन्तुक 3 के अनुसार 'की गई कार्यवाही' प्रतिवेदन सभापटल पर रखा जाना चाहिये। हमने यह बात सरकार को सूचित की है।" तब सरकार ने अपने वक्तव्य में बताया 'हम पहले ही बता चुके हैं कि हमने इस संबंध में विभिन्न राज्यों को सूचित किया है।" परन्तु तब से बहुत सा समय गुजर चुका है। अन्ततः उन्होंने सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की है। जानकारी राज्यों को देना केवल डाकखाने का काम करना है।··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० आप मेरा और सभा का समय क्यों ले रहे हैं ? मैंने आपको चर्चा के लिए आमंत्रित किया है।

प्रो० मधु दण्डवते : व्यवस्था का प्रश्न उठाना आपका समय लेना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे सामने कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसके सम्बंध में मुझे विनिर्णय देना हो। स्थगन प्रस्ताव को अभी लिया नहीं गया है। मैंने आपको आमंत्रित किया है, मैं इस संबंध में

सर्वथा खुले दिमाग से बात करना चाहता हूं। यदि आप मुझे विश्वास दिला दें कि इसमें और चर्चा की गुंजाइश है तो हम ऐसा कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : वे स्थिति स्पष्ट करें। सरकार सामने विराजमान है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कुछ तथ्य दीजिये तब मैं.....

प्रो० मधु दंडवते : ऐसा कैसे हो सकता है, जब एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है सरकार कुछ नहीं कह सकती ?... (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, आपको नोटिस दिया और आपने दो बार डिस्कशन कराया। उस पर सरकार ने कहा था कि कैबिनेट सब कमेटी के पास उसको भेज दिया है। केबिनेट सब कमेटी के दो मेम्बर श्री वेंकटरामन जी और श्री शिव शंकर जी यहां बैठे हैं...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अलग से चर्चा की जाये।

श्री राम विलास पासवान : यहां केबिनेट सब-कमेटी के दो मेम्बर बैठे हैं। वे बता सकते हैं। नहीं तो आप एक बार डिस्कशन और करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब रोका है। आप लिख कर दीजिए, मैं करवाने को तैयार हूं।

श्री राम विलास पासवान : गवर्नमेंट इसको लागू करवाना नहीं चाहती है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कह दिया है। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं ?

(**व्यवधान**)

श्री धनिक लाल मंडल (झंझारपुर) : यह बहरी और गूंगी सरकार है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं डा० भोई ?

डा० कृपा सिन्धु भोई (सम्बलपुर) : मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। पारादीप बन्दरगाह पर 25 से अधिक लोग मारे गए...

अध्यक्ष महोदय : हम आज 4 बजे साय चर्चा कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप सरकार को निर्देश क्यों नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं चर्चा की अनुमति दे सकता हूं। यही मैं कर सकता हूं और वह मैं करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : आप उनसे संविधान के उपबंधों की भरपाई करने के लिए क्यों नहीं कह सकते ? यह एक संवेदनशील विषय है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी समय चर्चा की अनुमती देने को तैयार हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मात्र चर्चा से हम संतुष्ट नहीं। हम आश्वासन चाहते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप जरूर दीजिए, आपका घर है। मेरा तो है नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए ऐसा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आपने हम लोगों की बात नहीं सुनी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सब की बात सुन ली है, आप क्या सुनाना चाहते हैं ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम को आप पर विश्वास है। हम जानते हैं कि आप मंडल कमीशन के बारे में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की नीयत खराब है, इसका क्या उत्तर है, इसका क्या इलाज है। आप उससे क्यों नहीं स्टेटमेंट दिलाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो कह दिया है कि मैं डिस्कशन कराने के लिए तैयार बैठा हूं। जब मर्जी हो करवा लीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब कोई और चीज नहीं मिलती है तो मंडल कमीशन आ जाता है।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, हम वाक आऊट करते हैं।

12.08 म० प०

(तत्पश्चात् श्री मनी राम बागड़ी और कुछ माननीय सदस्य सदन से उठकर चले गये)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 के कार्यकरण और प्रशासन के बारे में कार्मिक प्रतिवेदन

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के कार्यकरण पेपर प्रशासन के बारे में 31 मार्च, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए। सं० एल० टी०-7967/84]

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली, हैदराबाद विश्वविद्यालय, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता तथा मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वार्षिक लेखे, आदि।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : मैं श्रीमती शीला कौल की ओर से निम्नलिखित पर सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण, परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिकण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष, 1982-83 के लेखा परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 7968/84]

(3) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय के 1 अप्रैल, 1982 से 31 मार्च, 1983 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय के 1 अप्रैल, 1982 से 31 मार्च, 1983 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपयुक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7969/84]

(5) (एक) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 7970/84]

(7) मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज इलाहाबाद, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 7971/84]

केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बगलौर का वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलोर, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 7972/84]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० कृष्ण) : मैं श्री जनार्दन पुजारी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सा० का० नि० 209 (अ), और 210 (अ), जो 9 मार्च 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुऐ थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो बेतार सादित्रों उपसाधनों और संघटकों को जब उनका आयात किसी अनुज्ञप्त प्रेयांशीली रेडियो आपरेटर द्वारा किया जाये सम्पूर्ण मूल, उपसंगी और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है ।

(2) सा० का० नि० 211 (अ), जो 9 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसका आशय ताड़ वसा अम्ल डिस्टिलेट और तार स्टेरिन वसा अम्ल जिसमें स्पिलट ताड स्टेरिन वसा अम्ल भी शामिल है, समेत ताड़ वसा अम्ल की मिलने वाली छूट के अन्तर्गत आने वाले माल के विवरण में संशोधन करना है ।

(3) सा० का० नि० 215 (अ), जो 15 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो आस्ट्रिया के शिलिंग, वेल्जियम के फ्रेंक, डेनमार्क के क्रोनर, डुत्सिमार्क, डच के गिल्डर, फ्रांस के फ्रेंक, जापान के येन और स्वीडन के क्रोनर इन मुद्राओं को भारत अथवा भारतीय मुद्रा को उक्त मुद्राओं में बदलने की विनिमय दरों के बारे में है ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 7973/84]

समिति के लिये निर्वाचन

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4 (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, नाविकों सम्बन्धी राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4 (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, नाविकों संबंधी राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले.....

नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलानी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने अब अगली मद ले ली है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमान, लोकतंत्रीय संस्था का अधिक्रमण किया गया है। बम्बई नगर निगम का अधिक्रमण किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। संविधान पढ़िये।

12.11 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों की चर्चा कर रहे हैं, श्री शैलानी।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार कर रहे हैं। श्री शैलानी की बात के अतिरिक्त कुछ भी न लिखा जाये। मैं आप सब से अपील करता हूं। हमने अगली मद ले ली है। अध्यक्ष महोदय ने अगली मद ले ली थी। मैं किसी को बोलने की अनुज्ञा नहीं दे रहा हूं। मैंने पहले ही श्री शैलानी का नाम पुकार दिया है। अब पीछे जाना उचित नहीं है। हम केवल आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जायेंगे।

श्री शैलानी, कृपया ऊंचा बोलिये। कृपाया मेरी सहायता कीजिये।

(व्यवधान)**

श्री बृज मोहन महन्ती : उठे

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इसका आदर करना होगा । हम नियम 377 के अधीन मद पर हैं । मैं किसी को अनुज्ञा नहीं दे रहा हूं । श्री शैलानी, आगे आइये । कुछ भी न लिखा जाये । केवल 377 के बारे में लिखा जाये ।

श्री शैलानी । आप पढ़िये । इसे लिखा जायेगा ।

12.14 म० प०

[तत्पश्चात श्री राजनाथ सोनकार शास्त्री, श्री धनिक लाल मंडल और कुछ अन्य सदस्य सदन से उठकर चले गये]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जेना, आप पढ़िये । इस कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जायेगा ।

(एक) उत्तर प्रदेश में बिचौलियों द्वारा हथकरघा बुनकरों का शोषण

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश हथकरघा उद्योग में बिचौलियों द्वारा बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है, जिसके कारण हर साल लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है और बुनकरों का शोषण किया जा रहा है । बताया जाता है कि अधिकतर बिचौलिये उनका लायसेंस लेकर विदेशों से रेशम का धागा आयात करते हैं और 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बुनकरों को बेचते हैं जबकि इस रेशम की लागत महज 225 रुपए प्रति किलोग्राम होती है ।

उत्तरप्रदेश में लगभग 70,000 हथकरघे हैं जिनमें से अधिकतर वाराणसी और आजमगढ़ जिलों में हैं । उत्तरप्रदेश में शहतूत और टसर के पेड़ लगाने की योजना अभी पूरी तरह विकसित न होने के कारण वहां कर्नाटक के व्यापारियों के द्वारा रेशम मंगाया जाता है । बिचौलियों के इस घपले में उत्तरप्रदेश के भी कई व्यापारियों का हाथ है ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि बुनकरों के हितों को ध्यान में रखकर इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए और उन्हें बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराया जाए ।

(दो) उड़ीसा स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का असंतोषजनक कार्यकरण

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : श्रीमान, मैं नियम 377 के अधीन एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

उड़ीसा राज्य में स्थित सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों तथा अधिकांश छोटी टेलीफोन एक्सचेंजों में बहुत अधिक असंतोषजनक ढंग से हो रहा है और राज्य में लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी परेशानी और असुविधा हो रही है हालांकि इन की स्थापना, किराये आदि पर बहुत अधिक धनराशि खर्च की गई है । उपभोक्ताओं, संसद सदस्यों, विधान सभाओं के सदस्यों तथा अन्य लोगों द्वारा लिखे जाने के बावजूद इन्हें सुधारने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है और इस जटिल समस्या का कोई हल नहीं निकला है और दूसरी ओर विभाग द्वारा राजस्व की हानि को पूरा करने के लिए सैंकड़ों उपभोक्ताओं तथा अभिदाताओं और प्रत्याभूति दाताओं से बिलों की वसूली के लिए कड़ी कार्यवाही की जा रही है, यद्यपि वे कह रहे हैं कि ऐसे ठप पड़े टेलीफोनों और सर्वजनिक टेलीफोनों को हटा लिया जाये क्योंकि जरूरत के समय ये काम में ही नहीं आते विभाग के इस रूख के कारण उपभोक्ताओं तथा आम जनता में बड़ा रोष व्याप्त है ।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

ऐसी गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय संचार मन्त्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस समस्या पर स्वयं विचार करें तथा उड़ीसा में स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों में गड़बड़ी को तुरन्त दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

(तीन) बाड़मेर, जैसलमेर जोधपुर, बीकानेर तथा श्रीगंगा नगर में उच्चशक्ति ट्रांसमीटरों की स्थापना करने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : श्रीमान, मैं नियम 377 के अधीन एक अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूं।

यह एक सराहनीय बात है कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने देश में दूरदर्शन के जाल में विस्तार करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की है, जिसमें 1984 के अन्त तक 70 प्रतिशत जनसंख्या को इसकी परिधि में लाया जा सकेगा।

संचार माध्यम में वस्तुत: एक क्रांति आ गई है, जिस से न केवल लोगों को शिक्षा और जानकारी देने तथा उनका आमोद-प्रमोद करने, बल्कि राष्ट्रीय अखण्डता लाने में भी बहुत सहायता मिलेगी।

मन्त्रालय ने राजस्थान के सीमावर्ती नगरों, अर्थात् बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर तथा श्रीगंगानगर में दूरदर्शन के क्षेत्र में विस्तार कम शक्तिशाली ट्रासमीटरों द्वारा करने का निर्णय किया है। ये जिले क्षेत्र में तो बहुत बड़े-बड़े हैं परन्तु आबादी बहुत कम है। कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों से केवल 15 किलोमीटर के भीतर वाले क्षेत्रों को ही लाभ होगा। इन जिलों की केवल 5 प्रतिशत आबादी को लाभ होगा जबकि लक्ष्य देश में 70 प्रतिशत लोगों को दूरदर्शन की परिधि में लाने का है।

इन सभी जिलों में पाकिस्तान के दूरदर्शन संकेतों का अधिक प्रभाव है क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली हैं। पाकिस्तानी प्रचार का प्रतिकार करने के लिए हमें इन क्षेत्रों में अपने संचार माध्यम को बहुत ही अधिक शक्तिशाली बनाना होगा।

अत: मेरा यह अनुरोध है कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर तथा श्री गंगानगर में अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटरों की स्थापना करने हेतु तुरन्त निर्णय करें।

(चार) कोयला के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति की बैठक बुलाए जाने की आवश्यकता

श्री एम० एम० लारेंस (इदुक्की) : श्रीमान, कोयला उद्योग के लिए संयुक्त त्रिपक्षीय समिति की बैठक न बुलाए जाने पर अनेक लाख कोयला कर्मकारों में भारी रोष व्याप्त है। केंद्रीय कार्मिक संघ, अर्थात् भारतीय कार्मिक संघ केन्द्र, भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस, अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस, भारत मजदूर संघ और हिन्द मजदूर संघ ने ऐसी बैठक की मांग की है। कोल इण्डिया लिमिटेड के प्रबन्धक इसके बावजूद कि कोयला उद्योग के लिए द्विपक्षीय राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर हुए लगभग 4 महीने बीत गये हैं, बैठक बुलाने से इन्कार करते आ रहे हैं। कोल इण्डिया लिमिटेड के प्रबन्धक केन्द्रीय कार्मिक संघों के उत्पादन एवं कार्य निष्पादन संबंधी प्रश्न पर विचार करने की मांग को भी ठुकरा रहे हैं।

कोयला करार के अनेक खण्ड अभी तक क्रियान्वित नहीं किये गये हैं। करार के कुछ खंडों को क्रियान्वित करने के लिए बनाई गई उपसमितियों के कार्य में भी विशेष प्रगति नहीं हुई है। इस बीच प्रबन्धक करार के कुछ खण्डों का अर्थ एक पक्षीय तौर पर लगा रहे हैं, हालांकि कर्मकारों ने इस पर आपत्ति की है।

प्रबन्धकों ने एक दिन की अधिकृत छुट्टी के लिए मनमाने तौर पर 8 दिन की मजदूरी काटनी आरम्भ कर दी है। छोटी-छोटी बातों को लेकर हजारों कर्मकारों के स्थानांतरण और पदच्युति तथा विद्यमान सुविधाओं में कमी करने से स्थिति और भी बिगड़ गई है। सुरक्षा उपायों के अभाव में दुर्घटनायें हो रही हैं और अनेक कर्मकारों के जीवन की हानि हो रही है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय कार्मिक संघ, केन्द्र, अखिल भारतीय कार्मिक संघ, हिंद मजदूर संघ तथा भारतीय मजदूर संघ ने इस स्थिति का पुनर्वलोकन करने तथा भावी कार्यवाही का निर्णय करने के लिए कोयला खनिकों की एक राष्ट्रीय सभा 24-25 मार्च को आसनसोल में बुलाई है।

मैं भारत सरकार का ध्यान अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र में व्याप्त गम्भीर स्थिति की ओर दिलाता हूं। यदि समय पर कार्यवाही न की गई, तो काम बन्द भी हो सकता है।

(पांच) देश में सैनिक स्कूलों को चलाने के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय सहायता तथा प्रशासनिक नियंत्रण की आवश्यकता

श्री दौलतराम सारण (चूरू) : सन् 1961 में पूरे देश में सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई। इनके नीति निर्धारण का कार्य बोर्ड आफ गवर्नर्स करता है, जिसकी देखरेख हेतु रक्षा मन्त्रालय का उप सचिव इस बोर्ड का मानद सचिव होता है। केन्द्र सरकार नीति निर्धारण करती है परन्तु इन सैनिक स्कूलों का आर्थिक भार वहन करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। आजकल ऐसे 18 सैनिक स्कूल हैं। प्रधानाचार्य, रजिस्ट्रार, प्रधानाध्यापक तो रक्षा मन्त्रालय की सुरक्षा सेनाओं के सक्रिय सेवा के सदस्य होते हैं, बाकी स्टाफ राज्य सरकार से अपना वेतन पाता है। इस प्रकार ये विद्यालय दोहरी शासन व्यवस्था से ग्रस्त हैं। छात्रों को मिलने वाली छात्रवृति की बढ़ाई गई रकम छात्रों को न केन्द्रीय सरकार देती है और न राज्य सरकार।

राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में एक सैनिक स्कूल है। शिक्षा भवन एवं छात्रावास बहुत पुराने हैं लेकिन उसकी रख-रखाव अच्छी न होने के कारण इनकी हालत जीर्ण-शीर्ण है। यहां के शैक्षणिक स्टाफ को सेवा-निवृत्ति पर पेंशन व ग्रेचुइटी आदि का कोई लाभ नहीं मिलता है और न योग्यतानुसार वेतन ही मिलता है। इससे निरतर इन संस्थाओं के शिक्षा स्तर में गिरावट हो रही है। अशैक्षणिक स्टाफ भी कुव्यवस्था का शिकार है।

छात्रों पर प्रतिदिन जो व्यय किया जाता है, वह बहुत ही कम है। उपयुक्त भोजन व्यवस्था के अभाव में छात्रों में बीमारियां फैल रही हैं। स्कूल में छात्रों के स्वास्थ्य एवं बीमारी को देखने के लिए चिकित्सक की भी कोई व्यवस्था नहीं है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इन समस्त सैनिक स्कूलों सहित चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल की आर्थिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी वहन करे, विद्यालय की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर में गिरावट को रोके और प्रतिभावान छात्रों के नैतिक स्तर एवं मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए अन्य सम्यक कदम उठाए।

(छ:) तम्बाकू के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिये तम्बाकू बोर्ड के माध्यम से तम्बाकू की नीलामी बिक्री शुरू करने की आवश्यकता

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : केन्द्रीय सरकार को खाद्य व्यापार निगम के माध्यम से 1977-78 और 1982-83 में दो अवसरों पर भारी मात्रा में तम्बाकू खरीद कर आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात के तम्बाकू उगाने वालों, विशेषकर विर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादकों की सहायता करनी पड़ी। पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव में खाद्य व्यापार निगम को तम्बाकू की खरीद करते समय तथा खरीदे गये तम्बाकू के वर्गीकरण तथा भण्डारण के लिए तदर्थ व्यवस्था

करनी पड़ी जिससे खाद्य व्यापार निगम को भारी हानि उठानी पड़ी तथा उत्पादकों को भी पर्याप्त संरक्षण और संतोष न मिल सका। अतः सरकार ने इस बात पर विचार करने तथा सुझाव देने के लिए एक कार्यकारी दल बनाया कि सरकार तम्बाकू की मण्डी में अधिक स्थिरता लाने, तम्बाकू उत्पादकों के लिए उचित और लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने तथा निर्यात से आय में अत्यधिक वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये। इस कार्यकारी दल ने सुझाव दिया है कि सरकार आरम्भ में आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू उगाने वाले सभी क्षेत्रों में नीलामी की व्यवस्था कानूनी तौर पर स्थापित तम्बाकू बोर्ड के माध्यम से करने के लिए जोरदार कार्यक्रम चालू करें। अतः कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि तम्बाकू बोर्ड को स्थायी आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिये और इस बीच 1984 में आन्ध्र प्रदेश में परीक्षणार्थ नीलामी करनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि सरकार को कम से कम 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी चाहिये जिसमें बोर्ड 1984 की फसल की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके।

(सात) रेयन धागों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता

श्री जगन्नाथ पाटिल (ठाणे) : महाराष्ट्र के थाने जिले में रेयान के धागे बनाने वाली दो कम्पनियां (1) नेशनल रेयान कोरपोरेशन, मोहने व नं० (2) सेन्चुरी रेयान कोरपोरेशन, शहाड हैं। इस समय नेशनल रेयान कोरपोरेशन, मोहने पूर्ण रूप से बन्द है तथा सेन्चुरी रेयान कोरपोरेशन, शहाड आंशिक रूप से कार्य कर रही है। इन कम्पनियों के बन्द होने का कारण विदेशों से, विशेषकर कोरिया से, रेयान के धागे अच्छे व सस्ते आयात होने से है। विदेशों से आने वाला रेयान का धागा अच्छा व सस्ता होने से, यहां की कम्पनियों के द्वारा उत्पादन किया हुआ रेयान का धागा बाजार में बिकता नहीं है। दोनों कम्पनियों में लगभग बारह हजार श्रमिक कार्यरत थे, जो अब बेरोजगार हैं।

ऐसी परिस्थिति में मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि विदेशों से आयात किए जाने वाले रेयान के धागे पर प्रतिबन्ध लगाया जाय, ताकि यहां की ये दोनों कम्पनियां चालू हो सकें, और लगभग बारह हजार श्रमिक पुनः कार्य पा सकें।

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1984-85

रक्षा मंत्रालय—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर विचार और मतदान होगा। कल श्री मधुसूदन वैराले बोल रहे थे और अब वह अपना भाषण जारी रखें।

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : उपाध्यक्ष महोदय, कल बोलते हुए मैंने कुछ बातों का उल्लेख किया था। वे मेरे इस विषय पर विचारों की प्रस्तावना मात्र थे।

जहां तक रक्षा तैयारी का सवाल है या किसी भी देश की रक्षा तैयारी का प्रश्न है, कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं या कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिन पर अविवार्य रूप से विचार किया जाना चाहिए। साथ ही यह बात भी याद रखनी चाहिए कि रक्षा तैयारी की प्रक्रिया अपने आप में अलग-थलग नहीं है, बल्कि वह सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, मजबूत औद्योगिक आधार और मधुर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने की क्षमता से जुड़ी हुई है। इन सब बातों पर ध्यान देते हुए रक्षा के क्षेत्र में समुचित योजना बनाने की आवश्यकता होती है।

कुछ लोग रक्षा क्षेत्र में अधिक खर्च किए जाने या उससे अधिक मुनाफा कमाने की बात करते हैं। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं क्योंकि यदि आप पूरे विश्व की तस्वीर अपने सामने रखें तो कोई भी यह न कह सकेगा कि हमारे यहां रक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक खर्च किया जा रहा है या उससे अधिक मुनाफा कमाया जा रहा है। हमारे देश में सैनिक और असैनिक खर्च का ब्यौरा स्पष्ट है।

सैनिक तैयारी के मामले में खर्च की प्रतिशतता की दृष्टि से एक सौ इकतालीस देशों की सूची में भारत का 70वां स्थान है। यहां तक कि पाकिस्तान, चीन, बर्मा और इण्डोनेशिया जैसे देशों की रक्षा कार्यों पर खर्च की प्रतिशतता कहीं अधिक है। प्रति व्यक्ति खर्च की दृष्टि से एक सौ इकतालीस देशों की सूची में भारत का 117वां स्थान है जबकि चीन का स्थान 72वां है और पाकिस्तान का स्थान 96वां।

पूरे विश्व में सैनिक खर्च पर विचार करने से पता चलता है कि 1981-82 के आकलन के अनुसार कुल खर्च 600 बिलियन डालर था और इसमें से पचास प्रतिशत खर्च 25 देशों ने किया था और इन 25 देशों में अधिकांश देश विकसित हैं। ये विकसित देश अपनी अधिकांश सप्लाई विकासशील राष्ट्रों को भेजते हैं। यू० एस० ए० सीनेट ने 1980-81 में जो आंकड़े जारी किए थे उससे पता चलता है कि 1980 में कुल राशि 21.18 बिलियन डालर थी। 1980 में 23.41 बिलियन डालर की राशि के हथियार विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दिये गये। इस बात का उल्लेख मैंने कल भी किया था कि अब शस्त्रास्त्र ने एक उद्योग का रूप धारण कर लिया है और इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ अन्य देश भी अपने लिये मंडियों की खोज में होंगे। अब इनका मूल्यांकन तो किया जा सकता है और तर्कसंगत मूल्यांकन किया जा सकता है लेकिन बिल्कुल ठीक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

कुछ महीने पहले अमरीका के राष्ट्रपति ने जापान की यात्रा की थी। मुझे मालूम नहीं कि उस यात्रा पर जापान के लोगों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। पिछले 40 सालों में स्थिति इतनी अधिक बदल गई है कि लगभग सभी जापानी लोग यह भूल गये हैं कि जापान में परमाणु बम फेंकने वाला पहला देश अमरीका ही था। आज 40 साल बाद इन बातों की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि ऐसा भी कभी हुआ होगा। अनिश्चितता के वातावरण को ध्यान में रखते हुए रक्षा संबंधी योजना ध्यानपूर्वक बनानी पड़ती है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आपका मतलब यह है कि ऐसा कोई भी मित्र नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सके।

श्री मधु सूदन बैराले : मेरे विचार से डा० स्वामी इस सम्बन्ध में मेरे से कहीं अधिक जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि डा० स्वामी आपके मुंह में अपने शब्द रख सकते हैं।

श्री मधुसूदन बैराले : मैं उनसे कोई निर्णय लेने के लिए नहीं कहूंगा। उनके अपने विचार हैं। लेकिन आज अनिश्चितता का वातावरण है। इसीलिए इस मामले में सभी प्रकार की सावधानियां बरतनी होती हैं।

जहां तक अन्य देशों का सम्बन्ध है, उनका यह विचार हो सकता है कि अन्य क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति उनकी रक्षा आवश्यकताओं का ही अंग है जैसे अमरीका विश्व के कई भागों में अपनी उपस्थिति बनाये हुए हैं और वह यह सोच सकता है कि उन भागों में अमरीका का उपस्थित रहना

उसकी रक्षा आवश्यकता के अनुसार ठीक है। लेकिन भारत जैसे देश का, जिसका किसी भी देश पर आक्रमण करने का कोई इरादा नहीं है, ऐसा विचार हो ही नहीं सकता। लेकिन रक्षा तैयारी पर विचार करते हुए आज की दुनिया में वर्तमान वातावरण को देखते हुए कई अन्य पहलुओं पर विचार करना जरूरी होता है।

अब मैं कुछ विशेष सुझाव देना चाहता हूं—पहला यह है कि आर्मी रेडियो इन्जीनियरिंग व्यवस्था सहित संचार-व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और यदि संभव हो तो एक पृथक् उपग्रह चैनल इसके लिए बनाया जाना चाहिए ताकि सेना को संचार संबंधी अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी अन्य साधन पर निर्भर न रहना पड़े।

एक और तात्कालिक जरूरत यह है कि हमारी सेना के पास 'एयर बोर्न वार्निंग' व्यवस्था होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि हमारा रक्षा मंत्रालय इस दिशा में पर्याप्त सावधानी बरत रहा है। ये व्यवस्थाएं विकसित देशों से आती हैं परन्तु इन व्यवस्थाओं को सप्लाई करते हुए विकसित देश भेदभाव करते हैं, मुझे ऐसी आशंका है। मैंने एक अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका में पढ़ा था कि इज्राइल और सऊदी अरेबिया दोनों को ही ये सिस्टम सप्लाई किये गये थे परन्तु ऐसा कहा जाता है कि एक के साथ भाई जैसा व्यवहार किया गया जबकि दूसरे के साथ मित्र जैसा व्यवहार किया गया। इसलिए इस पहलू पर भी अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए।

जहां तक परमाणु हथियारों के विकल्प का सवाल है, मैं कोई आक्रामक सुझाव नहीं देना चाहता। लेकिन मैं सरकार से यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे देश के तीन ओर परमाणु हथियार विद्यमान हैं। एक ओर पाकिस्तान है और दूसरी ओर चीन है। उनके पास परमाणु हथियारों की तैयारी है। दिएगो गार्शिया में भी परमाणु हथियार मौजूद हैं। हालांकि हम परमाणु ऊर्जा को विश्वंसात्मक प्रयोजन के लिए प्रयोग में नहीं लाना चाहते या उसके आधार पर किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहते फिर भी वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए और हमें परमाणु क्षेत्र में भी सावधान रहना चाहिए। आज चर्चा की जा रही है कि इज्राइल ने परमाणु हथियार कब बनाये। क्योंकि उसने इराकी परमाणु परियोजना पर बमबारी की थी। आजकल इस्लामिक परमाणु बम की बात की जा रही है। अमरीका लोकतन्त्रात्मक परमाणु बम का नाम दिया जात है। रूस में उसे साम्यवादी परमाणु बम कहा जाता है और पाकिस्तान अब इस्लामिक परमाणु बम प्राप्त करने जा रहा है। मैं नहीं समझता कि मुझे कोई ऐसा सुझाव देना चाहिए कि हमें भी परमाणु बम बनाना चाहिए। मैं ऐसा सुझाव दूंगा भी नहीं। अंततोगत्वा परमाणु हथियार तो हथियार ही होते हैं। न वे लोकतंत्रात्मक होते हैं, न साम्यवादी और न इस्लामी ही। वे तो विश्वंसात्मक होते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अभी आपने यह वाक्य बोला था कि इज्राइल ने इराकी परमाणु परियोजना पर बमबारी की थी। इसके तुरन्त बाद आपने पाकिस्तान का उल्लेख किया। क्या यहां भी आप कोई सुझाव देना चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप डा० स्वामी के बारे में बहुत ही सावधान रहें।

श्री मधु सूदन बैरालें : वह एक वरिष्ठ संसदज्ञ हैं लेकिन उन्हें मेरे मुंह में अपने शब्द रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अधिक से अधिक वह अपने विचार मेरे मस्तिष्क में प्रेषित कर सकते हैं।

गत वर्ष रक्षा मंत्री ने सभा में कहा था कि पंडुब्बियों के क्षेत्र में परमाणु विकल्प हमारे सामने हैं। मैं आशा करता हूं कि आज भी वैसी ही स्थिति होगी। रक्षा तैयारी करने संबंधी योजना बनाते हुए एक यह सुझाव था और मेरे विचार से वह बहुत ही ठोस सुझाव था कि हमारी सेना के पास अब और अधिक हैलीकोप्टर, शस्त्रों से लैस हैलीकोप्टर और ऐसे हैलिकोप्टर होने चाहिएं जो पूर्ण अंधकार में भी कार्य कर सकें। मैं समझता हूं कि रक्षा तैयारी करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वे लोग इस आवश्यकता से अवगत होंगे और मैं यह समझता हूं कि उन्हें यथासंभव अधिक कार्य करने की स्वतंत्रता होगी। इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए।

समाचार पत्रों में और इस सभा में इस आशय की चर्चा हुई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या पर विचार करने के लिए कोई एक पृथक् तंत्र होना चाहिए और इस संबंध में कुछ उदाहरण भी दिये गये हैं। कुछ का विचार है कि हमारे यहां स्थायी समिति पद्धति, जैसा कि अमरीका में है, उपयुक्त रहेगी। एक मित्र ने कल यह सुझाव दिया था कि वेस्टमिंस्टर पद्धति हमारे लिये उपयुक्त रहेगी। मैं समझता हूं कि जहां तक इस पहलू का संबंध है, जल्दी में कोई स्पष्ट विचार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि हरेक देश की उसकी अपनी परिस्थितियों के अनुकूल एक अलग पद्धति है।

स्थायी समितियों की पद्धति के मामले में सम्पूर्ण विचार-विमर्श को गोपनीय रखा जाता है। वे लोगों या जनता को बिल्कुल नहीं बताये जाते और इन स्थायी समितियों के निर्णय संसद में भी चर्चा के लिए नहीं आते। वेस्टमिन्स्टर सिस्टम में भी अपने गुण-दोष हैं। हालांकि कुछ दोस्तों ने इसे भारत के लिए उपयुक्त बताया है। मैं उन लोगों का ध्यान ब्रिटेन के समाचार-पत्रों में हाल ही में इस पद्धति पर छपी प्रतिक्रिया की ओर दिलाना चाहता हूं। जब ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कुछ नये सुझाव दिये, तो उन सुझावों के बारे में यह लिखा गया कि ऐसा करना नौकरशाही द्वारा सशस्त्र सेना पर आक्रमण करना है। इसलिये मैं समझता हूं कि वह पद्धति भी हमारे लिये ठीक नहीं रहेगी।

दुर्भाग्य से हमें तीन युद्ध लड़ने पड़े। और उनके अनुभव के आधार पर यह स्पष्ट है कि जो पद्धति हमने अपनायी हुई है वह काफी सन्तोषजनक है और हमें उससे आशा बंधती है। अनुभव से पता चलता है कि वर्तमान पद्धति काफी सुदृढ़ है। लेकिन कभी भी यह नहीं कहा जा सकता कि सुधार की गुंजाइश नहीं है। हमेशा ही हर मामले में सुधार की पर्याप्त गुंजाइश होती है और इस दृष्टि से हमारी पद्धति में भी सुधार किया जा सकता है। हमने जो पद्धति अपनायी है उसमें राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। मैं सरकार से केवल यह आशा कर सकता हूं कि जिस सुझाव पर आजकल समाचार पत्रों में चर्चा की जा रही है और सभा में भी जिसका उल्लेख किया जा रहा है उससे सरकार अवगत है और यदि सरकार उससे अवगत है तो मुझे पूरा यकीन है कि सरकार उस सुझाव पर उचित ध्यान देगी।

अन्त में मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि आजकल ऐसी धारणा बनती जा रही है कि हम लोग भूतपूर्व सैनिकों पर उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनकी उपेक्षा की जा रही है। परंतु बात ऐसी नहीं है। और ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए कि भूतपूर्व सैनिकों की उपेक्षा की जा रही है। कल मैंने भारतीय जनता पार्टी के श्री वसंत कुमार पंडित को सुना जिन्होंने यह सुझाव दिया था कि एन० सी० सी० काडर और टैरिटोरियल आर्मी तथा अन्य ऐसे संगठनों का विस्तार किया जाए। जब मैं इस सुझाव पर विचार कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि यह सुझाव विचार करने लायक है। कुछ अन्य लोकतंत्रात्मक देशों में 'सिस्टम आफ ड्राफ्टिंग' है अमरीका में वह

सिस्टम है, आस्ट्रेलिया में भी वह मौजूद है और जहां तक मुझे याद है न्यूजीलैंड में भी ऐसा सिस्टम है। यदि हम अपने देश के लोगों में अधिक से अधिक देश भक्ति भरना चाहते हैं तो सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वैसा ही सिस्टम हम अपने देश में भी लागू करें। ऐसा करने से हमारी वर्तमान रक्षा पद्धति मजबूत होगी और इससे युवा लोगों में देशभक्ति और अनुशासन की भावना भरने में भी सहायता मिलेगी।

वैसे तो मुझे कई और बातें कहनी थीं परन्तु मेरे मित्र डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी बहुत ही उतावले हो रहे हैं और वह शीघ्र बोलना चाहते हैं। इसलिये मैं अपना स्थान उन्हें देता हूं। आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फीरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, डिफेंस के सन्दर्भ में जो चर्चा हो रही है उसकी शुरूआत में कुछ चिन्ताजनक वक्तव्यों को रखते हुए करना चाहूंगा। प्रधान मंत्री जी ने भी अपने वक्तव्यों में कहा कि—There is an impending threat to the nation. राष्ट्र को खतरा है और डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी शायद कल ही कहा है कि—भारत की पश्चिमी सीमा पर जो सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण अभ्यास किया जा रहा है, उस पर हमें चिन्ता है। लेकिन उन्होंने यह बताने की कोशिश नहीं की। इसलिए मैं पहले ही यह सवाल करना चाहता हूं कि पटैलियन या डिवीजन—किस स्केल पर यह एक्साइज चल रही है—यह बात क्लियर हो जानी चाहिए।

आपने चाइना द्वारा 11 दफा घुसपैठ करने की बात स्वीकार की है। आपने स्कफल्स की बात भी स्वीकार की है। एअर वायलेशन्स भी चाइना और पाकिस्तान ने कई बार किए लेकिन आपकी निगाह में उनकी कोई खास सिग्निफिकेन्स नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, उसको आपने चिन्ता का विषय बताया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार कम से कम अपोजीशन के लोगों को अपने कांफिडेन्स में लेकर इतना तो जाहिर करे कि रेलिवेन्ट फैक्टर्स क्या हैं। अभी आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है:

> "सरकार से आग्रह किया गया है कि वह पाकिस्तान के रक्षा निरीक्षण प्रस्ताव को मान ले।"

इस माननीय सदन के दो माननीय सदस्य पाकिस्तान से लौटकर आए हैं, क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक ने कोई ऐसा आफर किया है जैसा कि अखबार में आया है:

> "दो जनता नेताओं ने सरकार से आग्रह किया है कि वह प्रेजीडेंट जिया-उल-हक के उस प्रस्ताव को मान ले कि किसी स्तर के सैनिक कर्मचारी उनके देश को भेजे जायें, जो वहां के रक्षा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करें।"

यह बात भी साफ हो जानी चाहिए क्योंकि इससे भ्रम पैदा होता है। यह जरूर है कि मिलिट्री की सीक्रेसी रहनी चाहिए लेकिन कुछ मुद्दों के बारे में जनता को भी मालूम होना चाहिए। आप यह मत बताइये कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं लेकिन कुछ अहसास जनता को जरूर होना चाहिए। आपके एक नेता का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वे बार-बार कहते हैं कि नवम्बर में देश पर हमला हो जायेगा। जब ऐसी बातें कही जाती हैं तो लोगों को विश्वास में लेने का प्रयास भी किया जाना चाहिए।

एक नर्वसनेस यह दिखाई दे रही है कि अमरीका पाकिस्तान को साफिस्टिकेटेड आर्म्स दे रहा है। इसके पीछे एक इतिहास है। 1971 की वार के बाद आपने शिमला एग्रीमेन्ट को इतना महत्व दे दिया और साथ-साथ इंण्डियन-सोवियत फ्रेंडशिप जो है वह हम समझते हैं अच्छी है,

लेकिन आपने एग्रीमेंट को एक आधार बना लिया और उसके बाद आप देखेंगे कि 1965 से लेकर आज तक जब उनके पास पैटन टैंक थे तो हमारे आस सेन्चूरियन थे—हमने अपनी क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश नहीं हो, क्वांटिटी ही बढ़ा रहे हैं। जब उनके पास सैवर जेट्स थे तब हमारे पास नेट थे। तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर पता चलेगा कि पाकिस्तान ने इस सब-कांटिनेन्ट में हमेशा हमसे पहले आधुनिक हथियार लाने का प्रयास किया है। हमारे पास बाद में आते हैं। पाकिस्तान में मिराज 1971 में आए जबकि हमारे पास अभी आ रहे हैं। मैंने पढ़ा है :

"हवा से हवा में मार करने वाले अमरीकी साइडविण्डर प्रक्षेपास्त्र तथा एक्जोस्ट प्रक्षेपास्त्र जिन्हें अर्जेनटाइना की सेना ने फाकलैण्ड युद्ध के दौरान ब्रिटिश जहाजों के विरुद्ध सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था।"

यह सोचने की चीज है कि उसकी तुलना में हमारे पास क्या तैयारी है। अगर उसने हारपून मिसाइल्स एफ-16 से इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वह एक बहुत बड़ी विध्वंसक स्थिति होगी।

आपने उसकी तुलना में क्या काम किया है। देश की सुरक्षा हर दृष्टि से सर्वोपरि है। पास में बनी पांच गिअरिंग क्लास डेस्ट्रोयर और दो अगोर्ट क्लास सम्बेरिन।

इस प्रकार की स्थिति वहां पर है। शायद आपको इस बात का पता नहीं है कि यदि हारफून आदि से हमला शुरू कर दिया जाए तो जम्मू-कश्मीर के अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान उसकी रेंज में आ जाते हैं। दूसरी तरफ मैं आपका मिसाइल्स गैप के बारे में भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिसको आपने अभी तक नजर अन्दाज कर रखा है। ब्रिटिश-सी-ईगल मिसाइल और सी-किंग हैलीकाप्टर आपको 1986 में मिलने वाले हैं। जियोग्राफिकल दृष्टि से भी भारत में पाकिस्तान की अपेक्षा ज्यादा एडवांटेज है। तेल रिफाइनरी भी गुजरात के सारे इलाकों से नजदीक है। यह 150-200 किलोमीटर की रेंज में है। इस बारे में आपने कभी गम्भीरता से सोचा है या नहीं, आप बताने का कष्ट करें? जैसाकि मैंने पत्रिकाओं में देखा है, यू०एस०एस०आर० के पास 2000 पाउंड मिसाइल्स हैं, यदि आप चाहें जो आपके मित्र देश हैं, वे हमको देना चाहते हैं, तो लेना चाहिए। यदि आप नहीं लेते हैं तो बात नहीं बनेगी।

अब मैं कुछ करन्ट सैट-अप के बारे में भी कहना चाहता हूं। आर्म के इन्ट्रोडक्शन से ही बात नहीं बन जाती है। मिलिटरी सैट-अप भी होना चाहिए। उसमें कोआर्डिनेशन होना चाहिए। आप कहेंगे कि पिछली बार मानिक शाह साहब ने कहा था।

विद्यमान व्यवस्था ऐसी है कि उससे सामरिक योजना और निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में समुचित संतुलन नहीं हो पाता है। जब तक सैट अप ठीक नहीं होगा, तब तक प्लानिंग और डिजाइन आदि के फैसलों के बारे में तालमेल ठीक नहीं बैठ पाएगा। इसको बैठाने के लिए तीनों हैड्स का आपस में कोआर्डिनेशन होना चाहिए। इस मुद्दे पर भी आपको बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

एक बात मैं हवाई नियंत्रण के बारे में कहना चाहता हूं। आर्मी और एयरफोर्स के आपस में तालमेल की बात होती है। उसके अन्दर भी ऐसी पद्धति को अपनाना चाहिए, ताकि इफैक्टिव बात बन सके। इंटेलीजेंस आपका बड़ा धीमा है। उसमें कुछ दम नहीं है। यदि इसमें कुछ दम होता, तो अभी जो केस हुआ है, वह न होता। किसी अधिकारी ने बता दिया, लेकिन यह आप के गुप्तचर विभाग की देन नहीं है। आर्मी के अन्दर भी जो इंटेलिजेंस की भूमिका है, उससे आप भलीभांति परिचित हैं। हमें यह भी मालूम नहीं है कि चाइना के अन्दर क्या डवेलपमेंट हो रहे हैं।

तिब्बत में क्या हो रहा है, यह भी हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है। आप नहीं बता सकते हैं कि तिब्बत में क्या हो रहा है। सिक्यांग (Sinkiang) में क्या हो रहा है, और उसके रिजन्स में क्या हो रहा है—यह भी आपको मालूम नहीं है। इन बातों को देखते हुए, ऐसा लगता है कि आपका इंटेलिजेंस मजबूत नहीं है। आपको यह भी मालूम नहीं है कि न्यूक्लियर पावर के सम्बन्ध में विशेषकर पाकिस्तान में कितनी प्रगति हुई है। क्या पाकिस्तान अल्प समय में इस तरह का परमाणु बम चला सकता है, उस को टेस्ट कर सकता है, या उस को उस ने अण्डर-ग्राउण्ड टेस्ट किया है या प्लेटिनम से एनरिच किया है ? मैं यह नहीं कहता कि आप इस को हाउस को बतायें, लेकिन आप के पास यह जानकारी होनी चाहिये। इस लिये किसी भी देश के वास्ते मजबूत इन्टेलिजेन्स का होना बहुत जरूरी है।

आप की फौजों में काउन्टर-आफेन्सिव-कैपेबिलिटी होनी चाहिये जिस से अच्छे रिजल्ट्स निकल सकें। इस वक्त आप की एक तिहाई फौज और आइ० ए० एफ० का कुछ भाग ईस्टर्न और नार्थ-ईस्टर्न फ्रांटीयर्स में लगा हुआ है। आप देखेंगे वहां यातायात के साधन बहुत अच्छे नहीं हैं। किसी वक्त तुरन्त री-एन्फोर्समेंट की जरूरत पड़े तो उस में कुछ दिक्कतें दिखाई देती हैं, मोबिलिटी तेजी से नहीं हो सकती है, जितनी तेजी से होनी चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि हम को नार्दर्न और वेस्टर्न बार्डर्ज पर विशेष रूप से अपनी फोर्स को बढ़ाना चाहिये। यदि किसी समय हमें जरूरत पड़ जाय तो हम तेजी से उनको खींच नहीं पायेंगे क्योंकि इसके लिये हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हैं।

हमारी इंफैन्ट्री की मोबिलिटी और फायर-पावर में काफी इम्प्रूवमेंट हुई है लेकिन आज लड़ाई के तरीके बदल रहे हैं। जो इंफैंट्री पहले होती थी, अब वह इंफैंट्री नहीं है। मैं जानता हूं कि आपने हैलीकाप्टर्स और दूसरी चीजें ली हैं लेकिन इसको और ज्यादा मजबूत बनाया जाना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आर्मी एवियेशन कार्प्स बनाया जाय इस से हमारी मोबिलिटी में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी।

अब कुछ शब्द में अपने डिफेंस प्राडक्शन के संबंध में कहना चाहता हूं। आप 800 करोड़ रुपये के लगभग लगाकर अपने डिफेंस प्रोडक्शन पर डिपेण्ड कर रहे हैं और 100 करोड़ रुपया प्राइवेट सैक्टर पर खर्च करेंगे लेकिन डिफेंस प्रोडक्शन का जो आर्गेनिजेशनसैट-अप है, रिसर्च और डवेलपमेंट का मामला है, इंस्पैक्शन आर्गेनिजेशन हैं इन में कोई तालमेल नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि ये तीनों अलग-अलग काम करते हैं। आप के डिफेंस प्रोडक्शन का जो टारगेट है आप उस से बहुत पीछे हैं और इस का कारण इन संस्थाओं के अन्दर आपस में को-आर्डिनेशन की कमी है। आप के एच० ए० एल० को नेवल-एयरक्राफ्ट के मामले में कितनी प्रगति करनी चाहिये थी, वह नहीं की है। हमें इसके बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये। हम सेल्फ-रिलाएन्स की बात कहते हैं, अपने पैरों पर खुद खड़े होना चाहते हैं—यह बुरी नहीं है, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

लेकिन ब्रदर्स के बारे में भी दो शब्द कहना जरूरी है। उन्होंने किन हालत में और कैसे देश-द्रोहिता की गलती की है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, उस के लिये उन को माफ नहीं करना चाहिये। लेकिन इस में भी कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिये, आप के जो अधिकारी रिटायर होते हैं उनका जीवन, उन का स्टेटस, उनकी आर्थिक स्थिति-इन को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिये। हम जब गावों में जाते हैं, मैं स्वयं गांव का रहने वाला हूं, हमारे चम्बल के

इलाके में लोग कहते हैं कि हम फौज में भरती होंगे। जब कोई फौजी छुट्टी पर गांव लौटकर आता है तो लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं और कहते हैं कि फौजी लौट कर आया है। लेकिन जब एक सिपाही उस से मिसबिहेव करता है या गांव का ठेकेदार उसकी जमीन को हड़प लेता है तो आप की सरकार कुछ नहीं कर सकती है, उसकी कोई मदद नहीं कर पाती है। अंग्रेजों के जमाने में सोल्जर्स का बड़ा महत्व था, यह लोकशाही है, इस में भी उनका सम्मान होना चाहिए। इसलिए 1.00 म० प०
इन बातों को मैं कहना चाह रहा हूं।

इन लोगों के लिए जो रिहैबिलीटेशन के कार्यक्रम चला रखे हैं, वे संतोषजन नहीं हैं। सैनिक को टिन के डिब्बे बनाने का काम दे दिया जाता है और इसी तरह के काम दे दिये जाते हैं। मेरा कहना यह है कि उन को आप कुछ कन्सट्रक्टिव काम दीजिए, जिससे वे अपनी जीविकोपार्जन कर सकें। सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे इन लोगों के मन में एक विश्वास पैदा होगा और जो नौजवान फौज में भर्ती होने जाएंगे वे सोचेंगे कि हम देश के लिए लड़ाई में जा रहे हैं और लौटने पर हमें सम्मान मिलेगा और अगर लड़ाई में शहीद हो गये, तो श्रद्धा के सुमन चढ़ाए जाएंगे। इस तरह की बात उनके मन में होनी चाहिए।

एक बात मैं कोस्ट गार्ड के बारे में कहना चाहता हूं। नेवी के साथ उसका कोओपरेशन है लेकिन एक की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। अन्दमान, निकोबार और कैम्पबैल वे का जो इलाका है, वह 60-65 नोटीकल माइल हमारे यहां से है और जावा, सुमातरा, थाईलैंड और बर्मा भी बहुत नजदीक हैं।

एक माननीय सदस्य : किन्तु जावा इन्डोनेशिया का भाग है।

श्री राजेश कुमार सिंह : हां, जावा इण्डोनेशिया का भाग है। किंतु थाईलैंड भी उस द्वीप के समीप है। वहां पर जो डेवलपमेंट्स होते हैं, उनका असर हमारे यहां होता है और मैं तो यह कहूंगा कि जब वहां से छोटे-छोटे वेसल्स मछली पकड़ने के लिए हमारे इलाके में आ सकते हैं, तो फौजों का मूवमेंट तो बहुत जल्द हो सकता है। इसलिए यह सोचने की बात है। मुझे नहीं मालूम कि आप ने इस बारे में क्या किया है लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह जो हमारे आईलैंड हैं, इन को नेवल बेस के रूप में बनाने की जरूरत है। इण्डियन ओशन और वे आफ बंगाल के बीच में हमारा एक मजबूत नेवल बेस होनी चाहिए।

इस संदर्भ में मैं कुछ बोर्डर रोड्स के बारे में भी कहना चाहूंगा। आप का बोर्डर रोड्स आर्गेनाइजेशन बना हुआ है। उसके अन्तर्गत आप की ये तमाम रोड्स आनी चाहिए और उन पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए और पी० डब्लू० डी० के हाथों में ऐसी कोई भी सड़क नहीं होनी चाहिए। इससे आप का मूवमेंट खराब नहीं होगा। जब पी० डब्लू०डी० के हाथ में रोड्स होती हैं, तो फिर स्पीड नहीं होगी और आप काम ठीक तरह से नहीं कर सकते। बोर्डर रोड्स आर्गेनाइजेशन के अन्तर्गत रोड्स होने से उन का रख-रखाव सही होगा जो कि अभी नहीं हो रहा है। अब तो आपस में लड़ते रहते हैं और कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है और दूसरे सारे झंझट हैं। इसलिए इन रोड्स को आप उनको दीजिए। इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहूंगा। जम्मू व काश्मीर से लेह तक एक रोड आप की बनी है लेकिन वह रोड पाकिस्तान की स्ट्राइकरेंज में आती है और कभी भी आप की सप्लाई लाइन को वह काट सकता है। चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर जो कराकोरम रोड बनाई, उस तरफ तो आप का ध्यान गया लेकिन आप की अपनी कोई

सड़क नहीं है। आपने कोई रोड निर्माण करने की बात नहीं सोची है। कारगिल के पास बरफ जम जाती है और तब मूवमेंट बन्द हो जाता है। सारे मौसमों में सड़क पर चला जा सके, ऐसी कोई सड़क आप के पास नहीं है। एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तान से आप की सीमा लगी हुई है। इसलिए नार्थ वेस्टर्न सेक्टर को इस तरह से आप को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : और जगह नहीं है जहां पर रोड बनाई जा सके।

श्री राजेश कुमार सिंह : नहीं, जगह है और इसलिए मैं इस की चर्चा करना चाहता हूं। नई सड़क सरकार को बनानी चाहिए और उस में लगभग 300 करोड़ रुपये की जरूरत है। आप इतना रुपया खर्च कीजिये और नई सड़क का निर्माण कीजिये। मेरा सुझाव है कि मेवाली से लेकर लेह तक आप रोहतांगपास पर टनल बना कर सड़क का निर्माण कीजिये। अगर आप यह सड़क बना लेते हैं तो यह बहुत कारगर सड़क बन सकती है और वह पाकिस्तान के स्ट्राइक रेंज के भीतर भी नहीं आएगी और उसमें मूवमेंट भी होता रहेगा। इसलिए यह सड़क बनाना बहुत जरूरी है। मान्यवर, यह बात सही है कि हमारा देश इतना सम्पन्न नहीं है लेकिन फिर भी यह सड़क बननी चाहिए।

मैं विरोधी पक्ष का होते हुए भी बजट में कटौती की बात नहीं कहूंगा बल्कि यह कहूंगा कि इसको और बढ़ाने की जरूरत है।

एक बात और कहूगा। माननीय मंत्री जी ने न्यूक्लियर सब-मेरीन्स के बारे में कहा था। उसमें हमारा अपना दिमाग भी कुछ बनेगा। मेरा ख्याल है कि शायद अब तक आपने बना भी लिया होगा। अगर बना लिया हो तो थोड़ी-बहुत जानकारी दें। लेकिन एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना, रशिया और दूसरे देशों के पास यह बम है हम शांति के दूत हैं और वे शांति के ठेकेदार बने बैठे हैं। पाकिस्तान में भी न्यूक्लियर बम है, इस्लामिक बम की बार बार चर्चा होती है। हमें कामन नालिज से जो कुछ पत्ता चलता है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त कीजिये, अमरीका को समर्थन प्राप्त कीजिये या दूसरी पश्चिमी शक्तियों का।

हमें ऐसा कुछ नहीं होने देना है कि हम दूसरों से पिछड़ जाएं। दुनिया में बराबरी की बात सब करते हैं, मगर बराबर वही होता है जिसके पास बराबर का शक्ति संचय होता है। हमें भी बराबर, की शक्ति का संचय करना है, बराबर की शक्ति हमको पैदा करनी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह शक्ति हम विध्वंसक कार्यों के लिए संचित करें। हम न्युक्लियर बम की ओर अपना दिमाग जरूर बनायें ताकि जरूरत पड़ने पर उस शक्ति को हम प्राप्त कर सकें। ऐसी स्थिति हमें जरूर बनाये रखनी चाहिये।

हम यह जानते हैं कि ये जो बड़ मुल्क हैं, ये आपस में एक-दूसरे पर बम नहीं फेंकेंगे। वे इस बात को जानते हैं कि वे तबाह हो जायेंगे। लेकिन मै एक साधारण सिपाही की बात आपसे कहना चाहता हूं। उसने मुझे बताया कि हमारा मारल बहुत ऊंचा है और हम मरने और मारने से नहीं डरते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे हथियार होने चाहिए। जैसे कि दुनिया के पास हैं। मैं जानता हूं कि हमारी फौज के सिपाही बहुत बहादुर लोग हैं। उन्होंने ड़बी वीरता का परिचय दिया है। उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हुआ, और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ए० के० बालन (ओट्टापालम) : महोदय, मैं चाहता हूं कि सदन में गणपूर्ति हो। जहां तक देश के प्रति रुचि और देश की सुरक्षा का संबंध है, मैं चाहता हूं कि इस वाद-विवाद में अधिक सदस्य उपस्थित हों। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : बालन जी, आप को मालूम होगा कि मध्याह्न भोजन के समय गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठाया जाता। अतः मुझे विश्वास है कि आप इस के लिए आग्रह नहीं करेंगे।

श्री ए०के० बालन : मैं चाहता हूं कि अधिक सदस्य उपस्थित हों।

उपाध्यक्ष महोदय : वे मध्याह्न भोजन के लिये गये हैं तथा वापस आ रहे होंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री हरीश रावत अपना भाषण आरम्भ करें।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, पंजाब की समस्या के बाद, सबसे अधिक हमारी संसद का ध्यान किसी बात को चिंता है तो वह हमारी रक्षा की ओर, विशेषकर हमारी सीमाओं पर जो कुछ हो रहा है, हमारे पड़ौस में जो कुछ हो रहा है, उसकी ओर खिंचा है। यह भी हमारा सौभाग्य है कि ऐसे समस्त पहलुओं पर, चाहे हम पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, सभी में इस सदन में मतैक्य रहा है। बरसों की गुलामी के अनुभव ने हमको यह सिखाया है कि हम किसी भी मामले में, विशेष कर अपने देश की रक्षा के मामले में गफलत में नहीं रह सकते।

इन वर्षों में बहुत सारे ऐसे मौके आये हैं, जब हमने, हो सकता है कभी व्यक्ति के रूप में, या कभी राष्ट्र के रूप में अपनी कुछ कमजोरियों को और कुछ विफलताओं को देखा है। लेकिन अधिकांश मौके ऐसे आये हैं जब हमने अपनी कमजोरियों से उभर कर, विफलताओं से उभर कर एक असीम शक्ति का और बहुत बड़ी सफलताओं का परिचय दिया है।

मान्यवर, जिस प्रकार से हमारा देश सफलताओं की सिढ़ियों पर चढ़ा है, मैं समझता हूं कि हमारे साथ जितने भी मुल्क आजाद हुए, उनमें से कोई भी मुल्क सफलताओं की इतनी सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाया है। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि, हम शायद दुनियां की चौथी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैं। इससे भी गौरव की बात हमारे लिए यह है कि हमारी रक्षा सेनाएं, दुनिया की सबसे बहादुर सेनाएं है। हम उस पर गर्व कर सकते हैं। दुनियां में कई ऐसे मुल्क हैं जो हम से इस मामले में आगे हैं, मगर उनकी सेनाओं को लोग दूसरे देशों में दखल देने वाली, आक्रामक, साम्राज्यवादी सेना के रूप में जानते हैं और हमारी सेनाओं को मैत्री, सद्भावना और दोस्ती के रूप में जानते हैं।

मान्यवर, जो हमारे राष्ट्र की मैत्री, शांति और सहयोग की भावना को लेकर हम चलने वाले राष्ट्र हैं और निर्गुटता का जो आंदोलन है जो दुनियां का सबसे बड़ा शांति आंदोलन है, हमारी नेता उसकी अध्यक्ष हैं और हमारे मुल्क की, हमारे प्रजातन्त्र में चाहे कितनी ही विसंगतियां रही हों मगर अंतरद्वंद्वों के बावजूद जिन सफलताओं को हमने प्राप्त किया है, उन पर हमको गर्व है। मुझे खुशी है कि इन सफलताओं की रक्षा करने में हमारी सेनाओं ने, हमारी सेना के बहादुर सिपाहियों ने बहुत आगे बढ़कर काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम शांति में विश्वास रखते हैं और अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता से रहना चाहते हैं। हमारा इतिहास एक है, हमारी संस्कृति और जबान एक है। हमारे साथ ही वे देश स्वतंत्र हुए हैं। लेकिन कुछ मुल्कों की ऐसी भावना रही है कि हिन्दुस्तान कमजोर हो और वे हमारे पड़ौसी देशों को शह दे रहे हैं कि तुम अपनी सेनाओं को सशक्त करो। राष्ट्र की रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि भारत को कमजोर करने के लिए। सन् 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने अमरीकन हथियारों का उपयोग हमारे खिलाफ किया है। आज भी अमरीका

पाकिस्तान को बेतहाशा हथियार दे रहा है, उससे हम सब शंकित हैं। माननीय सदस्य ही नहीं बल्कि सदन से बाहर भी लोग शंकित हैं। आज पाकिस्तान में हारपून मिसाइल और एफ—16 दिए जा रहे हैं। हो सकता है वहां पर पर्शिंग मिसाइल भी लगाए जा रहे हों जो यूरोप में लगाए जा रहे हैं। डा० स्वामी ज्यादा सही बता सकेंगे।

डा० सुब्रह्मण्म स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : नहीं पर्शिंग मिसाइल्स नहीं हैं।

श्री हरीश रावत : एफ—16 का जिक्र भी कई बार हो चुका है। आधुनिक पनडुब्बियां भी पाकिस्तान को दी जा रही हैं। जो तकनीक जो इंगलैंड और रूस के पास है, अमरीका के पास है वह आधुनिक तकनीक इनकी पनडुब्बियों में भी उपलब्ध है। अमरीका के अलावा दूसरी जगहों से भी अमरीकी हथियार पाकिस्तान को देने की कोशिश की जा रही है। आपने अपनी रिपोर्ट में सही फर्माया है कि 3.2 बिलियन डालर का जो प्रत्यक्ष रक्षा सौदा अमरीका के साथ पाकिस्तान का हुआ है, उसके अलावा पाकिस्तान को नए नए हथियार देने की कोशिश की जा रही है, गल्फ कंट्रीज के जरिए। आज पाकिस्तान में नवीनतम हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। आक्यूपाइड कश्मीर में ऐसे हवाई अड्डे निर्मित किए जा रहे हैं जहां ऐसे हवाई जहाज रखे जाएंगे जो बहुत कम समय और कम स्पेस में टेक अप और लैण्ड कर सकेंगे। इससे हम सब की चिंता स्वाभाविक है। इसके बारे में आज सारे राष्ट्र में चिंता व्याप्त है। अभी लोकदल के माननीय सदस्य भी फरमा रहे थे कि हम सब लोगों में बैचेनी है और यह बेचैनी आज इस सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से अभिव्यक्त की जा रही है। हथियारों से भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि पाकिस्तान अणु-बम बनाने की कोशिश कर रहा है। वहां की इस्लामीकरण की प्रक्रिया का स्वरूप ईरान में देखने को मिला है। ईरान-इराक युद्ध ने इस प्रकार की टेन्डेंसी के खोखलेपन को जाहिर किया है, उससे सजग रहने की जरूरत है। यह आशंका है कि पाकिस्तान को अणुबम्ब बनाने के लिए कुछ राष्ट्रों से भी मदद मिल सकती है। यह ठीक है कि हमारी नीति शांति की है। हो सकता है, उन्होंने अणु-बम तैयार कर लिया हो। अगर, ऐसी स्थिति है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पास भी ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमारे मनोबल को आंतरिक रूप से शक्ति दे सके। सवाल केवल सिद्धांत का ही नहीं बल्कि वास्तविकता का भी है। परसों, इस सदन में विपक्ष के एक माननीय सदस्य के भाषण को सुनकर मुझे बड़ी तकलीफ हुई। वे विदेश नीति पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तन में किसी भी प्रकार के युद्ध की तैयारी नहीं हो रही है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : किसका भाषण था ?

श्री हरीश रावत : श्री बीजू पटनायक साहब का था। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान में किसी भी तरह के युद्ध की तैयारी नहीं देखी और वे हिंदुस्तान के साथ युद्ध नहीं करेंगे। मैं एक बात समझने में असमर्थ हूं। जब 1947, 65 और 1971 में आक्रमण हुआ तो तब भी उन्होंने यह नहीं कहा था कि हम आक्रमण करने जा रहे हैं। पुराने जमाने में तो रणभेरी या नगाड़े बजाकर लड़ने जाते थे। लेकिन आज इस तरह की रणभेरी कोई नहीं बजायेगा। केवल यह कह सकते हैं कि जिस तरह सेना और हथियारों का जमाव पाकिस्तान द्वारा हमारी सीमा पर हो रहा है, वह यह दर्शाता है कि पाकिस्तान अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए कभी भी हमला कर सकता है। हमारे विपक्ष के सहयोगियों को भी इस बात को समझना चाहिए, केवल राजनीतिक प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। सदन से बाहर भी कई लोगों द्वारा इस बात को कहा गया है कि हिंदुस्तान को अपने रक्षा प्रयत्नों में इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों द्वारा कहा गया है कि

हमारे पड़ौसियों के इरादे साफ हैं। लेकिन, जहां तक रक्षा का मामला है, हम दूसरों के इरादों को देखकर नहीं चल सकते। हमें दूसरों की क्षमता को देखकर अपनी रक्षा की क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी। आज जिस प्रकार की क्षमता पाकिस्तान और चीन की है तथा जिस तरह की चारों तरफ परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं, उसको देखकर माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट में देश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और रक्षा सेवाओं की तरफ पूरे राष्ट्र की तरफ से प्रयत्न करने का आह्वान किया है। इसके लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। इस साल हमारे रक्षा बजट में 890 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। अपने सीमित साधनों के बावजूद भी बहुत कुछ पैसा इस वर्ष खर्च करने जा रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से तथा मंत्रिमंडल से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो तो हमको कुछ और भी खर्च करना चाहिए और रक्षा बजट को बढ़ाना समय की मांग है, समय की आवश्यकता है। हमारी थलसेना में आर्मर्ड डिविजन को हमको बढ़ाना चाहिये। आज तक इनफैंटरी पर ही हमारा ज्यादा ध्यान रहा है, आर्मी का जो टाप ब्रास रहा है वह भी बहुत हद तक इन्फैंट्री से सम्बन्धित रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास आर्मर्ड डिवीजन सबसे शक्तिशाली है। इस वास्ते हमको भी इसे और शक्तिशाली बनाने के लिए आधुनिकतम उपकरणों की जरूरत है। उसकी संख्या और उसकी मोबिलिटी बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम देखें कि पाकिस्तान के पास जिस तरह का यह डिविजन है उसमें वे रात को भी आक्रमण कर सकते हैं। उनके पास जो गंज इत्यादि हैं उनका उपयोग रात को भी समुचित रूप से किया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उनमें टैंक और गंज इत्यादि हमारे लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। इस वास्ते मेरा निवेदन है कि आर्मर्ड डिवीजन की संख्या को तत्काल बढ़ाने के विषय में निर्णय लिया जाना चाहिये और आधुनिकतम हथियार आदि जो पाकिस्तान के आर्मर्ड डिवीजन के पास हैं वे हमारी रक्षा सेनाओं को भी उपलब्ध करवाए जाने चाहिये।

मैं इन्फैंटरी के महत्व से इन्कार नहीं करता। उसने हमारी बहुत अधिक सेवा की है, हमारी थल सेना के जितने विंग हैं सबने बड़ी बखूबी से हमारे मुल्क की सेवा की है, सीमाओं की रक्षा की है। सब हथियारों की जो वर्तमान स्थिति है वह आपने बड़े विस्तार से बताई है। आपका उस तरफ ध्यान है, यह मैं मानता हूं। लेकिन एक बात मैं बहुधा सुनता हूं। विजयन्त में बहुत सुधार आपने किया है। लेकिन मेन टेबल टैंक की आवाज सुनने के लिए हम लोग आज भी तरस रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक आप इस स्थिति में होंगे कि ये हमारी रक्षा सेवाओं को बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हो सकें। इस दिशा में आपको कोई कारगर कदम उठाना चाहिये। ऐसे मामलों में ही नहीं कई और मामलों में भी हमारे जो रक्षा उत्पादन संस्थान हैं, लोगों को उनकी क्षमता पर शंका होने लगती है। इतना लम्बा समय यदि हम लेंगे तो लोगों को शंका होना स्वाभाविक है। पाकिस्तान के पास इस समय आधुनिकतम राडार, चेतावनी आदि देने वाले उपकरण सब उपलब्ध हैं। हमें अपने कमांडरों की योग्यता में पूरा विश्वास है, अगाध आस्था है। उनकी क्षमता को द्विगुणित करने और उसको और ताकतवर बनाने की कोशिश हमको करनी चाहिये। जितने आर्मी के विंग हैं उन सबको आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध करवाने पर हमारा विशेष ध्यान जाना चाहिये। आपने पिछले दिनों कहा था कि इस दिशा में ध्यान दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं रक्षा के मामले में ज्यादा समझने वाला व्यक्ति नहीं हूं या विशेषज्ञ नहीं हूं। लेकिन एक से अधिक बार मांग हुई है कि थल सेना के पास उसका हैलीकाप्टर विंग होना चाहिये। एक आध बार आपने इस ओर कोई हिंट भी किया है। इस ओर भी ध्यान देने का आप कष्ट करें।

चीन के साथ भी हमारी आजकल दोस्ती की बात चल रही है। इन प्रयत्नों का मैं स्वागत करता हूं। श्री स्वामी अपनी पोलिटिकल कम्पलशंज की वजह से चीन के साथ दोस्ती की बात करते हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं हार्दिक रूप से चीन के साथ दोस्ती चाहता हूं क्योंकि चीन के साथ दोस्ती पर मेरे क्षेत्र का आर्थिक विकास बहुत हद तक निर्भर करता है। लेकिन जिस प्रकार से चीन अमरीका और पाकिस्तान की धुरी डिवेलप हो रही है, उनके बीच में सांठगांठ खुसर-पुसर हो रही है, उससे हमें गफलत में नहीं रहना चाहिये। हमारा पूरा ध्यान इस समय वैस्टर्न सैक्टर की तरफ है। जो हमारा नार्थ ईस्टर्न सैक्टर है, वहां जो हमारी चीन के साथ सीमायें हैं, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिये। वहां पर हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत कमजोर है। हमारे पास मोडर्न फेसिलिटीज नहीं हैं। खुद आपने स्वीकार किया है कि वहां पर कुछ कम्युनिकेशन गैप्स हैं। उनको भरने की कोशिश करनी चाहिये। और माउन्टेन डिवीजन और बढ़ाई जायें। उस एरिया के अन्दर हमको ऐसे हथियार आर्मी को उपलब्ध कराने चाहियें जो वहां के काम आने लायक हों।

साथ ही साथ हमें रोड कम्युनिकेशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिये। मैं और डा० स्वामी को मानसरोवर की यात्रा पर जाने का अवसर मिला था, हमने देखा कि जहां हों हिंदुस्तान के अन्दर 100 किलोमीटर तक कठिन टैरेन से पैदल चलना पड़ा, वहां चीन की सड़कें हमारी सीमा से 2 किलोमीटर की दूरी तक उनकी ट्रुप्स आ सकती थीं। इसलिये विशेषकर जो मेरी कांस्टीट्यूऐंसी है और उससे लगा हुआ जो एरिया है जहां मोटर रोड्स नहीं हैं, गढ़वाल क्षेत्र में वैसे ही रोड्स की कमी है, 100, 150 किलोमीटर तक कोई रोड नहीं है, वहां बोर्डर रोड्स आर्गेनाइजेशन के कार्य को बढ़ा करके तत्काल मोटर रोड्स का निर्माण करना चाहिये।

क्या आपकी मुस्कान से मैं यह समझ लूं कि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है?

इसके अलावा मैं रक्षा मंत्री जी का ध्यान सेकेण्ड लाइन आफ डिफेंस की तरफ दिलाना चाहता हूं। एन०सी०सी० को आपने बहुत कुछ हद तक स्ट्रेन्दन किया है और बहुत पैसा भी खर्च कर रहे हैं और उसके सुधार की तरफ ध्यान भी दिया है, जिसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। मगर और भी सुधार की आवश्यकता है। साथ ही साथ टैरीटोरियल आर्मी के संगठन को और अधिक प्रभावशाली बनाना चाहिये, व्यापक बनाना चाहिये। हमने इकोलाकिल टास्क फोर्स के रूप में टैरीटोरियल आर्मी की कुछ बटालियन्स भेज कर अच्छा काम किया है, और दूसरे कार्य के लिये भी बटालियन उपलब्ध करवा रहे हैं। मगर साथ-साथ हमको यह ध्यान रखना चाहिये कि 1949 में जिस संगठन को रेज किया वह जितना बढ़ना चाहिये था उतना नहीं बढ़ पाया। हमारे पड़ोस में जो राष्ट्र हैं, पाकिस्तान, चीन और यूरोप के अन्य राष्ट्र भी, उन्होंने सेकेण्ड लाइन आफ डिफेंस के रूप में टैरिटोरियल आर्मी को बहुत कुछ बढ़ाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक टैरिटोरियल आर्मी, आर्मी संगठन के साथ जुड़ी रहेगी तब तक वह नहीं बढ़ पायेगी। मेरा रक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि टैरिटोरियल आर्मी को डिफेंस मिनिस्ट्री के अन्तर्गत एक अलग विंग के रूप में डेवलप करना चाहिये और उसको प्रभावकारी बनाना चाहिये। इससे जहां हमारी आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था सुधरेगी और आर्मी को सपोर्ट मिलेगी, वहां भूतपूर्व सैनिकों को भी रोजगार मिल सकेगा।

अब मैं मंत्री जी का ध्यान जल सीमा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। एक तरफ तो हमारा पिगमैलियन पोइंट है जहां से सुमात्रा 75 किलोमीटर दूर है और दूसरी तरफ लक्षद्वीप और न्यू मूर आइलैण्ड है, और फाकलैंड युद्ध ने हमें बहुत बड़ा सबक दिया है कि जब तक हम अपनी नेवी को सुदृढ़ नहीं करेंगे तब तक हो सकता है किसी को भड़का कर हमारे द्वीप समूहों पर कब्जा न करवा लिया जाय। और जिस तरह की व्यवस्था अण्डमान निकोबार की है, जितनी कम नेवी वहां पर है, उस स्थिति में उनके लिये उसकी रक्षा करना कठिन हो जायगा। और पिगमैलियन पोइंट का जो इलाका है उसके पास से एक ऐसा पास है जिसे हम स्वेज कैनाल जैसा इलाका कह सकते हैं और वैस्टर्न कन्ट्रीज के कमर्शियल इंटरेस्ट उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिये नेवी की क्षमता को वहां बढ़ाया जाय और इस सीमा तक बढ़ाया जाय ताकि हम अपने द्वीपों की सुरक्षा, विस्तृत कोस्ट लाइन और डिफेंस इंस्टालेशन्स की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो सकें।

मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं जिसमें कम-से-कम एक लाख भूतपूर्व सैनिक रहते हैं। हमारी वीर सैनिकों की परम्परा रही है। हमारे यहां के जितने फाक-डांसेज होते हैं, उसमें हमेशा सैनिक बनने की कामना की जाती है। सोमनाथ शर्मा से लेकर रैजांगला की लड़ाई तक हमारे इलाके के वीर सैनिकों ने अपने बलिदान से हिंदुस्तान की स्वतंत्रता का इतिहास लिखने में सबसे ज्यादा मदद की है, हिन्दुस्तान की रक्षा के इतिहास में सबसे ज्यादा मदद की है, लेकिन आज उस क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा सफोकेशन फील कर रहे हैं।

पहले जो वहां से लोग भर्ती होते थे, अब उस सीमा तक भर्ती नहीं हो पाते हैं। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार नहीं मिल पाता। स्थिति यह है कि जो बटालियन का कम्पोजिशन है, वह इस प्रकार का बना दिया गया है कि उसके रहते लोगों की भर्ती कम हो गई है। मेरा कहना यह है कि उसको बदला नहीं जाना चाहिये, लेकिन अगर बदला भी जाता है तो जो भर्ती होने लायक हैं जिसको प्रास्पैक्टिव सोल्जर कहते हैं, हमारे यहां के लोगों की बनावट, फिजिक्स को देखकर हाइट घटाई जानी चाहिये।

पिथौरागढ़ के इलाके में सबसे ज्यादा भूतपूर्व सैनिक रहते हैं। भर्ती होने वाले सुदूर नेपाल के गोरखे भी वहीं भर्ती के लिये आना चाहते हैं, लेकिन पिथौरागढ़ में कोई भर्ती का कार्यालय नहीं है। वहां के भूतपूर्व सैनिक इसकी मांग बरसों से करते आ रहे हैं। मैं भी मांग करता हूं कि पिथौरागढ़ को इस कार्य के लिये चुना जाना चाहिये। अकेले पिथौरागढ़ के लिये ही नहीं, बल्कि जो गोरखे भाई भी वहां आते हैं, उनकी मांग को देखते हुए भी वहां इसी साल भर्ती का कार्यालय खुलना चाहिये।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के मामले में भी मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। जो भूतपूर्व सैनिक हमारे बड़े-बड़े शहरों के समीप हैं, जहां बहुत सारे उद्योग खोल दिये गये हैं, वहां पर उनको नौकरी मिल जाती है क्योंकि वह वहां ईजीली एप्रोच कर सकते हैं। दूरस्थ इलाके के भूतपूर्व सैनिकों को खबर भी नहीं मिल पाती। जब तक उनके पास खबर पहुंचती है और वह आते हैं, उससे पहले वहां भर्ती हो चुकी होती है। पुनर्वास डायरेक्टरेट में भी उनकी पहुंच नहीं हो पाती। मैं समझता हूं कि उस डायरेक्टरेट का स्वरूप भी बदलना चाहिये।

एक बात तत्काल करने की आवश्यकता है। आप हर जिला सैनिक बोर्ड का कम-से-कम कोटा निर्धारित कर दीजिये कि इतने लोगों को वहां से नौकरी दिलवाने की कोशिश की जायेगी। जब तक यह नहीं होगा, जो सबसे ज्यादा बहादुर सैनिक होते हैं, वह हमेशा पिछड़े रहेंगे। उनको कभी इसकी फैसिलिटी नहीं मिलेगी।

भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन पैरिटी के सम्बन्ध में भी मैं चर्चा करना चाहूंगा । भूतपूर्व सैनिकों को बहुत सारी सुविधाएं होती हैं और उनके लिये मैं उनकी ओर से आपको धन्यवाद दूंगा, लेकिन पेंशन में जो डिसपैरिटी है, एक बहादुर सैनिक जिसने 3 लड़ाई लड़ी हैं, जिसे तीन-तीन तमगे मिले हैं, अगर वह 2 दिन पहले रिटायर हो गया तो उसको पेंशन कम मिलती है और उसके बाद जिसको कभी लड़ाई का मौका नहीं मिला, वह दो दिन बाद रिटायर हुआ है तो उसको ज्यादा पेंशन मिले, यह ठीक नहीं है । इससे बहुत असन्तोष है, जिसे दूर करना सरकार का काम है ।

माननीय रक्षा मन्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि उन पर पैसे का बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा, आपको सीमाओं की सुरक्षा को देखना है, रक्षा-सामग्री को देखना है, लेकिन दूसरी तरफ यह दबाव भी है जिससे भूतपूर्व सैनिकों में असन्तोष न रहे । इस डिसपैरिटी को समाप्त करने की कोशिश की जाये ।

मेरे क्षेत्र में कुछ बर्मीज भूतपूर्व सैनिक हैं जो सारे हिन्दुस्तान में बहुत कम रह गये हैं । उनमें बहुत असन्तोष व्याप्त है । उनको इतना कम पैसा मिलता है कि गांव से जब वह चलकर पेंशन लेने आते हैं तो मोटर का किराया-भाड़ा भी उसमें नहीं निकल पाता । अब उनकी संख्या बहुत कम रह गई है । मैं निवेदन करूंगा कि उनकी पेंशन को बढ़ाना चाहिए ।

कैन्टूनमैंट बोर्ड्ज की स्थिति बहुत खराब है । जंगलों के काटने पर प्रतिबन्ध लगने से अब उनकी आमदनी का और कोई जरिया नहीं रह गया है । मैं आग्रह करूंगा कि कैन्टूनमैंट बोर्ड्ज को और ग्रान्ट्स देनी चाहिए ।

रानीखेत कैन्टूनमैंट में सिविल पापुलेशन, नागरिक आबादी, को पानी कम मिलता है । ज्यादा पानी सेना के भाइयों को दिया जाता है । इसलिए कैन्टूनमैंट बोर्ड के लिए अलग से वाटर सप्लाई की व्यवस्था करनी चाहिए और उसके लिए ग्रान्ट देनी चाहिए ।

डी० जी० वी० आर० में कैजुअल लेबर को बहुत कम पैसा मिलता है । रेगुलर लोगों को अधिक वेतन मिलता है, मगर उन्हीं के बराबर काम करने वाले कैजुअल लेबर को बहुत कम पैसा दिया जाता है । मैं आग्रह करूंगा कि उनके वेतन में वृद्धि की जाए ।

मैं रक्षा मन्त्री का ध्यान रक्षा-उत्पादन के यूनिट्स की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । डिफेंस प्राडक्शन के यूनिट्स में सुधार हुआ है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है । उन्होंने वैल्यु के रूप में अपना उत्पादन बढ़ाया है । मगर हमने उनको एक प्रकार की मानोपली दे रखी है, जिससे उनका कोई काम्पटीशन नहीं है । वे जो कुछ बनाते हैं, हम उसे खरीद लेते हैं । इसके बावजूद उत्पादन में जितनी वृद्धि होनी चाहिए, वह नहीं हो पाई है । इसका कारण यह है कि हमने उनमें कामर्शियल आउटलुक डेवेलप नहीं किया है । मैं रक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि वहां पर कामर्शियल आउटलुक के लोगों, जिनका दृष्टिकोण यह हो कि उत्पादन बढ़ाना है और साथ-साथ लाभ भी बढ़ाना है, और विशेषकर स्पेशलिस्ट्स को रखना चाहिए । मैं किसी की क्षमता पर शंका किए बिना यह कहने के लिए माफी चाहूंगा कि हम लोग वहां पर रक्षा सेवाओं के लोगों या ब्यूरोक्रेट्स को रख देते हैं । एच० ए० एल० में हमने रक्षा सेवा के लोगों को रखा, लेकिन उससे वहां का उत्पादन घटा है । अगर उत्पादन घट जाए, तो इसका अर्थ यह है कि हम न तो अधिकारी और न रक्षा-उत्पादन संस्थान की क्षमता का ठीक उपयोग कर पा रहे हैं । इसलिये उनके लिए एक कामर्शिल सेवा होनी चाहिए और उसी के लोगों को रक्षा-उत्पादन संस्थानों में जिम्मेदारी मिलनी चाहिए ।

रक्षा मंत्री ने सुरक्षा सम्बन्धी समग्र परिस्थितियों की ओर सदन और देश का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि हमारी सेनाएं देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री ए० के० बालन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति की घण्टी बजाई जाए। अब सदन में गणपूर्ति हो गई है। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गणपूर्ति का प्रश्न मैंने नहीं उठाया था। यह प्रश्न श्री बालन ने उठाया था। उनके व्यवस्था के प्रश्न में एक खास बात है क्योंकि जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सत्ता दल के सदस्यों को इस विषय पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके द्वारा भाषण आरम्भ किए जाने से पहले उन्होंने गणपूर्ति का प्रश्न उठाया था। अब गणपूर्ति हो गई है। मैं नहीं जानता इस बारे में आपके बीच क्या समझौता हुआ है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं रक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की इस मांग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। निश्चित रूप से मेरी टिप्पणी आलोचनात्मक होगी। श्री वेंकटरामन् या श्री के० पी० सिंह देव द्वारा किए जा रहे रक्षा मन्त्रालय के नेतृत्व के बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं है। दोनों ने बहुत अच्छी तरह इसका कार्यभार सम्भाला हुआ है हालांकि यह उतना अच्छा नहीं है जितना कि जनता शासन के दौरान यह था। मुझे उस कारण कोई शिकायत नहीं है। रक्षा प्रतिवेदन में, जिसे सभा पटल पर रखा गया है, दो बहुत अच्छी बातें हैं जिनका उल्लेख मैं अपना आलोचनात्मक भाषण आरम्भ करने से पूर्व करना चाहता हूं।

पहली खुशी की बात तो यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर्यावरण सम्बन्धी अध्याय में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के लिए दोनों महान् शक्तियां बराबर हैं। यह अच्छी बात हैं क्योंकि पहले इसका झुकाव एक महान् शक्ति की ओर अधिक हो गया था। किन्तु इस बार, जैसाकि इस अध्याय से पता चलता है, एक संतुलन रखा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। खेद की बात यह है कि वह संतुलन सत्ता दल के सदस्यों द्वारा सदन में दिए गए भाषणों में प्रतिबिम्बित नहीं हुआ है। इसके अलावा, सत्ता दल के सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों से यही प्रतीत हुआ है कि भारत का झुकाव एक महान् शक्ति की ओर दी है किन्तु प्रतिवेदन में ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देनी मैं समझता हूं कि रक्षा मन्त्री को अपने दल के सदस्यों को अपने दृष्टिकोण से अवगत करना चाहिए।

दूसरी खुशी की बात यह है कि पहली बार रक्षा की परिप्रेक्ष्य योजना का उल्लेख किया गया है। हमें मालूम है कि 1964 से पंचवर्षीय रक्षा योजनायें बनाई जाती रही हैं तथा 1980 से 1985 तक की अवधि के लिए भी रक्षा योजना बनाई गई है। 1985 से 1990 तक के लिए भी रक्षा योजना बनाई जायेगी। क्योंकि आजकल के हथियार बहुत आधुनिक हैं इसलिए उनका उपयोग करने के लिए अपने आपको अनुकूल बनाने में समय लगता है। अतः परिप्रेक्ष्य योजना का होना जरूरी था। मुझे खुशी है कि रक्षा प्रतिवेदन में 1985 से 2000 की अवधि तक के लिए परिप्रेक्ष्य योजना है। यह परिप्रेक्ष्य योजना क्या है, मैं नहीं जानता। मैं यह भी नहीं जानता कि

क्या रक्षा मन्त्री इसकी सूचना सभा को देंगे या नहीं। यह बड़े दुख की बात है कि सरकार के पास यह जानकारी है जिससे सभा निरन्तर रूप से वंचित रखा जा रहा है। हमारे देश की खबरें बाहर के देशों में तो उपलब्ध हो जाती है किन्तु हमारे संसद सदस्यों को उनसे वंचित रखा जाता है। बहरहाल, इस परिप्रेक्ष्य योजना का होना एक खुशी की बात है।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर्यावरण सम्बन्धी अध्याय में एक बात अवश्य असाधारण है कि उसमें पाकिस्तान की अस्थिरता का उल्लेख किया गया है, क्योंकि वहां लोकतन्त्र नहीं है।

मुझे प्रसन्नता है कि वे लोकतंत्र के लिए वचनबद्ध है। आपातस्थिति लगाने वालों का लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त करना अच्छी बात है परन्तु पाकिस्तान में लोकतन्त्र का अभाव तथा उसके कारण विद्यमान अस्थिरता का यह अभिप्राय है कि सरकार समझती है कि जहां पर लोकतन्त्र नहीं है वहां पर अस्थिरता की स्थिति है। ऐसी दशा में राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सरकार की अपनी मान्यता और स्पष्ट की जानी चाहिए। यदि आप एशिया, जापान, इज्राइल पर ध्यान दें तो क्या ये तीनों देश पूरे समय लोकतन्त्रीय रहे हैं। शायद लंका भी एक लोकतन्त्रीय देश है? यह पहला मौका है कि प्रतिरक्षा प्रतिवेदन में उल्लेख हुआ है कि पाकिस्तान में लोकतन्त्र नहीं है, स्थिति अस्थिर है? क्या इसका अभिप्राय है कि रूस में लोकतन्त्र नहीं है अत: वहां पर अस्थिरता है। क्या इसका यह अर्थ है कि सऊदी-अरब में लोकतन्त्र नहीं है अत: वहां पर अस्थिरता है। क्या इसका यह अर्थ है कि बंगलादेश में लोकतन्त्र नहीं है अत: वहां पर स्थिरता नहीं है। यह ऐसी बात नहीं है जिसे सरकार एक वाक्य में व्यक्त कर पाये। उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि क्या वह किसी देश में लोकतन्त्र न होने का यह मतलब लेती कि उस क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है।

मुझे खुशी है कि रक्षा मन्त्रालय के प्रतिवेदन में एक वर्ष के भीतर पाकिस्तान के साथ युद्ध होने की सम्भावना का उल्लेख नहीं किया गया। शासक दल के महासचिव श्री राजीव गांधी ने कहा है कि एक वर्ष के भीतर पाकिस्तान के साथ युद्ध की सम्भावना है। श्री वेंकटरामन् रक्षा मन्त्री हैं। मैं नहीं समझता कि देश में कोई 'सुपर' रक्षा मन्त्री भी है, परन्तु निश्चय ही श्री वेंकटरामन् ने अपने प्रतिवेदन में ऐसा कुछ नहीं कहा।

परन्तु हमारी रक्षा नीति का निराशाजनक पहलू भी उस प्रतिवेदन से प्रकट होता है अर्थात् राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धान्त का अभाव। उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा पर्यावरण पर एक अध्याय है जिसमें कई चित्र हैं परन्तु यह मामला केवल दो पृष्ठों में आया है। परन्तु आपका सिद्धान्त क्या है? इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। पहले भी यह मांग की गई है। कोई सिद्धांत न होने का कारण क्या है। आप अपना सिद्धांत क्यों नहीं बताते? रोकना इस सिद्धांत का एक पहलू है। आप शत्रु को रोक सकते हैं, यह तो नि:सन्देह समझा जा सकता है। पहले से कार्यवाही कर आप शत्रु को रोक सकते हैं। कूटनीति से आप शत्रु को रोक सकते हैं। बहुत से तरीके हैं। आपको राष्ट्रीय सुरक्षा की संकल्पना रखनी चाहिए। हर एक देश ने ऐसा किया है। मैं नहीं समझता कि हमारा देश इस मामले में लज्जा क्यों अपनाये हुए हैं। जब आप राष्ट्रीय सिद्धांत निर्धारित कर देते हैं तब आप इरादों पर नहीं चल सकते। यह सही है कि मेरा दल पाकिस्तान के साथ मैत्री को बहुत महत्त्व देता है। राजनयता के मामले पर श्री बीजू पटनायक ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उसका श्री रावत ने भी उल्लेख किया है। हमारा दल पाकिस्तान के साथ मैत्री का बहुत महत्त्व देता है। परन्तु यह मामला विदेश विभाग का है, परन्तु जब प्रश्न रक्षा का आता है आप इरादों

पर नहीं चल सकते आपको क्षमता पर ध्यान देना होता है। यदि पाकिस्तान अपनी क्षमता बढ़ाता है तो हमें भी अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। यदि अमरीका हिन्द-महासागर में अपनी सेनाएं भेजता है, तो उस चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ती है रक्षा के मामले में हम इरादों को महत्त्व नहीं दे सकते। हम मानते हैं—श्री बीजू पटनायक ने बताया—कि पाकिस्तान तथा चीन का इरादा—युद्ध करने का नहीं है। ऐसा हम मानते हैं। सम्भवत: वे इसे न मानें। परन्तु जब रक्षा आयोजन का प्रश्न आता है हम इरादों को महत्त्व नहीं देते। आपको क्षमता पर ध्यान देना होता है। नेता बदल जाते हैं। इस वर्ष के अन्त तक ये लोग सत्ता से हट सकते हैं हम सत्ता में आ जायेंगे। (व्यवधान) वैसा ही पाकिस्तान में हो सकता है।

बलात् राज्य परिवर्तन का एक समाचार आया था। मैं नहीं जानता। अत: जब आप रक्षा योजना तैयार करते हैं, आप क्षमता पर निर्भर करते हैं; पाकिस्तान की क्षमता बढ़ गई है। हमें अपनी क्षमता बढ़ानी है। अत: एक राष्ट्रीय प्रतिरक्षा की योजना आवश्यक है।

वैसी ही बात देश के संवेदनशील क्षेत्रों की है। आज हमारी संवेदनशीलता कई क्षेत्रों में पहले से बहुत बढ़ गई है, जैसे तेल के क्षेत्र में। पहले यह क्षेत्र हमारे लिए संवेदनशील नहीं था। आज बम्बई हाई में है। आज हम तेल के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी तेल के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता के मामले में पूरे विश्व में ईर्ष्या है; कुछ देश इससे चिन्तित हैं, अत: इन उपकरणों की सुरक्षा हमारे लिए महत्त्वपूर्ण है।

प्रतिरक्षा की आपकी संकल्पना बदलती रहती है। पहले आपको तट-दूर-संस्थापनों की चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी। आपके संसाधन समुद्र के नीचे थे। अब आपको चिन्ता करनी पड़ेगी। अत: इस पर आपको विचार करना होगा। मैं नहीं जानता कि मन्त्री महोदय इसकी पुष्टि करेंगे अथवा नहीं—बम्बई हाई के निकट, विदेशी अथवा शत्रु पंडुब्बी देखे जाने के बारे में समाचार छपे थे। मैं नहीं जानता कि वह इसकी पुष्टि करेंगे अथवा नहीं, परन्तु सचाई यह है कि ऐसे संस्थापन हैं जिनकी रक्षा की जानी चाहिए।

वैसे ही दूर-दराज उप-द्वीपों की स्थिति है। अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह तट से 2000 कि० मी० दूर हैं। ये समार्ता से केवल 80 कि० मी० दूर है। इन द्वीपों पर कब्जा किया जा सकता है। प्रश्न यह है कि क्या आप दूर-दराज स्थित इन द्वीपों की रक्षा कर सकते हैं। इस बारे में भी सुरक्षा की भावना विकसित की जानी है।

तीसरी बात आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा साधनों की है। अत: मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में मेरी एक यात्रा के दौरान मुझे बताया गया कि उन्हें हम पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है—विशेषज्ञों ने 1965 में बताया कि तमिलनाडु में हिन्दी के मामले उपद्रव हुए—उन्होंने सोचा कि उपद्रव अत्यन्त उग्र है···(व्यवधान) श्रीमान्, आप हिन्दी के विरुद्ध थे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, कि मैं एक सरकारी कर्मचारी था। पर मैं व्यक्तिगत कर्मचारी स्पष्टीकरण के रूप में बता रहा हूं। मैं डाक तार विभाग में नियुक्त था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : तार-प्रणाली के साथ उस समय आपने क्या किया—इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। परन्तु वास्तविकता यह है कि जब भी ऐसी स्थिति विकसित होती है कोई न कोई गलत अनुमान लगा लिया जाता है। हिन्दी विरोधी उपद्रवों से ऐसा लगता था कि देश बट रहा है। परन्तु युद्ध से यह सिद्ध हो गया कि उक्त अनुमान सही नहीं था। उसी प्रकार मेरा

तर्क राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धान्त की भावना विकसित किये जाने का है, जिसे अपनाने में सरकार लज्जित है। मैं इसका पक्ष इसलिए लेता हूं क्योंकि आधुनिक विश्व में इन सभी बातों का प्रभाव पड़ता है। अत: मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि क्या कारण हैं कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत नहीं अपनाते और यदि वह ऐसे सिद्धांत पर विचार कर रहे हैं तो कब तक वह सभा को कम से कम उसकी रूपरेखा बताएंगे।

रक्षा की दृष्टि आज भारत की स्थिति सुखद नहीं है। हमारे एक ओर पाकिस्तान है तथा दूसरी ओर चीन। यह सच है कि 1962 में हमारा चीन से युद्ध हुआ। 1947, 1971 में हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ। ऐसी भावना है कि यदि वे भूतकाल में हम पर हमला कर सकते थे, तो भविष्य में भी वे ऐसा कर सकते हैं। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। परंतु प्रश्न इस बारे में उत्तेजित होने का नहीं है।

यह सच है कि ईरान इराक युद्ध के बाद हिन्द महासागर में अमरीका की गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं। हाल ही में मंत्री महोदय हमें नौ सेना अभ्यास दिखाने ले गये थे। मैं नहीं जानता कि मुझे सभा को उसकी जानकारी देनी चाहिए, अथवा नहीं। परन्तु अभ्यास के दौरान एडमिरल ने मुझे बताया कि कुछ समय पूर्व उन्होंने राडार पर कोई चीज देखी। अत: उन्होंने जांच के लिए एक जलपोत भेजा। अभी वह 25 मील हो गया था कि उन्होंने देखा कि वह वस्तु अमरीकी नौ-सेना थी, उनकी सेना, वायु सेना ने हमारे पोत को घेर लिया तथा विमानों ने गूंजना शुरू कर दिया। उनके पोत बाहर आ गये तथा हमारे पोत ने अपना परिचय दिया। उन्होंने बताया कि वे खोज-टोह लेने आये हैं, तथा वे वापस चले गये। यह घटना अरब सागर में 25 मील दूरी पर हुई।

अमरीका वहां पर पहले से विद्यमान है। आपने इसकी जानकारी सभा को नहीं दी। हम डियागो गर्सिया में अमरीकी सेनाओं की विद्यमानता से परिचित हैं परन्तु अब स्थिति यह है कि मात्र 20 मील दूरी पर अमरीकी सेना कार्यरत है। आपने राडार पर कोई वस्तु देखी। हमारा पोत वहां पहुंचा जिसे पंडुब्बियां विमानों आदि ने सब ओर से घेर लिया। हमारे पोत को परिचय देना पड़ा तथा बहुत पूछताछ के बाद वापस आने दिया गया। आज ऐसी स्थिति है कि हम घिरे हुए हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है। अब प्रश्न किसी विश्वसनीय मित्र पर अधिक निर्भरता का नहीं है। वास्तव में मंत्री महोदय को 1982 के पश्चिम एशिया युद्ध से सबक लेना चाहिए। जिसमें इस्राइल लेबनान में घुस गया तथा पी० एल० ओ० के मित्र तथा सीरियन तमाशा देखते रहे। एक महाशक्ति ने अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया तथा दूसरी महाशक्ति अमरीका केवल देखता ही रहा। अत: महाशक्तियों के बीच ऐसा समझौता लगता है कि वे हस्तक्षेप नहीं करते। जो पहले क्षेत्र पर पहले कब्जा कर लेता है वह उसी की सम्पत्ति हो जाती हैं। उस प्रकार की नीति चल रही है। अपने प्रतिवेदन में महाशक्तियों से समान दूरी की बात कही गई है, जो कि अच्छी बात है। इसलिए विश्वसनीय मित्रों पर जिसके साथ हमारे समझौते हैं, हम उन पर निर्भर नहीं रह सकते। श्री उसतीनोव इधर आये। समझा जाता है कि वह 1981 के समझौते को बढ़ावा देना चाहते थे। मैं नहीं जानता कि वास्तव में क्या हुआ। समाचार पत्रों में दो मुस्कराते हुए चेहरे छपे, एक उसतीनोव का और दूसरा आर० वेंकटरामन् का छपा था। उसतीनोव की मुस्कान अधिक वास्तविक थी श्री वेंकटरामन् की अधिक बनावटी। परन्तु मैं नहीं जानता कि क्या हुआ। परन्तु एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विश्वसनीय महाशक्ति जैसी कोई बात नहीं है तथा देश को आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिए। मुझे खेद है कि आत्म-निर्भरता की नीति तैयार करने का

कोई यत्न नहीं किया गया न ही शत्रुओं की संख्या कम करने की नीति सफल हुई। निःसन्देह हिन्द महासागर में संयुक्त राज्य अमरीका विद्यमान है। पाकिस्तान है, चीन है। अब हमारी नीति क्या हो ? यदि मैं कहूं कि हमारी नीति सोवियत रूस के निकट रहने की होनी चाहिए, तो यह विनाशकारी नीति होगी। पश्चिम एशिया युद्ध ने रास्ता दिखा दिया है, चीन ने वियतनाम के साथ युद्ध किया। इससे प्रकट होता है कि महाशक्तियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता अतः उनसे बचना चाहिए। इन राष्ट्रों के पाकिस्तान के साथ युद्ध नीति के सम्बन्ध हैं। चीन के साथ भी उनके वैसे ही सम्बन्ध हो सकते हैं। परन्तु आपकी अपनी राजनयता होनी चाहिए कि शत्रु एक साथ मिल न पायें, तथा आप अपनी रक्षा नीति इस प्रकार तैयार करें जिससे आप उनका सामना कर सकें। स्वावलम्बी होने के स्थान पर सरकार व्यवहार में विदेशों से आपात पर अधिक निर्भर कर रही है।

भारत का पाकिस्तान के प्रति रवैया उचित नहीं है। मेरी राय में जिस तरह का सुरक्षा का वातावरण हमारे आसपास है, पाकिस्तान के साथ किसी तरह से काम चलाने का सम्बन्ध होना चाहिए परन्तु हम देखते हैं भारत सरकार ठीक इससे विपरीत नीति पर चल रही है।

आत्म-निर्भरता की युद्ध नीति कैसे तैयार की जा सकती है। रक्षा बजट को देखने से पता

2.00 म० प०

चलता है कि दो तिहाई थे अधिक व्यय वेतनों तथा राशन तथा ऐसी मदों पर जिन्हें बदला नहीं जाता पर होता है। अर्थात् 6600 करोड़ रुपये में से केवल 2200 करोड़ रुपये ही बचते हैं जिससे हम शस्त्रों की प्रणाली तैयार कर सकते हैं। रक्षा बजट का लगभग एक तिहाई भाग हम आत्म-निर्भरता विकसित करने में खर्च कर सकते हैं। 1981 से हम देखते हैं कि आयातित उपकरणों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। जब से श्री वेंकटरामन् रक्षा मन्त्री बने हैं आयात पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं कि इसका परस्पर कोई सम्बन्ध है। परन्तु इसका श्री वेंकटरामन् को उत्तर देना चाहिए। परन्तु शस्त्रों के मामलों में आत्म-निर्भरता के लिए कोई वास्तविक प्रयत्न नहीं हुआ है। मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं। विमान उद्योग को ही लें। एक समय ऐसा था कि हम कुछ विमान, मरूत, अजित और ऐसी ही अन्य विमान आदि स्वयं बनाते थे। आज एच० ए० एल० केवल जागौर, मिराज इत्यादि का उत्पादन लाइसेंस के आधार पर कर रहा है। कोई स्वदेशी उत्पादन नहीं होता। उसका प्रयोग नहीं हो रहा। जहां तक नौसेना तथा परिवहन विमानों का सम्बन्ध है, उनका शत प्रतिशत आयात किया जाता है। उनका हम लाइसेंस-उत्पादन भी नहीं कर रहे हैं। यह एक गम्भीर मामला है। मैं मंत्री महोदय से सिफारिश करूंगा कि वह श्री सी० सुब्रह्मण्यम की एयरोनाटिक्स समिति की 1970 का प्रतिवेदन पढ़ें। हमने इस बारे में चेतावनी दी थी। मैं समझता हूं कि देश में भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र के समान एरो-स्पेस कमीशन होना चाहिए, जो कि इन उद्योग के विकास की ओर ध्यान दें। इसकी आवश्यकता किस लिए है ? क्योंकि जितने भी विमान हम खरीद रहे हैं वे अधिकाधिक महंगे होते जा रहे हैं। अध्ययन के अनुसार 10 वर्ष के भीतर विमानों के मूल्य 10 गुणे हो गये हैं। आज यदि आप मिराज खरीदना चाहते हैं तो कम से कम 20 करोड़ रुपए में आयेगा, हो सकता है, इसकी कीमत 25 अथवा 30 करोड़ रुपये हो। परन्तु मैं नहीं जानता कि मन्त्री महोदय हमें उसकी कीमत बताएंगे। वह इसका विवरण नहीं बताएंगे। परन्तु यदि आप अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं को देखें तो आपको पता चल सकता है। आज मिराज का मूल्य 30 करोड़ रुपए है,

कुछ वर्ष पहले लड़ाकू विमान 10 करोड़ रुपए में आता था जिसके मूल्य आज चौगुने हो गये हैं। अतः हमारी एक विमान परियोजना होनी चाहिए जिसमें हम अपने विमान विकसित कर सकें। परन्तु मैं समझता हूं रक्षा मन्त्री पर काफी दबाव पड़ रहा है कि रूस के साथ लाइसेंस-उत्पादन समझौता किया जाये। मैं समझता हूं। श्री उस्तीनोव ने भी इस बारे में बातचीत की। मैं नहीं जानता कि श्री वेंकटरामन् ने क्या बताया। इस समय वह मेरी बात सुन नहीं रहे। परन्तु सचाई यह है कि देश में ही ऐसी परियोजना विकसित किये जाने की आवश्यकता है, जिसके अन्तर्गत हल्के लड़ाकू विमान देश में निर्मित हो सकें, मैं समझता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

विमान उद्योग के समान शस्त्रास्त्रों के बारे में भी विवाद है। मुख्य युद्ध टैंक को ही लें। यदि उसके उत्पादन में कुछ समय लगता भी है, तो भी कोई हानि नहीं। उसमें आपको पॉवर पैक की समस्या है, अश्व-शक्ति अथवा इन्जन की समस्या है। परन्तु लोग आप पर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देश को किस तरह का टैंक चाहिए, इस बारे में सरकार पूरी तरह भ्रम में है। हमारे पास एक विजयन्त टैंक है। उसे बदलने के लिए आप टी-72 लाये हैं। समाचार था कि टी-72 अच्छा टैंक नहीं है तथा विजयन्त को सुधार कर उपयोग में लाया जाता रहेगा जब तक कि हम अपना एम० बी० टी० नहीं बना लेते। क्या आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं ? देश में केवल एक ही टैंक फैक्टरी है। आप एक और टैंक फैक्टरी खोल सकते हैं जिसमें एम०बी०टी० बन सकते हैं, जिस पर 200 करोड़ रुपए व्यय होंगे। परन्तु बजट में उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कब हम अपना स्वदेशी युद्ध टैंक बना पायेंगे। मंत्री महोदय को हमें बताना चाहिए, सभा को अज्ञात में नहीं रखा जाना चाहिए। हमें सचाई बताइये। यदि आप सच बतायेंगे तो हमें अधिक सहानुभूति होगी। मैं समझता हूं कि इस मामले को अन्तिम रूप से एवं दृढ़ता के साथ तय किये जाने की आवश्यकता है।

जहां तक टी-72 का संबंध है मैं पहले ही कह चुका हूं कि वह मात्र एक खोखा है। रूस पूर्वी यूरोप के घटिया माल को हमारे ऊपर मढ़ रहा है, क्योंकि वह उन्हें टी-80 दे रहा है। श्रीमन इस बात में सहमत होंगे कि आप घटिया माल नहीं चाहेंगे। इस समय टी-72 टैंक यूरोप में समाप्त किए जा रहे हैं और उन्हें भारत भेजा जा रहा है तथा सुधरे हुए टी-80 टैंक पूर्वी यूरोप को दिए जा रहे हैं, भारत को नहीं। मुझे यह जानकारी नहीं कि श्री उस्टीनोव ने टी-80 सप्लाई करने का वायदा किया था अथवा नहीं। यह बताना मन्त्री का काम है। तथ्य तो यह है कि यदि आप पाकिस्तान के पास उपलब्ध हारपून की बात करते हैं तो रूस के पास भी हारपुन के बराबर के वायुयान हैं। श्री वेंकटरमन ने रूस से हारपून के समकक्ष वायुयान की सप्लाई करने के लिए सोवियत संघ से कहा है ? मेरा विश्वास है कि उन्होंने ऐसा कहा था, परन्तु उनका यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। मुझे मालूम नहीं कि मेरे इस कथन को सत्य मानेंगे अथवा नहीं। इसलिए मुझे इसके परिणामों की ओर ध्यान देना होगा।

मेरे विचार से गत कुछ वर्षों में आत्म निर्भरता की क्षमता में कमी आई है, पर सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करना चाहिए उसे और अधिक आत्म निर्भरता की ओर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा के सम्मुख अनेकों प्रकार की और कठिनाईयां उत्पन्न हो गई हैं। जहां तक नौसेना का प्रश्न है, वहां भी हमारी नीति कारगर होनी चाहिए। यू० एन० आई० के एक समाचार के अनुसार सरकार ने नौसेना मुख्यालय के नौसेना को खुले समुद्र की नौसेना बनाने की योजना स्वीकृत कर दी है। इसका अर्थ है समुद्र में दूरी तक जाना, यहां तक कि यदि

आवश्यक हो तो मारीशश तक भी। यदि सरकार ने उसकी स्वीकृति दे दी है तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं। क्या आपके पास आवश्यक पनडुब्बी बेड़ा है। पिछले साल उन्होंने परमाणु पनडुब्बी की बात की थी। यदि आपके पास परमाणु चालित पनडुब्बी है तो वह लम्बे समय तक पानी में रह सकती है। इस समय पनडुब्बी रोधी युद्ध के सम्बंध में हम बड़े कमजोर हैं। इसलिए बड़े-बड़े युद्धपोत के बजाय मैं समझता हूं कि हमें पनडुब्बियों का निर्माण बड़ी मात्रा में करना चाहिए। हमारे पास 25-30 पनडुब्बियां होनी चाहिए। हमारे पास बड़े हैलीकाप्टर होने चाहिए, जिनकी बड़ी क्षमता हो। जिससे हम सीमा से सैनिकों को लाकर जहाज पर पहुंचा सकें। इस प्रकार से आधुनिक उपकरण लाए जाने चाहिएं तथा ऐसा करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि अमुक उपकरण कितना हो और अमुक कितना, वरन उस समय हमें उसकी मार करने की क्षमता को देखना चाहिए। मुझे खेद है कि सरकार रक्षा बजट का केवल 2.5% अनुसंधान और विकास पर खर्च कर रही है। अधिकतर देश इस मद में 20 प्रतिशत व्यय करते हैं। मेरा कहना है कि इस पर कम से कम 8,9 या 10 प्रतिशत खर्च किया जाये। अनुसंधान और विकास के कार्य को बड़े रूप में आरम्भ किया जाये। परन्तु सम्भवत: वे ऐसा नहीं कर सकते। मैं यह नहीं मानता कि रक्षा बजट अत्यधिक बढ़ रहा है। गत 15 वर्षों में रक्षा बजट में 2.28 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई है, जबकि हमारी राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 3.5 प्रतिशत वृद्धि हुई। केवल पिछले 3 या 4 वर्षों में हमारे रक्षा बजट में कुछ मामूली सी वृद्धि हुई। अन्यथा वह हमेशा कम होता रहा है। यदि आप अनुसंधान और विकास कार्य करने में असमर्थ हैं तो निजी क्षेत्र से इस संबंध में नए विचार देने को कहें और उन्हें इस दिशा में कार्य करने की अनुमति दें। हमारे यहां विश्वविद्यालयों में रक्षा विज्ञापन संबंधी विभाग नहीं हैं। प्रौद्योगिकी संस्थाओं को इस कार्य से सम्बद्ध नहीं किया जाता। हमारे यहां रडार विभाग है, परन्तु वह नाम मात्र का है। इस देश को अनुसंधान की कितनी आवश्यकता है और कितनी इसकी क्षमता है इस दिशा में आगे बढ़ना आवश्यक है।

हाल ही में थल सेनाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ था। मैं उनमें नहीं जाना चाहता। परन्तु इसमें सम्बद्धों का त्रिकोण है। आपने प्रेम में त्रिकोण की बात सुनी होगी। परन्तु रक्षा के सम्बंध में भी त्रिकोणात्मक संबंध है, अर्थात राजनीतिज्ञ, अधिकारी वर्ग और सेनाध्यक्ष। मंत्रालय में इन तीनों के संबंध को भली प्रकार नहीं बैठाया गया है। सेना के जनरलों की शिकायत है कि बड़े-बड़े तकनीकी प्रतिवेदन जो हम तैयार करते हैं वे मंत्रालय में एक अनुभाग अधिकारी के पास जाते हैं, फिर वे अवर सचिव, उप सचिव और सचिव के पास पहुंचते हैं, परन्तु वे कभी भी मंत्री महोदय के पास नहीं पहुंचते। अत: प्रशासन में कुछ सीमा तक व्यवहारिकता आवश्यक है। तभी आप राजनीतिज्ञ, अधिकारियों और जनरलों के बीच स्वस्थ संबंध रख सकते हैं। इसके लिए मंत्री महोदय कुछ ठोस सुझाव रखें। इस संबंध में जनरल सिंहा ने —सम्भवत: वे अपना नाम देना चाहें—कुछ पुस्तिकाएं प्रकाशित की थीं। सरकार को उन्हें देखना चाहिए और निर्णय लेने वाली प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सिद्धांत का गठन नहीं किया है ऐसा हम सब मानते हैं। और यही कारण है कि रक्षा संबंधी बहस के समय कुछ बातें कह दी जाती हैं और कुछ दूसरे विषय में। सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।

2.11 म०प०

[श्री सोमाथ चटर्जी पीठासीन हुए]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया गत दो दिनों से सभा में रक्षा मंत्रालय से सबद्ध अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है। इन अनुदानों का समर्थन करते हुए मैं इस विषय में अपने विचार प्रकट करने का प्रयत्न करूंगा। हिन्द महासागर क्षेत्र में सैनिक अड्डे स्थापित करके हमारे चारों ओर सैनिक तैयारियां चल रही हैं तथा हमें सब ओर घेर लिया गया है गत 35 वर्षों में हमारे देश को सीमा पर होने वाले चार आक्रमणों को सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान ने भारत पर 1947 में 1965 में और 1971 में हमला किया जबकि चीन ने 1962 में भारत पर हमला किया। जैसा कि आप जानते हैं अमरीका ने दियगो गार्सिया में एक बड़ा ही शक्तिशाली सैनिक अड्डा बनाया है तथा समाचार पत्रों के समाचारों के अनुसार अमरीका और श्रीलंका के बीच अमरीकी नौसेना को त्रिकोमल्ली बंदरगाह का उपयोग करने की सुविधा दिये जाने के लिए बातचीत चल रही है। ऐसा पता चला है कि अमरीका पूर्वी क्षेत्र अर्थात बंगलादेश में चटगांव के आसपास भी ऐसी सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। इसी सिलसिले में बंगला देश के राष्ट्रपति जनरल इर्शाद ने हाल ही में वाशिंटन की यात्रा की और उन्होंने शायद चार दिन होनोलूलू में, जो अमरीकी नौसेना का एक महत्वपूर्ण अड्डा है, बिताये। इससे यह आभास मिलता है कि वे अमरीका को कुछ द्वीप सौंपने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अतः हमारा देश चारों ओर से—पश्चिम में पाकिस्तान से, दक्षिण पश्चिम में दियगो गार्सिया से और यदि श्रीलंका और बंगलादेश में जो कुछ हो रहा है उसके समाचार सत्य हैं, तो पूर्व में बंगलादेश से और दक्षिण में श्रीलका से तथा उत्तर पूर्व में चीन से घिर गया है। इस संबंध में हमें निकट भविष्य में अपनी सैनिक तैयारियां करनी हैं।

सभी यह जानते हैं कि पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता और आर्थिक सहायता मिल रही है। यह सहायता 3.2 बिलियन अमरीकी डालर की है। 6 वर्ष की छोटी सी अवधि में जिया की सरकार ने रक्षा बजट दुगना कर दिया है। रक्षा प्रतिष्ठानों पर पाकिस्तान में कुल वार्षिक बजट का 60 प्रतिशत खर्च होता है। एक समाचार के अनुसार पाकिस्तान में रक्षा पर प्रति व्यक्ति 20 डालर खर्च होते हैं, जबकि उसकी तुलना में हमारे यहां लगभग 8 डालर।

पाकिस्तान का चालू कार्यक्रम है, रक्षा व्यवस्था और वायु सेना की मार की क्षमता को बढ़ाना। चर्चा के दौरान जिन एफ-16 वायुयानों की बात कही गई है वे अत्याधुनिक उपकरणों और खतरनाक मिसाइलों तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणों से लैस हैं। 1986 तक उनकी संख्या 50 हो जायेगी। पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में छपी कुछ खबरों के अनुसार पाकिस्तान 28 ए० एच-15 हैलीकाप्टर गनशिप, 200 एम 48 के-5 हर मौसम में रात में देखने वाले टैंक, कम्प्यूटर चालित 24 लांचर, टैंक रोधी मिसाइल, बख्तरबंद गाड़ियां अर 25 एम-113 किस्म की बख्तरबंद सैनिक गाड़ियां खरीद रहा है। यह सभी सामान अमरीका द्वारा सप्लाई किया जायेगा। कुछ तो इसमें से पहुंच भी चुका है और उनकी सेना का अंग बन चुका है। इन सभी हथियारों की सप्लाई 1986 तक पूरी हो जायेगी। इस दशक के अन्त तक अर्थात् लगभग 1990 तक पाकिस्तान के पास 700 एम-48, के-5 टैंक, 500 एम 140 की बख्तरबंद गाड़ियां और 500 सैनिक उपकरण हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान चीन और पश्चिमी देशों से अन्य उपकरण प्राप्त करना चाहता है। अंतिम खबरों से पता चलता है कि अमरीका पाकिस्तान को 6 नई सैनिक रेजिमेंट मदद कर रहा है इन रेजिमेंटों में 17 टैंक, 34 आर्टिलरी और 17 वायुयान रोधी बटालियनें हैं।

इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान ने अमरीकी सहायता से अधिकृत कश्मीर में एक भूमिगत विमानशाला का निर्माण करना है। ये सभी हथियार और अन्य सैनिक सामान उस 32 करोड़ डालर की अमरीकी सहायता के अतिरिक्त है, जिसके बारे में पहले करार हो चुका है। आप सभी ने प्रेस रिपोर्ट देखी होंगी कि पाकिस्तान चीन की सहायता से गिलगित में एक हवाई अड्डे का भी निर्माण कर रहा है। गिलगित अधिकृत कश्मीर का एक भाग है। यह भी समाचार है कि अमरीका एक एकीकृत कमान नियंत्रण तथा सी-3 व्यवस्था नामक संचार व्यवस्था स्थापित करने तथा उसमें पूर्णता प्राप्त करने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है जैसे ही सी-3 व्यवस्था का काम पूरा हो जायेगा, इस प्रणाली में आसूचना को भी शामिल कर लिया जायेगा। समाचारों के अनुसार, इससे आपस में सैनिक जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए पाकिस्तानी सैनिक आसूना को पेंटागन सर्किट से जोड़ दिया जायेगा। इससे भारत की तुलना में पाकिस्तान की स्थिति अधिक मजबूत हो जायेगी और पाकिस्तानी विमान बल पर किसी विदेशी विमान के आक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकेगा।

नौसेना के क्षेत्र में अफगानिस्तान से प्रत्यक्ष खतरे का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान आधुनिकतम पन्डुब्बियां, हरपून प्रक्षेपणास्त्र, जलपोत, आधुनिक हथियारों से सुसज्जित जंगी जहाज और प्रक्षेपणास्त्र भी प्राप्त कर रहा है। इसे कोई भी समझ सकता है कि इस नौसैनिक युद्ध सामग्री का प्रयोग अफगानिस्तान के विरुद्ध कैसे किया जा सकता है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने चीन से खतरे के नाम पर पहले जितने भी हथियार लिये थे, उनका प्रयोग भारत के विरूद्ध किया था। अब वे ये उपकरण अफगानिस्तान से खतरे के नाम पर ले रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि वे इन उपकरणों का प्रयोग अफगानिस्तान के विरुद्ध नहीं करने जा रहे हैं वे इनका प्रयोग हमारे देश के विरुद्ध ही करेंगे।

रिपोर्टों के अनुसार, प्रेजीडेंट जिया-उल-हक अमरीका को गवाडर में अमरीकी नौसेना को सुविधाएं देने के लिए तैयार हो गये हैं। समाचार यह भी है कि पाकिस्तान अमरीकी सहायता से मकरान के आस पास अन्य पत्तनों का भी विकास करेगा और बाद में उन्हें अमरीकी नौसेना के प्रयोगार्थ दे देगा।

राष्ट्रीय प्रेस में एक पाकिस्तानी नाभिकीय वैज्ञानिक डा० अब्दुल कादर खां का हवाला देते हुए ये भी समाचार छपे हैं कि पाकिस्तान को तथाकथित इस्लामी बम बनाने के लिए 90 प्रतिशत तक समृद्ध यूरेनियम तैयार करने में सफलता मिल गई है। कहा जाता है कि 90 प्रतिशत समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग किसी भी प्रकार के नाभिकीय विस्फोट के लिए किया जा सकता है।

समाचारों के अनुसार, इन सभी परिवर्तनों के फलस्वरूप पाकिस्तान कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा से करांची तक की वायु सैनिक, स्थल सैनिक और नौ सैनिक अभ्यास कर रहा है और वह भी इतनी अधिक ठण्ड में रात को किया जाता है। रिपोर्टों में कहा गया है कि यह अभ्यास अभी भी चल रहा है।

श्रीमान, प्रश्न यह है: क्या हम अपने देश के चारों ओर विद्यमान इन सभी शत्रुतापूर्ण गतिविधियों का मुकाबला करने के लिये हम तैयारी कर सके हैं? प्रेस रिपोर्टों के अनुसार जो आप में से अधिकांश ने पढ़ी होगी, हम मिराज-2000 विमान खरीदने के लिए अभी भी फ्रांस के साथ बातचीत कर रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि अन्तिम निर्णय रूसी मिग-29

का मूल्यांकन करने के पश्चात् लिया जायेगा। मूल्यांकन हमारी वायु सेना के कर्मचारियों द्वारा किया जाना है और अन्तिम निर्णय मूल्यांकन किये जाने के पश्चात् ही किया जा जायेगा। मतलब यह कि पाकिस्तान को 1986 तक 32 करोड़ डालर की सैनिक सहायता मिल जायेगी और हम नहीं जानते हैं कि हम इसका प्रतिकार कैसे कर सकेंगे ? जैसाकि हमारे माननीय सदस्य, डा० सुब्रह्मण्यम ने अभी कहा, हमें विजयन्त और टी-72 पर निर्भर करना पड़ेगा। हमें हथियारों और वायु सेना, स्थल सेना और नौ-सेना के सभी प्रकार के उपकरणों में तुरन्त सुधार करना चाहिये। हमें मूल्यांकन करने तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। तब तक बहुत ही अधिक देर हो जायेगी क्योंकि हमारे शत्रु पड़ौसी हमारे पर आक्रमण करने के लिये अवसर की ताक में हैं। अत: उन्हें ऐसा अवसर नहीं दिया जाना चाहिये।

देश में आंतरिक स्थिति, जिसका सम्बन्ध हमारी रक्षा से है, के बारे में मुझे यह कहना है कि पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में स्थिति बहुत चिंताजनक है। समाचार पत्रों से मालूम होता है कि इस देश में अस्थिरता और समस्याएं उत्पन्न करने के लिए पाकिस्तान में जनरल नियाजी के अधीन खालिस्तान और तथाकथित कश्मीर लिब्रेशन फ्रन्ट या बल या जो कुछ भी यह है, के कई लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह उन हथियारों से स्पष्ट है जो गिरफ्तार किये गये लोगों, तस्करों तथा जम्मू और कश्मीर सीमा पर कार्यरत्त एजेंटों से पकड़े गये हैं। जैसाकि आप जानते हैं, इन राज्यों की स्थिति बहुत ही अधिक नाजुक है और सरकार को इन राज्यों की ओर पूरा ध्यान देना चाहिये। वहां पर राज्य सरकार राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी तत्वों को प्रोत्साहन दे रही है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : श्रीमान, क्या यह चर्चा रक्षा के बारे में या गृह मंत्रालय के बारे में हो रही है ?

श्री पी० नामग्याल : मैं उस पर भी बोलने जा रहा हूं। यह उससे सम्बन्धित है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करने का प्रयत्न कीजिये।

श्री पी० नामग्याल : मैं अभी समाप्त कर दूंगा। सभा को विदित है कि पाकिस्तान ने 1965 में हजारों घुसपैठिये जम्मू और कश्मीर राज्य में भेजे थे। उस समय जम्मू और कश्मीर के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था और अब भी वे उनका साथ नहीं देंगे। उन्हें कश्मीर घाटी के लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता। किन्तु वहां पर राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी तत्व हैं जो अपना सिर उठा रहे हैं। यदि 1965 की तरह अब भी घुसपैठिये आ गये, तो इस बार स्थिति बिल्कुल भिन्न होगी हमें इस बारे में आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए।

मैं अब अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा। लेह-मिनाली सड़क को चौड़ा करने तथा उसका दर्जा बढ़ाने सम्बन्धी कार्य में तेजी लायी जानी चाहिये। श्री राजेश कुमार सिंह ने भी इसके बारे में कहा है। कश्मीर घाटी में स्थिति को देखते हुए, वहां पर कोई भी गड़बड़ हो सकती है और इस सड़क के चौड़ा हो जाने पर सैनिक गाड़ियों को सुविधा हो जायेगी। रक्षा के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी होना चाहिये। अत: लेह-मिनाली सड़क को चौड़ा करने तथा उसका दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार को यह कार्य तुरन्त करना चाहिये। इस सड़क के निर्माण के लिए अधिक धनराशि नियत की जानी चाहिये।

सुरक्षा बलों तथा स्थानीय लोगों के बीच सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। हमारे क्षेत्र में असैनिक आबादी सेना की मदद लेती है। हम उनके आभारी हैं हम भी उनको यथासम्भव सहयोग देते हैं।

वर्तमान बदली हुई स्थिति में सशस्त्र सुरक्षा बल लोगों के सहयोग के बिना न लड़ सकते हैं और न ही जीत सकते हैं। इस क्षेत्र में लोग विशेष कर सीमा क्षेत्र के लोग उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि सेना अन्य सुरक्षा बलों की सहायता करने के लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। लोग विशेषकर जनजाति-क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के प्रति सेना को अपने रवैये में तबदीली लानी चाहिये। उन्हें उन लोगों के मन को जीतना चाहिये और उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिये कि वे बम्बई, कलकत्ता या मद्रास में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की तरह अच्छे भारतीय हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है।

कार्यरत तथा सेवानिवृत सैनिकों को अधिक सुविधाएं देने की आवश्यकता है। इस सभा के माननीय सदस्यों की मांग पर 2 वर्ष पूर्व आपने शांति क्षेत्र में रहने वाले करनल के रैंक के सभी अधिकारियों के लिए मुफ्त राशन देने की मंजूरी दी थी। मैं महसूस करता हूं कि यह सुविधा ब्रिगेडियर से लेकर जनरल तक के अधिकारियों को भी उपलब्ध होनी चाहिये क्योंकि उनकी संख्या इतनी अधिक नहीं है और इस सम्बन्ध में वित्तीय भार भी इतना अधिक नहीं पड़ेगा। मेरा अनुरोध है, कि इस पर विचार किया जाये।

दक्षिण-पूर्व क्षेत्र तथा लद्दाख क्षेत्र की तरह की जनजाति क्षेत्रों में सभी लोगों को आयकर से छूट है। मैं महसूस करता हूं कि इन क्षेत्रों में सेवारत अधिकारियों को, जिन्हें वहां पर केवल 2 वर्षों की अवधि के लिए भेजा जाता है, आयकर से छूट मिलनी चाहिये क्योंकि उन्हें अपने परिवारों को शांति क्षेत्रों में छोड़ना पड़ता है। वे अपने परिवारों को युद्ध क्षेत्र में नहीं ले जा सकते। इन क्षेत्रों में परिवारों को नहीं रखा जा सकता। जीवन-निर्वाह की ऊंची लागत और बढ़ते हुए मूल्यों के कारण उनका निर्वाह नहीं हो सकता है।

सेवा निवृत्त सैनिकों की पेंशन के बारे में कई सदस्यों ने सुझाव दिये हैं और मैं भी उनका समर्थन करता हूं। आपने विभिन्न वर्गों की पेंशनों में जो अन्तर था उसे कम कर दिया है। इसमें और कमी करने की आवश्यकता है। आप को इन बातों पर अवश्य विचार करना चाहिये। सेवानिवृत अधिकारियों को राष्ट्रीय निर्माण के कार्य में लगाना चाहिये। उदाहरणार्थ, आपने प्रादेशिक सेना की कई टुकड़ियों और पारिस्थितिकी सम्बन्धी कार्य बल, आदि की स्थापना की है। ये अनुशासित सिपाही हैं और उन्हें इन कार्यों पर लगाया जा सकता है और ये हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे।

समाप्त करने से पूर्व, मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह सदा सतर्क रहें और उन्हें आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिये क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि देश को सीमा पार से विशेषकर पश्चिम की ओर से किसी भी समय आक्रमण का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उस देश में स्थिति अच्छी नहीं है और लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिए तथा सीमावर्ती पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह अमरीका और अन्य देशों से प्राप्त हथियारों और उपकरणों की मदद से आक्रमण कर सकते हैं। अन्त में, मैं रक्षा मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सैनिकों या सैनिक और सिविल अधिकारियों के बीच सम्पर्क स्थापित करके तथा अन्य बातें करके उन समस्याओं का, जिनका हमें विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को सामना है, समाधान करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की। मन्त्री महोदय ने हमारी मांगों को पूरा करने के लिए भी तुरन्त कार्यवाही की। मैं उनका आभारी हूं।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो कुछ मैंने कहा है उसको देखते हुए रक्षा मंत्रालय को दिया जा रहा अनुदान बहुत कम है। उन्हें राशन मुफ्त मिल रहा है जबकि हमें खरीदना पड़ता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हुए भी हमें इस पर उचित रूप से विचार करना होगा और मेरा विचार है, वित्त मन्त्री को इन बातों पर भी ध्यान रखना चाहिये।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम (तिरुनेलवेली) : समापति महोदय, अपने दल द्रविड़ मुन्नेतर कषगम की ओर से मैं वर्ष 1984-85 की रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे माननीय रक्षा मन्त्री, श्री आर० वेंकटरामन्, तमिल नाडु के ही आदरणीय नेता नहीं हैं, अपितु राष्ट्र के वरिष्ठ नेता भी हैं। वे तमिल नाडु राज्य में तथा केन्द्र में भी महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे हैं तथा उन्होंने शानदार काम किया है। उनकी सहायता एक नवयुवक तथा उत्साहित राज्य मन्त्री, श्री के० पी० सिंह देव, कर रहे हैं जिन्होंने विशेष सेवाओं का परिचय दिया है। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, जिस के लिए 6800 करोड़ रुपये की भारी रकम नियत की गई है, हमारे रक्षा मन्त्री के महफूज हाथों में हैं।

गत 123 वर्षों के दौरान, 1860 से 1983 तक, अनेक प्रतिवेदनों में सेतुसमुन्द्रम परियोजना सामरिक महत्व पर बल दिया गया है। लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने इसकी सिफारिश की है। 1982 में लोक लेखा समिति ने स्पष्ट रूप से यह बताया था कि देश के लम्बे तट की सुरक्षा के हित को देखते हुए इस परियोजना को कार्यान्वित करना चाहिए। 7-3-1984 को, हमारे रक्षा मन्त्री ने स्वयं सभा में इस परियोजना के सामरिक महत्व पर बल दिया था। 1963 में केन्द्रीय मन्त्रिमंडल ने इस परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की सिफारिश की थी। दुख की बात यह है कि आज तक इस परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया गया है।

विश्व के बहुत से सैनिक विशेषज्ञों ने यह राय व्यक्त की है कि हिन्दी महासागार तीसरे विश्व युद्ध का अड्डा है। डायगोगार्शिया हिन्द महासागर पर अमरीका का अतिशक्तिशाली नौसैनिक अड्डा है। श्रीलंका में जिनको मली बन्दरगाह अमरीका की एक कम्पनी की अभिरक्षा में है। पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व आने जाने वाले हमारे तट के सभी जहाजों को श्रीलंका में त्रिनकोमली के चारों ओर जाना पड़ता है। तूतीकोरिन से रवाना होने वाले जहाज को कलकत्ता पहुंचने के लिए श्रीलंका के इर्दगिर्द जाना होता है। इससे आप स्वयं ही अन्दाज लगा सकते हैं कि हमारे जहाजों को संकटकाल में कितने खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अत: सेथु समुन्द्रम परियोजना का शीघ्र कियान्वयन करना आवश्यक है। रक्षा मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह इस परियोजना को रक्षा परियोजना समझ कर उसका शीघ्र क्रियान्वयन करें।

इस समय विशाखापत्तनम के पूर्वी तट पर एक नौसैनिक गोदी-वाड़ा है और एक जहाज बनाने का कारखाना है कई बार यह देखा गया है कि जापान और ताईवान के जहाज बंगाल की खाड़ी में हमारे आर्थिक क्षेत्र में घुस आते हैं और उत्तेजित हुए बिना मछली पकड़ते हैं। कुछ समय पहले अन्दमान और निकोवार द्वीपसमूह के एक द्वीप में किसी देश के 100 परिवार कई वर्षों से रह रहे थे। हमारे नौसैनिक प्राधिकारियों को इस बात का अकस्मात पता चल गया जिन्हें बाद में वहां से बाहर निकाल दिया गया। इससे पता चलता है कि बंगाल की खाड़ी कितनी अरक्षित है। अत: मेरा सुझाव है कि पूतीकोरिन में एक नौसैनिक अड्डा और एक नौसैनिक गोदी-बाड़ा स्थापित किया

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जाना चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि तूतीकोरिन में एक तट रक्षक केन्द्र भी स्थापित किया जाना चहिए जिससे कि अनधिकृत विदेशी जहाजों को पकड़ा जा सके। रक्षा मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करें।

मद्रास में हमारी वायु सेना का एक अड्डा है। मेरी यह मांग है कि देश के दक्षिणी भाग की सुरक्षा के लिए तूतीकोरिन, या कन्याकुमारी अथवा रामेश्वरम में वायु सेना का एक अड्डा अवश्य स्थापित किया जाना चाहिए। यह नितान्त आवश्यक है तथा मुझे विश्वास है कि हमारे मंत्री इस ओर अवश्य ध्यान देंगे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि 1952 से लेकर आज तक हमारी नौसेना के साथ संकुचित व्यवहार किया गया है। 1984-85 से 6800 करोड़ के पूंजी परिव्यय में से भारतीय नौसेना के लिए केवल 500 करोड़ रुपये ही नियत किये गये हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी नौसेना को सशस्त्र बलों का एक स्वावलंबी विभाग बनाने के लिए अधिक धनराशि नियत की जानी चाहिए। अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय को मद्रास से कन्याकुमारी तक पूर्वी तट सड़क को, सामरिक महत्व की सड़क मानकर, अपने हाथ में ले लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर तक सेना का विर्बाध आवगमन हो। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़) : माननीय सभापति जी, मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। सब से पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगी—पिछले चार वर्षों में हमने इस क्षेत्र में काफी आधुनिक शस्त्रास्त्रों का भण्डार इकट्ठा किया है और प्रगति की है। इस वर्ष भी हम 6800 करोड़ रुपया खर्च करने का रहे हैं जो पिछले बजट से 7 परसेंट अधिक है।

मान्यवर, यदि हम टोटल खर्चे का अनुपात लें तो यह पिछले वर्ष से अधिक होते हुए भी 17 परसेंट ही आता है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में हमारा यह खर्च बहुत कम है। यदि हम सारे विश्व के रिकार्ड को देखें तो 1981 में सारे विश्व में सेना और शस्त्रास्त्रों पर 600 डालर खर्च किये गये थे और अन्य प्रगतिशील देशों से तुलना करें तो जहां उनका खर्च 50 प्रतिशत आता है, हमारा खर्च केवल 7 प्रतिशत है। यदि हम प्रति व्यक्ति व्यय की दृष्टि से तुलना करें तो हमारा यह खर्च केवल 7 डालर आता है जब कि इण्डोनेशिया 9 डालर खर्च करता है, पाकिस्तान 17 डालर, चाइना 56 डालर, मिश्र 129 डालर, ब्रिटेन 190 डालर, अमरीका 477 डालर और यू० एस० एस० आर० 792 डालर खर्च करता है, इतना ही नहीं इजराइल जैसा छोटा-सा मुल्क 1201 डालर खर्च करता है इन सब के मुकाबले हमारा देश केवल 7 डालर खर्च करता है। आज हमारे देश की सीमाओं पर जो खतरा मंडरा रहा है—चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, पाकिस्तान हमारी सीमाओं पर वार-एक्सरसाइज कर रहा है जिसके प्रमाण बार-बार हमारे सामने आते हैं, कई बार वह हमारे देश पर हमला भी कर चुका है और हमारी 30200 वर्ग मील जमीन उसके कब्जे में है और ऐसी स्थिति में जब कि अमरीका उस को बहुत ही आधुनिक हथियार दे रहा है। यह कठिनाई और भी अधिक बढ़ जाती है। अमरीका उसको एफ-16 हवाई जहाज दे रहा है। चाइना उसकी मदद कर रहा है—चाइना की मदद से उस ने 12 हवाई पट्टियां बनाई हैं जिन में गिलगित भी शामिल है। गिलगित के हवाई अड्डे पर जो अभी बनाया गया है, कुछ दिन पहले जेनरल जिया ने अनेक विदेश राजदूतों का एक सम्मेलन भी किया था। तो यह सब इस बात का द्योतक है कि पाकिस्तान से हमें बहुत खतरा है। वह बात तो यह करता है कि अफगानिस्तान में रूस की सेना है, उसे वह आगे नहीं बढ़ने देना चाहता परंतु व्यवहार में 80 प्रशित उसकी मिलिट्री

हमारे देश की सीमाओं पर लगी हुई है और धर्म के नाम पर भी वह अरब कन्ट्रीज से और अधिक सहायता मांगता है और हम ने ऐसा सुना है कि उन की सहायता से और चीन से टेकनीक लेकर उसने एक इस्लामी बम बना भी लिया है। उस को किस प्रकार से वह इस्तेमाल करेगा, यह एक प्रश्न चिन्ह हमारे दिमाग में बना हुआ है।

इसी प्रकार से हमारी जो उत्तरी सीमा चीन की है, वहां पर भी हमें अत्यधिक खतरा है यद्यपि हमारे संबंध चीन से सुधर रहे हैं परन्तु फिर भी देखने में यह आया है कि चीन ने मीठी-मीठी बात कर के बराबर हम पर अटेक किया है, जिस का उदाहरण 1962 का युद्ध है। उस समय उसने हिन्दी-चीनी भाई-भाई कहते हुए, हमारे ऊपर आक्रमण किया था और हमारे देश की 14,500 वर्ग मील जमीन उसके कब्जे में है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश को वह अपने नक्शे में बता रहा है। चीन को सबसे अधिक घमंड अपनी अणु शक्ति के ऊपर है और उसने उसका परीक्षण 20 बार अभी तक किया है और तिब्बत में लहासा से 200 किलोमिटर दूर नागाचू में उसने अपना सैनिक अड्डा बनाया है और उसकी रेंज में हमारे प्रमुख नगर, बांध और औद्योगिक केन्द्र आ जाएंगे। इसलिए उसकी तरफ से भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है।

भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका हम से बहुत अधिक दूरी पर है परन्तु हिन्द महासागर में अणु-शक्ति से सम्पन्न उसके जहाज इधर से उधर घूमते हैं और वह बराबर हमारे लिए खतरे की घंटी बजाता रहता है। डियागो-गार्सिया में उसने जो सैनिक अड्डे कायम किये हैं, उन से यह पता चलता है कि उस का रुख हमारी तरफ से किस तरह का है। हमारी जो तेल सम्पदा है, उसकी सुरक्षा के लिए हमें इस बात की ओर ध्यान देना ही होगा।

इसी प्रकार से हमारे पड़ोसी देश लंका का उदाहरण लीजिए, जिससे पहले हमारे मित्रता के संबंध थे परन्तु अभी अभी उनका जो आंतरिक झगड़ा तेमीलियन्स के सम्बन्ध में हुआ, उससे उसने अमेरिका का दामन थाम लिया है।

हमारा पड़ोसी देश जो बंगलादेश है, शेख मुजीबुर्रहमान के देहान्त के बाद से उससे भी हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। वह अपने नागरिकों को हमारे देश की सीमाओं में धकेलने की कोशिश करता है और हमारे देश के जो मिजो विद्रोही हैं, उन को अपने यहां शरण देता है। कभी-कभी यह भी सुनने में आया है कि हमारे आसाम के चीफ मिनिस्टर ने बोर्डर पर जो फेंसिंग की बात कही थी, उस का उसने विरोध किया है ये सब बातें यह सिद्ध करती हैं कि हम अपनी रक्षा के बारे में और अपनी सेनाओं के बारे में कुछ भी ढील नहीं दे सकते और अगर हम इस में ढील देते हैं, तो इसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं क्योंकि हमने देखा कि बड़े जो राष्ट्र हैं, वे अपनी धरती पर युद्ध न करा कर छोटे राष्ट्रों को आपस में लड़ा कर उनकी धरती पर युद्ध कराते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि हमें चाहे रक्षा बजट में और भी बढ़ोत्तरी करनी पड़े, इसके लिए संकोच नहीं करना चाहिए। निःसन्देह यह बात सही है कि 1980 से लेकर अब तक जो रक्षा बजट में वृद्धि हुई है, वह वृद्धि यदि न करते, तो उससे बहुत सारे जनोपयोगी काम हो सकते थे और हो सकते हैं। यदि यह वृद्धि अभी न की जाती, तो 3 लाख किलोमीटर लम्बी सड़कें देश में हम बना सकते थे। यदि यह वृद्धि न होती, तो 500 बिस्तर वाले 100 अस्पताल बना सकते थे और यदि यह वृद्धि न होती, तो हम लोग 100 मेगावट वाले 40 ताप विद्युत घर बना सकते थे परन्तु हमारी सेनाओं की और हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, हमारे नागरिकों की और हमारी जनता को यह सब त्याग करना पड़ता है। क्योंकि हमारे सारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, हमारे चारों तरफ

जो बाऊंडरी है, वहां पर जो विस्फोटक स्थिति है, उसको देखते हुए इस खर्चे को कम करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है।

मान्यवर, हमारी सीमाओं पर जो सशस्त्र पहरा देने वाले जो प्रहरी हैं, उनकी स्थिति के बारे में भी आप विचार कीजिए। हमारे देश की ऐसी सीमाएं हैं जो कि विश्व के किसी भी राष्ट्र की नहीं हैं। एक तरफ तो ऊंची-ऊंची पहाड़ियां हैं जहांकि रक्त जमा देने वाली बर्फ पड़ती है। हमारी सीमाओं पर दूसरी तरफ रेगिस्तान है जहां कि इतनी अधिक गर्मी पड़ती है कि लोगों का खून भी खौल जाता है। सीमाओं पर कहीं दलदल भरी जमीन है और कहीं पर पहाड़ और घने जंगल हैं। इन सीमाओं पर हमारे सारे के सारे सैनिक रहते हैं और काम करते हैं। हमें उन की वीरता और उसके मनोबल पर गर्व है। विपरीत परिस्थितियों में रहने की वजह से उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। मैं यह कहना चाहूंगी कि हम उनके बारे में उपेक्षा नहीं कर सकते। हमें उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं देनी चाहिएं और उन्हें अधिक से अधिक आधुनिक-तम हथियारों से लेश करना चाहिए।

मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारी जल, थल और नभ तीनों सेनाओं ने विकास किया है। हमारी थल सेना ने आधुनिक टैंक टी-72 का निर्माण किया है। विजन्यत टैंक में "रेडा फाइन्डर" लगाया है जिससे कि रात के समय भी हम दुश्मन पर अटैक कर सकें। इससे हमारा निशाना अचूक रहता है। इसके अतिरिक्त हमने विजयन्त टैंक में 320 मिली मीटर की तोप लगाई है, मिला मिसाईल लगाया है। फ्लोटिंग ब्रिज भी तैयार किया है। ये हमारी महान् उपलब्धियां हैं।

मान्यवर, आज हिन्द महासागर में खतरा बढ़ रहा है। उसे रोकने के लिए हमें अपनी नेवी को अधिक सशक्त करने की जरूरत है। क्योंकि हमारा जो विक्रांत है वह बहुत पुराना हो गया है। हमने यू० एस० एस० आर० से नेवी संबंधी कुछ जहाज लिये हैं जिनके नाम राजपूत, राणा तथा सी-हेरियर हैं। मगर मान्यवर, बोम्बे हाई में जो तेल के भंडार हैं, उनकी सुरक्षा का भी बहुत बड़ा काम है। हमारी करोड़ों और अरबों रुपये की जो तेल सम्पत्ति है, उसकी सुरक्षा के लिए हमें अत्यधिक सम्पन्न जहाजों, रडारों और पन्डुब्बियों की आवश्यकता है। मन्त्री जी इसकी तरफ भी ध्यान दें। अभी अभी आपने गोदावरी श्रेणी के युद्धपोत बनाये हैं और जल सेना में काफी तरक्की हुई है। (व्यवधान)

इसके अतिरिक्त, मान्यवर मैं कहना चाहूंगी कि हमारी एयर फोर्स ऐसी होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। हमारी एयर फोर्स पाकिस्तान का मुकाबला कर सकेगी या नहीं, यह प्रश्नवाचक चिह्न है। जो मिराज-30 हैं, एफ-16 हैं, उनका मुकाबला हमारे जगुआर या मिग-23 कर पायेंगे या नहीं, यह प्रश्न दिमाग में पैदा होता है। यह प्रसन्नता की बात है कि हमने मिराज 2000 और ए० एन०-32 के बारे में समझौता किया है। यू० एस० एस० आर० के रक्षा मंत्री अभी भारत आये थे। उनके यहां आने से हमें बहुत अधिक आशा बंधी है कि हमें मिग-29 जो कि एक बहुत अच्छा और दूर तक मार करने वाला विमान है, मिल सकेगा। इससे हम सोच सकते हैं कि हमारी एयर फोर्स भी तरक्की पर है। इसके अलावा ए०एन०-32 विमान भी भारत खरीदेगा। इस सब के लिए मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगी कि हमारी एयर फोर्स ऐसी सशक्त हो रही है कि वह कम से कम पाकिस्तान का तो मुकाबला कर सकेगी।

3.00 म०प०

मान्यवर, आज भारत गुट निरपेक्ष देशों का अध्यक्ष है। अध्यक्ष होने के नाते हम अपनी नीति के अनुसार अणु शक्ति का इस्तेमाल शांति पूर्ण कामों के लिए करेंगे। साथ ही अमरीका और अन्य राष्ट्र इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि तारापुर यूरेनियम ईंधन से हम एटम बम बना रहे हैं। इससे भारत वर्ष 20 एटम बम प्रतिवर्ष बना सकेगा। इस तरह का झूठा प्रचार पाकिस्तान के जरिए हो रहा है। मान्यवर, हम अमरीका की परमाणु प्रसार संधि के ऊपर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। वह संधि द्वेषपूर्ण है। हम अपनी स्वतंत्रता और खुशहाली का समझौता दूसरे देश के साथ नहीं कर सकते। आज उनको सबसे बड़ी परेशानी इस बात से है कि मद्रास में जो कल्पाकम अटामिक रिएक्टर लगाया गया है और उसमें जितना ईंधन खर्च होता है उससे दुगना साफ हो जाता है। उसको देखकर ये लोग तिलमिला उठे हैं। माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि उनका दिल जलता है। शांतिपूर्ण कामों के लिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। आज हमारी परमाणु नीति ऐसी होनी चाहिए कि हम दूसरे देशों का मुकाबला कर सकें। क्योंकि आज इतने अधिक परमाणु अस्त्र दुनियां में हैं कि यदि सबको एक साथ छोड़ दिया जाए तो पृथ्वी को कई बार खत्म किया जा सकता है। (व्यवधान)

अभी अमरीका में एक पिक्चर बनाई गई है "द डे आफ्टर", उसमें बताया गया है कि कुछ मिन्टों में जिस पृथ्वी को हमने कई वर्षों में बनाया है, खत्म हो सकती है। आज ऐसे रासायनिक अस्त्र भी सामाने आए हैं। जैसे अमरीका ने वियतनाम में उपयोग किया था—"एजेंट आरेंज", उसके इस्तेमाल से वितयनाम की 40 प्रतिशत जमीन नष्ट हो गई थी। उसको फिरसे हराभरा करने के लिए कई दशक लग जाएंगे। अगर इस प्रकार के अस्त्रों की होड़ लगेगी तो उससे कोई देश सुरक्षित नहीं रह सकता। आज तो अंतरिक्ष में भी सुरक्षा नहीं है। वहां पर भी अमरीका ने के एच 11 नामक एक कृत्रिम उपग्रह बनाया है। अगर यह शीत युद्ध गर्म युद्ध में बदल गया तो सब तरफ तवाही हो जाएगी। अगर इस युद्ध को कोई रोक सकता है तो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का अध्यक्ष देश भारत और उसकी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारे देश की नीतियां जो पंचशील और सह अस्तित्व के आधार पर सारी दुनियां को इस भयंकरता से छुटकारा दिला सकती हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूं। आज हमारे देश में भूत पूर्व सैनिकों की संख्या 38 लाख है। 60-70 हजार प्रतिवर्ष सैनिक सेवानिवृति होते हैं। लारकिस बंधुओं ने जो शर्मनाक काम किया उसमें हम सारे के सारे भूतपूर्व सैनिकों को नहीं घसीट सकते। ये सैनिक 32 से 38 के बीच और अधिकारी 40 वर्ष के आसपास रिटायर हो जाते हैं। जबकि पब्लिक सेक्टर में 58 वर्ष तक सेवा की जा सकती है। इन लोगों को पेट पालने के लिए, रोजी रोटी के लिए जॉब चाहिए। जो पुनर्वास महानिदेशालय है वह केवल दो तीन हजार की ही नौकरियां दे सकता है जबकि प्रतिवर्ष 60-70 हजार रिटायर होते हैं। मेरा एक सुझाव है। राज्य सरकारों को आप आदेश दें कि वे इन भूतपूर्व सैनिकों के लिए जरूर स्थान सुरक्षित करें, उनका रिजर्वेशन निश्चित रूप से करें। इसके अलावा सैनिक पुनर्वास योजना राज्य सूची में है। इसकी समवर्ती सूची के अन्तर्गत लाया जाए ताकि सैनिकों के पुनर्वास के बारे में हम लोग सोच सकें।

सैनिक अपने जीवन का स्वर्णिम प्रभात आपकी तथा देश की सेवा में अर्पित करते हैं। उनको हम क्यों नहीं एडजस्ट कर सकते हैं? आपका जो डिफेंस डिपार्टमैंट है उसमें भी कई ऐसे

विभाग हैं जिन में इनको एडजस्ट किया जा सकता है जैसे सेना का लेखा विभाग है, सीमा सड़क निर्माण विभाग है, आर्डनेंश फैक्ट्रीज हैं, कैंटीज स्टोर्ज, एम आई एस है। साथ ही हमारे गृह विभाग में कई ऐसे महकमे हैं जिन में पचास प्रतिशत स्थान भूतपूर्व सैनिकों के लिए सुरक्षित रखे जा सकते हैं जैसे सीमा सुरक्षा बल है, सी आर पी है, रेलवे सुरक्षा बल है। एयरलाइंज में भी कर सकते हैं, कस्टम्ज में भी कर सकते हैं। इसके दो लाभ होंगे। एक तो जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना जीवन गुजारा है उनको रोजगार मिलेगा दूसरे ये जो सर्विसिस हैं इनके लिए आपको डिसिप्लिड आदमी मिल जाएंगे।

मेरा एक और सुझाव है। आज कई देशों में सैनिक शिक्षा अनिवार्य है। अमरीका, चीन आदि में हर नागरिक सैकिंड लाइन आफ डिफैंस के तौर पर सामने आता है। मैंने पहले भी यह सुझाव दिया था और आज भी देती हूं कि क्यों न हम एन सी सी लड़के लड़कियों दोनों के लिए या मिलिट्री साइंस की की एजुकेशन विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य बना दें।

आज वार एक्सरसाइजिज में भी कई लोग शहीद होते हैं। जब आदमी घर से बाहर निकलता है तो चाहे दुश्मन के हथियार से मरे या अपने स्वयं के आदमियों के हथियार से, परन्तु मौत उसकी जरूर होती है उसकी मौत के बाद उसके जो बच्चे हैं, बीवी है उनकी स्थिति क्या होती है? इसको मैं स्वयं जानती हूं। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मैं एक ऐसे भाई के हाथ की कलाई में राखी बांधती थी जो कि इस प्रकार की एक्सरसाइज में शहीद हुआ और बच्चों को मैं देखती हूं तो मुझे अपने भाई की हमेशा याद आ जाती है और डिफेंस की मांगों पर मैं हमेशा इसी लिए बोलती हूं ताकि कुछ कह सकूं। मेरा निवेदन है कि जो इस तरह से भी मरते हैं उनके बच्चों की एजुकेशन की उचित व्यवस्था हो सके, यह भी आपको देखना चाहिये। वार एक्सरसाइज में मरने वाले व्यक्ति भी आपकी सेवा के ही होते हैं और आपकी सेवा में ही शहीद हुए होते हैं।

बजट में आपने बहुत अच्छा प्रावधान किया है और हमारी सुरक्षा के लिए जो कुछ आपने किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं और अपनी बात को समाप्त करती हूं।

3.10 म०प०

(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव): सभापति महोदय, इस चर्चा में भाग लेने का जो अवसर मुझे आपने दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय, जो राष्ट्र के जीवन और उसके आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, मैं माननीय सदस्यों ने बहुत अधिक रुचि ली है और वे इस सम्बन्ध में काफी तैयारी करके बोले हैं। अनेक सदस्यों ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा का मामला न केवल सैनिकों, नाविकों और वायु सेना के जवानों तक ही सीमित है बल्कि आज के सुरक्षा-वातावरण में सम्पूर्ण देश को किसी भी आपत्ति के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहना पड़ता है। कई सदस्यों ने बहुत ही ठोस सुझाव दिये हैं कि सशस्त्र सेनाओं के अलावा देश का मनोबल, देश की आर्थिक सुदृढ़ता, और देश की औद्योगिक क्षमता भी बढ़नी चाहिए। हमारे दिवंगत प्रधानमन्त्री पंडित नेहरू ने इस सम्बन्ध में कहा था कि देश की शक्ति सशस्त्र सेनाओं की शक्ति तक ही सीमित नहीं है, अपितु उसकी शक्ति देश के आर्थिक विकास और औद्योगिक क्षमता तथा दृढ़ आत्म-बल में निहित है। अतः यह बहुत ही हर्ष की बात है कि इस समस्या के प्रति हमारा सबका दृष्टिकोण समान है और यदि हमारे देश पर कोई विपदा आती है तो हम सब एकजुट होकर उसका सामना करेंगे।

महोदय, यह प्रक्रिया और प्रथा रही है कि इस विषय पर वाद-विवाद की शुरूआत विपक्ष का माननीय सदस्य करता है और मेरे माननीय मित्र जो बहुत ही बुद्धिमान वकील (लॉयर) हैं—मैं इस शब्द को दिल्ली के उच्चारण सहित नहीं बोल रहा हूं—ने रक्षा योजना, भावी योजना और मन्त्रालय के अन्दर तैयार की गई सभी पक्षों से सम्बन्धित योजना के सभी पहलुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और उन्होंने भू-राजनीति एवं भू-समरनीति तथा रक्षा-सप्लाई के सम्बन्ध में कई बातें उठाई हैं। मेरे एक मित्र श्री अर्जुन सेठी ने यह कहा कि माननीय सदस्य श्री अमल दत्त ने शायद वार्षिक प्रतिवेदन नहीं पढ़ा है, यदि उन्होंने यह प्रतिवेदन पढ़ा होता तो वह कुछ ऐसे प्रश्न न उठाते जैसे कि उन्होंने उठाये हैं। (व्यवधान)

महोदय, मैं यह कहने की धूर्तता नहीं करूंगा कि श्री दत्त ने प्रतिवेदन नहीं पढ़ा है। उन्होंने तो यह प्रतिवेदन ध्यान से पढ़ा है बल्कि यह कहना चाहिए कि उन्होंने इस प्रतिवेदन के साथ-साथ इस विषय से सम्बन्धित अन्य मुद्रित सामग्री और समाचारपत्रों में प्रकाशित तत्सम्बन्धी लेख आदि पढ़े हैं और उनको अपनी विचारधारा में ढाला है। उन्होंने यह उचित समझा कि इस प्रतिवेदन की उपेक्षा की जाए और राष्ट्रीय रक्षा योजना के बारे में अपना निजी राजनैतिक मूल्यांकन दिया जाए। लेकिन मुझे खेद है कि ऐसा करते हुए उन्होंने उन व्यक्तियों की बातों पर विश्वास किया है जो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जो भारत के लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं और एक ऐसे दस्तावेज की उपेक्षा की है जो रक्षा मन्त्री ने सभा पटल पर रखा था, जो संसद के प्रति तथा भारत के लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं। यदि माननीय सदस्य ने रिपोर्ट के पहले अध्याय जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर्यावरण के बारे में है, संगठन, कृत्य, रक्षा योजना, सेवा विषयक अध्याय, सेना के तीनों अंगों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाएं, तट रक्षकों, रक्षा उत्पादन इकाइयों, रक्षा अनुसंधान और विकास आदि के बारे में अध्ययन किया होता तो अपने भाषण में उन्होंने जो मुद्दे उठाये हैं या जो टिप्पणियां की हैं, उन सबके उत्तर उन्हें मिल गये होते। सभी बातों का उत्तर देना मेरे लिए सम्भव न होगा क्योंकि उनके अलावा भी कई अन्य माननीय सदस्यों ने कई अन्य बातें उठाई हैं। कुछ ने तो पहले उठाये गये ही प्रश्न दोहराये हैं और कुछ ने नये प्रश्न उठाये हैं। लेकिन मैं सात या आठ प्रश्नों की ओर ध्यान दूंगा और उनके ही उत्तर दूंगा।

श्री दत्त द्वारा उठाये गये प्रश्नों में से एक प्रश्न आयुद्ध कारखानों में कार्यरत असैनिक रक्षा कर्मचारियों तथा उनकी मांगों तथा उनके द्वारा हड़ताल किए जाने के बारे में है। मेरे मंत्री 23 फरवरी को उनके द्वारा किए गए समारोह में न जा सके थे। मैं समझता हूं यह बात उन्होंने व्यंग्य के रूप में कही है, गम्भीरतापूर्वक नहीं। क्योंकि 23 फरवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण था और मंत्री महोदय राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान अनुपस्थित नहीं होना चाहते थे और दूसरी बात यह है कि अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (ए० आई०, डी० ई० एफ०) ने 7 मार्च, 1984 को हड़ताल करने का नोटिस दिया था।

श्री समर मुखर्जी : वास्तव में उन्होंने यह नोटिस 31 दिसम्बर को दिया था।

श्री के० पी० सिंह देव : यह नोटिस उस समय दिया गया था जबकि मंत्रालय इस विषय पर विचार कर रहा था। तीसरे वेतन आयोग के बारे में, माननीय सदस्य श्री दत्त ने यह कहते हुए उल्लेख किया है कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा है और ये वेतनमान रेलवे के वेतनमानों के समान भी नहीं हैं। वास्तव में बात यह है कि तीसरे वेतन

आयोग ने पांच वेतनमान सुझाए थे जो औद्योगिक श्रमिकों को, उनके कार्य विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति द्वारा मूल्यांकन किए जाने के पश्चात्, दिए जाने थे। तदनुसार रक्षा मन्त्रालय ने विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति की नियुक्ति की। जिसने 'प्वाइंट-रेटिंग' पद्धति पर विभिन्न कार्यों के लिए प्वाइंटों की संख्या निर्धारित की थी। इस समिति ने सिफारिश की थी कि औद्योगिक श्रमिकों को 9 वेतनमानों में विभक्त किया जाये। विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति के विचार-विमर्श में कर्मचारी महासंघों ने भी भाग लिया था और उन्होंने यह मांग की थी कि श्रमिकों को 5 वेतनमानों में विभक्त किया जाए जैसा कि वेतन आयोग ने सिफारिश दी थी। औद्योगिक श्रमिकों को नौ वेतनमान दिए जाने थे किन्तु जब उन्हें केवल पांच वेतनमानों में ही विभक्त किया गया तो कुछ विसंगतियां पैदा हो गईं।

इसलिए रक्षा मंत्रालय ने उन विसंगतियों का पता लगाने के लिए एक विसंगति समिति का गठन किया। इस समिति में सरकारी पक्ष और विभागीय परिषद् के माध्यम से कर्मचारी पक्ष शामिल था।

इसी बीच अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने यह कहते हुए हड़ताल का नोटिस दिया कि यदि कुशल श्रेणी के श्रमिकों के सम्बन्ध में तीन ग्रेड वाला सूत्र नहीं अपनाया गया तो वे हड़ताल कर देंगे। रक्षा सचिव ने अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के प्रेजीडेंट और महा-सचिव को इस प्रश्न पर बातचीत करने के लिए बुलाया। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने विसंगति समिति के साथ सहयोग करने के लिए सहमति प्रकट की। रक्षा सचिव ने भी विसं-गति समिति के लिए 31 मई, 1984 की तिथि निर्धारित की और निदेश दिया कि वह इस तारीख तक अपना कार्य पूरा कर ले।

संक्षेप में, विसंगति समिति को उन श्रेणियों के श्रमिकों के कार्य का मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया जिनके बारे में पहले ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया था। इस मामले में रक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की तरह का एक स्वतन्त्र संगठन, बनाना चाहता था लेकिन इस बारे में सहमति न हो सकी। अब यह समिति आयुध कारखाना महानिदेशालय, ई० एम० ई० और एम० ई० एस० से विशेषज्ञ बुलाकर अपना काम करेगी।

मैं केवल कुछ ही मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं। रक्षा उपकरणों के बारे में सरकार की आत्म-निर्भर और स्वावलम्बी बनने की नीति स्पष्ट है। इसलिए रक्षा उत्पादन के मामले में आयुध कारखानों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन लाने के लिए भारत में अभियान चलाया जा रहा है। प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में आंकड़े दिए गए हैं जिनसे यह मालूम होता है कि आयुध कारखानों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कितना उत्पादन हो रहा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बहुत से उपकरणों का उत्पादन होता है जिनमें से मुख्य हैं : विभिन्न प्रकार के विमान, हैलीकोप्टर, हवाई जहाज के इन्जिन, कई प्रकार के इलेक्ट्रोनिक उप-करण जिनमें राडार भी सम्मिलित हैं, शस्त्र नियंत्रण सिस्टम और उनके पुर्जे, रेल के डिब्बे, मिट्टी हटाने वाला उपकरण, नौसैनिक जहाज, पैट्रोल ले जाने वाले जलयान, टारपैडो वेसल, मशीनी औजार, प्रक्षेपास्त्र, सुपर अलोय तथा अन्य प्रकार के उपकरण तथा पुर्जे। इसमें न केवल रक्षा के काम आने वाले उपकरण हैं बल्कि असैनिक क्षेत्र में काम आने वाले उपकरण भी हैं।

सरकारी क्षेत्र के सभी नौ उपक्रमों में लगी कुल पूंजी 31 मार्च, 1983 को 610.28 करोड़ रुपए थी। 31 मार्च, 1984 तक इस पूंजीनिवेश के बढ़कर 711.31 करोड़ रुपए तक होने की सम्भावना है।

1981-82 में 825.65 करोड़ रुपए के मूल्य का उत्पादन हुआ जबकि 1982-83 में 1144.13 करोड़ रुपए के मूल्य का उत्पादन हुआ। और इस प्रकार पहले वर्ष की तुलना में उत्पादन में 39% की वृद्धि हुई। चालू वर्ष में 1392.76 करोड़ रुपए के मूल्य का उत्पादन होने की आशा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माल की बिक्री में भी वृद्धि हुई है। 1982-83 में 930.52 करोड़ रुपए के मूल्य की बिक्री हुई और 1983-84 में इससे बढ़कर 1251.91 करोड़ रुपए तक होने की आशा है।

इन नौ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से 6 को लगातार लाभ हो रहा है तथा शेष 3 की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। 1982-83 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कर निकाल कर 72 करोड़ रुपए का लाभ हुआ जबकि 1981-82 में 67.4 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। इससे श्री हरीश चन्द्र रावत की उस बात का जवाब मिल जाता है जिसमें उन्होंने यह सुझाव दिया था कि हमारे उत्पादन कारखानों को वाणिज्यिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इससे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने और अधिक से अधिक रक्षा उपकरण भारत में ही बनाने में भी मदद मिलेगी।

रक्षा सामग्री का उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निर्यात मण्डियों की खोज करने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। 1982-83 में 27 करोड़ रुपए के माल का निर्यात किया गया और 1983-84 के वित्तीय वर्ष में 42 करोड़ रुपए के माल का निर्यात होने की आशा है।

सैनिक और असैनिक दोनों ही क्षेत्रों से बढ़ती हुई मांग के सन्दर्भ में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने उत्पादन एककों को बढ़ाने और विद्यमान एककों की उत्पादन क्षमता में विस्तार करने की योजना बनाई है। हमारी प्रधान मन्त्री कोरवा, उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक नई एकक की आधारशिला पहले ही रख चुकी हैं। बी०ई०एल० ने तजोला, महाराष्ट्र में एक नया एकक लगाने की योजना बनाई है जिसकी आधारशिला दिसम्बर, 1983 में रक्षा मंत्री ने रखी थी। पंचकुला (हरियाणा) और कोटद्वार (उत्तर प्रदेश) में बी० ई० एल० के नए एककों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीयकृत आन्ध्र साईंटिफिक कम्पनी, मछलीपत्तनम का प्रबन्ध फरवरी, 1983 में ही बी० ई० एल० के हाथों में सौंपा जा चुका है।

जहां तक एच० ए० एल० का सम्बन्ध है, वहां पर प्रशिक्षक विमान, किरण, मार्क-2 और एच० टी० 32 का उत्पादन बंगलौर और कानपुर स्थित एच० ए० एल० के कारखानों में शुरू हो चुका है और चालू वर्ष में वहां बनाये गए विमान वायुसेना को सौंप दिए जाने की आशा है। आन्ध्र ग्लाइडर्ज का पहला बैच भी वायुसेना को चालू वर्ष के अन्त तक सौंप दिया जायेगा।

भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० ने नव-अर्जित आंध्र साईंटिफिक कं० के माध्यम से ओप्टो इलैक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में प्रवेश किया है। उन्होंने स्पेस अनुसन्धान के क्षेत्र में उत्पादन शुरू किया है तथा इलैक्ट्रोनिक्स मैगानेटिस्म के क्षेत्र में प्रवेश किया है। तथा भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० ने देश में दूरदर्शन के विस्तार के लिए ट्रांसमीटरों एवं अन्य उपकरणों की पूर्ति का कार्य भी हाथ में लिया है, उस बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा था कि सीमा क्षेत्रों में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगने चाहिए।

भारत अर्थ मूवर्स लि० जिसका कार्य प्रभावपूर्ण रहा है, ने जल-चालित उत्खनकों तथा इन्जनों के निर्माण की योजना बनाई है। उन्होंने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए बंक-

गृहों के निर्माण का कार्य भी हाथ में लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 25 टन रिपर डम्परों तथा जी-14 डी डोजरों का उत्पादन भी हाथ में लिया है।

मेजागन डॉक लि० ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से बहु-आलंब-पोत (समूह सुरक्षा) के प्रबन्ध का ठेका भी लिया जो कि एक आधुनिकतम पोत है, जो वर्ष भर मरम्मत तथा तट-दूर आलंब-कार्यों को करता है। एम० डी० एल० ने भारतीय नौ सेना को गोदावरी वर्ग का पहला पोत भी दिया तथा आखिरी पोत भी अभी हाल ही में चालू किया गया है जो कि तट से दूर गश्त लगाने वाले पहले तट-रक्षक पोत के रूप में कार्य कर रहा है।

गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड एंजिनियर्स ने आई० एन० एस० निर्देशक, जो एक आधुनिकतम सर्वेक्षण पोत है, भारतीय नौ सेना को सौंपा तथा समुद्रवर्ती रक्षा 'मतंगा' जहाज भी भारतीय नौ सेना को सौंपा।

भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने हमारी बखतरबन्द सेनाओं के लिए नई तरह के प्रक्षेपणास्त्रों का उत्पादन शुरू किया है।

जबकि अधिक आत्म-निर्भरता एवं स्वदेश में ही निर्माण के प्रपत्र जारी रहे हैं, शांतिमय सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों के कारण वातावरण में सुधार आया है।

आयुध-फैक्ट्रियों के सम्बन्ध में वर्ष 1982-83 के दौरान कुल उत्पादन 869 करोड़ रुपए का हुआ, जबकि वर्ष 1981-82 में 787 करोड़ रुपए का था। वर्ष 1983-84 में उत्पादन लक्ष्य 950 करोड़ रुपये है, जिसके पूरा होने की सम्भावना है।

आयुध-फैक्ट्रियां अपने उत्पादन की योजनाएं सेना के अनुसन्धान तथा विकास संगठन के साथ निरन्तर मिलजुल कर तैयार करती हैं। कुछ परियोजनाएं निर्माण कार्य के विभिन्न चरणों में हैं (1) नौसेना के लिए एक नई तरह की युद्ध सामग्री का उत्पादन शुरू किया गया है; (2) नई तरह के प्रकाशिक, तथा आप्टो-इलेक्ट्रानिक उपकरणों का उत्पादन; (3) नया आधुनिकतम टैंक रोधी गोला-बारूद; (4) धरती पर तथा वायु में प्रयोग किये जाने वाले नई तरह के और दल के माडल के हथियार और अन्य अनेक चीजों का उत्पादन, जिनका उल्लेख रिपोर्ट में किया जा चुका है। अत: मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। (व्यवधान) माननीय सदस्य श्री अमल दत्त ने बताया है कि हम इटली से छोटे शस्त्रों और पिस्तौलों का आयात कर रहे हैं। एक दशक पहले ऐसा होता होगा। आज हम किसी तरह के भी छोटे शस्त्रों अथवा पिस्तौलों का आयात नहीं कर रहे, जिनका उत्पादन ईशापुर में हो रहा है, जहां पर वह इनका उत्पादन चाहते थे।

आयुध फैक्ट्रियों ने 1.8 लाख कर्मचारी नियुक्त किए हैं। अस्पताल, शिक्षा, आवास आदि के कार्यक्रमों का उल्लेख भी रिपोर्ट में है। अत: मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। हम प्रगति-रोध को दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं तथा पदोन्नति के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील हैं, और हमने पिछले वर्ष ही संवर्ग-पुनरीक्षण के आदेश जारी किये हैं, जो कि 1957 के बाद पहला संवर्ग-पुनरीक्षण उपाय है।

बहुत से मा० सदस्यों ने एन० सी० सी० तथा क्षेत्रीय सेना का उल्लेख किया है, जिनका विस्तार किया जाना चाहिए तथा जिसे रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप कार्य करने वाला बनाना चाहिए। कुछ सदस्यों ने अमरीका तथा चीन का भी उल्लेख किया है। इनसे भी पहलुओं पर पहले विचार किया जा चुका है, तथा जैसा कि आपको पता है, 1981 में, जब प्रधान मन्त्री ने रक्षा मन्त्रालय का भार भी सम्भाला था, इस समय मेजर जनरल स्पैरो के सभापतित्व में एक समिति गठित पदोन्नति के साधन, पेंशन में लाभ, आनुतोषिक राशि तथा जलपान भत्ता पहले ही सरकार

द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं। कुछ सिफारिशें, जिनके दूरगामी प्रभाव होंगे, सरकार के विचाराधीन हैं तथा कुछ ही दिनों में हम रिपोर्ट पर अन्तिम आदेश देने के लिये कुछ निर्णय घोषित करने जा रहे हैं। क्षेत्रीय सेना की परमर्शदात्री समिति की एक बैठक भी होने जा रही है, जो कि सरकार के निर्णयों की पुष्टि करेगी। हुई थी, जो कि हमारे सुप्रसिद्ध सैनिक एवं सांसद हैं, तथा उस समिति ने अपना प्रतिवेदन पहले ही दे दिया है, जिसमें 66 सिफारिशें की गई हैं। सरकार उस रिपोर्ट पर निर्णय लेने की स्थिति में है। कुछ सिफारिशें पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा उन पर कार्यवाही की जा चुकी है, जिनमें संवर्ग का पुनरीक्षण, क्षेत्रीय सैनिकों की सेवा की शर्तों में सुधार का कार्य किया जा चुका है।

जैसा कि कई सदस्यों ने ठीक ही कहा है, क्षेत्रीय सेना रक्षा सम्बन्धी चेतना तैयार करने में तथा रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में एक उपयोगी भूमिका निभाती है। परन्तु किन्हीं हालात के कारण उसमें रूपान्तरण हो गया है तथा उसका विकास भी हुआ है। अत: जनरल स्पैरो के सभापतित्व में गठित इस समिति ने इस बात पर ध्यान दिया है कि किस प्रकार इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, कैसे इसे प्रभावी बनाया जा सकता है, तथा किस प्रकार यह सेना के प्रयत्नों को बढ़ावा दे सकती है तथा रक्षित सेना के रूप में कार्य कर सकती है। इतना कहना ही पर्याप्त है कि संसद सदस्यों की सलाहकार समिति ने भी सिफारिश की है कि क्षेत्रीय सेना तथा एन० सी० सी० का विस्तार किया जाये, उनके क्रियाकलापों का बिस्तार किया जाये। क्षेत्रीय सेना की पर्यावरणीय बटालियनें उत्तर प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों और राजस्थान नहर क्षेत्र एवं शत प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों से गठित की गई हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के विशेष क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों की बटालियनें स्थापित करने का निर्णय किया गया है। महाराष्ट्र, गोआ तथा अन्य सरकारों से भी इसके बारे में प्रस्ताव आये हैं, जिन पर विचार हो रहा है। पर्यावरण विभाग को इससे सम्बद्ध किया गया है।

एन० सी० सी० की भी वैसी ही स्थिति है और जब 1972 में एन० सी० सी० के क्रियाकलापों पर विचार करने के लिए महाजन समिति का गठन किया गया था, उसने सिफारिश की थी कि चीन के हमले के परिणामस्वरूप एन० सी० सी० का बहुत अधिक विस्तार हुआ। उसमें शौर्यपूर्ण क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। समिति ने एन० सी० सी० के संगठन को 11 लाख छात्र सैनिकों तक सीमित रखने की सिफारिश की। सांसदों की सलाहकार समिति ने भी सिफारिश की है कि साहसपूर्ण क्रियाकलापों के अलावा उन्हें सैनिक शिक्षण भी दिया जाना चाहिए ताकि आपातकाल के दौरान एन० सी० सी० रक्षा की द्वितीय पंक्ति का काम कर सके तथा युद्ध के समय सेना की मदद कर सके।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टुर) : क्या उसकी संख्या पर लगी सीमा हटा दी गई है?

श्री के० पी० सिंह देव : इस समय हम इसी पर विचार कर रहे हैं। क्या इसे हटाया जाना चाहिए, और यदि हां, तो कितनी संख्या रहनी चाहिए? चूंकि यह परियोजना पूरी तरह केन्द्रीय सरकार की नहीं है। राज्य सरकारों ने भी इसमें भाग लिया है और जब तक हम व्यय के कुछ भाग के लिए राज्य सरकारों से अभिवचन प्राप्त नहीं कर पाते, तब तक हम कोई एकतरफा दृष्टिकोण नहीं अपना सकते। अत: एन० सी० सी० का विस्तार राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है तथा हम इस बात का भी अध्ययन कर रहे हैं कि क्या केन्द्रीय सरकार वित्तीय पहलू पर अपना योगदान बढ़ा सकती है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हम ध्यान दे रहे हैं। जब तक हम इस मामले के सभी पहलुओं का अध्ययन नहीं कर लेते, हम इसका उत्तर नहीं दे सकते।

बहुत से सदस्यों द्वारा जो दूसरा मामला उठया गया था, वह भूतपूर्व सैनिकों के बारे में था। अब भूतपूर्व सैनिक, जैसा कि प्रधान मन्त्री ने सभा को बताया है, तथा 1981 में जिस पर प्राक्कलन समिति ने विचार किया था, एक राष्ट्रीय समस्या है जिस पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों को ध्यान देना चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्य प्रो० शक्तावत ने बताया है, भूतपूर्व सैनिक अल्प आयु में सेवामुक्त हो जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सेना का युवा रूप कायम रखा जा सके। उनमें से कुछ सिपाही पद के जवानों को 33 से 38 और कभी-कभी 41 वर्ष की आयु में सेवामुक्त किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में यदि उन्हें सेवा पर रखा जाता है तो वे 50 वर्ष की आयु में जे० सी० ओ० पद तक पहुंच सकते हैं, जबकि अधिकारी लोग लेफ्टिनेंट जनरल पद पर 58 वर्ष तक रहते हैं। चूंकि यह अनुशासित एवं व्यवस्थित जनशक्ति है, जो प्रशिक्षित होती है, इसलिये देश उनके प्रशिक्षण एवं अनुशासन से लाभ उठाना चाहेगा। राष्ट्र का भी यही कर्त्तव्य है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिन लोगों ने देश की सुरक्षा एवं एकता के लिए अपने जीवन का बहुमूल्य भाग लगाया है, उनका पुनर्वास हो। इस बारे में कई कदम उठाए गए हैं जिनका प्रतिवेदन में उल्लेख हुआ है। अत: मैं उन्हें दुहराना नहीं चाहता। इस पर श्री राजेश पाइलट तथा श्री राजेश कुमार सिंह द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों तथा आधे घण्टे की चर्चा के रूप में सभा में विचार हो चुका है। संसद के एवं भूतपूर्व सैनिकों के संगठन के विचारों पर ध्यान देते हुए प्रधान मन्त्री तथा सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों पर एक उच्चशक्ति सम्पन्न समिति का गठन किया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार के कुछ तथा राज्य सरकारों के कुछ मन्त्री, कुछ संसद सदस्य, कुछ भूतपूर्व सैनिक हैं, जो भूतपूर्व सैनिकों की विभिन्न समस्याओं पर, विशेषत: उनके सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में, कृषि-उद्योग तथा कार्य पर लगे प्रशिक्षण इत्यादि पर पुन: नियोजन के प्रश्न पर विचार करेगी। उन्हें प्रबन्ध एवं अन्य कार्यों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।]

श्री इंद्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : उनकी पेंशन के बारे में क्या स्थिति है ? क्या इस पर भी समिति विचार करेगी।

श्री के० पी० सिंह देव : भूतपूर्व सैनिकों की सभी बातें इसमें हैं।

समिति को इन सभी पहलुओं पर, विशेषत: ई० सी० ओ० शार्ट-सर्विस नियमित कमीशण्ड अधिकारियों, जो कि सेवामुक्त होकर किसी बैंक, सरकारी प्रतिष्ठान आदि में कार्य करते हैं, सम्बन्धी मामलों का अध्ययन करके एक वर्ष में प्रतिवेदन देने को कहा गया है। फिर, महत्वपूर्ण स्तरों पर निरीक्षण कार्य नहीं हो सका, क्योंकि जिला सैनिक बोर्डों, राज्य सैनिक बोर्डों में ऐसे संगठन नहीं है जो केन्द्रीय सरकार के मार्गदर्शनों पर कार्यवाही कर सकें, जिन पर राज्य सरकार सहमत हो चुकी हैं। उनमें से कुछ को धनाभाव के कारण स्वीकृति नहीं दी गई, जबकि कुछ पर स्वीकृति दी जा रही है।

उनकी भूमि तथा भवनों की कानूनी सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्न श्री हरीश रावत ने उठाया था। बहुत से राज्य अब सहमत हो गये हैं। कुछ राज्य इसकी आवश्यकता ही अनुभव नहीं करते, क्योंकि वहां पर भूतपूर्व सैनिक काफी नहीं हैं। अत: भूतपूर्व सैनिकों को अपनी भूमि तथा मकान वापस लेने के लिए कानूनी सुरक्षाएं निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा विधेयक के रूप में पेश की जा रही हैं। उक्त कानून दिल्ली तथा चण्डीगढ़ पर भी लागू होगा। असम, उड़ीसा तथा बिहार की सरकारों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को शांति स्थापित करने वाले बिलों में लिया गया है। मध्य-प्रदेश सरकार ने भी··· **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : ये बल क्या हैं ?

श्री के० पी० सिंह देव : शांति बनाये रखने वाली सेना। पश्चिम बंगाल इसे नहीं चाहता। उन्होंने हमें ऐसा सूचित किया है··· **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने बताया कि उन्हें शांति स्थापित करने वाले बल में ले लिया गया है। वह बल कैसा है ?

श्री के० पी० सिंह देव : शांति रक्षा बल पूर्णत: भूतपूर्व सैनिकों से बनाया गया है··· **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस सेवा का नाम क्या है ?

श्री के० पी० सिंह देव : शांति रक्षक बल। क्योंकि वे अनुशासित एवं प्रशिक्षित होते हैं एवं युवा होते हैं, अत: उन्हें इसमें लिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसका अभिप्राय है कि यह राज्य सरकार का बल है।

श्री के० पी० सिंह देव : राज्य सरकारों ने ऐसे बल स्थापित किए हैं। पर्यावरण बटालियनों तथा शांति रक्षक बल के अलावा, भूतपूर्व सैनिकों को स्व-नियोजन के लिए तैयार करने की भी एक योजना है, जो कि उसी प्रकार है जैसी ग्रामीण बेरोजगारों को स्व-नियोजन के लिए प्रशिक्षण देने की योजना है। चूंकि भूतपूर्व सैनिक अपने घरों से दूर रहे हैं, वे अपने घरों के निकट बसना चाहेंगे अत: वे अपने घरों से दूर रोजगार नहीं चाहेंगे। अत: उन्हें कार्य पर लगे हुए ही प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि स्व-वित्त-पोषित परियोजनाओं द्वारा वे स्वयं अपना पुनर्वास कर सकें। वित्तीय संस्थाओं को उन्हें सहायता, ब्याज की रियायत देने को कहा गया है। भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समितियां, परिवहन कम्पनियां बनाई गई हैं, ताकि कोयला, ऊर्जा के क्षेत्रों में एवं वन्य क्षेत्रों में उन्हें भारी मात्रा में लिया जा सके··· **(व्यवधान)** क्या मैं रुक जाऊं।

सभापति महोदय : कृपया जारी रखें।

श्री के० पी० सिंह देव : अब तक की गई कार्यवाहियों तथा जो कुछ भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए किया जा रहा है, उनसे हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। इसीलिए प्रधान मंत्री ने उच्च-शक्ति-प्राप्त समिति नियुक्त की है। यह समिति सभी पहलुओं का अध्ययन करेगी कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए, सरकारी क्षेत्र, सरकारों, केन्द्र तथा राज्य दोनों में उनके लिए पहले से निर्धारित आरक्षित स्थान पूरी तरह भरे जाते हैं तथा इसमें यदि कुछ कमियां हों तो उन्हें दूर किया जाए। यह समिति अपना प्रतिवेदन और सिफारिशें दे सकती हैं।

अब मैं सीमा क्षेत्र की सड़कों को लेता हूं। बहुत से सदस्यों ने सीमा क्षेत्र की सड़कों और जी० आर० ई० एफ० में काम करने वालों का उल्लेख किया है, जो खतरनाक हालात में वहां काम करते हैं। हम वर्दीधारी व्यक्तियों तथा नागरिकों, जी० आर० ई० एफ०, सीमा सुरक्षा बल के बीच की असमानताओं को यथासम्भव कम से कम कर देना चाहते हैं। सिक्किम, जम्मू तथा काश्मीर और अन्य सीमा क्षेत्रों में अत्यन्त कठिन हालात में काम करने वाले सी० आर० ई० एफ० तथा सीमा सुरक्षा बल के व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्य की सराहना की गई है तथा उन्हें इनाम भी दिए गए हैं। **(व्यवधान)**

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी गढ़वाल) : क्या आप जी० आर० ई० एफ० की सेना का एक भाग बना रहे हैं। पिछली बार भी यह प्रश्न उठा था तथा वह चाहते थे कि नागरिकों तथा सैनिकों के लिए भिन्न नियम नहीं होने चाहिएं।

श्री के० पी० सिंह देव : हम आपके सुझाव पर विचार करेंगे। इस समय सीमा सड़कें विभिन्न विनियमों के अंतर्गत आती हैं। कई मामलों में सेना का अधिनियम लागू होता है और हम माननीय सदस्य के सुझावों पर सीमा सड़कों पर काम करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का अध्ययन करते समय इसे ध्यान में रखेंगे।

दो और पहलू हैं, जिन्हें मैं महत्वपूर्ण समझता हूं। एक है, सर्विसिज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। सर्विसिस का खेलों मे विशेष योगदान रहा है, तथा 1982 में एशियाड के बाद देश में खेलों को और अधिक महत्त्व मिला है तथा हमने रक्षा मंत्रालय में यह निश्चय किया है कि खेलों के लिए, सर्विसिस स्पोर्ट्स बोर्ड को, जो कि खेलों के संवर्धन एवं विकास के कार्य को देखता है, धन के विशेष आवंटन दिये जायें। उनसे कहा गया है कि आगामी पांच वर्षों के लिए प्रस्तावित योजना तैयार करें। पांच वर्षों की अवधि में हम इस पर 12 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी लगायेंगे, ताकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की स्थायी संरचना तैयार हो सके तथा हमारी सशस्त्र सेनाओं के खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ सिद्ध हो सकें। उन्होंने कुल पदकों में 33% तथा स्वर्ण पदकों में से 50% पदक जीते हैं, जबकि भारतीय दल में उनका प्रतिनिधित्व केवल 17% था। इस बारे में हमारा विचार है कि खेल सैनिकों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। अत: सेनाओं में खेलों का विकास करने एवं खिलाडियों का निर्माण करने पर काफी महत्व दिया जाता है।

मुझे अन्तिम बात पर्वतारोहण के बारे में कही है। यह एक और खेल अथवा क्रिया कलाप है, जो व्यक्ति को आत्म-नियंत्रण, मानसिक अनुशासन, चरित्र में विकास तथा साहसपूर्ण कार्य करने की भावना सिखलाता है। अत: रक्षा मंत्रालय बहुत सी पर्वतारोहण संस्थाओं, जैसे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, एच० एम० आई० तथा जवाहर पर्वतारोहण एव खेल-कूद संस्थान को सहायता देता रहा है। यह संस्थान जम्मू तथा काश्मीर में पहलगांव में होगी। हम एन० सी० सी०, क्षेत्रीय सेना तथा सेनाओं के भीतर भी पर्वतारोहण का कार्य हाथ में लिया है। अब हिमालय में महिलाओं का एक अभियान दल एच० एम० आई० के प्रिंसिपल के० सी० खुल्लर के नेतृत्व में कार्यरत है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें रक्षा मंत्रालय असैनिक क्षेत्र की मदद करती है।

मैं सदस्यों का, विशेषत: जनरल स्पैरो का अति धन्यवादी हूं, जिन्होंने अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले उठाये हैं, अर्थात् रक्षा की दूसरी पंक्ति जो कि देश के युवकों में रक्षा के प्रति जागरूकता पैदा कर सकेगी, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि जब भी हमने इस बारे में उपेक्षा बरती है, हमें बहुत घटिया लोगों ने अपने अधीन बनाया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे वास्तव में खुशी हुई है कि युवा राज्य मंत्री ने शानदार ढग से इन प्रश्नों को लिया है। परन्तु दो बातों के उत्तर नहीं दिए हैं। केटरपिलर कम्पनी थी, जो रक्षा मंत्रालय को माल की पूर्ति करती थी। अब रक्षा मंत्रालय द्वारा अपना समर्थन वापस लिए जाने के कारण उसके लोग बेकार हो गये हैं। रक्षा मंत्रालय से मेरा निवेदन है कि वह इस पर ध्यान दें। दूसरी बात यह है कि आयुध फैक्टरी कलकत्ता में हजारों कर्मचारी छंटनी किये गये हैं। श्रमिक संगठनों द्वारा बार-बार संयुक्त अभ्यावेदन दिए गए हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं मानता हूं कि मुझे उनका उत्तर देना चाहिए था।

श्री सोमनाथ चर्जी : केटरपिलर कम्पनी के बारे में भी सभी संगठनों ने संयुक्त अभ्यावेदन दिए हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : श्रीमन्, यह आयुध फैक्टरी सामरिक दृष्टि से बहुत पहले स्थापित हुई थी। अब सशस्त्र सेनाओं तथा रक्षा मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने उसका अध्ययन किया है। वे आयुध फैक्टरी की आवश्यकता अनुभव नहीं करते। आयुध-फैक्टरी बेशक नहीं रहेगी, परन्तु किसी भी स्थायी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी, उसे बेकार नहीं होने दिया जायेगा। रोजगार विहीन नहीं किया जाएगा। हम पश्चिम बंगाल के सभी कार्मिकों को भी वहीं पर रख रहे हैं। यह अभिवचन पिछले वर्ष संसद में दिया गया था। हमारे मंत्री जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को लिखा है। मेरे पूर्ववर्ती राज्य मंत्री श्री शिवराज पाटिल ने भी पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को लिखा था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : परन्तु आपको एक आयुध फैक्टरी की आवश्यकता है।

श्री के० पी० सिंह देव : वह अलग बात है।

श्री टी०एस० नेगी (~~टिहरी गढ़वाल~~) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे रक्षा बजट पर बोलने का समय दिया। माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव इस पर आए हैं इस बात में कोई राय नहीं कि हमको अपनी रक्षा पंक्ति पर गर्व है। हमारे सैनिक दुनियां में किसी से कम नहीं हैं। अगर उनको पूरी सुविधाएं और इक्वीपमेंट्स मिलें तो उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। इसके कई उदाहरण हम लोग देख चुके हैं।

मैं रक्षा मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी करने की कोशिश की है। वैसे आज की महंगाई को देखते हुए जिस अनुपात में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए थी, उतनी नहीं है। रक्षा के बारे में हमारे बड़े बड़े अधिकारी और तजुरबेकार लोग पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा हमें यकीन है। सदन में तो जनरल स्पैरो साहब ज्यादा जानते हैं। उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। लेकिन वे भी बहुत पुराने जनरल हैं उनके विचार आउट डेटेड हो सकते हैं।

श्री रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : बिल्कुल आउट डेटेड नहीं हैं।

श्री टी० एस० नेगी : आज रक्षा तैयारियों के लिये नई टेक्नालाजी की जरूरत है। इसके संबंध में हम ज्यादा सुझाव नहीं दे सकते। सरकार हमको पर्याप्त जानकारी मुहैया नहीं करती। अखबारों के जरिए से जो हमको पता लगता है उसी के, आधार पर हम कहते हैं। "विजयंत" टैंक के बारे में पिछले दिनों काफी चर्चा रही है। यह ठीक ढंग से रिपेयर नहीं हो रहा है और हमारे पास जितनी कैपेसिटी रिपेयर करने की है उसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। प्राइवेट कारों की वहां रिपेयर चल रही है। यह अखबार में छपा है। ऐसी बातें हो रही हैं। इन गड़बड़ियों को रोकने की आवश्यकता है।

अभी अभी जनरल सिन्हा के रिटायरमेंट की बड़ी भारी चर्चा आर्मी आफिसर्स में रही। अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं जानता कि किन कारणों से उनको सुपरसीट किया गया। यह तो सरकार ही जाने लेकिन इसकी एक प्रतिक्रिया यह है कि आर्मी में भी अगर देखेंगे कि रिटायरमेंट के लिए कितने अफसरों ने एप्लीकेशन दी है उससे पता चल जाएगा कि लोग, आर्मी से बड़े बड़े आफिसर घर जाना चाहते हैं। इसका क्या कारण है ? कारण यह है कि प्रमोशंज में भी घांधले बाजी है। इसको रोका जाना चाहिये। इनएफीशेंट आफिसर्स को आप प्रोमोशन रोक सकते हैं। लेकिन बाकियों के साथ तो आप पक्षपातपूर्ण ढंग से बरताव न करें। ब्रिलियेंट लड़के आज आर्मी में जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये इस तरह की बातों को देखते और सुनते हैं कि वहां पर खुशामद करेंगे तो प्रोमोशन मिलेगी। इस तरह से यह सिलसिला चलता रहा तो काम नहीं चल सकेगा। मैं

चाहता हूं कि ब्रिलियेंट से ब्रिलियेंट लड़के आर्मी में जाएं और उनका मनोबल बढ़े । इससे मुल्क भी सुरक्षित रहेगा । अच्छे ब्रेन आर्मी में आएं तो अच्छे ढंग से वे इसको चला सकते हैं

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : कल इसका जवाब मिलेगा तब यहां रहें ।

श्री टी० एस० नेगी : उम्मीद है कि रहूंगा ।

विजयन्त टैंक की जो इंजन है उसको रिप्लेस करने की बात अखबारों में आई है । दो तीन का ट्रायल भी हो चुका है लेकिन वे अनफिट पाए गए हैं । उनसे बढ़िया हमारा इंजन पाया गया है । इसको मैन बैटल टैंक में भी इस्तेमाल किया जा सकता है । इसको ज्यादा अच्छे ढंग से डेवलप किया जा सकता है । जिन महाशय, जिन आफिसर्स की देखरेख में यह इंजन डेवलप हुआ था वे रिटायर हो गए हैं और रिटायर होने के बाद वह किर्लोस्कर कम्पनी में काम कर रहे हैं । वे लोग इस तरह की चीजों को मैनिपुलेट करते हैं । इंजन ठीक हो यह हमारी भी जिम्मेदारी है और उन अफसरों की भी है जो इस काम में लगे हुए हैं । इसके बारे में नव भारत टाइम्स में 12 मार्च को एक खबर छपी थी जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

विजयंत टैंक के लिए ब्रिटिश एल 60 इंजन बिकवाने का प्रयास सेना के तीन भूतपूर्व अधिकारी ही कर रहे हैं ।

आगे कहा गया है :

सबसे दिलचस्प बात यह है कि नए एल० 60 इंजन की खरीदी प्रस्ताव को ध्यान में रख कर देशी इंजनों के साथ आयातित इंजनों का परीक्षण करने पर विदेशी और सबसे महंगे इंजन के दस गिअर बाक्स टूट गए और वे देशी इंजनों के मुकाबले घटिया पाए गए । अब वे भूतपूर्व अधिकारी और प्रभावशाली विचौलिए किसी तरह पुनर्परीक्षण कारखाने और किसी न किसी तरह आयात के प्रस्ताव पर स्वीकृति की मुहर लगवाने में जुटे हुए हैं । देखना यही होगा कि रक्षा मंत्रालय के जागरूक अधिकारी इस जाल से किस तरह बच पाते हैं ।

इस तरह की कोशिशें जो लोग रिटायर हो जाते हैं । और निजी कम्पनियों में काम करने लग जाते हैं, उनकी तरफ से होती हैं । वे किसी न किसी तरह से अपना इनफ्लुएंस लगवा कर इस तरह के गड़बड़ी के काम करवा लेते हैं । ये किर्लोस्कर जैसी कम्पनियों के साथ मिल जाते हैं । मैंने पिछली बार भी इसके बारे में सदन में चर्चा की थी । आपके जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वे किसी न किसी तरह अपने परिचितों को उन स्थानों पर पोस्ट करवा लेते हैं ताकि उनका काम निकलता जाए । इस चीज को देखने की आवश्यकता है ।

टैंकों के बारे में फोटो के नीचे रिपोर्ट में लिखा है और यह कहा गया है कि टैंक अपग्रेड हो रहे हैं यह कब तक चलता रहेगा ? यह क्यों नहीं अब तक हो गया ? ये टैंक 14-15 साल पहले बन चुके थे । क्यों नहीं अब तक इम्प्रूवमेंट हुआ ? क्यों कोताही हो रही है, क्यों कमजोरी दिखाई जा रही है । इस में तेजी बरती जानी चाहिये ।

200 सेंचुरियन टैंक्स तथा स्पेअर पार्ट्स 1980 में जब मैडम प्राइम मिनिस्टर डिफैंस मिनिस्टर थीं बिकवाए गए । 7 करोड़ कीमत के सिर्फ 70 लाख में बिकवाए गए । कर्नल पन्त की रिपोर्ट आई है । वह कहते हैं कि बहुत अच्छे बहुत स्पेयर पार्ट्स चले गए हैं । जो गए वे बहुत अच्छे थे । जो निकम्मे छूट गये थे वे भी बहुत अच्छे हैं । उनको रखा गया है । इस प्रकार की

4.00 म०प०

गड़बड़ी नहीं होनी चाहिये । मेरे पास यह रिपोर्ट है कि 7 करोड़ का माल 70 लाख में बेच दिया गया ।

18 अगस्त को श्रीमती आलवा ने राज्य सभा में आरोप लगाया था कि टैंकों के 7 करोड़ रुपए के मूल्य के पुर्जे 70 लाख रुपये में बेच दिये गये । तो हमारे गरीब देश के पैसे का इस ढंग से दुरुपयोग न किया जाय । उसका सदुपयोग होना चाहिये ।

आर्मी की ट्रेनिंग के बारे में ऐसा कहना है कि जब एशियाड, निरगुट सम्मेलन या चौगम हुआ था । इसमें आर्मी का इस्तेमाल हुआ । उस समय आर्मी ट्रेनिंग में कुछ स्लैकनैस आ गई थी । बीच में जरूर कुछ रफ्तार आयी थी । लेकिन अब शिथिलता आ रही है । और ट्रेनिंग के दौरान जो रिजल्ट निकलते हैं उनमें देरी होती है । मैं जानना चाहता हूं सेक्योरिटी के पौइंट से···

सभापति महोदय : नेगी जी, आप कितना समय और लेना चाहते हैं ?

श्री टी० एस० नेगी : मुझे तो अभी 5,7 मिनट और चाहिए ।

सभापति महोदय : तो फिर आप कल बोलियेगा ।

प्रमुख पत्तनों पर 15/16 मार्च, 1984 आर्ध रात्रि से पत्तन तथा गोदी श्रमिकों की अनिश्चित कालीन हड़ताल के बारे में चर्चा

सभापति महोदय : अतः हम नियम 193 के अधीन मद संख्या 9 को लेते हैं । प्रो० अजित कुमार मेहता वक्तव्य देंगे ।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति जी, यह सचमुच में दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसे उद्योग में जिसकी 100 वर्ष से गौरवमय परम्परा और प्रतिष्ठा रही हो हड़ताल हो जाय । पिछली हड़ताल वहां 1978 में हुई थी । पिछले 6 साल से शांति थी और 1978 के बाद जो समझौता हुआ था उसकी 1983 के दिसम्बर में पूरी होनी थी । गोदी और पत्तन के मजदूर और कर्मचारियों के प्रतिनिधि समझौते का बदले हुए संदर्भ में नवीकरण चाहते थे, और इसके लिये समझौता वार्ता चल रही थी । कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी अपनी 163 करोड़ की मांग से उतर करके 69 करोड़ पर आ गये थे । तो इसी से समझा जा सकता है समझौता वार्ता में प्रगति थी । परन्तु क्या हुआ कि यह समझौता टूट गया और मजदूरों को, कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने को बाध्य होना पड़ा । किसका दोष है, यह हमें सोचना होगा ? जो बात 8 महीने से चल रही थी वह एकाएक टूट जाय और कर्मचारी हड़ताल पर जाने को विवश हो जायें जिसे राष्ट्र का नुकसान हो तो सचमुच में यह विश्लेषण की समस्या है जो कि होना चाहिये । समझौता वार्ता के दर्मियान 23 फरवरी को ट्रांसपोर्ट और शिपिंग मिनिस्टर ने फेडरेशन की संयुक्त बैठक में उनकी सभी मांगों के जवाब में 32 करोड़ रु० वेतन वृद्धि की बात कही और 12/13 मार्च को जो समझौता वार्ता हुई उसमें उसी ओफर को दोहराया गया । नया कुछ नहीं किया गया ।

मन्त्री जी ने प्रतिनिधियों को ओफर स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिये कहा, यह नहीं कि उस पर विचार हो, वार्ता हो । उन्होंने सिर्फ यही कहा कि यह ओफर है, आप इसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें ।

उनका कहना था कि 1983 का टोटल वेज भी 187 करोड़ होता है और उस पर 38 करोड़, करीब-करीब 17 प्रतिशत होता है जिसकी वृद्धि के लिये वह तैयार हैं, इससे एक कदम भी आगे जाने को तैयार नहीं हैं ।

4.06 म० म०

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए ।)

आश्चर्य है कि इस बात पर प्रतिनिधियों की और गोदी-पत्तन कर्मचारियों की प्रतिक्रिया क्या हुई, इसको जाने बिना ही उन्होंने कह दिया—

बात चीत जारी रखने से कुछ लाभ न होगा ।

इससे साफ है कि सरकार की नियत समझौता वार्ता करने की थी ही नहीं । सरकार कोई न कोई कन्फ्रन्टेशन चाहती थी, इसलिये उसने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि यह कन्फ्रन्टेशन हो ही । इसी से कोई भी समझ सकता है कि इस हड़ताल की जिम्मेदारी किस पर है, गोदी-पत्तन मजदूरों पर अथवा सरकार पर ?

सरकार ने यह भी नहीं सोचा कि इस हड़ताल से राष्ट्र का कितना नुकसान हो रहा है । इस हड़ताल के कारण पूरे देश में खाद्य तेल, कैरोसिन तेल, लुब्रीकेशन तेल और अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं की कमी होगी, यह भी अपने वक्तव्य में मन्त्री जी ने स्वीकार किया है । कीमतें अनापशनाप बढ़ेंगी और आप सब जानते हैं कि एक दफे बजार में कीमतें बढ़ गईं तो उन्हें नीचे लाने में आप कभी सफल नहीं होंगे । पिछले 4 साल से आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफल नहीं हुए तो अब क्या होंगे ?

इसके कारण और भी हानियां हैं । आयातित कच्चा माल जहाज से न उतरने के कारण उद्योग-धंधे बन्द होंगे और बेरोजगारी की समस्या तो वैसे ही है और जब उद्योग-धंधे बन्द होंगे तो जो थोड़ा बहुत रोजगार है, वह भी एक समस्या खड़ी होगी और बेरोजगारी बढ़ेगी ।

जहाज पर माल न चढ़ने से विदेशी व्यापारियों में हमारी साख घटेगी और साथ ही विदेशी कंट्रेक्ट पूरा न होने के कारण कांट्रेक्ट टूटेगा अथवा उस पर हमें बड़ा जुर्माना देना पड़गा । माल के न चढ़ाये जाने से हमारे गोदाम भरे रहेंगे जिनमें खनिज पदार्थ और कच्चे माल पड़े रहने से देश में उत्पादन नहीं होगा, माल लाया नहीं जायेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी ।

यह समस्या छोटी नहीं हैं, 150 जहाज अभी बन्दरगाह पर आने को तैयार हैं जो कि माल की चढ़ाई अथवा उतराई के लिये खड़े हैं । आप स्वयं सोच सकते हैं कि इससे राष्ट्र को कितना बड़ा नुक्सान हो रहा है ? एक जहाज यदि एक दिन खड़ा रहे तो 15-20 हजार रुपये के लगभग उस पर खर्च आ जाता है ।

प्रो० एन० जी० रंगा : इतनी अधिक राष्ट्रीय हानि के बावजूद उन्होंने हड़ताल क्यों की ?

श्री अजित कुमार मेहता : मैं आपको कारण बता चुका हूं । हड़ताल की जिम्मेदारी सरकार पर है । मैंने आपको यही बताया था । शायद आपने मेरे भाषण के प्रारम्भिक भाग को नहीं सुना ।

आज 150 जहाज ऐसे ही खड़े हुए हैं । डेमरेज और हर्जाने के रूप में राष्ट्र पर कितना खर्चा लादा जा रहा है ? इसकी जिम्मेदारी किस पर है ? चूंकि हड़ताल शुरू करने की जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है, इसलिए यह स्पष्ट है कि इस खर्च की जिम्मेदारी भी उसी पर जाती है ।

हम देखना चाहेंगे कि समझौता-वार्ता को चलाने में समझौता रखने में सरकार की नीयत साफ थी या नही । समझौता-वार्ता में छल-प्रपंच से काम नहीं लेना चाहिए । 13 मार्च, 1984 से पहले सरकार ने कहा कि हम 32 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी करने के लिए तैयार हैं, जो कि 187 करोड़ रुपए के टोटल वेज बिल का 17 प्रतिशत होता है । परन्तु 15 मार्च, 1984 को सरकार की ओर से दोनों सदनों में यह वक्तव्य दिया गया कि टोटल वेज बिल 187 करोड़ रुपए

नहीं, 216 करोड़ रुपए है और 32 करोड़ रुपए उसका केवल 15 प्रतिशत है। क्यों यह छल किया गया ? समझौता-वार्ता में छल-प्रपंच से काम लेने के कारण सरकार को असफलता मिली।

अब भी सरकार को समझौते के लिये कौन रोकता है ? सरकार कहती है कि समझौते के लिए हमारा दरवाजा खुला है। लेकिन समाचारपत्र में स्टेटमेंट निकाल देने से काम नहीं चलता। यह निमंत्रण नहीं है। मन्त्री महोदय दिन नियत करें, एजेंडा बनाएं और मजदूर प्रतिनिधियों को समझौते के लिए निमन्त्रित करें। उन्हें यह कदम उठाने से कौन रोकता है ?

लेकिन सरकार ऐसा न कर के मजदूरों को पुलिस और नौसेना के जवानों से लड़ाती है। क्या आवश्यकता थी नौसेना के जवानों को बुला कर वह काम करवाने की, जो गोदी और पत्तन के मजदूरों का है ? क्या गोदी और पत्तन मजदूर देशभक्ति में किसी से कम हैं ? इतिहास के पन्ने उलटिए और इंडो-पाक वार का जमाना याद कीजिए। किस प्रकार उन मजदूरों ने दिन-रात जान की जोखिम उठा कर परिश्रम किया। परन्तु फिर भी यह सरकार गोदी और पत्तन के कर्मचारियों को पुलिस और नौसेना के जवानों से लड़ाती है, यह कितनी शर्मनाक बात है।

मगर यह याद रखिए कि इसका कुफल हमें और आपको, और हमारी और आपकी संतति को, भुगतना पड़ेगा। अगर सरकार हमेशा सेना और नौसेना को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिये बुलाती रहेगी, तो इसका प्रभाव यह होगा कि सेना और नौसेना के दिल में यह बात बैठ जाएगी कि यदि सरकार हमसे ही चलती है, सरकार सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में अक्षम है, हम ही उसे चलाने वाले हैं; तो ऐसी सरकार का न रहना ही अच्छा है। सरकार की अक्षमता को देखते हुए उनकी प्रवृत्ति हो जाएगी कि वे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर कब्जा कर लें। मैं सरकार को आगाह करता हूं कि यदि वह जनता और भावी संतति का भला चाहती है, तो वह इस प्रकार का काम न करे, जिससे प्रजातंत्र की जड़ ही समाप्त हो जाए।

अब हम गोदी और पत्तन कर्मचारियों की मांग पर विचार करें कि वह उचित हैं या अनुचित और अगर उचित हैं, तो किस हद तक उचित हैं और किस हद तक उसको माना जाना चाहिए।

जब हम पिछला इतिहास देखते हैं तो पाते हैं कि पत्तन और गोदी कर्मचारियों के वेतनमान दूसरे किसी भी उपक्रम के कर्मचारियों के मुकाबले ज्यादा अच्छे थे, ज्यादा ऊंचे थे परन्तु हाल के दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि इनके वेतनमान, इनकी आर्थिक दशा दूसरे उपक्रमों के कर्मचारियों के मुकाबले में नीचे गिरती गई और आज तो स्थिति यह है कि ये सबसे नीचे हैं। फिर भी पिछले 6 सालों से उनमें शांति बनी रही जिस पर कि हमें आश्चर्य होता है और इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना अनुशासन दिखाया। लेकिन किसी भी चीज की एक सीमा होती है। जब वह सीमा पार हो गई तो उसके बाद हड़ताल हुई।

कोयला मजदूरों को सरकार ने 22 प्रतिशत की वृद्धि दी जिस पर हमें कोई शिकायत नहीं है, ईर्ष्या भी नहीं है परन्तु गोदी और पत्तन कर्मचारियों के मामले में भी उसी अनुपात में वेतन वृद्धि होनी चाहिए क्योंकि वे भी सरकारी उपक्रम के ही एक भाग हैं। परंतु आप 15 प्रतिशत से अधिक वेतन वृद्धि के लिए तैयार नहीं हैं। वेतन पुनरीक्षण के बाद स्टील कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन वृद्धि 91 रुपए की गई किन्तु यहां पर आपने निर्धारित कर दिया है कि न्यूनतम वृद्धि मात्र 71 रुपया ही होगी। क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन का क्या कारण है ?

इनकी मांगों की सीन श्रेणियां हैं—वेतन पुनरीक्षण जिसमें मकान किराया भत्ता, सिटी कंपेंसेटरी एलाउन्स और ट्रांसपोर्ट सब्सीडी शामिल है। यह पहली श्रेणी है। आप उदाहरण के लिए मद्रास लीजिए। वहां पर पत्तन गोदी कर्मचारी भी हैं और दूसरे उपक्रमों के कर्मचारी भी हैं। यदि दोनों के वेतन-मानों की तुलना की जाए तो आप देखेंगे कि जहां यह भत्ता अन्य उपक्रमों में 30 प्रतिशत तक जाता है, यहां केवल 10 प्रतिशत ही है। तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है ? और इसको कौन सहेगा ? दूसरी श्रेणी में महंगाई भत्ता है। जहां तक मंहगाई भत्ते का सवाल है उधका निर्धारण मंहगाई को देखते हुए ही होना चाहिए।

उनकी मांगों की तीसरी श्रेणी है बोनस। अभी तक आप उनको 81.3 प्रतिशत एक्स-ग्रैशिया पेमेन्ट करते रहे हैं। क्या आप खैरात बांटते हैं ? एक्स-ग्रेशिया पेमेन्ट किस बात का ? आप उसको बोनस कहिए। यदि आप मुनाफा देखें तो बम्बई बन्दरगाह पर कुल मुनाफा 67 करोड़ रुपया है और आप जो एक्स ग्रैशिया पेमेंट करते हैं वह ढाई करोड़ ही होता है। दोनों में क्या तुलना है ? आप एक्स-ग्रैशिया पेमेंट के बदले में बोनस दीजिए और बोनस का मुनाफे से भी कुछ संबंध होना चाहिए। अगर आप 20 प्रतिशत भी बोनस दें तो वह भी केवल 6 करोड़ ही बनता है जो कि बम्बई के 67 करोड़ शुद्ध मुनाफे की तुलना में कुछ भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि केवल बंबई में लाभ होगा लेकिन बहुत बन्दरगाहों पर हानि उठानी पड़ती है। एक अनुमान के अनुसार, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी है, यदि सभी बन्दरगाहों से प्राप्त होने वाले मुनाफे की गणना करें तो वह 120 करोड़ रुपए है। 120 करोड़ रु० में 6 करोड़ रु० की राशि क्या होती है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि क्या तुलना है ? क्यों आप उनकी मांगों को स्वीकार करने में इतना हिककिचा रहे हैं। उन्होंने अपनी मांग 163 करोड़ रु० से घटा कर 69 करोड़ पर कर दी है। क्या तुलना है 9 करोड़ से 67 करोड़ और 120 करोड़ की।

सभापति जी, आपको पूरे आयात-निर्यात बिल का अवलोकन करें, 21 हजार करोड़ वेज मिले 1.0% से भी कम है। प्रस्तावित वृद्धि जो मांग रहे हैं यदि उसकी गणना करें तो वह 0.3% है। यदि इसको भी जोड़ दिया जाए तो भी वह टोटल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिल का केवल 1.3% रहेगा। क्या हर्ज है कि आप उनकी मांगों पर गम्भीरता पूर्वक विचार न करें। आप अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए 69 करोड़ रु० बचा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि एक दिन में हमें 80 करोड़ का घाटा हो रहा है। यदि हम एक दिन के ही घाटे को लें तो हम उनकी मांगों को पूरा कर सकते हैं। जब कि आज उनकी हड़ताल का सातवां दिन है। आप 80 करोड़ का घाटा उठाने के लिये तैयार हैं, लेकिन उनकी मागों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसको कहते हैं — मोहर लुटाए कोयले पर छाप।

यदि सारा मामला पोर्ट अधिकारी और मजदूरों के बीच छोड़ दिया जाता तो समझौता हो जाता, लेकिन आपके मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया और इसीलिए यह झगड़ा बढ़ा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें तो श्रम मंत्रालय कहीं नहीं आता है। इसकी सहायता आपने कितनी ली है ? आप यह कदम नहीं उठायेंगे, क्योंकि आपने इस हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया है और समझ लिया है कि समस्या का समाधान निकल गया है। हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित कर देने से ही समस्या का समाधान नहीं होता है। टैक्सटाइल वर्कर्स की हड़ताल भी कितनी लम्बी चली उसमें आपने कितने को गिरफ्तार किया और कितनों को जेल में रखा है। ये मजदूर भी तीन लाख हैं, हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर देने से ही समस्या का निदान नहीं हो सकता है। आपकी

यह मनोवृत्ति है कि आप पहले किसी भी हड़ताल को गैर कानूनी घोषित करेंगे और फिर मजबूर होकर उनकी सारी मांगों को मान लेंगे। पता नहीं उस वक्त आपकी गैर कानूनी हड़ताल कहां चली जाती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या अपनी झूठी प्रतिष्ठा को छोड़कर समझौता वार्ता द्वारा हल निकालने को प्रस्तुत है और यदि हां, तो समझौते की तिथि और एजेंडा तय कर उनके प्रतिनिधियों को बुलाएगी? यदि हां तो कब तक।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, अभी मैं अपने साथी मेहता जी का भाषण सुन रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह अरण्य-विलाप कर रहे हों। इन के विलाप का क्या असर होगा, कौन इन का विश्वास करेगा ? ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच में इन की नीयत जो हड़ताल चल रही है और जो क्षति हो रही है उसको समाप्त कराने की है। लेकिन वास्तव में इनकी नीयत केवल हमारी सरकार पर आरोप लगाने और भाषण देने की है जिससे उनका प्रचार हो, अखबार वाले और उनके माध्यम से जनता, यह जाने कि हम कितनी उदारतापूर्वक उन के बारे में सोचते हैं।

उन्होने कहा कि सरकार की नीयित नहीं है और 163 करोड़ से घटा कर 69 करोड़ पर ले आई है। ऐसा लगता है—जैसे मंत्री महोदय की जगह पर वे लोग होते तो तुरन्त इसका समाधान हो गया होता और हम सब लोग सुखद स्थिति में होते और देश के समाने कोई समस्या ही नहीं होती। सभापति महोदय, देश के सामने आज प्रमुख पत्तनों पर गोदी कर्मचारियों की हड़ताल से एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज हमारे देश के सामने अनेक समस्यायें हैं, उनमें यह समस्या भी आकर खड़ी हो गई है, पता नहीं हमारे गोदी कर्मचारियों में राष्ट्रीयता की भावना है या नहीं, जिन्होंने अनेक राष्ट्रीय समस्याओं के साथ अपनी समस्या को भी लाकर जोड़ दिया है। विशेष महत्व की बात यह है कि यह हड़ताल ऐसे समय में हो रही है जब कि मार्च का महीना चल रहा है, जिस महीने में प्राय: कार्गो-हैण्डलिंग पीक पर होता है, जो हमारे उत्थान का समय होता है, जो हमारे सुदृढ़ीकरण का समय होता है। हवाई जहाजों से कितना सामान लाया और ले जाया जा सकता है, हमारी जितनी एसेंशियल कमाडिटीज हैं, इन्सान के जीवन में जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, देश के जीवन में जो आवश्यक वस्तुयें हैं उनको इन जहाजों के माध्यम से लाया जाता है जैसे खाद्य तेल, फर्टिफाइजर, पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये सब ऐसी वस्तुयें हैं जो हमार जीवन की केन्द्र-बिन्दु हैं। इनके अलावा जैसा हमने अखबारों में पढ़ा है—सीमेंट, कैरोसिन आयल और अन्य आवश्यक वस्तुयें भी हैं। पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर हमारा सारा यातायात निर्भर करता है—ये सभी चीजें उन मालवाही जहाजों द्वारा लाई गई हैं जो इस समय बीच समुद्र में या किनारे पर पड़े हुए हैं। यदि ये वस्तुयें तुरन्त नहीं उतारी जायेगी तो इनका राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप स्वयं इसका अनुमान लगा सकते हैं। राष्ट्र के लिये इन वस्तुओं की सप्लाई-लाइन को बनाये रखना अनिवार्य है, अगर इसको मेंटेन न किया जा सके और इन वस्तुओं का देश में अभाव पैदा हो जाय तो उसकी जवाब देही सरकार पर होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी हमारी सरकार अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से निवेदन कर रही है। ये वस्तुयें कोई लक्जरी या आराम की वस्तुयें नहीं हैं, इसलिये इनका समय पर उपलब्ध कराया जाना अत्यावश्यक है।

इसी तरह इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात है—इन्हीं जहाजों के द्वारा विदेशों से सामान यहां आता है और उसके बाद यहां का सामान लद कर विदेशों में जाता है, लेकिन इस हड़ताल के

कारण हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने जा रहा है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किसी भी देश की लाइफ लाइन है, एक्सपोर्ट से विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है लेकिन इस समय इस हड़ताल से हमारी विदेशी मुद्रा की कितनी क्षति हो रही है इस का आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। इस हड़ताल से कार्गो फ्रेट का चार्ज भी बहुत बढ़ जायेगा जिस का हम लोगों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

मेहता जी ने अभी कहा कि समस्या के समाधान के लिये सरकार की नीयत नहीं है, मंत्री महोदय की नीयत नहीं है। लेकिन शायद आपको मालूम होगा जो द्विपक्षीय वार्ता हुई थी उसमें इनकी चार फैडरेशनों के नेता थे और वह वार्ता अगस्त, 1983 में शुरू हुई थी। परन्तु वह सफल नहीं हुई। यह उनकी भूल के कारण नहीं हुआ। उसके बाद कुछ समय पहले, पांच महीने पहले सरकार ने निगोशियेसन प्रारम्भ किये थे और वे भी उन्होंने नहीं माने। मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने उन लोगों से आग्रह किया और यह कहा कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो व्यावहारिक और युक्तिसंगत समझौता हो सकता है, वह करे। उसके लिए हमारी सरकार तैयार थी और 32 करोड़ रुपये देने को तैयार थी। अब 32 करोड़ रुपये कोई थोड़ी राशि नहीं है फिर भी हमारे मंत्री महोदय और हमारी सरकार इसको देने को तैयार थी लेकिन सरकार उनकी सभी मांगों को यदि मान लेती है, तो हमारे विचार से और बहुतों के विचार से इसका देश के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और आज ये मांग रहे हैं, कल को दूसरे मांगेंगे और परसों तीसरे मांगेंगे और इस तरह से इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है।

कर्मचारियों के वेतनमानों की भी बात कही गई। एक पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों का वेतनमान दूसरे पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि हर एक पब्लिक सेक्टर की नेचर आफ ड्यूटी और जो काम करने का तरीका है, वह अलग-अलग है। जो काम उनके लिए निर्धारित किया गया है, वह एक दूसरे से भिन्न है और स्वभावत: ही वह भिन्न-भिन्न होता है। अगर कोई मैन्यूफैक्चरिंग इण्डस्ट्री है, तो दूसरी माइनिंग इण्डस्ट्री है और तीसरी सर्विस आर्गेनाइज करने का काम करती है। इसलिए इन सभी के कर्मचारियों के वेतनमानों में भिन्नता रहेगी और वेतनमानों में एकरूपता नहीं हो सकती है। मुझे आश्चर्य लगता है कि किस तरह की बातें विरोधी पक्ष के लोग उठाते हैं। मैं उनसे जानना चाहती हूं कि यदि हमारी तरफ से कोई कसर है, तो इसको दूर करने के लिए उनका कितना योगदान हुआ है और क्या कोई उन्होंने सुझाव दिये हैं। केवल एक ही सुझाव उन्होंने किया है कि 69 करोड़ रुपये की उनकी मांग है और इतना रुपया उन्हें दे दिया जाए। अब यह कोई छोटी सी रकम तो है नहीं जो कि उनको दे दी जाए। और कोई दूसरा योगदान उनका नहीं है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगी कि दबाव डाल कर सरकार को यदि झुकाने की बात होती है, तो यह अनुशासनहीनता है और इस अनुशासन-हीनता के बदले अगर इनाम के रूप में उनकी मांगें मान कर इतना सारा रुपया दे देंगे, तो हम एक गलत परिपाटी को प्रारम्भ करेंगे जो कि मेरी राय में उचित नहीं है। जो उनकी जायज मांग है, वह माननी चाहिए और जितना उनको मिलना चाहिए, उतना देना ही चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते और हमने कभी इससे इनकार नहीं किया है लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक ओर समाज में जब विपत्ति आती है, तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर दी जाए, इसको हम नहीं मान सकते। इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे श्रम मन्त्रालय है ही नहीं। यह इस बात को कैसे भूल गये कि श्रम मन्त्रालय नहीं है। हमारे श्रम मन्त्री ने उनसे बात की है और उनसे

स्ट्राइक न करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा लेकिन वे इसके लिए भी तैयार नहीं हुए और अपनी हड़ताल पहले ही प्रारम्भ कर दी। ऐसी स्थिति में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इसकी उनको बिल्कुल भी चिन्ता नहीं है। ऐसे समय में उनको काम करना चाहिए था और उन्होंने काम बन्द कर दिया। जब उन्होंने हड़ताल कर दी, तो मंत्री महोदय ने आवश्यक वस्तुएं लोगों को उपलब्ध कराने के लिए, उनकी आपूर्ति करने के लिए, जिससे लोगों को सुनिश्चित तरीके से सभी आवश्यक वस्तुएं मिल जाएं, नौसेना की मदद ली और उनकी सर्विसेज का आह्वान किया। ऐसा जो मंत्री जी ने किया, तो यह कोई उनसे कन्फ्रन्ट्रेशन के लिए नहीं किया बल्कि यह इसलिए किया गया कि लोगों को आवश्यक सामान उपलब्ध कराया जा सके। आखिर इसके लिए भी सरकार का कुछ उत्तरदायित्व है। यदि सरकार इसमें चूक कर जाती, तो फिर ये चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पाती और यदि चीजों के मिलने में रुकावटें आएंगीं तो चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, तो इसको देखने का काम भी सरकार का है कि किस तरह से चीजों की आपूर्ति हो और चीजों के दाम न बढ़ें।

एक बात और कहना चाहती हूं। यह ठीक है कि उनकी जो वाजिब मांगें हैं, उनकी पूर्ति होनी चाहिए लेकिन सभापति महोदय, कुछ समितियों में सदस्य के नाते और चेयरमैन के नाते, मुझे रहने का अवसर मिला है और मैंने पोर्ट ट्रस्ट के कार्यकलापों को भी देखा है। कुछ महीने पहले मैं बम्बई गई हुई थी। मैंने वहां पर यह देखा और यह पाया और यह साबित किया हुआ है कि पोर्ट में जितनी स्मगलिंग होती है, जितने अनैतिक काम होते हैं, क्या स्मलिंग को रोकने के लिए फैडरेशन के नेतागण, यूनियन के लोगों ने कभी काम किया है जिससे कि स्मलिंग को रोका जा सके ? पोर्ट के अन्दर बहुत से गलत काम होते हैं, उन गलत कामों को रोकने का उत्तरदायित्व उनका भी है। यदि वे अपनी मांगें रखते हैं, वे यह चाहते हैं कि उनके वेतन बढ़ने चाहिएं तो इन चीजों को देखने का भी उनका कर्त्तव्य हो जाता है। वे सरकारी कर्मचारी हैं, पोर्ट में काम करते हैं। स्मगलिंग बढ़ती जा रही है और यह बताया जाता है कि इसमें उनका भी हाथ बहुत जोर-शोरों से रहा है।

मैं यही कहना चाहती हूं कि मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया, जो उन्होंने सुझाव दिये हैं, हड़ताली कर्मचारियों को अपनी ओर से उन्होंने जो ओफर किया है, वह एक बहुत अच्छा कदम है और देश हित में है। हम तो यही चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी निबटारा हो जाए। आज-कल जो देश की बाह्य परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए सदन के सभी माननीय सदस्यों को सरकार को सहयोग देना चाहिए। यह कन्फ्रेन्टेशन का समय नहीं है। जो लोग हमारे उन कर्मचारियों को एक्सप्लोइट कर रहे हैं, उनको यह जानना चाहिए कि वह देश की कितनी बड़ी क्षति कर रहे हैं। यह क्षति देश के किसी एक हिस्से की क्षति नहीं है, यह सारे देश की क्षति है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको मद्देनजर रखते हुए हम सभी लोगों को मिल कर इस समस्या को सुलझाना चाहिए ताकि हम अपने राष्ट्र को इस क्षति से और बद से बदतर होने वाली स्थिति से बचा सकें।

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : सभापति महोदय, श्रीमान्, पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की हड़ताल वास्तव में सरकार के गलत रवैये के कारण हुई है। यदि सरकार ने मामले के निपटारे के लिए समुचित कार्यवाही की होती, पत्तन कर्मचारी महासंघ की मांगें शत-प्रतिशत स्वीकार की होतीं, तो देश के दस प्रमुख बन्दरगाहों में यह हड़ताल न होती। कुछ लोग यह आरोप

लगा रहे हैं कि जल्दी ही हड़ताल कर दी गई। यह मिथ्या है। सितम्बर, 1983 में पत्तन कर्मचारी महासंघ ने एक ज्ञापन पत्तन अधिकारियों तथा सरकार को दिया था। बहुत बार वार्ताएं हुईं, परन्तु कुछ परिणाम न निकला। बाद में मंत्रालय के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया तथा कई बार बातचीत हुई। परन्तु इन सबका कुछ फल नहीं निकला। तब हमारे माननीय मन्त्री श्री विजय भास्कर रेड्डी ने हस्तक्षेप किया। उनकी उपस्थिति में भी चार बार बातचीत हुई। वह भी विफल हुई।

श्रीमान्, हमारे देश के पत्तन एवं गोदी कर्मचारियों की मांगों की एक पृष्ठभूमि है। सरकार ने 1975 में न्यायमूर्ति लोकेश के सभापतित्व में वेतन संशोधन समिति गठित की थी, ताकि भारत के प्रमुख पत्तनों के लिए समान वेतन संरचना के बारे में अध्ययन किया जा सके। उक्त समिति ने मार्च, 1977 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार पत्तन तथा गोदी कर्मचारी महासंघ तथा भारत सरकार के बीच 14 जुलाई, 1977 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उस समझौते द्वारा भारत के पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के वेतनों और भत्तों में एकरूपता आई। वेतन संशोधन समिति ने 1.30 से 2 रुपए प्रति अंक 1960 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया। समझौते में यह निर्धारित किया गया। समझौते में निर्धारित किया गया मूल्य सूचकांक जब 363 से ऊपर होता है, तो महंगाई भत्ते का संशोधन किया जायेगा। परन्तु भारत सरकार ने इस अभिवचन का पालन नहीं किया। इससे गोदी कर्मचारियों के वेतन कम होने शुरू हो गये। तब तक सरकार समझौते की खुली अवहेलना कर रही थी। सरकार ने समझौते की अवधि को चालाकी से 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। जब प्रारम्भ में समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के वेतन भत्ते अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों की तुलना में बेहतर थे। फिर भी समझौते की अवधि को छः वर्ष तक बढ़ाये जाने तथा महंगाई भत्ते के सुधार से इनकार किये जाने के कारण उनकी आय घटने लगी।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ ने 1963 के 500 रुपये मूल्य सूचकांक के आधर पर 1000 रुपए मूल वेतन तथा जीवन निर्वाह लागत वृद्धि का शत प्रतिशत महंगाई भत्ते के रूप में 2 रुपए प्रति अंक, तथा किराया भत्ता, नगर भत्ता तथा अन्य लाभों की मांग की। परन्तु सरकार समग्र रूपेण 10% वृद्धि करने को तैयार है। बाद की बातचीत के अनुसार, जैसा कि माननीय सदस्य ने कुछ समय पूर्व बताया, मंत्री महोदय 15% के लिए तैयार हो गए हैं।

1982 तथा 1983 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बारे में कई समझौते हुए। चारों कर्मचारी संघों ने मांग की है कि उन्हें अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों के बराबर वेतन भत्ता, किराया भत्ता तथा नगर भत्ता दिया जावे। ऐसी वृद्धि की मांग में बुराई क्या है? वास्तव में चारों संघ अपनी मांग से कम पर भी तैयार हो गये हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, उनकी मूल मांग 1000 रुपए मूल वेतन की थी। उससे घट कर चारों संघ सरकारी प्रतिष्ठानों के बराबर की मांग पर आ गये हैं। वास्तव में भारत सरकार ने सरकारी प्रतिष्ठानों के बारे में समझौता किया है, जिसे वह क्रियान्वित कर रही है। सरकार दोहरी भूमिका क्यों कर रही है? पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के मामले में वह भिन्न नीति क्यों अपना रही है?

एक माननीय सदस्या बता रही थी कि उनके कार्य के तरीके, हालात इत्यादि में अंतर है। इस्पात का काम करने वालों, कोयला खानों में काम करने वालों तथा पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के खाने योग्य पदार्थों में क्या अंतर है। इस्पात कर्मचारियों, कोयला कर्मचारियों, अन्य

सरकारी प्रतिष्ठानों एवं पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के पहनने योग्य वस्त्रों में क्या अंतर है ? चिकित्सा व्यय, मकान किराया तथा नगर की अन्य कठिनाइयों में क्या अन्तर है। मैं इसे समझ नहीं पाया। वे सभी वही खाना खाते हैं, वही वस्त्र पहनते हैं तथा उन्हीं हालत तथा स्टैंडर्ड में रहते हैं। महंगाई सभी सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए एक समान बढ़ती है। अत: यह कहना कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के हालात भिन्न-भिन्न हैं, सही नहीं है।

इस्पात क्षेत्र में 91 रुपए की वृद्धि तथा दो वेतन वृद्धियां घोषित की गई हैं। उसी प्रकार पत्तन वाले नगरों में काम करने वाले इस्पात कर्मचारियों को किराया भत्ता 30%, कलकत्ता और मद्रास में 25% तथा अन्य नगरों में 15% दिया जाता है। पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों को ये कम क्यों दिए जा रहे हैं। कलकत्ता, बम्बई, कोचीन में काम करने वाले पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों एवं इस्पात उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों के जीवन निर्वाह सम्बन्धी व्यय में कोई अन्तर नहीं है। सरकार उन्हें सुविधाएं देने में संकोच क्यों करती है ? मंत्री महोदय ने तर्क दिया है कि सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के हालात में भिन्न स्थिति है। परन्तु इसके लिए उत्तरदायी कौन है ? मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह स्थिति सरकार ने जानबूझ कर पैदा की है। यह स्थिति परमात्मा की पैदा की हुई नहीं है। अपितु देश के शासक द्वारा पैदा की गई है।

श्री बीजू पटनायक : देवी।

श्री एम० एम० लारेंस : मैं अपनी भूल को सुधारने को तैयार हूं।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी सदस्यों को समान समय मिल सके, इसलिए कृपया मुख्य बातें ही कहें। यह सभी पर लागू होता है।

श्री एम०एम०लारेंस : मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। मैं भी उनके नेताओं में से एक हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : यह मंत्री महोदय पर भी लागू होता है।

श्री बीजू पटनायक : उन्हें कुछ भी न कहने में प्रसन्नता अनुभव होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह कम समय चाहते हैं।

श्री एम० एम० लारेंस : 10 बड़े पत्तनों के पत्तन न्यासों में 1,07,409 श्रमिक कार्यरत हैं और 7 गोदी श्रमिक बोर्डों के अन्तर्गत 30,808 श्रमिक काम करते हैं। सरकार उन्हें सीधे पत्तन न्यासों के अन्तर्गत लाने में क्यों हिचकिचा रही है ? सरकार उन्हें स्टेविडोरों की दया पर क्यों छोड़ रही है। गोदी श्रमिक बोर्डों में प्रत्येक काम स्टेविडोरों के हाथों में हैं और वहां पर बोर्ड केवल नाम मात्र के लिए है। इनका डंडा हमेशा श्रमिकों के सिर पर रहता है ये श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। इसी प्रकार 1500,000 श्रमिक सीधे पत्तनों में काम कर रहे हैं लेकिन वे न तो पत्तन न्यासों के अन्तर्गत आते हैं और न गोदी श्रमिक बोर्डों के अन्तर्गत। वे कमीशन एजेंटों, फोरवर्डिंग एजेंटों, क्लियरिंग एजेंटों तथा अन्य ठेकेदारों के अधीन काम कर रहे हैं। ये लोग वर्षों से लगातार इसी स्थिति में काम कर रहे हैं। इन लोगों को स्थायी क्यों नहीं बनाया जाता ? सरकार हमेशा कहती है कि वह दलित लोगों की पक्षधर है और वह ऐसे लोगों की दशा सुधारना चाहती है। इन लोगों को स्थायी बनाने में सरकार का हाथ कौन पकड़ रहा है ? मैं जानता हूं कि जो मजदूर राष्ट्र के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं और अपना खून पसीना एक कर रहे हैं उनका ये स्टेविडोर और ठेकेदार शोषण कर रहे हैं। श्रमिकों के कठिन परिश्रम से लाभ किसको होता है ? उनके परिश्रम का लाभ गैर-सरकारी कंपनियों के मालिक उठा रहे हैं। विशाल पत्तन आयोग ने जिन

मजदूरी दरों का सुझाव दिया था उनको लागू करने में सरकार क्यों संकोच कर रही है ? आयोग ने सिफारिश की थी कि उनकी मजदूरी दरों में वर्तमान एक प्रतिशत की वृद्धि को बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया जाये । जितना समुद्र से यातायात होता है उसमें भारतीय जहाजों को केवल 28 प्रतिशत मिल पाता है और शेष विदेशी कंपनियों के जहाज ले जाते हैं । इस प्रकार पत्तन पर कम मजूरी दरों से विदेशी जहाज मालिकों को लाभ होता है। सरकार ने ऐसी नीति क्यों अपनाई हुई है ? सरकार इस नीति को ठीक करने के लिए क्यों तैयार नहीं है ? यदि सरकार इस नीति को ठीक कर ले तो इससे पत्तनों की आय में भी वृद्धि होगी । आजकल पत्तनों पर जो कम मजदूरी दरें हैं, जैसा कि मेरे से पहले वक्ता ने बताया, उससे बहुत बड़ा लाभ होता है जो ऐसे ही लोगों को जाता है इस पर भी सरकार इन मजदूरों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते, नगर प्रतिकर भत्ते और ऐसे ही अन्य भत्तों में वृद्धि करने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं ?

इसी प्रकार पत्तन और गोदी श्रमिकों को बोनस भी नहीं दिया जा रहा है और उन्हें केवल 8.33 प्रतिशत अनुग्रह राशि दी जा रही है । जबकि इस क्षेत्र में लाभ बहुत अधिक होता है । श्रमिकों ने 20 प्रतिशत बोनस की मांग की है और उनके द्वारा ऐसी मांग किया जाना बिल्कुल ठीक है और मेरा यह कहना है कि उन्हें इतना बोनस दिया ही जाना चाहिए ।

आपात स्थिति के दौरान उन्हें अनुग्रह राशि इतनी भी नहीं दी गई और आपात स्थिति का लाभ उठाते हुए उन्हें केवल 4 प्रतिशत ही दिया गया। इन लोगों की दशा सुधारने के लिए सरकार जानबूझकर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । मजदूर अपने संगठित प्रयास से ही कुछ प्राप्त कर सकते हैं । माननीय महिला सदस्य और अनेक अन्य सदस्यों ने राष्ट्र भावना आदि की बात कही है । उस महिला ने कहा है कि राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्थिति बहुत खराब है । यह ठीक है और चिंता का भी विषय है । न केवल सभा में बल्कि सभा से भी बाहर हम सबके लिए यह भारत के श्रमजीवी वर्ग के लिए यह मुख्य चिंता का विषय है । क्यों ? ये लोग ही हैं जो राष्ट्र के लिए उत्पादन कर रहे हैं । संपूर्ण देश के लिए उत्पादन कर रहे हैं । इसलिए माननीय सदस्य को यह किसने कह दिया कि इन श्रमिकों को राष्ट्र के हित के बारे में चिंता नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : वह सदस्या यहां उपस्थित नहीं है ।

श्री एम० एम० लारेंस : उसके प्रतिनिधि तो यहां हैं । वह हमें अनुशासन का पाठ पढ़ा रही थी । वह अनुशासन के बारे में बहुत अधिक चिन्तित थी। इस हड़ताल के दौरान पत्तन और गोदी कर्मचारियों ने यह दिखा दिया है कि वह देश में एक अनुशासनबद्ध वर्ग है । और वे अपने जीविका के लिए लड़ रहे हैं न कि बैंकों में धनराशि जमा करने के लिए जैसा कि कुछ लोग चीनी उद्योग से पैसा लेकर अपना बैंक-बैलेंस बनाते हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे तो राज्य सभा के स्थान के लिए नहीं लड़ रहे हैं ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : श्रीमन्, मैं बैंक में जमा अपनी राशि श्री चटर्जी के नाम स्थानान्तरित कर दूंगा क्योंकि यह एक बहुत ही गरीब साम्यवादी हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे यह मंजूर है ।

श्री एम० एम० लारेंस : इस हड़ताल से श्रमिकों ने दिखा दिया है कि वह कितने अनुशासन प्रिय हैं और उनकी मांग कितनी औचित्यपूर्ण है । सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार औपचारिक रूप से उनकी हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया था और सरकार कह भी रही थी कि उनकी हड़ताल वास्तव में अवैध है ।

नौवहन और परिवहन मंत्री द्वारा बुलाये गये सम्मेलन के विफल हो जाने के बाद बड़ी जल्दी में श्रम मंत्री इस क्षेत्र में उतरे। उस समय वह अहमदाबाद में थे। वहां से उन्होंने महासंघ के नेताओं को एक संदेश भेजा और उनसे दिल्ली न छोड़ने का अनुरोध किया और दिल्ली में एक दिन या तीन घंटे और रुकने का अनुरोध किया। श्रमिक नेता वहां ठहरे। हमने चर्चा की लेकिन चर्चा के दौरान कोई नया प्रस्ताव नहीं रखा गया। यह रही उपलब्धि जिसके लिए श्रम मंत्री बड़ी शीघ्रता से मैदान में उतरे थे। यह उन्होंने केवल इसलिए किया था ताकि रिकार्ड में यह उल्लेख आ जाए कि श्रम मन्त्री आदि ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया था। मंत्री महोदय ने एक सप्ताह का समय मांगा और कहा कि हड़ताल एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी जाये। श्रमिकों की शक्ति को कम करने के लिए श्रमिकों को हराने, के लिए और उनके लड़ने की क्षमता को कम करने के लिए तथा एक को दूसरे से भिड़ाने के लिए सरकार इस तरह के ही हथकंडे अपनाती है। परन्तु कांग्रेस (इ) के नेतृत्व में बनी इंटक जैसे श्रमिक संघों सहित किसी ने भी मंत्री के अनुरोध को न माना। इंटक ने इसे इसलिए नहीं माना क्योंकि वह भी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ये लोग भी श्रमिकों की दशा सुधारने में रुचि ले रहे थे और श्रमिकों ने अपने नेताओं में विश्वास व्यक्त किया था इसलिए इंटक ने ऐसा किया। तथा आज तक मजदूर पक्ष अपनी बात पर दृढ़ हैं। अब यह सरकार के हाथ में है कि वह श्रमिक संघों के नेताओं के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए खुले दिल से और समझौता करने की नीयत से आये ताकि मामलों को निपटाया जा सके और जो घाटा हड़ताल के कारण हो रहा है उससे बचा जा सके।

आजकल श्रमिकों को एक नयी धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि नौसेना को बुला लिया जायेगा। अधिक पुलिस बलों, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की बटालियनों को सभी पत्तनों पर भेजा गया है मुझे यह मालूम है। कोचीन में मुझे बताया गया कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की दो बटालियन वहां पहले ही पहुंच चुकी हैं और नौसेना ने पत्तन क्षेत्र में रूट मार्च किया है।

5.00 म०प०

माननीय सदस्या इस हड़ताल के कारण लोगों को आवश्यक वस्तुओं के मिलने में हो रही कठिनाई के बारे में बहुत अधिक चिंतित थीं। वह मूल्यों में हो रही वृद्धि के प्रति भी बहुत चिंतित थीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बजट सत्र से पहले कोयले के मूल्य में जो वृद्धि की गई क्या उससे देश में मूल्य वृद्धि नहीं हुई? क्या उससे आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ा? क्या सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करना चाहती है? वस्तुतः सरकार स्वयं ही आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में हो रही वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस मामले में नौसेना का प्रयोग न किया जाये। सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि भारत पाक युद्ध में आपका योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है। अब मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि श्रमिकों के विरुद्ध सेना का प्रयोग न किया जाये। आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। आज ऐसा समय है जबकि हमारी सशस्त्र सेनाओं को, शेष सभी वर्ग के लोगों में पूर्ण सौहार्द होना चाहिए। और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए एक जुट हो जाना चाहिए। यदि ऐसे समय में सरकार नौसेना को श्रमिकों के विरुद्ध इस्तेमाल करते हैं तो यह देश के हित में नहीं होगा। इसलिए मैं गंभीरतापूर्वक सरकार को चेतावनी देता हूं कि वह आग से न खेले। सभी श्रमिक यह चाहते हैं कि देश के विभिन्न पत्तनों पर आवश्यक वस्तुएं

पहुंचती रही और इसी प्रकार वे लोगों को उपलब्ध होती रहें। क्या आप समझते हैं कि श्रमिकों को धमकी देकर और उनके हितों के विरुद्ध नौसेना या थल सेना का इस्तेमाल करके आप उनकी शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। श्रमिक यह भलीभांति समझते हैं कि वह अपनी आजीविका के लिए लड़ रहे हैं। यही कारण है कि इंटक ने भी इस हड़ताल में भाग लिया।

मैं पुनः मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों को बुलाये और उनसे तुरन्त बातचीत करे तथा पत्तन श्रमिकों को उतना ही मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता और वेतन वृद्धि दी जाये जितना कि सरकारी उपक्रम के श्रमिकों को दिया जाता है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, मैंने विरोधी सदस्यों के भाषण सुने हैं तथा मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने भाषणों में कर्मकारों की भावनाओं को बहुत अच्छे ढग से प्रकट करने का प्रयास किया है। ऐसे कर्मकारों की संख्या एक लाख अड़तीस हजार है। उन्होंने उनकी उन मांगों को उठाया है जिनके बारे में विभिन्न स्तरों पर चर्चा हो चुकी है। उन्होंने उस करार का भी उल्लेख किया है जो दिसम्बर, 1983 में व्यपगत हो गया था तथा जिसका पुनर्विलोकन करने के लिए या फिर से नया करार करने के लिए अगस्त, 1983 से बातचीत चल रही है। मंत्रियों के हस्तक्षेप करने पर सरकार ने जितनी धनराशि देने का प्रस्ताव किया है तथा दस गोदियों में चार संघों ने, जिनमें दो संघ ऐसे हैं जो अपने मूल संघों से जुदा हो गए हैं जितनी धनराशि की मांग की है वह 32 करोड़ रुपये और 69 करोड़ रुपये है। ये श्रमिक नेता मुझ से पूछते हैं कि मुझे श्रमिकों की मांगों के बारे में क्या ज्ञान है, कुछ हद तक मैं उनसे सहमत हूं। मैं मानता हूं कि उन्हें श्रमिकों की मांगों के बारे में पूरी जानकारी है। मुझे यह भी पता है कि हमारी सरकार, हमारे मंत्रियों तथा हमारे अधिकारियों को भी मालूम है कि वे कहां तक उनकी मांगों को स्वीकार कर सकते हैं। अतः मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा कि उनकी मांगें कहां तक जायज हैं, सरकार ने उन्हें क्या रियायतें दी हैं तथा उनसे क्या वायदे किये हैं। मैं इस समस्या को एक ऐसे साधारण व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखता हूं जिस पर इस हड़ताल का प्रभाव पड़ा है।

श्री लारेंस ने कहा है कि वह भी साधारण लोगों के बारे में बहुत चिन्तित हैं। मैं उन पर सन्देह नहीं करता। किन्तु मैं समझता हूं कि अब वह स्थिति आ गई है जब विरोधी पक्ष भी यह कह रहा है कि इन कर्मकारों के स्थान पर काम करने के लिए नौसेना को नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ सरकार भी इन संघों से कह रही है कि वे बातचीत करने के लिए आगे आएं। समूचे देश की स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि एक स्थान पर कर्मकारों की बैठक बुलाई जाए क्योंकि गोदी कर्मकार देश के ऐसे स्थानों पर काम कर रहे हैं जहां पर आवश्यक वस्तुएं देश के दूसरे भागों से आती हैं तथा ऐसे स्थानों पर भी जहां से वे दूसरे स्थानों पर भेजी जाती हैं। मैं नहीं समझता कि सरकार कर्मकारों की किसी भी मांग की अवहेलना करेगी। सरकार उनकी हर उचित मांग को मानेगी तथा संघ भी वह मांग पेश करेंगे कि जिन्हें वे उचित समझेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार को तथा संघों को कुछ देने और कुछ लेने का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए क्योंकि दोनों को विश्व के सभी देशों में व्याप्त मुद्रास्फीति के कारण देश में विद्यमान स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि बहुत से विरोधी दलों के सदस्यों ने तथा अन्य सदस्यों ने भी कहा है हमारे देश में 80% से अधिक लोग देहातों में रहते हैं। हम मूल्यों को उतना कम नहीं कर सकते जितने कि वे होने चाहिए। क्या हम स्थिति को और खराब करना

चाहते हैं ? कसूर किसका है ? मैं नहीं जानता कि कसूर संघों का है या सरकार का। इस समय आवश्यकता यह है कि सरकार तथा कर्मकारों को एक स्थान पर बैठक कर, बातचीत करके इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए ताकि हम सारे राष्ट्र को बता सकें कि संघ तथा सरकार वास्तव में लोगों की भलाई चाहते हैं। मैं कार्मिक संघ नेता नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि नियम क्या है। सरकार ने इस हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि हर रोज 80 करोड़ रुपये का नुक्सान हो रहा है। मैं नहीं जानता यह बात कहां तक ठीक है। यदि आपका यह कहना है कि प्रति दिन हानि की स्थिति पैदा करके आप सरकार से सौदेबाजी करना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा अन्य सदस्यों का भी यही दृष्टिकोण है। निश्चित रूप से उनका यह दृष्टिकोण नहीं है। जो प्रतिदिन 8 करोड़ रुपये की हानि की बात कर रहे हैं मैं समझता हूं कि वे भी संघों के मामले को ठीक तरह से पेश नहीं कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संघों के नेता इन पहलुओं पर विचार नहीं कर रहे हैं।

मुख्य प्रश्न यह है कि क्या पत्तन न्यास प्राधिकरण गोदी कर्मकारों की मांगों को पूर्णत: स्वीकार कर सकते हैं या नहीं। हमें उनकी मांगों पर, कोयला या इस्पात उद्योग से तुलना करके, क्यों विचार करना चाहिए ? हमें उनकी मांगों पर अलग से विचार करना चाहिए। हम उन सबकी मांगों को एक ही स्तर पर कैसे रख सकते हैं ? यह भी कहा गया है कि बम्बई गोदी में लाभ हो रहा है जबकि अन्य गोदियों में नहीं। क्या हमें समझौता करने के लिए इस बात को आधार मानना चाहिए। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।

5.11 म० प० पीठासीन

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं समझता हूं कि संघों तथा सरकार को एक-दूसरे की बात समझनी चाहिए ताकि इन मांगों की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जाए कि गोदी उद्योग एक रुग्ण उद्योग बन जाए। पूर्वी क्षेत्र से संसद का सदस्य होने के नाते मैं संघों एवं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इन सब बातों को देखते हुए परस्पर स्वीकार्य समझौता करें। यह भी कहा गया है कि कुछ समाज-विरोधी तत्व, कुछ राजनैतिक नेताओं के आशीर्वाद से इस हड़ताल का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जो वांछनीय नहीं है। ऐसा नहीं होने दिया जाना चाहिए।

मंत्री महोदय को अपने उत्तर में यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि सरकार बातचीत करके समझौता करना चाहती है। मैं संघों के नेताओं तथा उन व्यक्तियों से भी अनुरोध करना चाहता हूं जो संघों के विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, कि वे भी इस बात को स्वीकार करें भले ही वे बाद में इसके लिए विरोध प्रकट करें। यदि सरकार उनकी पचास प्रतिशत मांगें मानने को तैयार है तो उन्हें विरोधाधीन कम से कम आगामी तीन महीनों के लिए उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए··· (व्यवधान) मैं एक साधारण व्यक्ति के नाते यह सुझाव दे रहा हूं। दो तीन महीनों के बाद वे फिर बातचीत शुरू कर सकते हैं। 69 करोड़ रुपये और 32 करोड़ रुपये के बीच कोई समझौता हो जाना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि सरकार तथा संघ लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। मेरा केवल यह अनुरोध है। सरकार या संघ को इसे एक प्रतिष्ठा का विषय नहीं बना लेना चाहिए। रिकार्ड से पता चलता है कि मांगें वेतन वृद्धि, मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता तथा नगर प्रतिकरात्मक भत्ता आदि के बारे में हैं।

यह बात विवाद का विषय नहीं है कि श्रमिकों को अपनी मांगें मनवाने, चाहे वे कृषि के बारे में हों या उद्योग के बारे में, का अधिकार है। उन्हें अपनी भूमिका निभानी है। हमारी प्रधान मंत्री तथा हमारी सरकार ने सदन में तथा सदन के बाहर भी इस बात को कई बार स्वीकार किया है। किन्तु श्रमिकों के मामलों को पेश करने का एकाधिकार केवल प्रतिपक्ष का ही नहीं है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आपके दल के लोग भी हमारे साथ हैं। अत: एकाधिकार की कोई बात नहीं है। यह संयुक्त प्रयास है।

श्री संतोष मोहन देव : आप देख सकते हैं कि इंटक भी पक्ष ले रहा है। हमने इंटक को कुछ नहीं कहा। जिन बातों को वे उचित समझते हैं वे उनके लिए लड़ सकते हैं। हमें ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यदि आप सारे देश के हित को देखते हुए सभी पक्ष मिल कर काम करें तो हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। इस दृष्टिकोण को अपना कर हमें माननीय मंत्री का हाथ बटाते हुए समझौता कराने में उनकी सहायता करनी चाहिए। वे सभी जायज बातों को मानने वाले व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं कि समाचारपत्रों में जो समाचार छपे हैं वे सही नहीं हैं। मुझे श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा माननीय मंत्री श्री विजय भास्कर रेड्डी के पांच से दस मिनट तक भाषण सुनने का अवसर मिला था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब एक तरफ श्री इन्द्रजीत गुप्त जसे नेता तथा दूसरी तरफ श्री विजय भास्कर रेड्डी जैसे मंत्री हैं तो वे दोनों पक्षों की बैठक बुलाने में अवश्य सफल होंगे।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : उपाध्यक्ष महोदय, वे इस बात को भूल रहे हैं कि यद्यपि एक ओर श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा दूसरी ओर श्री विजय भास्कर रेड्डी हैं किन्तु उनके ऊपर एक महान् नेता भी तो हैं।

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री विजय भास्कर रेड्डी) : आप श्री लारेंस से पूछिए।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप कुछ नहीं कर सकते। प्रधान मन्त्री को कुछ कहना है।

श्री संतोष मोहन देव : आप उस भय को त्याग दीजिए।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा): श्रीमन्, श्री संतोष मोहन देव ने माननीय मंत्री के अच्छे गुणों का जिक्र किया है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं।

यदि मेरा अनुमान गलत नहीं है तो सभी बन्दरगाहों में माल चढ़ाने उतारने से होने वाली कुल आय लगभग 21,000 करोड़ रुपए है। कर्मचारियों के वेतन का बिल इसका केवल 1% है। मैं मंत्री महोदय और सरकार तथा प्रणब मुखर्जी और प्रधान मंत्री से यह पूछता हूं कि क्या एक प्रतिशत से बढ़ाकर 1.3% की मांग करना बहुत अधिक है? यह उचित है और मेरा विश्वास है कि कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि देने या अन्य सुविधाएं देने के लिए बंदरगाहों पर चढ़ाये जाने वाले माल से होने वाली आय का कुल 2% व्यय होता है।

श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आता कि श्री लारेंस और मेरे अन्य मित्र यह क्यों कह रहे हैं कि हमें अन्य सरकारी उपक्रमों के समान उन्हें भुगतान करना चाहिए। ऐसा क्यों? हमारे अपने अधिकार हैं। हमारी अपनी वित्त-व्यवस्था है। इसलिए हमें सरकारी उपक्रमों से अधिक मिलना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि वे उन्हें सरकारी उपक्रमों से कम भुगतान क्यों कर रहे हैं। यदि मैं श्री विजय भास्कर रेड्डी से बात करूं तो मेरी अलग ही शर्तें होंगी और मैं कहूंगा कि यह मेरा अधिकार है। मैं 21,000 करोड़ रुपये की आय करता हूं। यदि आप मुझे आवश्यक सहयोग दें तो मैं इस आय को बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपये कर सकता हूं। इससे 0.3% की

वह वृद्धि भी पूरी हो जायेगी। यदि आप मुझे सुविधाएं देंगे, आप जानते हैं कि मैं किन दशाओं में रहता हूं। आप सभी बन्दरगाहों की स्थिति से अवगत हैं कि वहां मैं किस प्रकार एक कर्मचारी के रूप में रहता हूं और इन्हीं सभी परिस्थितियों के कारण मैं अपनी शक्ति भर कार्य नहीं कर सकता। परिस्थितियों को मेरे अनुकूल बनाइये, मुझे देश के एक सम्माननीय नागरिक के रूप में जो सुविधाएं मिलनी चाहिएं, उन्हें दीजिए, मेरे बच्चों को भी दीजिए, मुझे आवास तथा अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराइये। ऐसी परिस्थिति में मैं बन्दरगाहों की आय को 21,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25,000 करोड़ अथवा 30 000 करोड़ रुपये तक कर दूंगा और इसी प्रकार अन्य देशों के समान, जहां हमसे भी अधिक अच्छा कार्य होता है, कार्य करके दिखाऊंगा।

श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आता कि 60,000 करोड़ और 65,000 करोड़ रुपये की क्या बात है। एक मंत्री के नाते मैंने कोयला कर्मचारियों के लिए कुल 90 करोड़ रुपये वेतन की वृद्धि की थी। कठिनाई क्या है ? मेरी समझ में यह सब कुछ नहीं आता। 60 करोड़ या 65 करोड़ रुपए महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने इस्पात कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की थी। जब तक उत्पादन का अनुपात बना रहता है तब तक क्या परेशानी है। इसलिए जहां तक सरकार का सम्बन्ध है मैं चाहूंगा कि आप कर्मचारियों को सहायता दें, अधिक उत्पादन के लिए उन्हें अधिक लाभ पहुंचायें और फिर उनसे उत्पादन की मांग करें। तभी राष्ट्र का उत्थान हो सकता है और तभी राष्ट्र का उत्पादन बढ़ सकता है। कर्मचारियों को भूखा रख कर उनसे अच्छा कार्य करने की मांग नहीं की जा सकती। समय की मांग यही है। और यही एक प्रगतिशील सरकार को करना चाहिए।

अब मैं गोदी कर्मचारियों की बात लेता हूं। मैं एक बड़ी दर्दनाक घटना का वर्णन करूंगा जो देश के एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह उड़ीसा स्थित पारादीप बन्दरगाह में हुई। कुछ दिन पहले ज्यों ही गोदी कर्मचारियों की हड़ताल की घोषणा की गई थी, बंदरगाहों के दादाओं ने नैमित्तिक श्रमिकों को अपने अधिकार में ले लिया था और उनसे लड़ना शुरू कर दिया था। इसके परिणाम-स्वरूप कुछ पुलिस कर्मचारी मारे गये। उसके बाद क्या हुआ ? केन्द्रीय पुलिस ने वहां जो कत्ले-आम किया वह बहुत ही वीभत्स था। मैं उड़ीसा सरकार, वहां की जनता, राज्यपाल, सचिवों आदि से सम्पर्क रखे रहा। ऐसी सूचना मिली कि केवल 7 लोग ही मारे गये। परन्तु चश्मदीद लोगों का कहना है 200 लोगों से अधिक, जिनमें अधिकतर औरतें और बच्चे हैं या तो जला दिए गये या वे अपने आप ही डूब मरे। यह उस क्षेत्र में आये उस तूफान से भी कहीं भयंकर था जिसमें ऊंची-ऊंची लहरों के उठने से 10,000 लोग मरे थे। पुलिस मशाल हाथ में लेकर चारों ओर घूमी और उस क्षेत्र की सभी झोपड़ियों को आग लगा दी। प्रधान मन्त्री ने दो दिन पहले आदि-वासियों के सम्बन्ध में बड़ी भावनात्मक बातें कहीं। उन्होंने कहा कि उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से किसी प्रकार भी कम नहीं है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें उन्होंने कहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, इस समय वे यहां नहीं हैं, कि इन कर्मचारियों में 99% आदिवासी हैं, आदिवासी महिलाएं और बच्चे हैं जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं। ये औरतें अपने बच्चों को पीठ पर लादकर काम करने जाती हैं। ये सारा कार्य गोदी कर्मचारियों से ठेकेदारों द्वारा कराया जाता है। प्रश्न यह है कि इस प्रकार ठेका श्रमिक प्रथा कब तक चलती रहेगी। आपके यहां गोदी श्रमिक हैं और फिर आपके यहां ठेका श्रमिक हैं, ऐसा क्यों ? हमें सभी बातों की समीक्षा करनी चाहिए। एक प्रगतिशील सरकार होने के नाते एक ऐसी सरकार होने के नाते जो काम करती हैं, भगवान् के लिए हमें सभी बातों की समीक्षा करनी चाहिए। क्या हम इसमें सुधार नहीं कर

सकते ? क्या हम इन हत्यारों को जो गरीब लोगों का खून चूसते हैं नहीं रोक सकते ? राज्य में आपकी अपनी सरकार है। इसे आपको अपने हाथ में लेना चाहिए।

लगभग 7 से 8 करोड़ रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गई। उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। जिससे वे फिर से बस सकें। जो लोग मारे गये हैं अथवा मरे हैं उनके निकट सम्बन्धियों को मुआवजा दिया जाये। मुझे बताया गया है कि मुख्य मन्त्री ने प्रत्येक मरने वालों के सम्बन्धियों को 10000 रुपये देने की घोषणा की है। प्रत्येक का अर्थ है पुलिस कर्मचारी, जो तीन या चार हैं। ये पुलिस कर्मचारी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा किए गए हत्याकांड के कारण मारे गये। मेरा कहना है कि यह जिम्मेदारी सरकार की है, विशेषकर भारत सरकार की। क्योंकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस भारत सरकार की पुलिस है इसलिए इन आदिवासी लोगों को भारत सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे मुख्य मन्त्री से यह सुनिश्चित करने की मांग करें कि इसकी जांच उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक जज द्वारा की जाए। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में बातचीत कर रहे होंगे। और मेरा विश्वास है कि 20 या 30 करोड़ रुपये उनके आड़े नहीं आयेंगे। एक सिद्धान्त अपनाइये और उसके अनुसार चलिए। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। यदि आप प्रणब कुमार जी को नहीं मना सकते तो आप कुछ धन अपने पास से दीजिए। क्योंकि प्रतिदिन तीन चार या पांच या 10 करोड़ रुपए तक की हानि हो रही है।

बम्बई की कपड़ा मिल हड़ताल के समान इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा सख्त रवैया अपनाए जाने का मैं कोई कारण नहीं देखता। सरकार अपनी मनमानी करती है, फिर चाहे लोगों का कुछ भी हो। हम सभी—कर्मचारी, सरकार और प्रशासन—साझेदार हैं। ये सभी कार्य हम सबको मिलकर करना है। राष्ट्र हम सबका है।

अरे भाई 60 करोड़ नहीं तो 50 करोड़ दो और छुटकारा पाओ। मिनिस्टर बन कर, चीफ मिनिस्टर बनकर बैठना चाहते हो, कुछ तो करो। हाथ जोड़कर मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि वे इस पर विचार करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे। गोदी और बन्दरगाहों को फिर से काम करने दीजिए। पाराद्वीप बन्दरगाह पर हुए हत्याकांड की जांच उड़ीसा उच्च न्यायालय के जज द्वारा की जानी चाहिए।

श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंहपुर) : महोदय, यह बड़े दुख की बात है कि पत्तन संघ की हड़ताल ने एक दूसरी शक्ल अख्त्यार कर ली है। माननीय मन्त्री द्वारा अपील किए जाने पर भी पत्तन संघ अपनी मांगों का हल निकालने के लिए आगे नहीं आए और न ही उन्होंने मंत्री महोदय की अपील पर गौर किया। भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् यह तीसरा मौका है जबकि पत्तन कर्मकारों ने सम्पूर्ण देश में हड़ताल की है।

जैसा कि आपको मालूम ही है हड़ताल के कारण विभिन्न पत्तन नगरों को बहुत हानि हुई है। पाराद्वीप में हड़ताल ने एक नया मोड़ ले लिया जैसा कि प्रतिपक्ष के मेरे माननीय मित्र ने पारादीप की घटना की दर्दनाक घटना का उल्लेख करते हुए अभी बताया है। पारादीप पत्तन के कर्मकारों में भारी असंतोष व्याप्त है। वे पत्तन प्राधिकारियों के प्रति रुष्ठ हैं। कर्मकारों की मांगें जायज हैं। पत्तन प्राधिकारी पत्तन के प्रबन्ध के लिए केवल कुछ ही श्रमिकों को समान स्तर पर लाना चाहते थे। पारादीप पत्तन में हजारों कर्मकार काम करते हैं। उनकी मांगें जायज हैं तथा उन्होंने शान्तिपूर्ण ढंग से हड़ताल जारी रखने का निश्चय किया है। परन्तु यह खेद की बात है कि

पत्तन प्राधिकारियों ने इस स्थिति को उस तरह से सुलझाने का प्रयास नहीं किया जैसा कि उन्हें करना चाहिए था। लगभग 2,500 परिवार बेघर हो गए हैं तथा पुलिस और कर्मकारों के बीच हिंसात्मक झगड़ा हुआ है।

आपको मालूम ही है कि स्थिति इस प्रकार थी कि इस हड़ताल में समाज-विरोधी तत्व हावी हो गए थे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उन परिवारों की सहायता के लिए तुरन्त उपाय करें जिन्हें हड़ताल के कारण नुक्सान पहुंचा है। मैं नौवहन और परिवहन मंत्री से भी अनुरोध करता हूं कि वह पारादीप पत्तन प्राधिकारियों को श्रमिकों के प्रति अपने रवैये को बदले का निदेश दें। भारत सरकार से रिपोर्ट मिली है कि पत्तन न्यास प्राधिकारियों का श्रमिकों के प्रति रवैया कैसा है। यह इस बात पर चर्चा करने का समय नहीं है कि पत्तन न्यास कर्मकारों की कौन सी मांगें जायज हैं और कौन सी नहीं। यह समय इस समस्या का समाधान करने का है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या का मैत्रीपूर्ण ढंग से समाधान करें तथा संघों से अनुरोध करें कि वे विवाद का निपटारा करने के लिए बातचीत करने हेतु अपना हाथ आगे बढ़ाएं।

मैंने विपक्ष के सदस्यों के इस समस्या के बारे में विचार भी सुने हैं। वे सरकार के नुक्स निकाल रहे हैं। किन्तु यह समय पत्तन संघों की मांगों के वित्तीय परिणामों को महसूस किए बिना सरकार के नुक्स निकालने का नहीं है। मेरा प्रतिपक्ष के सदस्यों से अनुरोध है कि वे पत्तन संघ से बातचीत करके उन्हें हड़ताल समाप्त करने के लिए आग्रह करें। उन्हें हड़ताल से उत्पन्न हुई स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार की सहायता करनी चाहिए।

पाराद्वीप पत्तन में 19 मार्च को एक दुःखद घटना हुई थी। आप उस स्थिति से अवगत ही है। जब सूचित श्रमिक ही फालतू थे तो असूचित श्रमिकों को नियुक्त करना आवश्यक नहीं था। फिर पत्तन प्राधिकारियों ने असूचित श्रमिकों को क्यों नियुक्त किया? जब 16 मार्च को हड़ताल शुरू हुई तो यह शान्त थी तथा पाराद्वीप पत्तन में स्थिति सामान्य थी। यह दुखद घटना 19 तारीख को हुई। यह बहुत दुखद घटना थी। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री श्रमिकों तथा उनके परिवारों के हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे जो बेघरबार हो गए हैं तथा उन्हें वित्तीय स्थिति भी प्रदान करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मेरा ट्रेड यूनियंज से कभी ताल्लुक नहीं रहा। इस वास्ते मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। दो तीन चीजें जरूर मेरे जहन को झंझोरती हैं, दिमाग में आकर असर डालती हैं। खास तौर पर ऐसे मौकों पर जबकि जो लोग काम कर रहे हैं किसी खास जगह पर तो वे काम बन्द करने पर मजबूर क्यों होते हैं? काम वे खुशी से बन्द नहीं करते। इसलिए करते हैं कि हर आदमी का पेट है और पेट रोटी मांगता है। जब रोटी न मिले या मिले तो परेशानी और दिक्कत हो पेट भरने में, उस वक्त मजबूर होकर गरीब आदमी स्ट्राइक करने की बात सोचता है। लेकिन हमारी सरकार का कुछ अजीब सा ही रवैया ऐसे मामलों में होता है। यह सरकार गुरबत मिटाने का दावा करती है, गरीबों के साथ इसकी हमदर्दी है इसका दावा करती है। लेकिन चाहे टैक्साटाइल या जूट या डाक वर्कर हों न मालूम क्यों वह हमदर्दी नहीं रखती और हमदर्दी रखती है तो समझौता क्यों नहीं पहले से कर लेती? क्यों मामलों को वह तूल देती है, खींचती चली जाती है। बम्बई के टैक्साटाइल वर्कर्ज की बात को आप लें। उसमें यही हुआ। जूट

वर्कर्ज के साथ भी ऐसा ही किया गया । आज मामला पोर्ट वर्कर्ज का है । श्रीमती कृष्णा साही ने कहा कि अपोजीशन के लोग एक्सप्लायट करते हैं । अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे वह कह रहे थे कि अपोजीशन के लोग कोशिश करें ताकि स्ट्राइक वापिस हो जाए और वर्कर काम पर वापिस आ जाएं । मेरे दोस्त को मालूम नहीं है कि यह मामला अपोजीशन और रूलिंग पार्टी का का नहीं है । यह पेट का मामला है और इसमें चार यूनियंज शामिल हैं जिनमें आपकी यूनियन भी है । बहुत कम मौके ऐसे आए हैं जबकि आपकी और अपोजीशन की यूनियंज ने मिल कर स्ट्राइक कारवाई हो और वे किसी एक मामले पर इस हद तक मुत्तफिक हो, मुत्तहिद होकर लड़े हों । इस तरह की चीज काफी दिनों के बाद हुई है । आपकी यूनियन भी उसी शिद्दत के साथ इसमें शामिल हुई है जिस शिद्दत के साथ अपोजीशन वालों की यूनियंज शामिल हुई हैं । आप किस तरह से यह कह सकते हैं कि अपोजीशन की यूनियंज एक्सप्लायट करने का काम करती हैं । मेरे दिमाग में एक बात आती है । गवर्नमेंट का रवैया मुझे मालूम पड़ता है ऐसा है कि प्रापेंगंडा किया जाए, सिचुएशन को एक्स्पलायट किया जाए ताकि आने वाली इलैक्शंज में अपने हक में इसको इस्तेमाल किया जा सके, अपोजीशन को एक हौवा दिखा कर, गलत दिखा कर अपने फायदे के लिये इसको एक्सप्लायट किया जा सके । मेरी दरख्वास्त है कि हर मामले को इलेक्शन की दृष्टि से न देखा जाए, एक ही बिन्दु पर ला कर खड़ा न कर दिया जाए । इस वास्ते बजाय आप अपोजीशन वालों से दरख्वास्त करते कि स्ट्राइक वापिस करवा कर बातचीत के लिए उनको आप लाएं, बेहतर यह होता कि आप अपनी सरकार से दरख्वास्त करते कि जो वर्कर्ज की मांगें हैं और जो जायज मांगें हैं, उनको वह मानले ।

स्टील मिनिस्टरी के नीचे स्टील कारखानों में जो लोग काम करते हैं उनको आपने 91 करोड़ दे दिया जबकि स्टील के कारखाने लासिस में चल रहे थे और उसी तरह से आपने कौल इंडस्ट्री के मजदूरों को 22 परसेंट दे दिया लेकिन पोर्ट वर्कर्ज का जब मामला आया और दसों पोर्ट्स कुल मिला कर जब आपको 120 करोड़ का मुनाफा दे रही हैं, वर्कर्ज को आप 69 करोड़ देने में हिचकिचा रहे हैं । यह बहुत अजीब बात है । इन हालात में हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि पब्लिक सैक्टर के उन इंटरप्राइजिज में जो मुस्तकिल तौर पर नुक्सान दिखा रहे हैं वर्कर्ज को वहां तो आप एक तरह से इनाम दे रहे हैं लेकिन वे आर्गेनाइजेशंज जो फायदा आपको दे रही हैं उनके वर्कर्ज की जायज मांगों को मानने के लिए भी आप तैयार नहीं हैं । खता किस की है ? 31 दिसम्बर 1983 को आपका और उनका समझौता खत्म हो रहा था । बेहतर होता उससे पहले आप उनसे कोई सैटलमेंट कर लेते तो यह नौबत न आती लेकिन आप तो दस परसेंट से शुरू करते हैं फिर पंद्रह पर पहुंचते हैं । फिर आप तीस पर पहुंचते हैं । यह आपका रिकार्ड है पिछला । पहले आप कहेंगे कि गैर कानूनी काम वे कर रहे हैं, फिर कहेंगे कि आइए बातचीत के लिए और फिर कहेंगे कि 20-21 देंगे या तीस देंगे । इस तरह से जब स्ट्राइक हो जाती है तो नुक्सान तो देश का ही होता है । यही बात आपने यहां भी की है । आपने कह दिया कि स्ट्राइक इलीगल है । फिर कहा कि आप बातचीत के लिए आएं । आखिर में आप दो तीन परसेंट ही । इसमें कोई शक वाली बात नहीं है । अभी मेहता साहब बता रहे थे कि 80 करोड़ के हिसाब से रोज नुक्सान हो रहा है । और जिसमें 10,000 डालर रोज का नुक्सान होता रहेगा । मैं ट्रेड यूनियन से सम्बन्ध नहीं रखता हूं, लेकिन एक आम आदमी की हैसियत से महसूस करता हूं कि हमारा नुक्सान हो रहा

है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किस पर डाली जाय ? आप वर्कर्स पर तो नहीं डाल सकते कि उन्होंने ही यह नुक्सान कर दिया है। जैसा मैंने कहा आपकी भी ट्रेड यूनियन इस हड़ताल में शामिल है जिसका मतलब है कि उसमें कुछ न कुछ बात जरूर है।

दूसरी बात अभी कही गई कि स्टील वर्कर्स से क्यों कम्पेयर करते हैं। ऐसा करना पड़ता है क्योंकि 1971 में डाक वर्कर्स की हालत वेजेज के मामले में तमाम पब्लिक अन्डरटेकिंग्स से बेहतर थी और आज 1984 में उनकी हालत उनसे बदतर हो गई है। बेसिक ये पोर्ट और डाक वर्कर्स की शायद 325 रु० है जब कि स्टील वर्कर्स की 550 रु० है। इतना फर्क हो गया है। तो इसको देखते हुए आपको कोई न कोई इनीशियेटिव लेना चाहिए।

दुसरी बात आपने नेवी को भेज दिया। हमारे मुल्क की सहरहदों की हिफाजत के लिये आर्मी, एयर फोर्स और नेवी है। अगर इनको ही (वर्कर्स) के खिलाफ या उनके मुकाबले में खड़ा कर देंगे, दरार पैदा कर देंगे तो कल को अगर खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आये या कुछ मुल्क की हिफाजत को खतरा पैदा हो और नेवी और वर्कर्स में तालमेल न रहे तो अकेले नेवी ही हिफाजत नहीं करती है बल्कि पोर्ट और डाक के वर्कर्स भी उस कदर मददगार होते हैं जितना कि नेवी डिफेंड करती है और यह उनको सपोर्ट करते हैं। इन दोनों में अगर खाई पैदा करते जायेंगे, दूरी पैदा करते जायेंगे तो यह दूरी इतनी वाइड हो जाएगी जिसको कम करना मुश्किल हो जाएगा।

पारादीप का मामला बहुत ही गम्भीर है। हम देहातों में पुराने किस्से सुनते आये हैं और 1857 की बातें सुनी जाती हैं। जब अंग्रेजों ने, जो बाकी हिन्दुस्तानी थे, उनको सजायें देने के लिये लोगों को गिरफ्तार किया। मैं समझता हूं 1857 में जब इस मुल्क के ऊपर दूसरे लोगों की हुकूमत थी बागियों को भी जब उन्होंने गिरफ्तार किया तो वाकायदा मुकदमा चला कर उनकी सजा दी गई। लेकिन पारादीप के मामले में जो हुआ है उसमें 1857 के मुकाबले में आपने यह किया कि अपनी ही हुकूमत, अपने ही वर्कर्स, अपनी ही फौज, सरकार, पी० ए० सी०, पुलिस और सी०आर०पी० एफ०, इन्होंने अपने मुल्क के लोगों को ही जा कर के चुन चुन कर के उनकी झोंपड़ियों को जलाया है यह देखे बगैर कि उसके अन्दर औरतें, मर्द और बच्चे मौजूद हैं कि नहीं। बुरी तरह से उनकी मारपीट की है। क्या वजह थी कांट्रेक्ट वर्कर्स से पुलिस का झगड़ा खड़ा करने की ? इसको अवायड किया जाना चाहिए था।

मेरी गुजारिश है कि आप इसको प्रैस्टीज इशू न बनायें और एक टेबिल पर बैठें। हो सकता है कि कहीं आपके सोचने में गलती हो, या उनके सोचने में गलती हो। लेकिन जब एक टेबिल पर बैठेंगे और बातचीत करेंगे तो एक हल जरूर निकलेगा। जब यह वर्कर्स आप को 120 करोड़ रु० साल का मुनाफा दे रहे हैं 10 पोर्ट्स से तो 69 करोड़ देने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जब कि घाटे में चल रही पब्लिक अंडरटेकिंग्स के वर्कर्स को आप 91 करोड़ दे सकते हैं। ऐसी सूरत में पोर्ट और डाक वर्कर्स को आपको 69 करोड़ रु० जरूर देना चाहिए।

श्री बृजमोहन महंती (पुरी) : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हर एक को हड़ताल की चिन्ता लगी हुई है तथा हर व्यक्ति यही चाहता है कि संघ और सरकार के बीच सभी विवादास्पद समस्याओं का हल निकाला जाए तथा पत्तनों में पुनः सामान्य रूप से काम शुरू हो जाए।

हड़ताल के बाद जो कुछ अच्छी बातें उबर कर हमारे सामने आई हैं हमें उन्हें नजर-अन्दाज नहीं करना चाहिए। सभी महत्वपूर्ण तथा मुख्य मजदूर संघों ने, चाहे वे किसी भी दल से

सम्बद्ध हो तथा चाहे उनकी कोई भी विचारधारा हो, मिलकर पत्तन तथा गोदी कर्मकारों की मांगों को प्रस्तुत किया है। वे यह चाहते हैं कि सभी कर्मकारों के साथ, चाहे वे किसी भी दल के हों, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। उनकी एक ही मांग सूची है। यह बड़ी खुशी की बात है। यह बहुत अच्छी बात है तथा हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब से हड़ताल शुरू हुई है हिंसा की एक भी घटना का समाचार नहीं मिला है। हड़ताल शान्तिपूर्ण है तथा जब पारादीप घटना भी घटी थी तब भी कर्मकारों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था तथा पुलिस दूसरी ओर से उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को देख रही थी। अतः जो हिंसा तक घटना हुई है उससे कतई संबंध नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार और मंत्री का रवैया सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। वह बातचीत के माध्यम से मामले को तय करने के लिए तैयार होने चाहिए। यदि कोई यह महसूस करता है कि 120 करोड़ रुपये में से 60 या 70 करोड़ रुपये उसे दे दिए जायें और मामला तय कर दिया जाये तो यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। क्योंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ठीक नहीं है। क्योंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में यही अकेला उपक्रम नहीं है और सम्पूर्ण सरकारी क्षेत्र पर इस उपक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है इस बात को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता। मेरे विचार से श्रमिकों की मांगों के प्रति उनका रवैया सहानुभूतिपूर्ण है। श्रमिकों की इस मांग को कोई भी नकार नहीं सकता कि उन्हें इस्पात श्रमकों के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही हमें इस प्रश्न के अन्य पहलुओं पर विचार करना चाहिए जैसे कि बड़े पत्तनों में से अधिकांश को घाटा हो रहा है। बम्बई पत्तन को काफी अच्छा लाभ हो रहा है लेकिन पत्तनों में से अधिकांश को मुनाफा नहीं हो रहा है। जहां तक पारादीप पत्तन का सवाल है वह भी घाटे में जा रहा है। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सम्पूर्ण सरकारी क्षेत्र पर पारादीप पत्तन का क्या प्रभाव पड़ता है वास्तव में हमारे सामने कठिनाई यह है कि हम सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में समान मजूरी ढांचा लागू नहीं कर पाये हैं। यदि आप जीवन बीमा निगम और बैंकिंग क्षेत्र को लें तो इस दिशा में वहां भी एकता नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारी और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी को समान वेतन नहीं मिलता है। केन्द्रीय स्कूल के अध्यापक और राज्य सरकार के स्कूल के अध्यापक को भी अलग-अलग पारिश्रमिक मिलता है। इससे वेतनभोगियों में असंतोष बढ़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम मजूरी का समान ढांचा तैयार करने में अभी तक सफल नहीं हो पाये हैं। मुख्य समस्या यह है। फिर भी मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह खुले मस्तिष्क से बात-चीत करें और उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनायें और माननीय मंत्री को बातचीत के माध्यम से शीघ्र ही कोई हल निकाल लेना चाहिए। ऐसा समझौता जितना शीघ्र होगा उतना ही अच्छा होगा और सभी के हित में होगा।

पारादीप पत्तन के सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि इसका प्रबन्ध तथा वहां की ट्रेड यूनियनों का एक वर्ग कुछ ऐसे श्रमिकों को भर्ती करना चाहते थे जिनका नाम सूची में पंजीकृत नहीं था मेरा कहना यह है कि कानून का शासन सभी पर लागू होना चाहिए। मैं पारादीप पत्तन और गोदी श्रमिकों की यूनियन का प्रेजीडेंट हूं और मैंने पत्तन न्यास बोर्ड के चेयरमैन से दो बार मिलने का प्रयास किया लेकिन मैं उनसे मिल न सका। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और वहां कानून का शासन नहीं रह गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी को गाली दे देता है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। कोई अन्य दण्ड

दिया ही नहीं जाता। दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां पर गोदी श्रमिक बोर्ड नहीं है जो गोदी श्रमिकों की सप्लाई पर नियंत्रण रखती। वास्तव में वहां कुछ समाज विरोधी तत्व हैं जो कठिनाई पैदा कर रहे हैं और वहां का प्रबन्ध तथा कुछ अनुभाग अधिकारी इस परिस्थिति के लिए पूर्णत: जिम्मेदार हैं। मेरा प्रश्न यह है क्या मंत्री महोदय इस बारे में कोई जांच करायेंगे चाहे वह जांच विभागीय ही क्यों न हो और यह पता लगायेंगे कि किन परिस्थितियों में गैर-सूचिबद्ध श्रमिकों को सूचीबद्ध श्रमिक बनाया गया। क्या वहां पर ऐसा किया गया है। क्या वहां इस प्रकार की जांच की जा सकती है ? मुझे बताया गया है कि वहां अनेक श्रमिक बरखास्त कर दिए गए हैं। मुझे मालूम नहीं है कि यह बात सच है या नहीं। लेकिन उन पर अनेक प्रकार के आरोप लगाये गये हैं और यदि वे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर श्रमिकों को बर्खास्त कर दिया जायेगा। आप इस बात की कल्पना करें जब रूरकेला और पारादीप से दिल्ली स्थित न्यायालय में अपील करने श्रमिकों को आना पड़ता है तो उन्हें कितना कष्ट होता होगा। श्रमिकों को इस तरह से परेशान किया जाता है।

अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह जांच कराकर इस बात का पता लगायें कि ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया है। लोग वहां पर पूर्णत: निराश हो गए हैं। पारादीप पत्तन में कुछ गोदी श्रमिकों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने भी इस श्रमिकों को कुछ मुआवजा देने के बारे में घोषणा की थी। इतना ही नहीं बल्कि मुख्य मंत्री ने भी वहां का दौरा किया था और श्रमिकों से बातचीत करके तथ्यों का पता लगाया था। जैसाकि श्री पटनायक ने कहा है कि पारादीप को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है क्योंकि तब वह उड़ीसा में कांग्रेसी मुख्य मंत्री थे। उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू का आशीर्वाद प्राप्त था। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला ? वहां से कांग्रेस दल ही साफ हो गया क्योंकि उन लोगों पर भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप थे। वहां हुए चुनाव में हमारे में हमारे सदस्यों की संख्या घटकर केवल 30 रह गई। उस समय मैं वहां की विधान सभा का सदस्य था। मेरा निवेदन यह है कि वह इस समस्या को अब और अधिक जटिल न होने दें। उन लोगों की सहायता करने के लिए अवश्य ही कोई कदम उठाया जाना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा कदम न उठाया जाये जिससे मामला और अधिक उलझ जाये। विपक्ष के नेता ने बोलते हुए उन पुलिस अधिकारियों के प्रति सहानुभूति का एक भी शब्द नहीं कहा है जिन्होंने शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपनी जान की बली दी। श्रमिकों के दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया था वहां शांति बनाये रखने के लिये पुलिस गई जिस पर घातक हमला किया। परन्तु इन पुलिसकर्मियों की सहानुभूति के लिए एक भी शब्द नहीं कहा गया। इस कार्य के लिए पुलिस की सराहना की जानी चाहिए क्योंकि शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई थी। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा। कृपया आप अपनी बात कहें, क्योंकि मंत्री महोदय ने चर्चा का उत्तर देना है और मंत्री का उत्तर बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह मैं आपकी सूचनार्थ बता रहा हूं। प्राय: यह होता है कि जब मंत्री महोदय उत्तर देते हैं तब सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं। यदि आप चाहें तो इनके बाद मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को अन्तिम वक्ता के रूप में बोलने के लिए कहूंगा और उसके बाद मंत्री उत्तर दे सकते हैं। मुझे तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अब यह आपके ऊपर है। लेकिन तब आप लोग ही यह कहेंगे कि बोलने के इच्छुक सभी सदस्यों को अवसर नहीं दिया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने सभापति महोदय को एक नोट भेजा था जिसमें यह अनुरोध किया था कि वह प्रारम्भ से ही सदस्यों को समान समय दें। मैं जानता हूं कि आप ऐसा अवश्य करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समय पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम भी तो यहां पर बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं समय पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा हूं। मैंने सिर्फ यह कहा है कि मंत्री का उत्तर भी महत्वपूर्ण होता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम इस बात से कब इन्कार करते हैं।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : यह आपके हाथों में है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम उनका उत्तर सुनेंगे।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पोर्ट ऐंड डाक वर्कर्स की राष्ट्र-व्यापी हड़ताल है यह दूरदर्शिता के अभाव हैं हमारे सामने समस्या बनी है। बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए और जो दूसरी समस्यायें शहरों में हैं उनको देखते हुए सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनमान जो बताए गए हैं यदि उसी अनुपात में समानता के आधार पर इन वर्कर्स के मामले में भी विचार किया गया होता तो आज यह परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। आपने कोयला उद्योग तथा इस्पात उद्योग में 22 से 25 प्रतिशत तक कर्मचारियों के वेतनमान एवं अन्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की है। दूसरी जगह यदि आप दोहरी नीति अपनायेंगे तो निश्चय ही उससे श्रमिकों के मन में असंतोष की भावना पैदा होगी। माननीय मन्त्री जी ने पिछले फरवरी के महीने में भी 4 यूनियनों के महासंघों से बातचीत की थी और उसमें बहुत सी बातें तय हुई थीं। मजदूरों ने जो मांग की है उसके अनुसार 69 करोड़ की रकम बनती है जो कि अधिक नहीं है। आपने दूसरे उपक्रमों में 22 से 25 प्रतिशत तक दे दिया है—कोयला और इस्पात उद्योगों में, तो यह जो मजदूर हैं इनके लिए भी मंहगाई उनके समान ही हैं। इन्होंने जो 25 से 30 परसेन्ट की मांग की है वह ज्यादा नहीं है और उस पर विचार किया जाना न्यायसंगत है। देश में जितने भी पत्तन हैं, जितने भी बन्दरगाह हैं वहां 128 करोड़ का लाभ कूंता जाता है उसमें से 69 करोड़ दे देते हैं तो वह अधिक नहीं है। जबकि आज वहां पर प्रति दिन 80 करोड़ का घाटा हो रहा है और पता नहीं यह हड़ताल कब तक चलेगी और इसका परिणाम देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए घातक हो सकता है। अधिक दिनों तक यदि आप इन कर्मचारियों को आंदोलन चलाने देते हैं तो दिन प्रति दिन नए संकट पैदा होंगे।

6.00 म० प०

जिस तरह से पारादीप में सात व्यक्तियों की जानें गई और दो पुलिस वालों की जाने गईं, इस तरह से हो सकता है कि दूसरे पोर्ट पर भी घटनायें घटें। इस उद्वेलन में आदमी क्या कर सकता है यह नहीं कहा जा सकता है। कोई प्लान्ड-वे नहीं होता है, जब अन-एक्सपैक्टेड होता है। ऐसी परिस्थिति में मंत्री जी जो 12-13 मार्च को उन लोगों के साथ डिसीजन लिये गए हैं, उस दृष्टिकोण को न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में मंत्री जी को पुनर्विचार करना चाहिए और मजदूरों को अधिक दिनों तक आंदोलन में हिस्सा लेने का अवसर नहीं देना चाहिए। हड़ताल खत्म कराने का उपाय यह है कि उन्हें कम से कम जो दूसरी

जगहों पर दिया जा रहा है, यदि इन मजदूरों को दे दिया जाए तो उनकी ससस्यायें दूर हो जायेंगी। जब कलकत्ता पोर्ट पर लाखों रुपयों की चोरी को आप नहीं रोक पा रहे हें और वहां पर लूट चल रही है। ये गरीब मजदूर जो तीन लाख की संख्या में हैं, यदि एक परिवार 5 या 10 सदस्यों का मान लिया जाए तो उनकी मांगें मानने पर 25-30 लाख लोगों का कल्याण है जब हमारे देश की व्यवस्था समाजवादी, लोकतांत्रिक और प्रजातान्त्रिक ढंग की है तो हमें अधिक लाभ की उम्मीद न करके श्रमिक अशांति को दूर करने के लिए उन की समस्याओं का तुरन्त निदान करना चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस हड़ताल की आप बहुत ही शान्तिपूर्वक हल करें। प्रतिदिन जो 80 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, उसको बचा कर देश का हित करें। नहीं तो यह घाटा बाद में जनता से टैक्स के रूप में वसूल किया जाएगा। जब आपने कोयला, इस्पात में आपने कर्मचारियों का वेतनमान 550 रु० तक बढ़ाया है और उनको 325 रु० मिल रहा है, जो कि आज कल की स्थिति को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए बहुत कम है। तकरीबन सारे बन्दरगाह बड़ी-बड़ी सिटी में ही हैं और उन नगरों की महंगाई के अनुकूल ही उनको वेतनमान मिलना चाहिये। इस दृष्टिकोण से यदि आप विचार करें तो देश हित में होगा और श्रमिकों के हित में होगा।

6.00 म०प०

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : श्रीमन्, इस वाद-विवाद का हाल ही इस हड़ताल को निपटाने में कारगर असर पड़ेगा। जितने भी सदस्य यहां बोले हैं उन्होंने कर्मचारियों की मांगों के प्रति सहानुभूति दिखाई है। किसी ने भी यह नहीं कहा कि उन्होंने अनुचित मांगे रखी हैं।

अब दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे मामले लाये गये हैं जिनसे भ्रम पैदा हो गया है : मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य यहां दिया है उसके दो-चार मुद्दों को मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं।

सबसे पहले यहां ये कहा गया है कि यह हड़ताल गैर-कानूनी है। यद्यपि समाचार पत्रों में कुछ भ्रम पैदा करने वाली बातें प्रकाशित हुईं, हमने उसमें यह पढ़ा कि इस हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित नहीं किया गया है परन्तु यह लगता है यह स्वत: गैर-कानूनी हो गई है। समझौते की बातें बीच में ही पड़ी रहने के कारण यह हड़ताल गैर-कानूनी बना दी गई है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत हड़ताल का नोटिस देना पड़ता है। उन्होंने यह नोटिस 24 फरवरी को दिया था। यह नोटिस कांग्रेस की इंटक फैडरेशन समेत सभी चारों फैडरेशनों ने दिया था। समुचित नोटिस देना कार्मिक संघों की जिम्मेदारी है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत हड़ताल का नोटिस मिल जाने पर सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह तुरन्त समझौते की बातें करें। अधिनयिम में यह कहा गया है कि समझौते की कार्यवाही एक समझौता अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में कोई भी समझौता अधिकारी इस कार्य के लिए सामने नहीं आयेगा, क्योंकि सारी बातचीत उच्च स्तर पर मंत्री महोदय और चारों फैडरेशनों के नेताओं के बीच चली। अब यह कहकर कि समझौता वार्ता बीच में रुकी पड़ी है और इसलिए यह हड़ताल गैर-कानूनी है, मैं नहीं समझता कि वे इससे जनता को भ्रम में क्यों डाल रहे हैं और यह क्यों कह रहे हैं कि हमने गैर-कानूनी काम किया है।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि जल सप्लाई, दमकल सेवा, अस्पताल, बिजली आदि आवश्यक सेवाएं फैडरेशनों ने हड़ताल के क्षेत्र से बाहर रखीं। यह सर्वथा सही हैं। हम हमेशा

ऐसा करते हैं। हम रक्षा संबंधी माल की ढुलाई को भी इससे अलग रखते है। रक्षा सामग्री लाने वाले जहाज के माल को हमारे हड़ताल पर होने पर भी उतारा जायेगा। यात्री जहाजों पर भी काम होगा। जो भी जहाज किसी खतरे में होगा उसे भी सामान्य रूप से सभी सेवाएं दी जायेंगी। पिछले 5 या 6 दिन के दौरान ऐसे जो भी कार्य कर्मचारियों ने किए हैं वे बिना कोई वेतन लिए किए हैं। ऐसा मत कहिये कि हमारा रवैया गैर-जिम्मेदाराना है।

मैं अपनी आवाज उन माननीय सदस्यों के साथ मिलाना चाहता हूं जिन्होंने गत दिनों में नौसेना का उपयोग करने के लिए कहा है। यह एक भाग्य की विडम्बना ही है कि केवल 2 घंटे पहले जब हम रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे थे तो हम नौसेना द्वारा विदेशी आक्रमण का सामना किए जाने की बात कह रहे थे और यहां कर्मचारियों की हड़ताल तोड़ने के लिए नौसेना का उपयोग किये जाने की बात की जा रही है। यह बड़े ही खेद का विषय है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के मामलों को निपटाने का यह उचित तरीका नहीं है। इस तरह की हड़तालें बहुत से देशों में हुई हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। रेल, गाड़ी और बन्दरगाह कर्मचारियों ने अनेकों बार हड़तालें की हैं। अमरीका में भी बहुत बार हड़तालें हुई हैं। ये सभी लोकतांत्रिक देश हैं जहां संसदीय सरकारें हैं और वहां हड़ताल तोड़ने के लिए सेना और नौसेना का कभी उपयोग नहीं किया गया। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इससे बुरे परिणाम निकलेंगे। अनेकों सदस्यों ने इस बात पर बल दिया है। अत: मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

अब प्रश्न यह है कि अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन में वृद्धि आदि करने संबंधी समझौते किस प्रकार सफलतापूर्वक हो जाते हैं। कहीं भी कर्मचारियों को हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गत 1 या 1-1/2 वर्ष के दौरान जितने भी अन्य बड़े सरकारी उपक्रमों में नए वेतन मान संबंधी समझौते हुए उनमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। गोदी और बन्दरगाह कर्मचारियों के संबंध में ही ऐसा हुआ है कि उन्हें हड़ताल करनी पड़ी और अब यह एक सप्ताह की होने को जा रही है। हम हड़ताल करना नहीं चाहते। हम समझौता करना चाहते हैं। यदि सरकार कर्मचारियों की एकता अथवा दृढ़ निश्चय को देखना चाहती है तो मैं समझता हूं कि इसके प्रदर्शन के लिए एक सप्ताह का समय पर्याप्त है और यह आवश्यक नहीं कि इसे और आगे चालू रखा जाये। चारों फैडरेशनें तथा हम सब ये चाहते हैं कि बातचीत आरम्भ की जाये और मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में पहल करें।

अन्य सरकारी उपक्रमों में भी मुझे नहीं पता कि संबंधित मंत्रियों ने इस तरह की बातचीत शुरू करने की जिम्मेदारी उठाई थी या नहीं। जो मंत्री समझौते का मसौदा तैयार करते समय और उसे अंतिम रूप देते समय उससे सम्बद्ध थे उन्होंने उस समय समझौते को अपनी शुभ कामनाएं और आशीर्वाद दिया। यहां हम देखते हैं कि मंत्री महोदय सम्भव समझौते की शर्तों पर चर्चा कर रहे हैं और समझौते की सारी बातचीत छिन्न-भिन्न हो जाती है तथा हड़ताल होती है।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि बातचीत करने का यह तरीका नहीं। यह तो इस प्रकार हुआ जैसे किसी को कपड़े का एक टुकड़ा दे दिया जाये और कहा जाए "तुम इसे ले जाओ और इसमें से अपनी कमीज या धोती बनाओ, इससे अधिक कपड़ा तुम्हें नहीं दिया जा सकता। अब तुम इसका जैसे भी चाहो वैसे उपयोग करो। अब इससे तुम्हारी जो धोती या कमीज बने वह चाहे तुम्हें पूरी तरह ढके या नहीं इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं। मैं केवल इतना कपड़ा ही दे सकता हूं अब इसका जो जी चाहे तुम बनाओ।"

गोदी और बन्दरगाह कर्मचारियों के संबध में बातचीत के समय यही रवैया अपनाया गया था। आपने कहा हम आपको 32 करोड़ रुपया दे सकते हैं आप इसे लीजिए और जो अच्छा लगे वैसा करें। अन्य मांगों का क्या हुआ। और उनका संबंध अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से क्या है ?

कुछ सदस्यों ने कहा है कि वेतन में समानता नहीं हो सकती है। मैं उनके इस मत से सहमत नहीं हूं। सभी उद्योगों के वेतनमानों में समानता होनी चाहिए। ऐक ट्रेन ड्राइवर जो कलकत्ता, अथवा बंबई अथवा मद्रास या पारादीप बन्दरगाह पर काम करता है वह क्या उसी प्रकार का काम सभी जगह नहीं करता ? कुछ समितियों ने बन्दरगाह और गोदी कर्मचारियों के कार्य का वर्गीकरण किया है, उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने वाले लोगों के वेतनमानों का भी वर्गीकरण किया है। यदि एक क्रेन ड्राइवर या एक विचमैन या अन्य कोई कर्मचारी किसी बन्दरगाह और गोदी में कार्य करता है तो मैं ऐसी आशा नहीं करता कि एक ही कार्य के लिए 10 बंदरगाहों में 10 प्रकार के वेतनमान होंगे। इस प्रकार कोई वेतन का ढांचा नहीं बनाया जाता।

मैंने कुशलता, कर्मचारी की योग्यता, उसके प्रशिक्षण, अनुभव आदि के अनुसार वेतन देने की बात कही है। आप इस सब को मात्र यह कहकर "मैं 32 करोड़ रुपये से अधिक नहीं दे सकता" समाप्त नहीं कर सकते। 32 करोड़ रुपया ही क्यों ? 33 करोड़ रुपया ही क्यों नहीं या 31 करोड़ रुपया ही क्यों नहीं ? यह आंकड़ा कहां से आया ? हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मनमाने ढंग से हमें कहा गया है इतना ही रुपया हम आपको दे सकते हैं। इसका आप जो चाहें करें। और यही कारण है कि बातचीत अंतिम नहीं हो पा रही है।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वे भी समझौते के लिए बड़े आतुर हैं। मैं आशा करता हूं कि आजकल या दो दिन बाद बातचीत पुनः आरम्भ होगी। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस प्रकार का रवैया न अपनाएं। भिन्न-भिन्न प्रकार की बातों के लिए उन्हें अलग-अलग विचार करना चाहिए और उस पर उचित तथा समान आधार पर चर्चा करनी चाहिए और इस प्रकार उनका हल खोजना चाहिए। तत्पश्चात आप यह देखें कि उसके क्या परिणाम निकलें। यदि वे किसी एक राशि पर पहुंचे···

प्रो० एन० जी रंगा : ऐसा किया गया है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : नहीं, ऐसा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने 32 करोड़ रुपये की बात कही है। इस 32 करोड़ रुपए का क्या अर्थ है मेरी समझ में नहीं आता। आपने अभी-अभी कोयला खनिकों को 200 करोड़ रुपये दिये हैं। और यहां सदन में कोयला का मूल्य बढ़ाने का औचित्य सिद्ध करते हुए यह कहा है "200 करोड़ रुपये की वेतन वृद्धि से कोयला खनिकों के वेतन का व्यय बढ़ गया है, इसलिए हमें कोयले का मूल्य बढ़ाना पड़ा।" कोयले का मूल्य बढ़ाकर आपने 500 करोड़ रुपये प्राप्त किए और बलि का बकरा कर्मचारियों को बनाया।

कोयला खानों में क्या हो रहा है, उससे आप अवगत हैं। ऊर्जा मंत्री हमेशा कोयला खानों की दशा का रोना रोते रहते हैं। इस्पात संयंत्रों में क्या हो रहा है उससे भी आप अवगत हैं। 150 लाख टन निर्मित इस्पात बिना बिका पड़ा है। और वे बाहर से इस्पात का आयात कर रहे हैं। बंदरगाह और गोदियों में ऐसी स्थिति नहीं है। वे हमारे सभी बंदरगाहों में माल को उतार चढ़ा रहे हैं तथा उसके भार में वृद्धि होकर 750 लाख टन से 1000 लाख टन हो गई है। तथा कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है। सरकार का कहना है कि वहां बहुत से फालतू कर्मचारी

हैं। और उन कर्मचारियों को धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। ऐसा या तो स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के द्वारा या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के द्वारा या छटनी या किसी और तरीके से किया जा रहा है। अतः हमें किसी सिद्धांत या तर्क के आधार पर चलना चाहिए। आप मनमाने ढंग से एक राशि तय नहीं कर सकते। और यह नहीं कह सकते कि यह राशि ले लीजिए और इसका जो जी में आए करिए। इस प्रकार बातचीत नहीं चल सकती। मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय यह कहेंगे कि यदि हम एक निश्चित राशि से अधिक देते हैं तो इससे बन्दरगाहों का खर्च बढ़ जायेगा और जहाजों के मालिक उस खर्च को वहन करने के असमर्थ हो जायेंगे तथा इसके परिणाम स्वरूप वे माला की ढुलाई नहीं करेंगे। परन्तु पहले हमें इन सब बातों पर विचार तो करना चाहिए।

कुछ वर्ष पहले सरकार ने प्रमुख बंदरगाह आयोग की स्थापना की थी। उस आयोग की यह राय थी कि बंदरगाहों के प्रभार को बढ़ाया जाये क्योंकि यह कम है। परंतु सरकार ने उसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया। हम में से कुछ लोगों ने कुछ समय तक बंदरगाह न्यासों से सदस्य ट्रस्टी के रूप में कार्य किया है। हम यह जानते हैं कि कितना रुपया इधर-उधर किया जा रहा है। व्यर्थ किया जा रहा है। कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाकर हम यह सब होते हुए देखकर सहन नहीं कर सकते। एक सदस्य का कहना था कि कर्मचारियों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं है वे देश के हित को नहीं समझ सकते। मैं इस सदन में इससे अलग और कोई बात सत्ताधारी पक्ष की ओर से सुनने की आशा भी नहीं करता। मैंने इन लोगों को उस समय कुछ समय कहते हुए नहीं सुना जब बड़े-बड़े व्यापारिक गृह और एकाधिकार गृह अपनी फैक्टरियों को महीनों तक लगातार बन्द करके तालाबन्दी करे पड़े रहे।

जिस महिला ने भाषण समाप्त किया है उससे मैंने नाराजगी की ये बातें नहीं सुनी हैं और ये लोग वहां बैठे हैं। उस समय उस ओर से कोई भी नहीं बोला। सीमेंट कपड़ा और बहुत सी आवश्यक वस्तुएं बनाने वाली फैक्टिरियां पिछले कई महीनों से देश के विभिन्न भागों में बन्द पड़ी हैं। ये फैक्टरियां मजदूरों ने नहीं बल्कि मालिकों ने बन्द की हैं। किसी ने भी नहीं कहा कि आप राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं आप देश का इतना उत्पादन नष्ट कर रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : ये फैक्टरियां सरकार अपने हाथ में ले रही है।

श्री इंद्र जीत गुप्त : सरकार अपने हाथ में कुछ भी नहीं ले रही है। सरकार ने अपने हाथ में क्या लिया है? आप ने बम्बई टाटा की एक कपड़ा मिल को हाथ में ले लिया है। आप इसे अब नहीं खोल सकते हैं। यह बन्द पड़ी है

प्रो० एन० जी० रंगा : इस पर उन्हें घाटा हो रहा है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : जब कभी भी मजदूर हड़ताल पर जाते हैं तो उनके विरुद्ध इस प्रकार की द्वेषपूर्ण बातें होती हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : नहीं, नहीं।

श्री इंद्रजीत गुप्त : जो लोग करोड़ों रुपयों के करों की चोरी कर हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है? श्री प्रणव कुमार मुखर्जी 70000 करोड़ रुपये के कर वसूल नहीं कर सके और इसका इल्जाम दूसरे लोगों पर डाला जा रहा है। आप जानते हैं कि मंहगाई कितनी बढ़ रही है और लोग किस हालत में रह रहे हैं। मेरे विचार में आपने बंबई और कलकत्ता के वे अन्धेरे

क्षेत्र नहीं देखे जहां गोदी कर्मचारी रह रहे हैं। यह जगह आदमियों के रहने लायक नहीं। वे सबसे गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मद्रास बंदरगाह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : 15 से 20 मजदूर एक किराया का कमरा ले कर रह रहे हैं। वे शिफ्टों में काम करते हैं और उसी हिसाब से वे उस एक कमरे में सोते हैं। आधे लोग सोते हैं और आधे काम पर जाते हैं। इन हालातों में वे लोग रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। क्या उन्हें मकान दिये गये हैं। अब हम यदि किसी निश्चित स्तर पर मकान किराया भत्ता मांगते हैं तो वे कहते हैं कि हम वे आपको नहीं दे सकते। यदि आप यह सोचते हैं कि ये मजदूर इन बन्दरगाहों पर काम करके देश का बड़ा काम कर रहे हैं तो आपको उनके प्रति अपना रवैया बदलना होगा।

मैं अधिक विस्तार में नहीं कहना चाहूंगा। कल मजदूरी के बारे में जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं मेरे पास अपने आंकड़े हैं। गोदी और बंदरगाह मजदूरों की मजदूरी के बिल को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। वह इतना नहीं है। जो मजदूरी वे दे रहे हैं और जो फेडरेशन मांग कर रही है उसमें काफी अन्तर है। और इस अंतर को एक सही दृष्टिकोण रख कर ही दूर किया जा सकता है। आपको इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिये। आप 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं दे सकते। ये हड़ताल समाप्त नहीं होगी। यदि कोई यह सोचता है कि यह हड़ताल समाप्त हो जायेगी और मजदूरी की एकता भंग हो जायेगी और नौसेना इस हड़ताल को तोड़ देगी तो उन्हें इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये क्योंकि बंदरगाह और गोदी मजदूर ही नहीं बल्कि इस देश के लाखों अन्य मजदूर भी इन गोदी मजदूरों की मदद करेंगे। यदि इन हड़ताल करने वाले मजदूरों की हड़ताल को दमनकारी तरीकों से तोड़ा गया तो हम उनकी पूरी सहायता करेंगे और फिर यह गड़बड़ी अन्य स्थानों में भी होगी। दूसरे मजदूर भी इनके साथ आयेंगे। जहां यह बंदरगाह हैं वे सभी महत्वपूर्ण नगर हैं। हमने सरकारी क्षेत्र में समानता के सिद्धांत का पालन करने की मांग की है। इसमें क्या खराबी है ? यदि इसमें कुछ गड़बड़ है तो हम इसकी मांग नहीं करेंगे। सबसे कम मजदूरी पाने वाले मजदूर को समानता दी जानी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी के बीच अन्तर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी की न्यूनतम मजदूरी अधिक है और दूसरे की कम। सभी की समस्याएं एक जैसी हैं। महंगाई सभी के लिए है। परिवार की आवश्यकताएं सभी की हैं हम देश के मुख्य उद्योगों और व्यवसायों में एक निश्चित स्तर पर न्यूनतम मजदूरी देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सरकार को इस संबंध में कोई नीति है ?

पारादीप बंदरगाह क्योंझर और बारबोल तथा अन्य स्थानों से कच्चा लोहा तैयार कराने के लिए बनाया गया था। इस कच्चे लोहे का निर्यात करना था जिसके लिए जापान को कच्चा लोहा बेचने के संबंध में ठेके किये गये हैं। हम इसे अपने इस्पात संयंत्रों को नहीं दे सकते। हमारे इस्पात संयंत्र दुर्भाग्यवश वह सारा कच्चा लोहा इस्तेमाल नहीं कर सकते जो हमें उन शहरों से मिलता है। तकनीकी विकास की दृष्टि से और बड़े-बड़े जहाज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ? उनसे पता चला है कि यह जहाज पारादीप बंदरगाह में काम नहीं कर सकते। यह बंदरगाह इन बड़े-बड़े जहाजों के लिए नहीं बना है। इसलिए जो लोग कच्चे लोहे का आयात करना चाहते हैं, वे इन जहाजों को कच्चा लोहा प्राप्त करने लिए पारादीप पर नहीं भेजते क्योंकि ये जहाज उस बंदरगाह में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए पारादीप बंदरगाह के सामने कठिनाइयां हैं ? और उड़ीसा की लोहा खानों में भी दिक्कत हो रही है। उन्हें बन्द किया जा सकता है। क्या यह मज-

दूरों का दोष है ? यदि कलकत्ता में काम कम हो गया है तो इसमें मजदूरों का दोष कहां है ? कलकत्ता से चाय और पटसन मुख्य रूप से निर्यात किए जाते थे । यदि पटसन निर्यात बाजार में और चाय बाजार में कुछ मन्दी आ गई है तो और यदि ये लोग पहले जितना निर्यात नहीं कर पा रहे हैं तो बंदरगाहों पर काम कम हो जायेगा । आप कहते हैं कि आपके पास फालतू मजदूर हैं । यदि मजदूरों के पास काम नहीं है तो आप बंदरगाहों को बन्द कर दीजिये । आप कलकत्ता बंदरगाह या पारादीप बंदरगाह को बंद कर दीजिये । परन्तु आप ऐसा नहीं करेंगे । यह काम करने का कोई तरीका नहीं है । हमें अधिक काम चाहिए । आप हल्दिया की स्थिति को देखें । कन्वेयर प्रणाली तथा अधिक सामान भेजने के तरीकों पर आपने काफी धन खर्च किया है परन्तु सामान नहीं आ रहा है । पश्चिम बंगाल और पूर्वी क्षेत्र से माल अन्य स्थानों को भेजा जा रहा है ।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्यों ?

श्री इंद्र जीत गुप्त : मुझे पता नहीं है । यह आपकी सरकार है आप बताइये । इन कन्वेयर प्रणालियों और बड़ी-बड़ी मशीनों पर काफी धन खर्च किया गया था । वे अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वहां माल नहीं है । फिर आप कहेंगे कि बन्दरगाह घाटे पर चल रहा है और इसलिए मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा सकती । यह बड़ी अजीब तर्क है ।

ये समस्याएं हैं । सरकार को इन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और मजदूरों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये । मंत्री महोदय बातचीत शुरू करने के लिये क्या कर रहे हैं ताकि सरकारी क्षेत्र के साथ समानता के सिद्धांत के आधार पर शीघ्र ही कोई समझौता हो सके इस्पात मजदूरों और कोयला मजदूरों को हाल के महीनों में जो मजदूरी दी गई है उससे कम मजदूरी बंदरगाह और गोदी मजदूरों को दी जाये ? जिन नगरों में बन्दरगाह हैं और जहां मजदूर काम कर रहे हैं वहीं पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के इस्पात मजदूर भी उन्हें हाल ही में कुछ दिया गया है किन्तु हमसे कहा गया है कि आप वह खास तौर पर मकान किराया भत्ता या नगर प्रतिकर भत्ता न मांगें । क्यों ? वे सभी एक ही नगर में रह रहे हैं । इसके लिये कोई सिद्धांत होना चाहिये । या फिर कहिये कि सरकार इस सिद्धांत को मानती । क्या वे इस को लागू करेंगे और 32 करोड़ रुपये के इस आंकड़े पर नहीं अड़ेंगे । मुझे अपने तन को सही ढंग से ढकने के लिये कपड़ा चाहिये ।

अत: कृपया इस पर विचार करें और हमें ऐसे ढंग से इस समस्या को हल करना चाहिये जिसमें मजदूरों की सन्तुष्टि हो जाये ताकि काम शीघ्र पुन: आरम्भ किया जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें मन्त्री महोदय से उत्तर चाहिये । इसके लिये दो घंटे का समय नियत किया गया था । इस समय 6.30 बजे ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को इजाजत नहीं देता । किसी भी बात को रिकार्ड मत कीजिये । हर बात की हद होती है ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) मेरा निवेदन है कि इस समय हम गणपूर्ति के लिये आग्रह नहीं करेंगे । यद्यपि विपक्ष के सदस्य सरकारी पक्ष से पांच गुना अधिक हैं पांच या दस मिनट से कुछ फर्क नहीं पड़ता । यदि एक या दो सदस्य बोलना चाहते हैं तो आप उन्हें इजाजत दे दें ।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है, कोई सिद्धांत होना चाहिए·····।

(व्यवधान)

श्री रशीद मसूद अपने दल की ओर से पहले ही बोल चुके हैं। अब वह आग्रह कर रहे हैं। यह समझ में आता है, सोज जी कहें कि उन्हें बोलने दिया जाये, चित्त बसु नहीं बोले हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : ठीक है, उन्हें बोलने दीजिये, हम समझौता करने के मामले में सरकार की तरह जिद्दी नहीं हैं। दो में से कम से कम एक को तो बोलने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सोज और चित्त बसु कुछ प्रश्न पूछेंगे और कुछ स्पष्टीकरण के लिए कहेंगे।

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामुला) उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुचित होता, यदि मुझे प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाता। कुछ भी हो, मैं श्री इंद्रजीत गुप्त से पहले बोलना चाहता था। श्री इन्द्रजीत गुप्त जी पहले ही बोल चुके हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं ? परंतु मेरा एक निश्चित मत है आपने पहले कहा, काश्मीर में कोई पत्तन नहीं है, परंतु कश्मीर से दस पत्तनों में हड़ताल कराई गई है। मैं अपने दल का प्रतिनिधित्व करता हूं और मुझ कर्मकारों के साथ सहानुभूति है। उन्होंने हड़ताल एक मुद्दे के लिए की है। उनका उद्देश्य अच्छा है। उन्हें रोटी चाहिये, उन्हें मजदूरी चाहिये और मंत्री महोदय द्वारा 69 करोड़ रुपए की मंजूरी दिये जाने के पश्चात् भी उनके और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मकारों की मजदूरी समान नहीं हो पायेगी। अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण मैं उद्योग के बारे में कुछ जानता हूं। जहां तक परिवहन उद्योग का सम्बन्ध है, मैं वह नहीं दोहराऊंगा जो दूसरे कह चुके हैं परन्तु मैं एक बात विशेष पर बल देना चाहूंगा जो मौलिक और किताबी नहीं है। बात यह है कि पोत परिवहन उद्योग के बारे में यह कहा जाता है कि जब तक हड़ताल न की जाये तब तक वहां के अधिकारी या प्रशासक सुनते ही नहीं। अतः यह कहावत सही है, जब तक सभी दसों पत्तनों पर महीनों हड़ताल नहीं चली। तब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, 31 दिसम्बर से पहले बातचीत क्यों नहीं की गई ? उन्हें यह जानना चाहिये, यह केवल पोत परिवहन उद्योग ही नहीं है। इसका प्रभाव सभी सेवाओं पर पड़ेगा क्योंकि यदि यह बात सब उद्योगों में फैल गई कि हड़ताल करने पर ही सरकार सुनती है और मजदूरी बढ़ाती है तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

मैं महसूस करता हूं कि इस बार पत्तन कर्मकारों की मांग, जो सरकार के समक्ष है, जायज है। ऐसे भी कर्मकार हैं, जो जायज मांगे न होने पर भी अपनी लापरवाही और अनिश्चित नीति के कारण मांगे पेश कर देते हैं। उन्होंने राजनीति में अनिश्चित नीति प्रदर्शित की है, उन्होंने अर्थव्यस्था के मामले में अनिश्चित नीति प्रदर्शित की हैं। इस नीति का प्रभाव सभी उद्योगों पर पड़ेगा। कर्मकार यह महसूस करेंगे कि हड़ताल करने पर ही मजदूरी में वृद्धि की जायेगी। यह एक बात है जिसे मन्त्री महोदय को ध्यान में रखना चाहिए।

मन्त्री ने इसे शान का मामला मान लिया है। मुझे यह कहना है कि 69 करोड़ रुपये की मंजूरी दिये जाने के पश्चात् भी मजदूरी में समानता नहीं आ पायेगी। सभी पत्तनों में किस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए गहराई से कुछ भी नहीं सोचा गया। श्री महंती ने कहा कि पोत परिवहन उद्योग में अनुशासन हीनता है। इस उद्योग को पिछड़ा हुआ ही रहने दिया गया है और अब मन्त्री को इसको आगे बढ़ाना चाहिये। मैं एक बात कहना चाहता हूं। कल नहीं, तो परसों सरकार समझौता करने के लिए आगे आयेगी ही। मैं श्री

इन्द्रजीत गुप्त की सराहना करता हूं और उसका धन्यवाद करता हूं कि उसने उन्हें कह दिया है कि यदि सरकार अलोकतंत्रीय ढंग अपनायेगी, तो वह अन्य कर्मकारों को भी संगठित करेंगे। वे सरकार को अलोकतंत्रीय ढंग नहीं अपनाने देंगे। अत: मन्त्री महोदय को इसे शान का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये। उन्हें अपने साथी श्रम मन्त्री से बात करके इस मामले को सुलझा लेना चाहिये। आपने इसे सुलझाना है, किन्तु आप अधिक समय गंवायेंगे और जब अन्य कर्मकार भी ऐसा ही करेंगे तब आप इसे सुलझायेंगे। यह अनिश्चित नीति है और मैं इसकी निन्दा करता हूं। मुझे कर्मकारों के साथ पूरी सहानुभूति है, हड़ताल के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि सरकार ने उन्हें हड़ताल करने के लिए मजबूर किया है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं केवल एक ही बात कहूंगा और मुझे आशा है, मन्त्री महोदय इसका उत्तर देंगे। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री ने सभा की भावना को समझ लिया है। सभा की भावना यह है कि सरकार को बातचीत करके और झगड़े को निपटने के लिए तुरन्त पहल करनी चाहिये। ऐसा करते समय उन्हें अपना पहले वाला दृष्टिकोण बदलना होगा क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि कर्मकारों की मांगें अवास्तविक और अनुचित हैं।

यहां मैं बिजनेस स्टेंडर्ड से उद्धत करना चाहूंगा। यह किसी वामपक्षी दल या कार्मिक संघ की पत्रिका में से नहीं है। 17 मार्च के बिजनेस स्टेंडर्ड के सम्पादकीय लेख के अनुसार अन्य सरकारों क्षेत्र के कर्मकारों की तुलना में विश्व भर में पत्तन कर्मकारों की मजदूरी अधिक है।"

अत: इस बात को तो बिजनेस स्टेंडर्ड ने भी मान लिया है कि अन्य सरकारी क्षेत्र के कर्मकारों की तुलना में विश्व भर में गोदी कर्मकारों की मजदूरी अधिक है।

जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, मांग बहुत ही साधारण हैं। इस्पात उद्योग के कर्मकारों के साथ समानता की मांग है। कलकत्ता एक पत्तन नगर है और इस्पात नगर भी कम से कम वेतन पाने वाले इस्पात कर्मकार को कम से कम वेतन पाने वाले पत्तन कर्मकार की तुलना में 145 रुपये अधिक मजदूरी मिलती है। इसका क्या औचित्य है? क्या आप इस न्यायोचित ठहरा सकते हैं? अत: कर्मकारों पर आरोप नहीं लगाया जाना चाहिये कि वे देशभक्त नहीं हैं। या वे राष्ट्र को परेशान करना चाहते हैं। जब आप ऐसा कहते हैं, तब आपके इसका औचित्य बताना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : एक कोयला कर्मकार को कम से कम कुल कितना वेतन मिलता है? एक सरकारी कर्मचारी को कम से कम कुल कितना वेतन मिलता है?

श्री चित्त बसु : कलकत्ता में इस्पात कर्मकार का कम से कम वेतन पत्तन कर्मकार के वेतन से 145 रुपए अधिक है। यह ठीक है, इसमें कुछ चीजें शामिल नहीं हैं। मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

दूसरे, उत्पादन के दर में वृद्धि हुई है और कर्मकारों की संख्या में कमी हुई है। बात यह है कि अब तक सरकार का जो भी रुख रहा है, माफ रखना, वह सही नहीं था। मैं समझता हूं कि यह मन्त्री का अपना रवैया नहीं है। यह रवैया उन्होंने वित्त मन्त्री के कहने पर अपनाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक को दूसरे के विरुद्ध क्यों खड़ा कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : 32 करोड़ रुपए की धनराशि के पीछे क्या करण या सिद्धान्त है। यह 31 करोड़ रुपए या 33 करोड़ रुपए क्यों नहीं हो सकती। अत: विशेष सुझाव जो सामने आया है वह मजदूरी में समानता का है। पत्तन कर्मकारों के महत्व को स्वीकार कीजिए और पत्तन कर्म-

कारों का विश्वासपात्र बनने का प्रयत्न कीजिए। उनको अनावश्यक रूप से तंग न कीजिए। इस मामले में मैं यह कहना चाहता हूं कि नौसेना को तैनात करके—मैं चुनौती नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सेना सुदृढ़ है, हमारी नौसेना बहुत मजबूत है और आप पत्तन कर्मकारों की हड़ताल को समाप्त कर सकते हैं—आप नहीं जानते कि आप अपने देश को कहां ले जा रहे हैं। इससे देश की रक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी। इसका समूचे सामाजिक ढांचे पर प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में सेना को आबादी के किसी वर्ग के विरुद्ध तैनात नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने जो यह कदम उठाया है वह देश के लिए बहुत अशुभकारी है। मैं समझता हूं, अब भी सरकार को नौसेना को वापस बुला लेना चाहिए, अन्यथा स्थिति अत्यधिक बिगड़ सकती है।

अन्त में, मैं सब बातें नहीं दोहराना चाहता क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि समझौता किसी सिद्धांत के आधार पर और केवल पत्तन कर्मकारों की नहीं, बल्कि समस्त कर्मकार-वर्ग की जायज मांग को ध्यान में रखते हुए तुरन्त किया जाना चाहिए। मैं यह इसलिए कहता हूं कि कर्मकार-वर्ग अब इस विषमता और खाई, जो उत्पन्न की गई है, के प्रति अधिक जागरूक हो गया है। इसे कर्मकारों ने उत्पन्न नहीं किया है। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। यदि कर्मकारों का कोई दोष है तो वह यह है कि वे पांच या दस वर्ष पूर्व अपने अधिकारों के प्रति इतने जागरूक नहीं थे। यही कारण है कि मजदूरी की दरों में अप्राकृतिक अंतर पैदा कर दिया गया है। यह ठीक है कि केवल वह ही इस मजदूरी ढांचे को युक्तिसंगत नहीं बनायेंगे। मैं उनको दोष नहीं देता। परन्तु बात यह है कि उन्हें कुछ सहानुभूति तो होनी चाहिए और कोई औचित्य या सिद्धांत होना चाहिए जिसका पालन किया जायेगा।

श्री राम गोपाल रेड्डी : बहुत अच्छा श्रीमान्।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका आपके उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री चित्त बसु : उन्हें न ही आपकी और न ही मेरी सहयता की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : चित्त बसु जी, आप जब राष्ट्रीय मजदूरी ढांचे की बात कह रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि यह चीनी उद्योग पर भी लागू होगा।

श्री चित्त बसु : अतः मन्त्री जी से मेरी यह अपील है कि उन्हें वास्तव में विजय भास्कर बन जाना चाहिए, अर्थात् उनकी जीत सूर्य की तरह चमकनी चाहिए, यदि मैंने उसके अर्थों को सही समझ सका हूं। अतः उन्हें सफलता पत्तन कर्मकारों के दिलों को जीत कर तथा मजदूरी के ढांचे के किसी वैज्ञानिक सिद्धांत पर निर्भर करते हुए मिलनी चाहिए, न कि कुछ नौकरशाहों या कुछ विशेष वर्गों द्वारा फैलाए गए भ्रम के आधार पर। व्यापारी लोग तो चाहते हैं कि हड़ताल तत्काल समाप्त हो जाए। केवल हम ही नहीं, परंतु वे लोग भी, जो इस बिजनेस स्टेंडर्ड तथा अन्य पत्रों का वित्तपोषण करते हैं, चाहते हैं कि हड़ताल का तुरन्त अन्त हो जाये। क्योंकि इसका कुप्रभाव न केवल हमारी अर्थव्यवस्था पर बल्कि समूचे देश पर पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मन्त्री जी बोलेंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : आशा है आप उदारचित्त हैं जैसे कि सरकार सरकारी क्षेत्र के प्रति है।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : मेरे बोलने के पश्चात् आप निर्णय करें, क्या मैं उदारचित्त हूं या नहीं।

मान्यवर, मुझे खुशी है कि 10, 12 माननीय सदस्यों ने इस वादविवाद में भाग लिया है और श्रम आंदोलन के कुछ नेताओं ने अपनी राय भी दी है।

श्रीमान्, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार करने तथा राज्य सभा में वादविवाद होने के पश्चात् कल से कुछ घटनायें घटी हैं। मैंने चारों श्रमिक संघों के नेताओं से अपील की कि वे पुन: बातचीत में शामिल हों। उस तरफ से उत्तर प्राप्त हुआ है। कल मुझे कुछ महत्वपूर्ण नेताओं से, जो यहां दिल्ली में हैं, एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे बातचीत में भाग लेने के लिए तैयार हैं।

मेरे पास वह पत्र है। मैंने आज प्रात: कुछ महत्वपूर्ण संसद सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया था। हम तिथि निश्चित करके तथा मजदूर नेताओं से बातचीत करके उसे जारी रखते रहेंगे। उसके अतिरिक्त मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा। श्री इन्द्रजीत गुप्त जो एक दिग्गज हैं, ने कुछ कहा है। उन्होंने मेरे द्वारा पेशकश की गई 32 करोड़ रुपये की राशि के बारे में समझा नहीं है। वह प्राय: बार-बार यह कह रहे हैं जो राशि मैं दे रहा हूं वह न तो अधिक है और न ही कम है और क्या यह राशि कमीज के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं? मैं इसे उन्हें जबरदस्ती देकर स्वीकार करने के लिए कहूंगा। मेरा यह दृष्टिकोण नहीं रहा है। मैंने राज्य सभा में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इसे मैंने अपनी बातचीत में भी स्पष्ट कर दिया है। श्री लारेंस, जो इस बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं, इस बात को जानते हैं। यह शुरूआत थी।

यह 32 करोड़ रुपये की राशि आरम्भ में दी जा रही है और यह एक अच्छे श्रमिक के लिये कपड़े का उचित टुकड़ा है। किंतु यदि वह सर्ज अथवा कोई दूसरा आयातित कपड़ा चाहते हैं तो मैं उसकी व्यवस्था करने में असमर्थ हूं। मैं निश्चित रूप से यथोचित कपड़े की व्यवस्था करूंगा और जब मैंने पेशकश की थी तो मेरा विचार यही था।

15% वेतनवृद्धि अनुचित बात नहीं है। मेरे अनुसार वेतन पर खर्च 216 है। आपके अनुसार यह 187 है। यदि यह 187 है तो यह 17-1/2% बैठता है। यदि आप 1980 के वेतन करार को देखें तो यह 17.7% था। अत: मैंने जब अपना भाषण शुरू किया था, आपके, आंकड़ों के अनुसार भी, जो मैं स्वीकार नहीं करता हूं, 17% था, मुझे विश्वास है कि इसे आप उचित समझते हैं। मैंने कहा कि यह बात अन्तिम नहीं है। इसके बारे में बातचीत की जा सकती है और इसे सुधारा जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या यह अन्तरिम पेशकश है?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : जी नहीं, यह अन्तरिम पेशकश नहीं है। यह बातचीत शुरू करने के लिये शुरू करने वाली बात है।

श्री चित्त बसु : विचार-विमर्श करने के लिए शुरू करने वाली बात है।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : जी, हां। ऐसा बताया गया है···

श्री चित्त बसु : क्या यह बात बाद में सोची हुई बात नहीं है?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मैं किसी बात के बारे में वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता। यह तो बातचीत की मेज पर ही कही जायेगी। हम इसके बारे में विचार कर सकते हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश यह हड़ताल हमारे ऊपर और राष्ट्र पर थोपी गई है।

1980 में एक करार किया गया था। बातचीत शुरू की गई थी और यह 5 या 6 महीने चली थी। उन्होंने तीन बार हड़ताल का नोटिस दिया और हर बार उन्होंने इसे वापस ले लिया और कोई हड़ताल नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने एक करार पर हस्ताक्षर किए।

मेरे और मेरे सहयोगी श्री वीरेन्द्र पाटिल द्वारा की गई अपील के बारे में मैं कहना चाहता हूं। पहले नोटिस में उन्होंने बताया कि वे हड़ताल करने जा रहे हैं। मैंने कहा और मैं इसे फिर से दोहरा रहा हूं कि इस बार मैं इसके कारणों के तथ्यों के बारे में विचार नहीं करना चाहता। उन्होंने हडताल करने का निर्णय किया है। इसी कारण से बातचीत आगे नहीं अन्यथा मेरा विचार यह है कि वह किसी न किसी समझौते पर पहुंच सकते थे। अगर यह बात मान भी ली जाये कि इस करार के लिए बातचीत हुई है, जिसे मैंने बहुत पहले अर्थात् अगस्त में शुरू किया था। अगस्त में आई० पी० ए० और कोर्ट फेडरेशनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। वह किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके थे। बाद में सचिवीय स्तर पर विचार-विमर्श 14% की पेशकश के साथ यह बातचीत असफल रही। उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तब मैंने हस्तक्षेप किया। इस विभाग के लिए यह एक विशेष बात है। मैं इन बातों में अन्तर्ग्रस्त नहीं होना चाहता। यदि मैं अन्तर्ग्रस्त हो भी जाता हूं, तो यह करार कराने में सहयता करना मात्र है। यह इस मन्त्रालय के अनुसार ही है, तदनुसार सभी तीनों करारों पर हस्ताक्षर किया गया। हमने उसी पद्धति का पालन किया है। यह पद्धति इस मन्त्रालय की विशेष बात है। हम उसी बात का अनुपालन कर रहे हैं। वे हड़ताल से बच सकते हैं।

एक और बात जो प्रकट करने योग्य यह है कि इस गोदी और पत्तन मजदूरों के मजदूर संघ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता ने हमें बताया है और यह एक तथ्य है कि मार्च में हड़ताल हुई ही नहीं। यदि 1978 या उससे पूर्व हड़ताल हुई भी थी तो यह वर्षा ऋतु में हुई थी। मार्च का महीना माल का लदान करने और उसे उतारने के लिए बहुत ही अच्छा सीजन होता है और वे उस मौसम से बच रहे थे। मैं नहीं जानता कि उन्होंने इस बात पर चयन क्यों किया? गत करार पर जनवरी में हस्ताक्षर किए गए थे। हमने अगस्त में बातचीत शुरू की थी। बातचीत कुछ समय और भी जारी रह सकती थी। इस अच्छी अवधि की तथा राष्ट्र को होने वाली भारी क्षति से बचा जा सकता था।

हमने उन्हें हड़ताल को वापिस लेने की अपील की। किन्तु इसका असर नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि क्या हड़ताल अवैध है अथवा नहीं, यह बहुत ही मामूली बात है। किंतु कानून के अनुसार, चाहे जो कुछ भी श्री इंद्रजीत गुप्त ने बताया है जब समझौते की प्रक्रिया चल रही हो और जब मैंने मन्त्री के रूप में हस्तक्षेप किया है···

श्री चित्त बसु : आप समझौता अधिकारी नहीं हो सकते।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मैंने सभी माननीय सदस्यों को आपके पीछे बैठे माननीय सदस्यों को भी तीन घण्टे तक बड़े धैर्य के साथ सुना है। आप जानते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर जब एक बार बातचीत शुरू हो जाती है, तो समझौते की बातचीत भी शुरू हो जाती है।

श्री चित्त बसु : यह कानून नहीं है। (व्यवधान)।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : स्वाभाविक रूप से स्वत: समझौता वार्ता शुरू हो जाती है और यदि कोई हड़ताल की घोषणा करता है तो यह अपने आप ही अवैध हो जाती है। यह एक बात है। (व्यवधान)।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : महोदय, अब भी एक प्रश्न जिसके बारे में हर व्यक्ति कह रहा है। वह इस्पात श्रमिकों और कोयला श्रमिकों के साथ समानता के बारे में है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : उन्होंने मार्च के महीने में हड़ताल करने का निर्णय क्यों किया, क्योंकि संसद के बारे में एक चित्र सामने था कि बजट सत्र के बाद इसे भंग किया जाता है। आपके अनुसार कौन सी बात सही है ?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मैं कहना नहीं चाहता हूं। किन्तु आपको अवश्य ही श्रमिक संघों से पूछना चाहिए कि उन्होंने मार्च के महीने को ही क्यों चुना ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अग्रवाल, लोक सभा का कोई चित्र नहीं है। मैं रिकार्ड को सही-सही रख रहा हूं।

श्री के०विजय भास्कर रेड्डी : समानता का प्रश्न एक जैसा प्रश्न है जिसे इस चरण पर पत्तनों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। पत्तन श्रमिकों ने पूर्व के करार के अनुसार न कि 1980 के करार के अनुसार किन्तु इस से पूर्व के करार के अनुसार, महसूस किया था कि अन्तर बढ़ता जा रहा है। इस अन्तर को दूर करना इस समय सम्भव नहीं है क्योंकि पत्तन-स्थिति अच्छी नहीं है और यह बहुत ही नाजुक है। बम्बई पत्तन को छोड़ कर कोई भी अन्य पत्तन लाभ अर्जित नहीं कर रहा है। श्री बीजू पटनायक ने कहा है कि किया गया कार्य इतना अधिक है कि वेतन दर किये गये व्यापार का एक प्रतिशत भी नहीं है। वेतनों का अनुमान उस आधार पर नहीं किया जाता है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या कुल लाभ 120 करोड़ रुपये से कम है ?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : यह समग्र लाभ है किन्तु यह कुल किया कार्य नहीं है।

श्री चित्त बसु : यदि सभी पत्तनों को मिला दिया जाता है, तो यह समग्र लाभ है।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : दस करोड़ रुपये नहीं होता है।

श्री चित्त बसु : मैंने वैसा नहीं कहा है।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : श्री बीजू पटनायक ने दूसरे ढंग से ऐसा कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु, आप संसद को बातचीत करने का मंच बना रहे हैं। उन्हें उत्तर देने दीजिये। आप अपना निर्णय स्वयं लीजिए।

श्री चित्त बसु : हम यहां करार पर हस्ताक्षर नहीं करने जा रहे हैं।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : कम से कम मेरी राय यह है कि पत्तन महा संघ द्वारा प्रस्तुत की मांगे वास्तविक नहीं है। मुझे आशा है कि वे वास्तविक ढंग से सोचेंगे और किसी तरह समझौता करने का प्रयास करेंगे जो 4 वर्ष के लिए किया जायेगा। गतकरार में इन श्रमिकों और इस्पात श्रमिकों के बीच काफी अधिक अन्तर है। हम बातचीत कर सकते हैं। किन्तु 163 करोड़ रुपये का खर्च करके ही क्या हम प्रति 4 वर्ष में 32% वेतन वृद्धि की कल्पना कर सकते हैं ? क्या यह व्यावसायिक अथवा वास्तविक है या क्या पत्तनों की आर्थिक स्थिति इस वृद्धि को वहन कर सकती है ? श्री लारेंस अथवा श्री इन्द्रजीत गुप्त और आप सभी विशेषज्ञ हैं और आप परामर्श दे सकते हैं। हम सभी इन सभी पहलुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

दूसरी ओर, समानता के प्रश्न के सम्बन्ध में, जो एक अधिक बड़ा मामला है, सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, राजनीतिक नेता और इसके अतिरिक्त सरकार भी इस बारे में सोच रही है और मैं नहीं जानता हूं कि क्या किसी फार्मूले को बनाने का यह उपयुक्त समय है जहां हर समय बातचीत करने की आवश्यकता न रहे। महंगाई भत्ते की तरह एक बार यदि आप कोई समझौता कर लेते हैं, तो स्वतः ही वेतन ढांचे में संशोधन हो जाता है। किन्तु आज की स्थिति के अनुसार समा-

नता के बारे में सोचना सम्भव नहीं है। आप केवल इस्पात के लिए ही क्यों सोचते हैं आप कोयले के लिये क्यों नहीं कहते हैं? आप ने कहा है कि आपने 200 करोड़ रुपया दिया है। आप कोयले के लिए क्यों नहीं करते हैं ? आप स्वयं महसूस करते हैं कि यह वास्तविक नहीं है।

श्री एम० एम० लारेंस : यह अन्तर सरकार द्वारा पैदा किया गया था।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : सभी बातों की जिम्मेदारी सरकार पर ही न डालिये। आप नेतागण क्या रहे थे ?आप ही लोग थे जिन्होंने करार पर हस्ताक्षर किये थे। सभी बातों की जिम्मेदारी सरकारी पर मत डालिये। कहीं पर उन्होंने भूल की है। यह भूल सरकार के कारण नहीं हुई है। यह सरकार तथा मजदूर नेताओं के बीच हुआ करार था। वहीं चार महासंघ गत लगभग 20 वर्षों से सरकार के साथ करार करते चले आ रहे हैं। सारी बात यह है कि अब अवश्य ही सही दिशा में काम करना चाहिये और हमें अवश्य ही कोई न कोई करार करने का प्रयास करना चाहिये।

राष्ट्र को क्षति नहीं होने देनी चाहिए और विशेषकर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि में कमी नहीं आनी चाहिए। यहां कुछ मित्र यह कहते रहे हैं कि नौ सैना को श्रमिकों के साथ मुकाबला करने के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए। यह इस समस्या के प्रति सही दृष्टिकोण नहीं है। कुछ सदस्यों ने कहा है ? कि यह बात सच भी है कि खाद्य तेलों के मूल्य बढ़ जायेंगे। यह बहुत कम उपलब्ध वस्तु है। जब उपलब्धि एक समान और नियमित नहीं होगी, तो व्यापारी लोग इसका लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। उसकी ओर ध्यान देने की जिम्मेदारी सरकार की है। यह हड़ताल को तोड़ने की बात नहीं है। हमने उस तरह से प्रयास नहीं किया है। वैसा दृष्टिकोण हमारा कभी भी नहीं रहा है। किन्तु यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि आवश्यक वस्तुयें निरन्तर और नियमित रूप से मिलती रहे; कि तेलशोधक कारखाने बन्द न हों, कि मद्रास स्थित सुपरताप विद्युत केन्द्र काम करता रहे, मिट्टी के तेल की सप्लाई होती रहे और आदि, आदि। इसी प्रयोजन को दृष्टि में रख कर के हम ने नौसैना को कहा है कि वह हमारी सहायता करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मजदूर संघों ने भी आपको सूचित किया है कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में बाधा नहीं डाली जायेगी।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मजदूर संघों ने हमें रक्षा के जहाजी माल तथा बिजली, विद्युत और जल, इस प्रकार जैसी आवश्यक सेवाओं के बारे में हमें सूचित किया है न कि इन वस्तुओं के बारे में। खाद्य तेल के सम्बन्ध में उन्होंने पेशकश नहीं की है; तेल शोधक कारखानों के लिए पी० ओ० एल० के सम्बन्ध में भी उन्होंने पेशकश नहीं की है, मिट्टी के तेल के बारे में उन्होंने पेशकश नहीं की है।...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि वे सभी वस्तुओं के लिए पेशकश कर देते हैं, तो शेष क्या रह जाता है ?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : क्या यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि मूल्यों में वृद्धि न हो ? सरकार उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। कृपया हम बात को मुकाबले के रूप में मत समझिये कि हम नौसैना को श्रमिकों के साथ मुकाबला करने के लिये तैनात कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमारी बैठक कब हो रही है ? आप हमें कब बुला रहे हैं ?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मुझे आशा है कि इस बार श्रमिक नेताओं की ओर से वास्तविक प्रतिक्रिया प्रदर्शित की जायेगी। मेरी अपील के उत्तर में उन्होंने जवाब दिया है। जल्दी हमारे मिलने की सम्भावना है और मुझे आशा है सब कुछ ठीक प्रकार से निपट जायेगा।

समानता के मामले के बारे में मैं महासंघों के नेताओं से अपील करता हूं कि···

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनके साथ विचार विमर्श कर सकते हैं।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : विभिन्न स्तरों पर विभिन्न मदों के बारे में चर्चा की गई है। अनेक ब्यौरों के बारे में चर्चा की जा चुकी है। हर व्यक्ति जानता है कि यह क्या है। एक तरीका यह भी था जिसे मैंने अपनाया था और तदनुसार ब्यौरे तैयार किये गये थे। यदि उससे आप की सन्तुष्टी नहीं होती है, तो हम विस्तृत रूप से विचार कर सकते हैं और उनके बारे में विचार-विमर्श कर सकते हैं। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। समस्या यह है कि दृष्टिकोण वास्तविक होना चाहिए और आप को केवल एक अच्छी शानदार कमीज के बारे में सोचना चाहिये न कि एक राजसी सूट के बारे में। मेरा विचार यह है कि इस प्रकार के वातावरण ने जब कि अच्छी प्रतिक्रिया हुई है, मुझे अधिक नहीं कहना चाहिए किन्तु हमें मिल बैठकर यथा शीघ्र इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के सहयोग का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों पक्षों से मेरा केवल यह अनुरोध है कि कोई भी इसे मजदूर संघ के संघर्ष तथा बातचीत के रूप में न समझे और इसे इस प्रकार प्रतिष्ठा का मामला न बनाये। दोनों पक्षों को अवश्य ही मिलकर बैठना चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। 7.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 23 मार्च 1984/3 चैत्र, 1906 शक के म० पू० ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।